प्रकाशक—
नागरीप्रचारिणी सभा,
काशी,

卐

मुद्रक—
ह० मा० सप्रे,
श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, जतनबर, बनारस

प्रथम संस्करण की भूमिका

यह पुस्तक "हिंदी-व्याकरण" का संक्षिप्त संस्करण है। इसकी रचना का प्रयोजन यह है कि हिंदी और अँगरेजी की उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को हिंदी-व्याकरण की उपयुक्त पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध हो सके। इस ग्रंथ में संक्षेपतया प्रायः वे सब व्याकरण-विषय रखे गए हैं जो बड़े व्याकरण में हैं; पर विवाद-ग्रस्त विषय और उनका विवेचन निकाल दिया गया है। मुख्य विषय से संबंध रखनेवाली सूक्ष्म बातें भी इस पुस्तक में नहीं लाई गई। अपवाद भी यथासंभव कम रखे गए हैं। इस संक्षेप का कारण यह है कि व्याकरण-विषयक विस्तृत अथवा सूक्ष्म वादविवाद बहुधा अपक्क बुद्धिवाले विद्यार्थियों की योग्यता के बाहर के विषय हैं। तथापि मूल विषय का विवेचन अधिकांश में इस रीति से किया गया है कि विद्यार्थियों को नियम कंठ करने के स्थान में विचार करने का अधिक अवसर मिले।

इस विषय की जो दो-चार पुस्तकें इस समय पाठशालाओं में प्रचलित हैं, उनके दोषों से इस पुस्तक को मुक्त रखने का भरसक प्रयत्न किया गया है; अर्थात् यह चेष्टा की गई है कि ग्रंथ में विषय की कमी, क्रम का अभाव और भाषा की अस्पष्टता न रहे। इस प्रयत्न में हमें कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है, इसका निर्णय अध्यापक और विद्यार्थी ही कर सकते हैं। यदि कोई सज्जन इस पुस्तक के दोषों की सूचना देंगे, तो उसपर धन्यवादपूर्वक विचार किया जायगा और उसके अनुसार अगले संस्करण में आवश्यक परिवर्तन कर दिया जायगा।

कामताप्रसाद गुरु

संशोधित संस्करण की भूमिका

लगभग बीस वर्ष के उपयोग के पश्चात् इस पुस्तक के नए संस्करण की आवश्यकता प्रतीत हुई है। इस संस्करण में सबसे मुख्य और उपयोगी परिवर्तन यह किया गया है कि विषय की विवेचना अधिकांश में "शिक्षापद्धति" के अनुसार की गई है। इससे मूल विषय में कुछ कमी हो गई है; पर साथ ही कुछ नए और आवश्यक विषय भी जोड़ दिए गए हैं। उदाहरणों की संख्या भी बढ़ा दी गई है और प्रायः प्रत्येक पाठ के अंत में अभ्यास दे दिए गए हैं। संक्षेप के विचार से कुछ विषय सारणी के रूप में लिखे गए हैं और एक स्थान में आकृति के द्वारा विषय समझाया गया है। यथासंभव टाइप की भिन्नता से मुख्य और गौण विषयों का अंतर सूचित करने का प्रयत्न किया गया है। आशा है कि पूर्वोक्त परिवर्त्तन, परिवर्द्धन और संशोधन से यह नवीन संस्करण प्रवेशिका-परीक्षार्थियों को अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। इस पुस्तक में छंद, रस और अलंकार का समावेश नहीं किया गया, क्योंकि ये विषय व्याकरण से नहीं, प्रत्युत साहित्य से संबंध रखते हैं जो एक अलग विषय है।

जबलपुर
अक्षय-तृतीया, सं० २००१

कामताप्रसाद गुरु

विषय-सूची

पहला अध्याय

भाषा और व्याकरण

दूसरा अध्याय

वर्ण-विचार

तीसरा अध्याय

शब्द-विचार

चौथा अध्याय

शब्द-साधन

पाँचवाँ अध्याय

शब्द-रचना

छठा अध्याय

वाक्य-विन्यास

सातवाँ अध्याय

वाक्य-पृथक्करण

आठवाँ अध्याय

संक्षिप्त हिंदी व्याकरण

पहला अध्याय

भाषा और व्याकरण

पहला पाठ

वाक्य, शब्द और अक्षर

१—मनुष्य विचार-शील प्राणी है और वह संमति अथवा सूचना के लिये अपने **विचार** बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करता है। वह दूसरों के विचार भी सुना करता है। इन विचारों को पूर्णता तथा स्पष्टता से प्रकट करने का साधन **भाषा** है। कुछ विचार **इशारों** (**संकेतों**) से भी प्रकट किए जा सकते हैं; पर वे बहुधा अपूर्ण और अस्पष्ट रहते हैं। भाषा अनेक पूर्ण और स्पष्ट विचारों के मेल से बनती है और प्रत्येक पूर्ण विचार में कई **भावनाएँ** रहती हैं। प्रत्येक पूर्ण विचार को **वाक्य** और प्रत्येक भावना को **शब्द** कहते हैं।

२—वाक्य में कम से कम दो शब्द अवश्य होने चाहिएँ, नहीं तो पूरा विचार प्रकट नहीं हो सकता। "रामू आया", "तुम चलो", "वे आवेंगे", ये दो दो शब्दों के वाक्य हैं और इनसे एक-एक पूरा विचार प्रकट होता है। जहाँ एक ही शब्द से पूरा विचार प्रकट हुआ दीखता है वहाँ दूसरा शब्द लुप्त (छिपा) रहता है; जैसे, प्रणाम = प्रणाम है। क्या = क्या है ? चलो = तुम चलो।

३—अपने विचार प्रकट करते समय हम या तो कोई समाचार सुनाते हैं या प्रश्न पूछते हैं अथवा किसी से कुछ प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, हम इच्छा अथवा आश्चर्य भी प्रकट करते हैं। इस प्रकार हमारे विचार कई रूप धारण करते हैं और उनके अनुसार वाक्यों के भी कई भेद होते हैं।

अर्थ के अनुसार वाक्य मुख्यतः पाँच प्रकार के होते हैं—

(१) विधानार्थक वाक्य के द्वारा हम दूसरे को किसी बात की स्वीकृति वा निषेध की सूचना देते हैं; जैसे, आम मीठा है। कल रात को पानी गिरा। मेरा भाई काशी से आवेगा। हम वहाँ नहीं थे। घर में कोई नहीं है।

(२) प्रश्नार्थक वाक्य के द्वारा प्रश्न किया जाता है; जैसे, राम कहाँ है? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मोहन कब आया था?

(३) आज्ञार्थक वाक्य से आज्ञा, अनुमति अथवा प्रार्थना का बोध होता है; जैसे, जाओ। बैठिए। मुझे आने दीजिए।

(४) इच्छा-बोधक वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद अथवा शाप का बोध होता है; जैसे, हे नाथ! मेरा बेटा मुझे मिल जावे! ईश्वर उसका भला करे! अन्यायी का नाश हो!

(५) विस्मयादि-बोधक वाक्य विस्मय, हर्ष, शोक आदि भाव सूचित करता है; जैसे, यह चित्र कितना सुंदर है! भाई, तुम मुझे कई वर्षों में मिले हो! वह मित्र के बिना न रहेगा!

४—वाक्य के सार्थक खंड करने से **शब्द** मिलते हैं। यदि हम शब्द के भी खंड करें तो हमें एक वा अधिक छोटी से छोटी ध्वनि मिलेगी; जैसे, 'जाओ' में ज+आ+ओ; 'मोहन' में म+ओ+ह+न और 'है' में ह+ऐ। प्रत्येक छोटी से छोटी ध्वनि को **अक्षर** कहते हैं और एक वा अधिक अक्षरों के मेल से **शब्द** बनता है; जैसे, न, नहीं, घर, सड़क। इस प्रकार भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से और शब्द अक्षरों से बनाए जाते हैं।

किसी भी भाषा का अध्ययन करने के लिये हमें उसके अक्षरों, शब्दों और वाक्यों के रूपों तथा अर्थों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों के शब्दों को अलग अलग लिखो—

पानी बरसता है। गाय घास नहीं खाती थी। क्या उसका भाई कल आवेगा? प्रेमलता कैसी अच्छी लड़की है! ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है। आत्मा अमर है। सच बोलना धर्म का कार्य है। राजा ने अकाल में प्रजा का पालन किया होगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। हमें अपने देश की उन्नति करना चाहिए।

२—नीचे लिखे शब्दों का उपयोग करके एक-एक प्रकार का वाक्य बनाओ—

दूध, हवा, गाना, ईश्वर, प्रेम, साहस, बड़ा, गया, भोजन, विद्या, कैसे, हाय!

३—नीचे लिखे शब्दों के अक्षरों को अलग-अलग लिखो—

पानी, हवा, भोजन, साहस, दूध, गाना।

४—नीचे लिखे अक्षरों से अलग-अलग शब्द बनाओ और उनका उपयोग एक-एक वाक्य में करो—

न, म, आ, ई, क, ल, म, ऊ, ए, भ, घ।

दूसरा पाठ

व्याकरण और उसके विभाग

५—किसी भी भाषा के अक्षरों, शब्दों और वाक्यों के रूपों और अर्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें उस भाषा का व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण वह विद्या है जिससे हम भाषा—अर्थात् अक्षर, शब्द और वाक्य—की शुद्धता के नियम सीखते हैं। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है और उसमें उस भाषा की शुद्धता के नियम दिए

रहते हैं। यदि हम अपनी मातृ-भाषा के सिवा कोई दूसरी भाषा सीखना चाहें तो हमें उस भाषा का भी व्याकरण सीखना चाहिए।

६—भाषा के खंड अक्षर, शब्द और वाक्य का अलग-अलग विवेचन करने के लिये व्याकरण के मुख्य तीन विभाग किए गए हैं—(१) वर्ण-विचार (२) शब्द-साधन और (३) वाक्य-विन्यास।

(१) वर्ण-विचार—व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों का आकार, उच्चारण और उनके मिलाने की रीति बताई जाती है।

(२) शब्द-साधन—व्याकरण के उस विभाग को कहते हैं जिसमें शब्दों के भेद, रूपांतर और उनकी रचना के नियम लिखे जाते हैं।

(३) वाक्य-विन्यास—व्याकरण का वह विभाग है जिसमें शब्दों का परस्पर संबंध और उनसे वाक्य बनाने के नियम बताए जाते है।

दूसरा अध्याय

वर्ण-विचार

पहला पाठ

वर्णमाला

७—किसी भी भाषा के अक्षरों के समूह को **वर्णमाला** कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में नीचे लिखे ४४ अक्षर हैं—

स्वर

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।

ये ग्यारह[1] अक्षर **स्वर** कहलाते हैं; क्योंकि इनका उच्चारण साँस के द्वारा स्वतंत्रता से होता है। (उच्चारण करके देखो।)

व्यंजन

क, ख, ग, घ, ङ। च, छ, ज, झ, ञ।
ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न।
प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व।
श, ष, स, ह।

इन तेंतीस अक्षरों को **व्यंजन** कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण साँस के साथ स्वतंत्रता से नहीं होता और इनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है।

जब हम 'क' का उच्चारण करते हैं तब साँस बाहर निकालने के पहले हमें गले को कुछ दबाना पड़ता है और फिर साँस के साथ 'अ' का उच्चारण

१—संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर ॠ है जो हिंदी में नहीं आता।

करना पड़ता है। इसी प्रकार 'म' के उच्चारण में दोनों ओठ मिलाकर खोलने पड़ते हैं और फिर 'अ' का उच्चारण कर साँस को नाक से निकालना पड़ता है। ('कम' शब्द में दोनों अक्षरो का उच्चारण करके देखो।)

८—इनके सिवा अनुस्वार (ं) और विसर्ग (:) नाम के दो व्यंजन और हैं जिनका उच्चारण क्रमशः आधे म् और आधे ह् के समान होता है और जो किसी भी स्वर के पीछे आते है; जैसे 'संसार' और 'दुःख' में।

९—जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका से होता है तब उसके ऊपर अनुनासिक-चिह्न (ँ) लगाया जाता है, जिसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं; जैसे, 'हँसना' और 'गाँव' में।

व्यंजनों में ङ, ञ, ण कभी शब्दों के आदि में नहीं आते।

१०—जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं मिला रहता तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा (्) कर देते हैं जिसे हल् कहते है और वह व्यंजन हलंत कहलाता है, जैसे, पुनर्, उत्।

११—नीचे लिखे अक्षरों के दो दो रूप पाए जाते हैं; जैसे, अ, अ; झ, भ, ण, ण। किसी अक्षर के नाम के साथ 'कार' जोड़ देने से वही अक्षर समझा जाता है, जैसे अकार = अ, मकार = म।

अभ्यास

नीचे लिखे शब्दों में स्वर और व्यंजन बताओ—

आम, नगर, ईश, ऐन, औषध, कस, छः, उदय, तत्पर, भँवर, ऊँट, आँच।

दूसरा पाठ

स्वरों के भेद

१२—अ, इ, उ और ऋ ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। आ, ई, और ऊ को दीर्घ स्वर कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दूना समय लगता है और ये ह्रस्व स्वरों के मेल से बनते हैं; जैसे—

अ + अ = आ

इ + इ = ई

उ + उ = ऊ।

१३—ए, ऐ, ओ और औ संयुक्त स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये दो भिन्न-भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं; जैसे,

ए = अ + इ, ई

ऐ = अ + ए

ओ = अ + उ, ऊ

औ = अ + ओ

संयुक्त स्वरों का उच्चारण भी दीर्घ स्वरों के समान दूने समय में होता है।

अ और आ सवर्ण स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों का उच्चारण एक ही प्रकार से होता है। इसी प्रकार इ और ई, उ और ऊ तथा ऋ और ॠ में प्रत्येक जोड़ा सवर्ण है। ए और ऐ तथा ओ और औ सवर्ण स्वर नहीं हैं, क्योंकि ये भिन्न-भिन्न स्वरों के मेल से बने है। इसी प्रकार अ और इ; अ और ऊ, अथवा इ और उ असवर्ण हैं।

१४—जिन स्वरों का उच्चारण नासिका से होता है, उन्हें सानुनासिक और जिन स्वरों का उच्चारण साँस के द्वारा स्वतंत्रता से होता है, उन्हें अननुनासिक कहते है; जैसे, 'आँख' और 'ऊँट' तथा 'आग' और 'ऊख' में।

अभ्यास

२—नीचे लिखे शब्दों में स्वरों के भेद बताओ—

अलग, अँधेरा, ऐसा, आम, ऊँट, आधा, ईश, ऋण, ईंट, इतना, उतना, ओला।

२—नीचे लिखे स्वरों के जोड़े सवर्ण हैं या असवर्ण?

अ और आ; इ और ई, अ और ऊ; अ और ए; ए और ऐ; ओ और औ; अ और ओ; इ और अ।

तीसरा पाठ

व्यंजनों के भेद

१५—'क' से लेकर 'म' तक जो पचीस व्यंजन हैं उन्हें स्पर्श कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ का कोई न कोई भाग मुख के दूसरे भागों को स्पर्श करता (छूता) है। (उच्चारण करके देखो।)

१६—स्पर्श व्यंजनों के पाँच वर्ग किए गए हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम पहले अक्षर से रखा गया है; जैसे,

कवर्ग—क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग—च, छ, ज, झ, ञ।

टवर्ग—ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग—त, थ, द, ध, न,।

पवर्ग—प, फ, ब, भ, म।

१७—'य', 'र', 'ल', और 'व' को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का है। (उच्चारण करके देखो)

१८—'श', 'ष', 'स' और 'ह' ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में एक प्रकार की सुरसुराहट सी होती है। (उच्चारण करके देखो।)

१९—प्रत्येक वर्ग के पिछले तीन व्यंजन, अंतस्थ और ह को घोष वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में एक प्रकार की झनझनाहट सुनाई पड़ती है। इन्हें मृदु व्यंजन भी कहते हैं।

२०—प्रत्येक वर्ग के पहले दो अक्षर और श, ष, स अघोष व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में एक प्रकार की खरखराहट-सी जान पड़ती है। इन्हें कठोर व्यजन भी कहते हैं।

घोष—ग,घ,ङ; ज,झ,ञ; ड,ढ,ण; द,ध,न; ब,भ,म। य,र,ल,व, ह।

अघोष—क, ख; च, छ; ट, ठ; त, थ, प फ; श, ष, स।

२१—प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवाँ अक्षर और अंतःस्थ अल्पप्राण कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में श्वास का

परिमाण साधारण रहता है। शेष व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं; उनका उच्चारण करने में साँस अधिक परिमाण में निकाली जाती है।

सूचना—सब स्वर घोष और अल्पप्राण हैं।

२२—प्रत्येक वर्ग के पाँचवें अक्षर, अर्थात् 'ङ्', 'ञ्', 'ण्' 'न्' और 'म्' को अनुनासिक व्यजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण नासिका से होता है। इनके बदले इच्छानुसार अनुस्वार लिखा जा सकता है; जैसे,

'गङ्गा' = 'गंगा', 'पञ्च' = 'पंच', 'दण्ड' = 'दंड', 'सन्त' = 'संत', 'कम्प' = 'कंप'।

अभ्यास

१—नीचे लिखे शब्दों में व्यंजनों के भेद बताओ—

अमर, लहर, शहर, वन, रावण, उदय, चपल, छाया, साहस, पुरुष, उदास, खर, झरना, कंगाल, संमान।

चौथा पाठ

संयुक्त अक्षर

(१) स्वरों का संयोग

२३—व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के योग के बिना नहीं हो सकता; इसलिये व्यंजनों में स्वर मिलाए जाते हैं। व्यंजनों में मिलने के पहले स्वरों का रूप बदल जाता है और इस बदले रूप को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की मात्रा नीचे लिखी जाती है—

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ।

ा ि ी ु ू ृ ॄ े ै ो ौ

२४—'अ' की अलग मात्रा नहीं है। उसके मिलने पर व्यजन का हल् चिह्न (्) निकल जाता है; जैसे क् + अ = क, च् + अ = च।

२५—व्यंजनों में मात्राएँ मिलाने की रीति यह है—

क, का, कि, की, कु, कू, कृ, कॄ, के, कै, को, कौ।

'र्' में 'उ' और 'ऊ' की मात्राएँ मिलाने से उनका रूप कुछ बदल जाता है; जैसे, 'रुकना' और 'रूप' में।

(२) व्यंजनों का संयोग

२६—जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं रहता तब वह अपने आगे आनेवाले व्यंजन में मिल जाता है; जैसे,

सत्+कार=सत्कार, सम्+बंध=सम्बंध (संबंध)।

सू०—हिंदी में बहुधा तीन व्यंजनों से अधिक एक साथ नहीं मिलते।

२७—जिन अक्षरों में पाई (।) रहती है उनकी पाई संयोग में गिर जाती है; जैसे, त्+थ=त्थ, प्+य=प्य, च्+छ=च्छ, त्+स्+य=त्स्य ('मत्स्य' में)।

२८—ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, और ह सयोग के आदि में भी पूरे लिखे जाते हैं और इनके आगे आनेवाला व्यंजन इनके नीचे लिखा जाता है; जैसे, "सङ्ग", "उच्छ्वास", "पट्टी", "गड्डी" और "चिह्न" में।

२९—जब र् के पीछे कोई व्यंजन आता है तब वह उसके ऊपर रेफ (र्) के रूप में लिखा जाता है, जैसे "दुर्गुण", "निर्जन", "धर्म" में। जब रकार किसी व्यजन के पीछे आता है तब उसके दो रूप होते हैं—

(१) पाईवाले अक्षरों के साथ र इस (्र) रूप में मिलता है; जैसे, "चक्र", "ह्रस्व", "वज्र" में।

(२) दूसरे व्यजनों के साथ र् इस रूप (‸) में आता है; जैसे, "राष्ट्र", "पुण्ड्र", "कृच्छ्र" में।

सू०—(१) र के पश्चात् ऋ (स्वर) आने पर भी वह रेफ के रूप में आता है; जैसे, 'नैर्ऋत्य' में।

(२) व्रजभाषा में र्+य का र्‍य होता है, जैसे, "मार्‍यो", "हार्‍यो", "धार्‍यो" में।

कई एक संयुक्त व्यंजन दो-दो रूपों में लिखे जाते हैं, क्+क=क्क, क्क; व्+व=व्व, व्व; ल्+ल=ल्ल, ल्ल, श्+व=श्व, श्व; क्+त=क्त, क्त और त्+त=त्त, त्त,।

३०—क्ष, त्र और ज्ञ संयुक्त व्यंजन हैं। क्+ष=क्ष ; त्+र=त्र और ज्+ञ=ज्ञ। ये अक्षर भी दो-दो रूपों में लिखे जाते हैं; जैसे, क्ष और क्ष ; त्र और त्र; ज्ञ और ज्ञ।

३१—ङ्, ञ्, ण्, न्, म् अपने ही वर्ग के व्यजनों के साथ मिल सकते हैं ; जैसे, "गङ्ग", "चञ्चल", "घण्टा", "अन्त", "दम्भ"।

कुछ शब्दों में इस नियम का विरोध होता है ; जैसे, "वाङ्मय", "मृण्मय", "धन्वन्तरि", "सम्राट्", "उन्हें", "तुम्हें"।

३२—अंतःस्थ अक्षरों के पहले, अनुनासिक म्यंजन के बदले अनुस्वार आता है, जैसे, "सयम", "संरक्षा", "संलग्न", "किंवा"।

३३—'ह' बहुधा दूसरे व्यजनों में मिलता है ; दूसरे व्यंजन 'ह' में नहीं मिलतेः जैसे, "चिह्न", "ब्रह्म", "असह्य", "ह्रस्व", "प्रह्लाद", "विह्वल"।

३४—दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं होता; इसलिये संयोग में पहला अक्षर अल्पप्राण रहता है ; जैसे, "रक्खो" "अच्छा", "गड्ढा" में।

३५—संयुक्त व्यंजनों में भी स्वरों की मात्राएँ जोड़ी जाती हैं; जैसे, द्व, द्वा, द्वि, द्वी, द्वु, द्वू, द्वृ, द्वॄ, द्वे, द्वै, द्वो, द्वौ।

अभ्यास

१—नीचे लिखे शब्दों में व्यंजन और स्वर अलग अलग बताओ—

दास, कवि, पुरुष, गति, भालू, जैसा, कृष्ण, कौन।

२—नीचे लिखे शब्दों में सयुक्त व्यंजनों के खड करो—

कुत्ता, पत्थर, अन्न, मत्स्य, विद्यार्थी, स्त्रीत्व, ब्रह्म, नम्र, धर्म, मारयो, ईश्वर, क्लेष।

३—नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करो—

गन्गा, चन्चल, सण्त, कङ्प, घन्टा, सम्वत्, सन्सार, ठन्ड, चिन्ह, ब्राम्हण, गड्डा।

पाँचवाँ पाठ

अक्षरों का उच्चारण

अक्षर	उच्चारण-स्थान	नाम
अ, आ, कवर्ग, ह और :	कंठ	कंठ्य
इ, ई, चवर्ग, य और श	तालु	तालव्य
ऋ, ॠ, टवर्ग, र और ष	मूर्द्धा (तालु का ऊपरी भाग)	मूर्द्धन्य
तवर्ग, ल और स	दंत	दंत्य
उ, ऊ, और पवर्ग	ओष्ठ	ओष्ठ्य
ङ, ञ, ण, न, म, और	नासिका	अनुनासिक
ए, ऐ	कंठ + तालु	कंठ-तालव्य
ओ, औ	कंठ + ओष्ठ	कंठोष्ठ्य
व	दंत + ओष्ठ	दंतोष्ठ्य

३६—हिंदी में अंत्य 'अ' का उच्चारण बहुधा हलंत व्यंजन के समान होता है; जैसे, 'रण', 'धन' 'कमल' में। नीचे लिखी अवस्थाओं में अंत्य अ का उच्चारण पूरा होता है—

(१) यदि अकारांत शब्द का अंत्याक्षर संयुक्त हो; जैसे, सत्य, इंद्र, गुरुत्व में।

(२) यदि इ, ई, वा ऊ के आगे य हो; जैसे, प्रिय, सीय, राजसूय में।

(३) पद्य में जिस अकारांत शब्द पर विश्राम नहीं होता; जैसे, "राम चले वन प्राण न जाहीं। केहि दुख लागि रहत तन माहीं।"

३७—हिंदी में 'ए' और 'ओ' का उच्चारण संस्कृत की अपेक्षा कुछ ह्रस्व होता है; जैसे,

संस्कृत—ऐश्वर्य, सदैव, कौतुक, पौत्र।

हिंदी—ऐसा, कैसा, कौन, चौथा।

३८—'ड' और 'ढ' का एक-एक उच्चारण और है जो जीभ का अग्रभाग उलटकर मूर्द्धा पर लगाने से होता है; जैसे, बड़ और गढ़ में। इस उच्चारण को द्विस्पृष्ट कहते है और इसके लिये अक्षर के नीचे बिंदी लगाते हैं।

उर्दू और अँगरेजी के प्रभाव से 'ज' और 'फ' के नीचे बिंदियाँ लगाकर इन अक्षरों का उच्चारण क्रमशः दंत-तालव्य और दंतोष्ठ्य करते हैं; जैसे, ज़मीन, स्वेज़, फ़ुरसत और फ़ीस में।

३९—अनुस्वार (ं) और चद्रबिंदु (ँ) के उच्चारण में यह अंतर है, कि अनुस्वार के उच्चारण में साँस मुख और नासिका से निकलती है, पर चंद्रबिंदु के उच्चारण में वह नाक से निकाली जाती है; जैसे, 'हंसी' और 'हँसी,' 'अंकुश' और 'आँकुस' में।

४०—विसर्ग के उच्चारण में साँस को कुछ झटका सा देकर मुँह से निकालते हैं। यदि इसके बाद व्यंजन आता है तो इसके उच्चारण में प्रायः उस व्यजन का उच्चारण होता है; जैसे, 'दुःख' और 'प्रातःकाल' में।

४१—हिंदी में 'ज्ञ' का उच्चारण 'ग्यँ' के सदृश होता है। महाराष्ट्र लोग इसका उच्चारण 'द्यँ' के समान करते हैं: पर इसका शुद्ध उच्चारण 'ज्यँ' के सदृश है।

४२—संयुक्त व्यंजन के पूर्व आए हुए ह्रस्व स्वर का उच्चारण कुछ झटके के साथ होता है; जैसे, सत्य, नष्ट, अंत में।

हिंदी में म्ह, न्ह रय, ह्य आदि के पूर्व ऐसा उच्चारण नहीं होता जैसे, तुम्हारा, उन्हें, करया, कह्या में।

अभ्यास

१—नीचे लिखे शब्दों के प्रत्येक अक्षर का अलग उच्चारण कर उसका उच्चारण-स्थान और भेद बताओ।

बालक, कौन, अंतर, दैव, धन, बढ़ाई, बढ़ना, जहाज़, फ़ुरसत, सदेश, सँदेसा, घनश्याम

समाचार जब लछमन पाए। व्याकुल-बदन बिलखि उठि धाए।

छठा पाठ

संधि

राम + अवतार = रामावतार	अ + अ = आ
जगत् + ईश = जगदीश	त् + ई = दी
मनः + हर = मनोहर	ः + ह = ओ + ह

४३—ऊपर लिखे शब्द संस्कृत भाषा के हैं। पर हिंदी में उनका प्रचार है। इन शब्दों के खडों में पहले खंड का अंत्याक्षर दूसरे खंड के आद्यक्षर से मिल गया है और दोनों के मेल से एक भिन्न अक्षर बन गया है। संस्कृत में अक्षरों के इस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं।

राम + अवतार = रामावतार	अ + अ = आ
ईश्वर + इच्छा = ईश्वरेच्छा	अ + इ = ए
भानु + उदय = भानूदय	उ + उ = ऊ

४४—इन उदाहरणों में अ + अ मिलकर आ, अ + इ मिलकर ए और उ + उ मिलकर ऊ हुआ है। ये सब अक्षर स्वर हैं, इसलिये इनके मेल को **स्वर-संधि** कहते हैं।

वाक् + ईश = वागीश	क् + ई = गी
जगत् + ईश = जगदीश	त् + ई = दी
उत् + चारण = उच्चारण	त् + चा = च्चा
जगत् + नाथ = जगन्नाथ	त् + ना = न्ना

४५—इन उदाहरणों में अंत्य व्यंजनों के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिले हैं और उनके स्थान में भिन्न अक्षर हो गए हैं। जिस संधि में व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिलता है उसे **व्यंजन संधि** कहते हैं।

निः + आशा = निराशा　　दुः + उपयोग = दुरुपयोग
(: + आ = रा)　　(: + उ = रु)
निः + फल = निष्फल　　प्रायः + चित्त = प्रायश्चित्त
(: + फ = ष्फ)　　(: + चि = श्चि)

४६—ऊपर के उदाहरण में विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिले हैं और उनके स्थान में भिन्न अक्षर आया है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल को **विसर्ग-संधि** कहते हैं।

स्वर-संधि

१—दीर्घ

उदाहरण	संधि	नियम
राम + अवतार = रामावतार राम + आधार = रामाधार माया + अधीन = मायाधीन माया + आचरण=मायाचरण	अ + अ = आ अ + आ = आ आ + अ = आ आ + आ = आ	अकार वा आकार के परे अकार वा आकार हो तो उनके स्थान में आकार होता है।
गिरि + इंद्र = गिरींद्र गिरि + ईश = गिरीश मही + इंद्र = महींद्र मही + ईश = महीश	इ + इ = ई इ + ई = ई ई + इ = ई ई + ई = ई	इ वा ई के परे इ वा ई रहे तो दोनों के स्थान में ई होती है।
भानु + उदय = भानूदय लघु + ऊर्म्मि = लघूर्मि वधू + उत्सव = वधूत्सव भू + ऊर्ध्व = भूर्ध्व	उ + उ = ऊ उ + ऊ = ऊ ऊ + उ = ऊ ऊ + ऊ = ऊ	उ वा ऊ के पश्चात् उ वा ऊ आवे तो दोनों मिलकर ऊ हो जाते हैं।
पितृ + ऋण = पितृण वा पितॄण मातृ + ऋण = मातॄण वा मातृण	ऋ + ऋ = ऋ वा ॠ	ऋ वा ॠ के पश्चात् ऋ वा ॠ आवे तो उनके स्थान ऋ वा ॠ होती है। हिंदी में ऐसे शब्द कम आते हैं।

सवर्ण, ह्रस्व वा दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान में सवर्ण दीर्घ स्वर होता है। ऐसी संधि को दीर्घ कहते है।

२—गुण

उदाहरण	संधि	नियम
सुर + इंद्र = सुरेंद्र सुर + ईश = सुरेश महा + इंद्र = महेंद्र महा + ईश = महेश	अ + इ = ए अ + ई = ए आ + इ = ए आ + ई = ए	अ वा आ के परे इ वा ई हो तो दोनों के बदले ए होता है।
पर + उपकार = परोपकार समुद्र + ऊर्मि = समुद्रोर्मि गंगा + उदक = गगोदक गंगा + ऊर्मि = गंगोर्मि	अ + उ = ओ अ + ऊ = ओ आ + उ = ओ आ + ऊ = ओ	अ वा आ के परे उ वा ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ होते हैं।
सप्त + ऋषि = सप्तर्षि महा + ऋषि = महर्षि	अ + ऋ = अर् आ + ऋ= अर्	अ वा आ के परे ऋ आवे तो दोनों के स्थान में अर् होता है।

अ वा आ के पश्चात् इ वा ई आवे तो दोनों मिलकर ए; उ वा ऊ आवे तो ओ और ऋ आवे तो अर् होता है। इस संधि का नाम गुणसधि है।

३—वृद्धि

मत + एकता = मतैकता मत + ऐक्य = मतैक्य सदा + एव = सदैव महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य	अ + ए = ऐ अ + ऐ = ऐ आ + ए = ऐ आ + ऐ = ऐ	अ वा आ के पीछे ए वा ऐ आवे तो दोनों के बदले ऐ होता है।
जल + ओघ = जलौघ महा + ओषधि=महौषधि परम + औषध = परमौषध महा + औदार्य = महौदार्य	अ + ओ = औ आ + ओ = औ अ + औ = औ आ + औ = औ	अ वा आ के पश्चात् ओ वा औ रहे तो दोनों के स्थान में औ आता है।

अ वा आ के पीछे ए वा ऐ रहे तो दोनों मिलकर ऐ और ओ वा औ आवे तो औ होता है। यह संधि गुण कहलाती है।

४—यण

उदाहरण	संधि	नियम
अति + अल्प = अत्यल्प अति + आचार=अत्याचार प्रति + उपकार=प्रत्युपकार नि + ऊन = न्यून प्रति + एक = प्रत्येक आति + ऐक्य = आत्यैक्य दधि + ओदन = दध्योदन मति + औदार्य=मत्यौदार्य	इ + अ = य इ + आ = या इ + उ = यु इ + ऊ = यू इ + ए = ये इ + ऐ = यै इ + ओ = यो इ + औ = यौ	इ वा ई के पीछे कोई भिन्न स्वर आवे तो इ वा ई के बदले य् होता है जो अगले स्वर में मिल जाता है।
सु + अल्प = स्वल्प सु + आगत = स्वागत अनु + इत = अन्वित अनु + एषण = अन्वेषण गुरु + औदार्य = गुर्वौदार्य	उ + अ = व उ + आ = वा उ + इ = वि उ + ए = वे उ + औ = वौ	यदि उ वा ऊ के परे भिन्न स्वर रहे तो उ वा ऊ के बदले व् होता है जो अगले स्वर में मिल जाता है।
मातृ + अर्थ = मात्रर्थ पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा	ऋ + अ = र ऋ + आ = रा	यदि ऋ वा ॠ के आगे कोई भिन्न स्वर हो ऋ वा ॠ के बदले र् आता है जो अगले स्वर में मिल जाता है।

ह्रस्व वा दीर्घ ई, उ, वा ऋ के परे कोई भिन्न स्वर रहे तो इ वा ई के बदले य्, उ वा ऊ के बदले व् और ऋ वा ॠ के बदले र् होता है और ये व्यंजन अगले स्वरों में मिल जाते हैं।

५—अयादि

ने+अन = नयन नै+अक = नायक पो+अन = पवन पौ+अक = पावक	ए+अ=अय् ऐ+अ=आय् ओ+अ=अव् औ+अ=आव्	ए, ऐ और ओ, औ के पीछे कोई भी स्वर आवे तो ए के स्थान में अय्, ऐ के स्थान में आय्, ओ के स्थान में अव् और औ के स्थान में आव् होता है।

अभ्यास

१—नीचे लिखे शब्दों को स्वर-संधि के नियमानुसार जोड़ो—

घन+अभाव	प्रश्न+उत्तर	रवि+उदय	सु+आगत
रीति+अनुसार	मत+एकता	गै+अक	मातृ+आज्ञा
अनु+अय	देव+ऋषि	पो+इत्र	भानु+उदय

२—नीचे लिखे शब्दों में स्वर-संधि अलग करो—

सूर्योदय	हस्ताक्षर	नृपौदार्य	कवीश्वर
सूर्यास्त	गणेश	प्रीत्यर्थ	वधूत्सव
रमेश	राजर्षि	इत्यादि	नायक

व्यंजन-संधि

दिक्+गज = दिग्गज — षट्+आनन = षडानन

वाक्+दान = वाग्दान — षट्+रिपु = षड्रिपु

अच्+अत = अजत — अप्+ज = अब्ज

अच्+आदि = अजादि — सुप्+अत = सुबंत

४७—क्, च्, ट्, प् के परे अनुनासिक को छोड़ कोई स्वर या घोष व्यजन हो तो उनके स्थान में क्रमशः वर्ग का तीसरा अक्षर होगा।

वाक् + मय = वाङ्मय	जगत् + नाथ = जगन्नाथ
षट् + मास = षण्मास	अप् + मय = अम्मय

४८—क, ट, त, प के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन हो तो उनके स्थान में क्रमशः वर्ग का पाँचवाँ अक्षर होगा।

सत् + आनंद = सदानंद	सत् + धर्म = सद्धर्म
जगत् + ईश = जगदीश	भगवत् + भक्ति = भगवद्भक्ति
भगवत् + गीता = भगवद्गीता	तत् + रूप = तद्रूप
उत् + घाटन = उद्घाटन	भविष्यत् + वाणी = भविष्यद्वाणी

४९—त् के पश्चात् कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा वा चौथा अक्षर अथवा य, र, व आवे तो त् के बदले द् होगा।

सत् + चरित्र = सच्चरित्र	तत् + टीका = तट्टीका
महत् + छाया = महच्छाया	वृहत् + डमरू = वृहड्डमरू
विपद् + जाल = विपज्जाल	उत् + लास = उल्लास

५०—त् वा द् के परे चवर्ग हो तो उसके स्थान में चवर्ग, टवर्ग वो टवर्ग और ल हो तो ल् होता है।

उत् + शिष्ट = उच्छिष्ट	उत् + श्वास = उच्छ्वास
तत् + हित = तद्धित	उत् + हार = उद्धार

५१—त् वा द् के पीछे श आवे तो त् वा द् के बदले च् और श के बदले छ होता है; और ह हो तो त् वा द् के बदले द् और ह के स्थान में ध होता है।

आ + छादन = आच्छादन	परि + छेद = परिच्छेद

५२—छ के पदले स्वर हो तो छ के बदले च्छ होता है।

अलम् + कार = अलकार वा अलङ्कार
किम् + चित् = किंचित् वा किञ्चित
सम् + तोष = संतोष वा सन्तोष
स्वयम् + भू = स्वयभू वा स्वयम्भू

५३—म् के परे स्पर्श व्यजन हो तो म् के बदले अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक व्यंजन होगा।

किम् + वा = किवा
स्वयम् + वर = स्वयवर
सम् + योग = संयोग
सम् + सार = संसार
सम् + रक्षा = संरक्षा
सम् + हार = सहार

५४—म् से परे अतःस्थ वा ऊष्म वर्ण हो तो म् के बदले अनुस्वार आता है।

भर् + अन = भरण
राम + अयन = रामायण
भूष् + अन = भूषण
नार + अयन = नारायण
परि + मान = परिमाण
ऋ + न = ऋण

५५—ऋ, र वा ष के पश्चात् न आवे और बीच में चाहे स्वर, कवर्ग, पवर्ग, अनुस्वार अथवा य, व, ह रहे तो न के स्थान में ण होता है।

अभि + षेक = अभिषेक
नि + सेध = निषेध
वि + सम = विषम
सु + सुप्त = सुषुप्त

५६—यदि किसी शब्द के आदि में स हो और उसके पहले अ वा आ को छोड़ कोई स्वर आवे तो बहुधा स के स्थान में ष होता है। इस नियम के कई अपवाद हैं; जैसे, अनुस्वार, विसर्ग, प्रस्थान।

आकृष् + त = आकृष्ट
षष् + थ = षष्ठ
तुष् + त = तुष्ट
पृष् + थ = पृष्ठ

५७—ष के पश्चात् त वा थ आने पर उनके स्थान में क्रमशः ट वा ठ होता है।

अभ्यास

१—नीचे लिखे शब्दों की संधि अलग करो—

प्रतिच्छाया, सद्गुण, सच्चिदानंद, सदसद्विवेक, पुष्ठ, निषिद्ध, मरण, संपूर्ण, संयम, वागीश, तल्लीन, अनुच्छेद।

२—निम्नलिखित शब्दों की संधि मिलाओ—

उत् + नति, शरद् + चंद्र, सम् + चय, अनु + छेद, सम् + वाद, षट् + ऋतु, दिक् + मंडल, पुष् + त, श्रीमत् + भागवत, सत् + शास्त्र।

विसर्ग संधि

निः + चल = निश्चल — धनुः + टंकार = धनुष्टंकार

निः + छल = निश्छल — मनः + ताप = मनस्ताप

५८—विसर्ग के आगे च वा छ हो तो विसर्ग के बदले श हो जाता है, ट वा ठ हो तो ष् और त वा थ हो तो स् होता है।

दुः + शासन = दुःशासन वा दुश्शासन

निः + संदेह = निःसंदेह वा निस्संदेह

५९—विसर्ग के पीछे श, ष वा स हो तो विसर्ग जैसा का तैसा रहता है अथवा उसके बदले आगे का अक्षर हो जाता है।

उषः + काल = उषःकाल — पयः + पान = पयःपान

रजः + कण = रजःकण — अधः + पतन = अधःपतन

६०—विसर्ग के पूर्व अ हो और पश्चात् क, ख अथवा प, फ तो विसर्ग में विकार नहीं होता।

निः + कपट = निष्कपट — नि + फल = निष्फल

दुः + कर्म = दुष्कर्म — दुः + प्रकृति = दुष्प्रकृति

६१—यदि विसर्ग के पूर्व इ वा उ हो और उसके परे क, ख अथवा प, फ हो तो विसर्ग के स्थान में ष् होता है ।

यशः + दा = यशोदा अधः + गति = अधोगति

तपः + वन = तपोवन तमः + गुण = तमोगुण

मनः + रथ = मनोरथ तेजः + मय = तेजोमय

६२—विसर्ग के पहले अ हो और पीछे कोई घोष व्यंजन, तो अः के बदले ओ होता है ।

निः + जन = निर्जन निः + आशा = निराशा

दुः + गुण = दुर्गुण दुः + उपयोग = दुरुपयोग

निः + बल = निर्बल आशीः + वाद = आशीर्वाद

६३—विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और पीछे कोई स्वर वा घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान में र् होता है । यदि र् के पश्चात् र आवे तो र् के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है; जैसे, निः + रव = नीरव, निः + रस = नीरस, निः + रोग = नीरोग ।

प्रातर् + काल = प्रातःकाल अंतर + पुर = अंतःपुर

अंतर् + करण = अंतःकरण पुनर् + संस्कार = पुनःसंस्कार

६४—अंत्य र् के पश्चात् अघोष व्यंजन आवे तो र् के बदले विसर्ग होता है ।

अभ्यास

१—नीचे लिखे शब्दों की संधि अलग करो—

धनुर्विद्या, निश्चय, निस्तार, निष्काम, अधोगति, पयोधर, मनोबल, नीरोग, दुर्दिन, दुष्कर्म, तेजःपुंज, अंतःस्वेद ।

२—निम्नलिखित शब्दों की संधि मिलाओ—

निः + उत्तर, दुः + गम, तपः + वन, पुनर् + संधि, निः + रस, निः + पाप, प्रायः + चित्त, अतर् + शक्ति, तेजः + पुंज, धनुः + कोटि ।

तीसरा अध्याय

शब्द-विचार

पहला पाठ

शब्द-भेद

काली गाय घास खाती है ।	तुम उस गाय को झट देखो ।
गाय के पास एक कुत्ता अभी आया है ।	कुत्ते ने उसको देखा होगा ।
क्या तुमने कुत्ते की ओर देखा है ?	ईश्वर गाय को दुष्ट कुत्ते से बचावे ।

६५—ऊपर लिखे वाक्य दो से अधिक शब्दों से बने हैं। इनमें "गाय", "घास", "कुत्ता" और "ईश्वर" ऐसे शब्द हैं जो वस्तुओं के नाम सूचित करते हैं। "गाय" एक प्राणी का नाम है, "घास" एक पदार्थ का नाम है, "कुत्ता" एक प्राणी का नाम है और "ईश्वर" संसार के स्वामी का नाम है। वस्तु का नाम सूचित करनेवाले शब्द को, व्याकरण में संज्ञा कहते हैं।

स्मरण रहे कि जो पुस्तक तुम पढ़ते हो वह पुस्तक संज्ञा नहीं है, किंतु उसका नाम अर्थात् "पुस्तक" शब्द संज्ञा है।

६६—संज्ञा के सिवा वाक्य में एक ऐसे शब्द की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में "खाती है" शब्द के द्वारा हम गाय के विषय में कुछ कहते हैं, "आया" और "देखा होगा" शब्दों के द्वारा कुत्ते के विषय में कुछ कहते हैं और "बचावे" शब्द से ईश्वर के विषय में कुछ कहते अर्थात् विधान करते हैं। किसी वस्तु के विषय में विधान करनेवाले शब्द को क्रिया कहते

हैं। इसलिये "खाती है", "आया" और "बचावे" शब्द क्रियाएँ हैं। ऊपरवाले वाक्यों में "देखा है" और "देखा" शब्द भी क्रियाएँ हैं, क्योंकि ये "तुम" अर्थात् सुननेवाले मनुष्य के विषय में विधान करते हैं।

वाक्य में संज्ञा और क्रिया मुख्य शब्द-भेद हैं, क्योंकि, इनके बिना पूरा वाक्य नहीं बन सकता। दूसरे शब्द-भेद इन्हीं दोनों के सहायक रहते हैं। क्रिया कभी कभी एक ही शब्द से बनती है, जैसे, "आया", "देखो" और "बचावे" और कभी-कभी उसमें दो या अधिक शब्द रहते हैं; जैसे, "खाती है", "देखा है" और "देखा होगा"।

६७—पहले वाक्य में "गाय" संज्ञा के साथ "काली" शब्द आया है जो उसके अर्थ में कुछ विशेषता बताता है। इसी प्रकार "कुत्ता" संज्ञा के साथ "एक" शब्द आया है और वह उस संज्ञा के अर्थ में कुछ विशेषता प्रकट करता है। संज्ञा के अर्थ में विशेषता बतानेवाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसलिये "काली" और "एक" शब्द विशेषण हैं। चौथे वाक्य में "गाय" संज्ञा के साथ "उस" शब्द और छठे वाक्य में "कुत्ता" संज्ञा के साथ "दुष्ट" शब्द आया है। ये शब्द भी विशेषण हैं, क्योंकि ये क्रमशः "गाय" और "कुत्ते" की विशेषता बताते हैं।

विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं; जैसे, "दुष्ट कुत्ता" वाक्यांश में "कुत्ता" विशेष्य है।

६८—दूसरे वाक्य में "आया है" क्रिया के साथ "अभी" शब्द आया है जो उसके अर्थ में कुछ विशेषता बताता है। इसी प्रकार चौथे वाक्य में "देखो" के साथ "झट" शब्द आया है और वह उस क्रिया के अर्थ में कुछ विशेषता सूचित करता है। क्रिया के अर्थ में विशेषता बतानेवाले शब्द को क्रिया-विशेषण कहते हैं। पूर्वोक्त वाक्यों में "अभी" और "झट" क्रिया-विशेषण हैं, क्योंकि ये क्रमशः "आया है" और "देखो" क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। जिस प्रकार का संबंध

विशेषण का संज्ञा से है, उसी प्रकार का संबंध क्रिया-विशेषण का क्रिया से है।

६६—दूसरे वाक्य में "पास" शब्द भी आया है जो "आया है" क्रिया की विशेषता बताता है; परंतु वह क्रिया के साथ "गाय" शब्द का संबंध भी बताता है; इसलिये उसे संबंध-सूचक कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में "और" शब्द संबंध-सूचक है, क्योंकि वह "कुत्ता" संज्ञा का संबंध "देखा है" क्रिया से जोड़ता है। क्रिया के साथ संज्ञा (या सर्वनाम) का संबंध जोड़नेवाला शब्द संबंध-सूचक कहलाता है।

७०—तीसरे और चौथे वाक्यों में "तुम" और पाँचवें वाक्य में "उस" शब्द हैं, जो क्रमशः सुननेवाले मनुष्य के नाम और "गाय" संज्ञा के बदले आए हैं। ये शब्द संज्ञाओं के बदले आए हैं; इसलिये इन्हें सर्वनाम कहते हैं।

राम आया और कृष्ण गया। राम आया, पर मोहन नहीं आया। यदि मोहन आता तो श्याम जाता। गोपाल जायगा या केशव जायगा।

७१—ऊपर लिखे उदाहरणों में दो-दो वाक्य एक साथ आए हैं और उनके साथ उन्हें मिलानेवाले शब्द भी हैं। "और", "पर", "यदि-तो" और "वा" ऊपरवाले वाक्यों को मिलाते हैं। वाक्यों को मिलानेवाले शब्द समुच्चय-बोधक कहलाते हैं। समुच्चय-बोधक से मिले हुए वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं।

अहा! कैसा सुंदर बालक है!

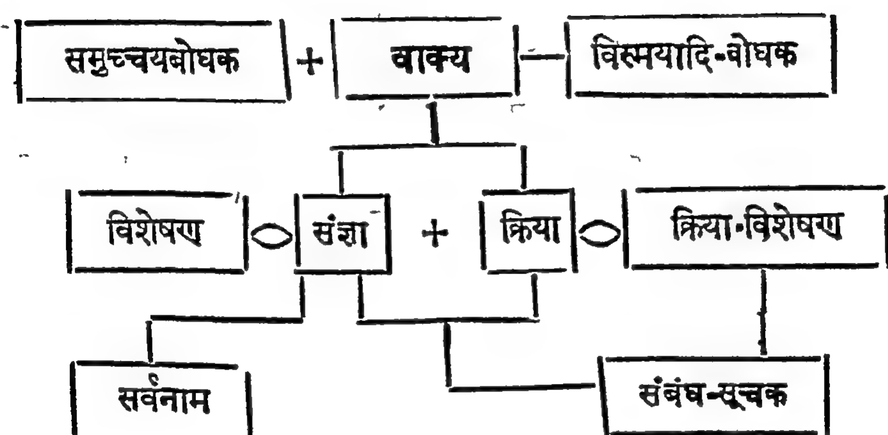
अरे! यह कौन मर गया है?

हाय! अब उस लड़की को कौन पालेगा!

७१—ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द वाक्य के किसी शब्द से संबंध नहीं रखते और केवल विस्मय, आनंद, शोक आदि मनोविकार सूचित करते हैं। इन शब्दों को विस्मयादि-बोधक कहते हैं।

ऊपर शब्दों के जो आठ भेद किए गए हैं वे शब्द-भेद कहलाते हैं। यद्यपि भाषा में हजारों शब्द होते हैं तो भी उनका समावेश इन्हीं आठ शब्द-भेदों में होता है। शब्द-भेदों का ठीक ज्ञान होने पर ही हम उनके विषय की और बातें समझ सकते हैं।

शब्द-भेदों का कार्य नीचे लिखे चित्र द्वारा स्पष्ट हो जायगा—



अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में कारण समझाकर अलग-अलग शब्द-भेद बताओ—

मोहन नाम का एक लड़का बड़ा नटखट था। वह अपने माता-पिता का कहना नहीं मानता था। उसे ऊधम के सिवा और कोई काम न था। कभी वह पुस्तकें फाड़ता था और कभी कपड़े चीरता था। उसके पास दूसरे लड़के भी नहीं आते थे। एक दिन शहर में रामलीला हुई। मोहन का पिता रामलीला देखने गया, पर वह लड़के को अपने साथ न ले गया। तब मोहन को बड़ा दुःख हुआ। उसने मन में कहा, हाय! मैंने अपने दुर्गुणों से पिता को अप्रसन्न कर दिया!

दूसरा पाठ
संज्ञा के भेद

(१)

कलकत्ता बड़ा शहर है। | सिद्धार्थ राजकुमार थे।
हिमालय ऊँचा पहाड़ है। | गंगा पवित्र नदी है।

७३—ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञाएँ हैं क्योंकि ये प्राणी वा पदार्थ के नाम हैं। इनमें "कलकत्ता", "हिमालय" "सिद्धार्थ" और "गंगा" ऐसी संज्ञाएँ हैं जो किसी एक ही (विशेष) प्राणी वा पदार्थ का नाम सूचित करती हैं। हिमालय एक ही (विशेष) पहाड़ का नाम है, गंगा एक ही (विशेष) नदी का नाम है और "सिद्धार्थ" एक ही (विशेष) पुरुष का नाम है। जिस संज्ञा से किसी एक ही प्राणी वा पदार्थ का नाम सूचित होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।

(२)

७४—ऊपर लिखे रेखांकित शब्द शहर, नदी, पहाड़, और राजकुमार भी संज्ञाएँ हैं; परंतु इन संज्ञाओं से किसी विशेष प्राणी वा पदार्थों का बोध होता है। 'शहर' संज्ञा बंबई, कलकत्ता, लंदन, पेरिस आदि सब स्थानों का नाम सूचित करती है। इसी प्रकार "नदी" संज्ञा गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र आदि सभी नदियों के लिये आ सकती है। जो संज्ञा एक जाति के सब प्राणियों वा पदार्थों का नाम सूचित करती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है।

व्यक्तिवाचक और जातिवाचक सज्ञाओं में मुख्य अंतर यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थहीन और अनिश्चित होती है; परंतु जातिवाचक संज्ञा सार्थक और निश्चित रहती है। यदि किसी स्थान का नाम "कलकत्ता" है तो इस नाम से उस स्थान का कोई गुण प्रगट नहीं होता;

परंतु यदि उस स्थान का नाम "शहर" है तो इस नाम से उस स्थान के गुणों और लक्षणों का बोध तुरत हो जाता है। "कलकत्ता" नाम किसी समय बदला जा सकता है; पर "शहर" शब्द के बदले कोई दूसरा नाम नहीं रखा जा सकता।

(३)

भलाई एक गुण है। क्षत्रियों में साहस पाया जाता है।

लड़कपन में आनंद रहता है। रोगी की दशा सुधर जायगी।

७५—ऊपर लिखे उदाहरणों में "भलाई", "लड़कपन" "आनंद" "साहस" और "दशा" प्राणी वा पदार्थ के नाम नहीं हैं; किंतु गुण अथवा दशा के नाम हैं। प्राणी और पदार्थ के समान गुण वा दशा भी एक वस्तु है जो पदार्थों में पाई जाती है; पर उसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं, किंतु केवल मन से होता है। गुण वा दशा अथवा व्यापार का नाम सूचित करनेवाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं।

अनेक भाववाचक संज्ञाएँ जातिवाचक संज्ञाओं, क्रिआओं और विशेषणों से बनती हैं; जैसे,

(१) जातिवाचक संज्ञा से—लड़कपन, मित्रता, चोरी, दासत्व।

(२) क्रिया से—दौड़, बहाव, चढ़ाई, सजावट।

(३) विशेषण से—भलाई, भोलापन, सरलता, चिकनाहट।

(४)

भीड़ में घुसना कठिन है। सभा में विवाद होगा। वहाँ विद्यार्थियों का एक संघ है। पिता कुटुंब का मुखिया होता है।

७६—ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द अलग-अलग प्राणियों या पदार्थों के नाम नहीं हैं, किंतु उनके समूहों के नाम हैं। प्राणियों या पदार्थों के समूह का नाम सूचित करनेवाली संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।

समूहवाचक संज्ञा एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि समूहों की भी कई जातियाँ होती हैं; जैसे, भीड़, सभा, संघ, कुटुंब। यह नाम

अलग-अलग प्राणियों या पदार्थों को नहीं दिया जकता, इसलिये समूह-वाचक संज्ञा को एक अलग भेद मानते हैं।

(५)

सोना क़ीमती धातु है। पानी सर्वत्र नहीं मिलता।

हवा जीवन के लिये जरूरी है। बंगाल में धान होता है।

७७—ऊपर के वाक्यों में "सोना", "पानी" "हवा" और "धान" ऐसी वस्तुओं के नाम हैं जो केवल राशि वा ढेर के रूप में पाई जाती हैं। राशि वा ढेर के रूप में पाई जानेवाली वस्तु का नाम सूचित करनेवाली संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है।

द्रव्यवाचक संज्ञा भी एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि द्रव्यों की भी जातियाँ होती हैं। इस भेद को अलग मानने का कारण यह है कि द्रव्य के अलग-अलग खंड नहीं होते और न उनके अलग-अलग नाम होते हैं।

जब किसी अक्षर या शब्द का उपयोग अक्षर या शब्द के अर्थ में होता है तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के समान आता है; जैसे, "अच्छा" विशेषण है। लेख में बार-बार "वहाँ" आया है। "क्" में "आ" की मात्रा मिलाने से "का" होता है। उनकी "वाह-वाह" हुई।

जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग विशेष नाम के अनेक व्यक्तियों के लिये अथवा किसी व्यक्ति का असाधारण धर्म सूचित करने के लिये किया जाता है तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाती है; जैसे भरतखंड में कई चंद्रगुप्त हो गए हैं। राममूर्ति कलियुग के भीम हैं। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है।

कुछ जातिवाचक संज्ञाओं का उपयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के समान होता है; जैसे, पुरी=जगन्नाथ, देवी=दुर्गा, संवत्=विक्रमी संवत्।

कभी कभी भाववाचक संज्ञा का उपयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है; जैसे, हिंदुस्थान में कई पहिरावे प्रचलित हैं। शहर में कई चोरियाँ हुई हैं। संसार में धन सरीखा सुख नहीं है।

अभ्यास

१—निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञाओं के भेद बताओ—

काशी एक तीर्थ है। राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को गए। उन्होंने अनेक कष्ट सहे। राजा की सेना में हजारों शूर योद्धा थे। वह हत्यारा सजीव मृत्यु था। बातचीत में विनोद दाल में नमक के समान होना चाहिए। सिंह में इतना बल होता है कि पंजे की मार से घोड़े को गिरा देता है। हिंदुस्तान में कई रामनगर हैं। वह स्त्री कैकेयी है। विद्यार्थी अनेक परीक्षाओं में सफल हुआ। पद्मिनी सुंदरता की अवतार थी। यह घटना सन् १९३० की है।

तीसरा पाठ

क्रिया के भेद

लड़का आया है। नौकर जायगा।
चिट्ठी आई थी। कुत्ता भौंकता है।

७८—पूर्वोक्त वाक्यों में "आया है", "जायगा", आई थी", "भौंकता है" शब्द क्रियाएँ हैं, क्योंकि इनके द्वारा कुछ वस्तुओं के विषय में विधान किया गया है। इन क्रियायों के करनेवालों का बोध करानेवाले शब्द क्रमशः "लड़का", "चिट्ठी" और 'कुत्ता" हैं, जिन्हें व्याकरण में "कर्त्ता" कहते हैं। क्रिया का कर्ता बहुधा संज्ञा होती है; पर, कभी-कभी सर्वनाम वा विशेषण भी होता है; जैसे—

संज्ञा—लड़का आया। नौकर गया। लड़की जायगी।

सर्वनाम—वह आया। हम गए। तुम जाओगे।

विशेषण—अंधा देख नहीं सकता। बहरा सुन नहीं सकता। गूँगा बोल नहीं सकता।

लड़का दौड़ता है।	लड़का गेंद फेंकता है।
कुत्ता भौंकता है।	कुत्ता हड्डी चबाता है।
नौकर आएगा।	नौकर चिट्ठी लाएगा।

७१—ऊपरवाले वाक्यों में बाईं ओर "दौड़ता है", "भौंकता है" और "आएगा" ऐसी क्रियाएँ हैं जिनका कार्य उनके कर्त्ताओं में ही समाप्त हो जाता है। उनका फल किसी दूसरी वस्तु पर नहीं पड़ता। ऐसी क्रियाओं को जिसके कार्य का फल केवल कर्त्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रियाएँ कहते हैं। पर दाहिनी ओर जो क्रियाएँ हैं—"फेंकता है", "चबाता है", "लाएगा"—उनका कार्य केवल कर्त्ताओं में ही समाप्त नहीं होता; उनका फल दूसरी वस्तु पर भी पड़ता है। "फेंकता है" क्रिया का कार्य "लड़का" कर्त्ता से निकलकर "गेंद" संज्ञा पर पड़ता है। इसी प्रकार "चबाता है" क्रिया के कार्य का फल "कुत्ता" कर्त्ता से निकलकर "हड्डी" संज्ञा पर पड़ता है। इस प्रकार की क्रियाएँ, जिनके व्यापार का फल कर्त्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है, सकर्मक क्रियाएँ कहलाती हैं। जिस वस्तु पर सकर्मक क्रिया का फल पड़ता है उसे सूचित करनेवाले शब्द को कर्म कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में "फेंकता है" सकर्मक क्रिया का कर्म "गेंद" और "चबाता है" सकर्मक क्रिया का कर्म "हड्डी" है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं आता।

सकर्मक क्रिया का कर्म, कर्त्ता के समान संज्ञा, सर्वनाम वा विशेषण होता है; जैसे लड़की फूल तोड़ती है। मैं तुम्हें जानता हूँ। भगवान दीन को पालते हैं।

कर्त्ता के साथ कभी-कभी "ने" चिह्न और कर्म के साथ कभी-कभी "को" चिह्न आता है; जैसे, लड़के ने गेंद फेंकी। कुत्ते ने हड्डी को चबाया। मैंने लड़के को देखा था।

मोहन ने भाई को फल दिया। पिता पुत्र को चित्र दिखाता है।
लड़की माँ को कविता सुनाएगी। नौकर गाय को पानी पिलाता था।

८१—ऊपर के वाक्यों में "दिया", दिखाता है", "सुनाएगी" और "पिलाता था" सकर्मक क्रियाएँ हैं जिनके कर्म क्रमशः "फल", "चित्र", "कविता" और "पानी" हैं। इनके सिवा प्रत्येक क्रिया का एक-एक कर्म और है जिसपर उस क्रिया का फल पड़ता है। "दिया" क्रिया का दूसरा कर्म "भाई को", "दिखाता है" क्रिया का दूसरा कर्म "पुत्र को", "सुनाएगा" क्रिया का दूसरा कर्म "माँ को" और "पिलाता था" क्रिया का दूसरा कर्म "गाय को" है। ऐसी क्रियाओं को जिनके साथ दो कर्म आते हैं द्विकर्मक क्रियाएँ कहते हैं। दो कर्मों में से एक क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिये अत्यत आवश्यक होता है और किसी पदार्थ का बोध कराता है। इस कर्म को मुख्य कर्म कहते हैं। दूसरा कर्म किसी प्राणी का बोध कराता है और गौण कर्म कहलाता है। गौण कर्म के साथ सदैव "को" चिह्न रहता है।

अकर्मक	सकर्मक
मेरा हाथ खुजलाता है।	मैं अपना हाथा खुजलाता हूँ।
लड़की पानी भरती है।	कुआँ बरसात में भरता है।
उसका मन ललचाता है।	वह मुझको ललचाता है।

८२—कुछ क्रियाएँ अपने अर्थ के अनुसार कभी अकर्मक और कभी सकर्मक होती हैं। ऐसी क्रियाओं को उभय-विध क्रियाएँ कहते हैं।

मोहन विद्यार्थी है। सोहन लेखक बनेगा।

लड़का आलसी निकला। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे।

८३—ऊपर के वाक्यों में "है", "बनेगा", "निकला" और "कहलाते थे" ऐसी अकर्मक क्रियाएँ हैं जिनका अर्थ कभी-कभी अकेले कर्त्ता (वा उद्देश्य[1]) से पूरा नहीं होता। इनका अर्थ पूरा करने के लिये इनको

१—क्रिया के द्वारा जिसके विषय में विधान किया जाता है उसे सूचित करनेवाला शब्द उद्देश्य कहलाता है।

साथ कर्ता से संबंध रखनेवाली कोई संज्ञा वा विशेषण लगाना पड़ता है जिसे उद्देश्य-पूर्त्ति कहते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं को अपूर्ण अकर्मक क्रियाएँ कहते हैं। ऊपर के पहले वाक्य में "है" क्रिया की पूर्ति "विद्यार्थी" संज्ञा है; दूसरे वाक्य में "बनेगा" क्रिया की पूर्त्ति "लेखक" संज्ञा है; और तीसरे वाक्य में "निकला" क्रिया की पूर्ति "आलसी" विशेषण है। चौथे वाक्य में "कहलाते थे" अपूर्ण अकर्मक क्रिया की पूर्ति "धर्मराज" संज्ञा है।

राम श्याम को भाई मानता है। हम लड़की को चतुर समझते हैं। राजा ने ब्राह्मण को मंत्री बनाया। नौकर काम पूरा करेगा।

८४—मानना, समझना, बनाना, करना आदि ऐसी सकर्मक क्रियाएँ हैं जिनका अर्थ अकेले कर्म से पूरा नहीं होता। इन क्रियाओं का अर्थ पूरा करने के लिये इनके साथ कर्म से संबंध रखनेवाली संज्ञा या विशेषण लगाना पड़ता है जिसे कर्म-पूर्ति कहते हैं। इस प्रकार की क्रियाएँ अपूर्ण सकर्मक क्रियाएँ कहलाती हैं। ऊपर के पहले वाक्य में "मानता है" अपूर्ण सकर्मक क्रिया की "पूर्ति" "भाई" संज्ञा है और दूसरे में "समझते हैं" की पूर्ति "चतुर" विशेषण है। तीसरे वाक्य में "मंत्री" संज्ञा कर्म-पूर्त्ति है और चौथे वाक्य में "पूरा" विशेषण कर्म-पूर्ति है।

८५—किसी-किसी अकर्मक और किसी-किसी सकर्मक क्रिया के साथ उसी क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कर्म होकर आती है; जैसे, सिपाही कई लड़ाइयाँ लड़ा। लड़का कई खेल खेलता है। पक्षी अनोखी बोली बोलते हैं। ऐसी क्रियाओं को सजातीय क्रियाएँ और उनके कर्मों को सजातीय कर्म कहते हैं।

अभ्यास

१—निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं के भेद बताओ—

नौकर कोठा झाड़ता है। लड़की सड़क पर खेलती है। गुरु ने शिष्य

को कविता सिखाई। जंगल में से एक बाघ निकला। समय बदलता है। वह अपना नाम बदलता है। लड़का चोर निकला। मेरा एक भाई है। श्याम मेरा साथी है। मैं गोपाल को सच्चा समझता हूँ। "सोओ सुख निंदिया प्यारे ललन।" सड़क पर पानी बहता है। वहाँ बिजली गिरी। गाड़ी कब आएगी? पानी के बहाव से पत्थर घिसता है। नौकर ने मालिक को मार्ग बताया। माँ ने बच्चे को खेलता पाया।

संज्ञा और सकर्मक क्रिया की साधारण व्याख्या

वाक्य—गुरु मोहन को कविता सिखाता है।

गुरु—संज्ञा, जातिवाचक, "सिखाता है" क्रिया का कर्त्ता।

मोहन को—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, "सिखाता है" द्विकर्मक क्रिया का गौण कर्म।

कविता—संज्ञा, भाववाचक, "सिखाता है" द्विकर्मक क्रिया का मुख्य कर्म।

सिखाता है—द्विकर्मक क्रिया, कर्त्ता "गुरु", 'मुख्य कर्म "कविता", गौण कर्म "मोहन को"।

अभ्यास

१—पिछले अभ्यास के वाक्यों में संज्ञा और क्रिया की साधारण व्याख्या करो।

चौथा पाठ

सर्वनाम के भेद

राम ने कहा कि मैं कल जाऊँगा।

मोहन ने गोपाल से पूछा कि तुम कब जाओगे?

पिता ने लड़के से कहा कि तू यहाँ बैठ।

लड़के ने पिता से पूछा कि आप कब आए?

राजा ने मंत्री से कहा कि हम बाहर जायँगे।

८६— ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम हैं, क्योंकि ये संज्ञाओं के बदले में आए हैं। सर्वनाम के उपयोग से संज्ञा को बार-बार नहीं कहना पड़ता। यदि पहले वाक्य में "मैं" का उपयोग न किया जाता तो वाक्य को इस प्रकार लिखना पड़ता—राम ने कहा कि राम जायगा। दूसरे वाक्य में "तुम" न लाया जाता तो वाक्य इस प्रकार होता है—मोहन ने गोपाल से पूछा कि गोपाल कब जायगा? ये वाक्य न तो स्पष्ट ही हैं और न कर्ण-मधुर हैं।

८७—ऊपर के वाक्यों में "मैं" और "हम" बोलनेवालों के नामों के बदले और "तू", "तुम" और "आप" सुननेवालों के नामों के बदले आए हैं। जो सर्वनाम बोलनेवाले अथवा सुननेवाले के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलनेवाले के नाम के बदले आनेवाले "मैं" और "हम" सर्वनामों को उत्तम पुरुष और सुननेवाले के नाम के बदले आनेवाले "तू", "तुम" और "आप" सर्वनामों को मध्यम पुरुष कहते हैं। इन्हें छोड़कर शेष सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते हैं। सब संज्ञाएँ भी अन्य पुरुष में रहती हैं।

जब बोलनेवाला (वक्ता) अपने विषय में नम्रता से बोलता है तब वह "मैं" का उपयोग करता है जैसे, मैं इसके विषय में कुछ नहीं जानता। मैं आपसे फिर कभी निवेदन करूँगा।

कभी-कभी वक्ता अपने विषय में बोलने के लिये "हम" का उपयोग कर देता है; जैसे, हम यह बात नहीं जानते। हम उनके यहाँ कभी नहीं गए।

संपादक, लेखक और बड़े अधिकारी अपने लिये बहुधा "हम" का उपयोग करते हैं; जैसे, हम इस बात को नहीं मानते। हम यह बात पहले लिख चुके हैं।

अपने कुटुम्ब, देश वा मनुष्य-जाति के विषय में बोलने के लिये भी वक्ता "हम" का उपयोग करता है; जैसे, हम जबलपुर में रहते हैं। हम दूसरों का मुँह ताकते हैं। हम हवा के बिना नहीं जी सकते।

सुननेवाले के लिये "तू" का उपयोग करना निरादर समझा जाता है;

इसलिये अपने से छोटे मनुष्य के लिये भी "तुम" का उपयोग किया जाता है। "तू" बहुधा ईश्वर, छोटे बच्चे और घनिष्ट मित्र के लिये आता है; जैसे, हे ईश्वर! तू मेरी रक्षा कर। बच्चे, तू इधर आ। मित्र, तू कल क्यों नहीं आया?

"हम" के साथ "तू" के बदले बहुधा "तुम" लाया जाता है; जैसे, हम और तुम वहाँ चलेंगे। "आप" का उपयोग बड़ों के आदर के लिये "तुम" के बदले होता है, पर शिक्षित लोग बहुधा बराबरीवालों से "तुम" के बदले "आप" का उपयोग करते हैं। राजा-महाराजाओं के लिये "श्रीमान्" (हुजूर) का उपयोग किया जाता है; जैसे, श्रीमान् का आगमन कब हुआ? श्रीमान् का स्वास्थ्य कैसा है?

यह मेरी पुस्तक है। वह उसकी कलम है।
ये मेरे मित्र हैं। वे मेरे भाई हैं।
राजा (मुनि का परिचय कराते हुए)—आप मेरे गुरु हैं।
मालवीय जी देश के नेता हैं; आप (वे) बड़े दयालु हैं।

८८—ऊपर के वाक्यों में "यह", "ये", "वह", "वे" और "आप" ऐसे सर्वनाम हैं जो पास वा दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं। इन सर्वनामों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। "यह" और "वह" एक वस्तु के लिये और "ये" और "वे" अनेक वस्तुओं के लिये अथवा आदर के लिये आते हैं। "यह" बहुधा अगले पिछले वाक्य के बदले भी आता है; जैसे, मैं यह चाहता हूँ कि आप वहाँ जायँ। वे कब आएँगे, यह निश्चित् नहीं।

पहले कही हुई दो संज्ञाओं में से पहली के लिये "वह" और पिछली के लिये "यह" आता है; जैसे, दुर्जन और सज्जन में यह अंतर है कि वह मिलने पर दुःख देता है और यह बिछुड़ने पर। शरीर और आत्मा मनुष्य-देह के भाग हैं; वह अनित्य है और यह नित्य।

८९—"आप" का उपयोग एक ही मनुष्य के आदर के लिये होता

है; इसलिये इसे आदर-सूचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष में यह "तुम" के बदले आता है और अन्य पुरुष में "ये" या "वे" के बदले। "आप" का उपयोग "ये" के बदले बहुधा बोलने ही में होता है और इसके लिये उपस्थित मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाया जाता है।

९०—"वह" के बदले कभी-कभी "सो" आता है; जैसे, जो चाहो सो (वह) ले लो। जो आया है सो (वह) जायगा।

द्वार पर कोई खड़ा है। मेरे घर कोई आए हैं।
पानी में कुछ है। मेरे मन में कुछ नहीं है।

९१—"कोई" और "कुछ" ऐसे सर्वनाम हैं जो किसी निश्चित प्राणी या पदार्थ के बदले में नहीं आते। इन्हें अनिश्चय-वाचक सर्वनाम कहते हैं। "कोई" मनुष्य या बड़े प्राणी के लिये और "कुछ" पदार्थ वा धर्म के लिये आता है। 'कोई' से आदर और बहुत्व का भी बोध होता है। पिछले अर्थ में "कोई" बहुधा दोहराया जाता है; जैसे, कोई-कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। कोई-कोई पुनर्जन्म को मानते हैं।

"कोई" के साथ "सब", "हर", "और", "दूसरा" आदि विशेषण मिलकर आते हैं; जैसे, "सब कोई" "हर कोई" "और कोई" "कोई और" "कोई दूसरा"। अधिक अनिश्चय में "कोई" के साथ जब "सा" प्रत्यय जोड़ा जाता है उस समय वह बहुधा प्राणी, पदार्थ, और धर्म, तीनों के लिये आता है; जैसे, इन नौकरों में कोई सा मेरा काम कर सकता है। इन कपड़ों में से मैं कोई सा ले लूँगा। इन कारणों में कोई सा ठीक होगा।

अनिश्चय में कुछ निश्चय प्रकट करने के लिये "कोई न कोई" वाक्यांश[1] आता है, जैसे, कोई न कोई यह काम करेगा।

"कुछ" के साथ बहुधा "सब", "बहुत", "और" आदि विशेषण आते हैं; जैसे, "सब कुछ", "और कुछ"।

---

१. परस्पर संबंध रखनेवाले दो या अधिक शब्दों को, जिनसे पूरा विचार प्रकट नहीं होता, वाक्यांश कहते हैं। (अ० ३६२)

अनिश्चय में निश्चय और भिन्नता बताने के लिये क्रमशः "कुछ न कुछ" "कुछ का कुछ" वाक्यांश आते हैं; जैसे, हम कुछ न कुछ करेंगे। तुमने कुछ का कुछ समझ लिया।

मैं आप वहाँ गया था। तुम आप वहाँ जा सकते हो।
लड़का आप काम करेगा। मुनि आप मुझसे मिले थे।

९२—पूर्वोक्त वाक्यों में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम की चर्चा करने के लिये उसी वाक्य में "आप" सर्वनाम आया है। पहले वाक्य में "आप" "मैं" सर्वनाम की चर्चा के लिये आया है; दूसरे वाक्य में "तुम" सर्वनाम की; तीसरे वाक्य में "लड़का" संज्ञा की और चौथे वाक्य में "मुनि" संज्ञा की चर्चा के लिये आया है। वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम की चर्चा के लिये जो सर्वनाम आता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में "आप" निजवाचक सर्वनाम है। यह सर्वनाम आदर-सूचक "आप" से अर्थ और प्रयोग में भिन्न है।

आदर-सूचक "आप" केवल मध्यम और अन्य पुरुष में आता है; परंतु निजवाचक "आप" का प्रयोग संज्ञा या दूसरे सर्वनाम के कारण तीनों पुरुषों में होता है। आदर-सूचक "आप" वाक्य में अकेला आता है; पर निजवाचक "आप" संज्ञा या दूसरे सर्वनाम के संबंध से आता है; जैसे, आप आइए। मैं आप जाऊँगा।

९३—निजवाचक "आप" के साथ "ही" जोड़ने से उसका प्रयोग क्रिया-विशेषण के समान होता है; जैसे, मैं आपही जाऊँगा। वह आपही आएगा। घास आपही उगती है।

"आपही" के अर्थ में कभी-कभी खुद, स्वतः वा स्वयं का उपयोग किया जाता है और ये शब्द क्रिया-विशेषण के समान आते हैं; जैसे, मैं खुद उनके पास जाऊँगा। वे स्वयं मुझसे मिलेंगे। राजा स्वतः महल में गए।

"निज" शब्द एक प्रकार का निजवाचक सर्वनाम है; पर इसका उप-

योग "अपना" के अर्थ में बहुधा विशेषण के समान होता है; जैसे, निज का काम (सर्वनाम); निज देश (विशेषण)।

लड़के के पास पुस्तक है जो उसे इनाम से मिली थी। जो सोता है वह खोता है। जो चाहो सो लो।

९४—ऊपर लिखे वाक्यों में एक उपवाक्य में, "जो" सर्वनाम आया है और दूसरे उपवाक्य में एक संज्ञा अथवा सर्वनाम आया है जिसके साथ "जो" का संबंध है। पहले वाक्य के दूसरे उपवाक्य में "जो" सर्वनाम पहले उपवाक्य की "पुस्तक" संज्ञा से संबंध रखता है; दूसरे वाक्य में पहले उपवाक्य के "जो" सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के "वह" सर्वनाम से है और तीसरे वाक्य में पहले उपवाक्य के "जो" सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के "सो" सर्वनाम से है। इस "जो" सर्वनाम को संबंध-वाचक कहते हैं, क्योंकि यह अगले या पिछले उपवाक्य में आकर दूसरे उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम से संबंध रखता है और दोनों उपवाक्यों को (समुच्चयबोधक के समान) मिलाता है। संबंध-वाचक सर्वनाम एक ही है; और वह प्राणी, पदार्थ वा धर्म का बोध करता है। इसका संबंधी शब्द नित्य-संबंधी कहलाता है।

९५—संबंध-वाचक सर्वनाम जिस संज्ञा से संबंध रखता है वह बहुधा उसके साथ आती है जिससे संबंध-वाचक सर्वनाम का उपयोग विशेषण के समान होता है; जैसे, जो बात होनी थी, वह हो गई। जो मनुष्य सत्य बोलता है वह विश्वास के योग्य होता है।

"जो" का उपयोग आदर और बहुत्व के लिये भी होता है; जैसे, जो बड़े हैं वे सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। राम का विवाह सीता से हुआ था जो जनक की पुत्री थीं।

कभी-कभी 'जो' एक वाक्य के बदले आता है, जैसे, उसने अपने भाई को घर से निकाल दिया जो बहुत अनुचित हुआ। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए जिससे उसका विश्वास हो।

'जो' के साथ बहुधा फारसी का संबंध-वाचक सर्वनाम 'कि' जोड़ दिया जाता है; जैसे राम के साथ मोहन आता है जो कि उसका मित्र है। 'समय का वह प्रभाव है कि जो कभी नहीं टलता।' इस 'कि' का प्रयोग अनावश्यक होने के कारण धीरे-धीरे घट रहा है।

'जो' के साथ बहुधा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 'कोई' और 'कुछ' जोड़े जाते हैं; जैसे, जो कोई, जो कुछ। इनका अर्थ 'कोई' और 'कुछ' के समान है; जैसे, 'जो कोई आता है वह मुखिया को प्रणाम करता है।" "तुम जो कुछ चाहते हो मिल सकता है।"

जब "जो" का अर्थ "यदि" होता है तब वह समुच्चय-बोधक होता है; जैसे, "जो तुम आओगे तो मैं चलूँगा।" "जो तुम्हरे मन अति संदेहू। तो किन जाइ परीक्षा लेहू।"

विविधता के अर्थ में "जो" की पुनरुक्ति होती है; जैसे, जो-जो आए हैं उन्हें बिठाओ। जो-जो चाहिए सो सब लाओ।

संबंध-वाचक सर्वनाम के साथ "वह" के अर्थ में कभी-कभी "सो" सर्वनाम आता है; पर इसका प्रचार कम है।

कभी-कभी "जो" वा "सो" (वह) का लोप होता है; जैसे, "(जो) हुआ सो हुआ।" "(जो) आया है सो जायगा।" "जो होना था (सो) हो गया।"

"जो हो" और "जो आज्ञा" में दूसरे उपवाक्यों का लोप है। "जो हो" = "जो हो, सो हो।" "जो आज्ञा" = "जो आज्ञा है, सो मैं मानूँगा।"

दरवाजे पर कौन खड़ा? उसके हाथ में क्या है?

वहाँ कौन आए थे। धर्म क्या है?

९६—इन वाक्यों में "कौन" और "क्या" सर्वनाम अज्ञात प्राणी और पदार्थ के विषय में प्रश्न करने के लिये आये हैं; इसलिये इन्हें प्रश्न-वाचक सर्वनाम कहते हैं। "कौन" और "क्या" के साधारण प्रयोगों में वही अंतर है जो "कोई" और "कुछ" के प्रयोगों में है; जैसे, "कौन आया है?" "कोई आया है।" "क्या गिरा?" "कुछ गिरा।"

"कौन" प्राणियों और विशेषकर मनुष्यों के लिये आता है और "क्या" छोटे प्राणी, पदार्थ अथवा धर्म के लिये आता है।

९७—निर्धारण के अर्थ में "कौन" प्राणी, पदार्थ और धर्म तीनों के लिये आता है; जैसे, "यह बालक कौन है जो मेरे अंचल को नहीं छोड़ता?" "इन कपड़ों में मलमल कौन है?" "इन कामों में पाप कौन है और पुण्य कौन है?" इस अर्थ में "कौन" के साथ बहुधा "सा" प्रत्यय जोड़ते हैं; जैसे, वह देश कौन सा है जिसमें सब प्रकार का सुख है? "इन पुस्तकों में तुम्हारी कौन सी है?"

जब "कौन" का अर्थ "नहीं" के समान होता है तब वह क्रिया-विशेषण होकर आता है; जैसे, "यह काम कौन कठिन है। आपके लिये इतना दान कौन बहुत है"!

"कौन" आदर और बहुत्व के लिये भी आता है; जैसे, वे मनुष्य कौन थे जो कभी यहाँ से गए हैं? "आपके यहाँ कौन आए हैं?"

विविधता के अर्थ में "कौन" की पुनरुक्ति होती है; जैसे, कौन-कौन आए हैं? आपके लड़कों में कौन-कौन पढ़ते हैं?

९८—लक्षण या पहचान पूछने में "क्या" प्राणी, पदार्थ और धर्म तीनों के लिये आता है; जैसे, "मनुष्य क्या है?" "बादल क्या है" "जीवन क्या है?"

आश्चर्य, धर्म और अशक्यता के अर्थ में "क्या" क्रिया-विशेषण होता है; जैसे, "क्या अच्छी बात है!" "तुम वहाँ क्या बैठे हो!" "वह मुझे क्या मारेगा!"

पूरे वाक्य के संबंध में प्रश्न करने के लिये "क्या" का उपयोग विस्मयादि-बोधक के समान होता है; जैसे, "क्या वह आवेगा?" "क्या तुमको वह पेड़ नहीं दिखाई देता?"

"क्या-क्या" से "और" (समुच्चय-बोधक) का अर्थ पाया जाता है; जैसे, "क्या राजा क्या रंक, सबको एक दिन मरना है।" "क्या छोटे क्या बड़े, सब वहाँ पहुँचे।"

"क्या" की पुनरुक्ति से विविधता का अर्थ पाया जाता है; जैसे, "तुम बाजार से क्या-क्या लाए हो?" "पूजा में क्या-क्या करना पड़ता है?"

दशांतर सूचित करने में "क्या से क्या" वाक्यांश आता है; जैसे, "एक घड़ी में क्या से क्या हो गया!" "हम लोग क्या से क्या हो गए।"

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में प्रत्येक सर्वनाम का भेद बताओ और वह संज्ञा बताओ जिसके बदले सर्वनाम आया है—

राम ने कृष्ण से कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ। वह मोहन का भाई है। यह गोपाल की पुस्तक है। सोहन आप अपना काम करता है। मेरा कोई क्या कर सकता है। भिखारी के पास कुछ नहीं है। कुसंग में कौन नहीं बिगड़ता? जो दूसरे के लिये गढ़ा खोदता है वह आप उसमें गिरता है। "जो गरीब सों हित करैं, धन रहीम ते लोग"। हम क्या-क्या कहें? राजा के विरुद्ध नगर में कौन-कौन हैं? नौकर ने मालिक से पूछा कि आप मुझे कब तक रखेंगे? मेरे भाई की चिट्ठी आई है जिसमें उसने कुशल-समाचार लिखा है। तुम गुरु की आज्ञा नहीं मानते जो नीति के विरुद्ध है। हम कौन थे क्या हो गए हैं, और क्या होंगे अभी?

सर्वनाम की साधारण व्याख्या

वाक्य—लड़के ने पिता से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने साथी को देख आऊँ जो कई दिन से बीमार है।

आप—पुरुषवाचक सर्वनाम, आदरसूचक, मध्यम पुरुष, "पिता" संज्ञा के बदले आया।

मैं–पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, लड़का सज्ञा के बदले आया।

अपने–निजवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, "मैं" सर्वनाम के बदले आया।

जो–संबधवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, "साथी" संज्ञा के बदले आया।

अभ्यास

१—पिछले अभ्यास में आए हुए सर्वनामों की व्याख्या करो।

पाँचवाँ पाठ

विशेषण के भेद

छोटी लड़की खेलती है। बड़ा लड़का पाठ पढ़ता है।

यह नई पुस्तक है। नौकर का स्वभाव सीधा है।

९९—इन वाक्यों में रेखांकित विशेषण संज्ञाओं से संबध रखकर उनके अर्थ से एक नई बात (विशेषता) बताते हैं। 'लड़की' संज्ञा के साथ "छोटी" विशेषण, "लड़का" संज्ञा के साथ "बड़ा" विशेषण, "पुस्तक" संज्ञा के साथ "नई" विशेषण और "स्वभाव" संज्ञा के साथ "सीधा" विशेषण संबंध रखता है और ये विशेषण संबंधी संज्ञा का गुण बताते हैं; इसलिये इन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं।

गुणवाचक विशेषणों में हीनता के अर्थ में "सा" प्रत्यय जोड़ा जाता है; जैसे, बड़ा-सा पेड़, छोटी-सी डिबिया, ऊँचा-सा घर।

(२)

मेरे पास पाँच रुपए हैं। वहाँ कई लोग थे।

यह कपड़ा ढाई गज है। बाढ़ में सैकड़ों घर गिर गए।

१००—ऊपर के वाक्यों में रेखांकित विशेषण संज्ञाओं से सूचित होने वाली वस्तुओं की संख्या का बोध कराते हैं, इसलिये, इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो मुख्य भेद हैं—

(क) निश्चित संख्यावाचक—एक, दो, चार, दूना, दूसरा, दोनों।

(ख) अनिश्चित संख्यावाचक—कई, अनेक, बहुत, सब, आदि।

१०१—निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के नीचे लिखे भेद होते हैं—

(१) पूर्णांक-बोधक—एक, दो, सौ, हजार, लाख।

(२) अपूर्णांक-बोधक—पाव, आधा, पौन, सवा, डेढ़।

(३) क्रम-वाचक—पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा।

(४) आवृत्ति-वाचक—दुगुना, चौगुना पँचगुना, छगुना।
इकहरा, दुहरा, तिहरा, चौहरा।

(५) समूहवाचक—दोनों, चारों, छओं, सातों, दसों।

(६) प्रत्येक-बोधक—प्रति, प्रत्येक, हर, हर-एक, एक-एक।

क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक विशेषण पूर्णांक-बोधक विशेषणों से बनते हैं; जैसे—

पूर्णांक बोधक	क्रमवाचक	आवृत्तिवाचक	समूहवाचक
एक	पहला	एक गुना	अकेला
दो	दूसरा	दुगुना	दोनों
तीन	तीसरा	तिगुना	तीनों
चार	चौथा	चौगुना	चारों
पाँच	पाँचवाँ	पँचगुना	पाँचों
छः	छठा	छगुना	छओ

१०२—अनिश्चित संख्या-वाचक विशेषणों से बहुधा बहुत्व का बोध होता है; जैसे, सब लड़के, कई फल, बहुत घर, अनेक दूकानें, आधे सिपाही, बाकी लोग।

"एक" पूर्णांक-बोधक विशेषण है; पर इसका प्रयोग 'कोई' के समान बहुधा अनिश्चय के अर्थ में होता है; जैसे, हमने एक बात सुनी है। एक दिन ऐसा हुआ। एक आदमी सड़क पर जा रहा था।

जब "एक" (विशेष्य के बिना) सर्वनाम के समान उपयोग में आता है तब उसका अर्थ बहुधा 'कई' होता है और वह अलग अलग वाक्यों में आता है; जैसे, सभा में एक आते हैं और एक जाते हैं। एकों के पास अनावश्यक धन है और एकों के पास आवश्यक धन नहीं है। 'एक' के साथ 'सा' प्रत्यय जोड़ने से उसका अर्थ 'समान' होता है; जैसे, दोनों का रूप एक-सा है। जब एक-से लोग मिलते हैं तब कार्य सफल होता है।

"एक-एक" कभी-कभी "यह वह" के अर्थ में निश्चयवाचक सर्वनाम के समान आता है, जैसे, उसके दो भाई हैं; एक डाक्टर है और एक वकील।

मैं सरस्वती और गंगा की वंदना करता हूँ; एक अज्ञान को मिटाती है, और एक पाप को नष्ट करती है।

'आदि' और 'इत्यादि' (वगैरह) का अर्थ 'और दूसरे' है। इनका प्रयोग सर्वनाम अथवा विशेषण के समान होता है; जैसे, मनुष्य को धन, आरोग्यता आदि की चिंता करनी चाहिए (सर्वनाम)। उसमें साहस, चतुराई, धीरज इत्यादि गुण पाए जाते थे (विशेषण)।

'अमुक' (फलाना) का उपयोग अनिश्चय के अर्थ में बहुधा 'कोई' के समान होता है; जैसे, मनुष्य को जानना चाहिए कि अमुक मनुष्य कैसा है। कभी-कभी यह निश्चय नहीं होता कि अमुक बात सच है या झूठ।

कोई दो पूर्णांक-बोधक विशेषण साथ-साथ आकर अनिश्चय सूचित करते हैं; जैसे, दो-चार दिन में, दस-बीस आदमी, पचास-साठ रुपए, ढाई-तीन घंटे में।

'बीस', 'पचास', 'सैकड़ा', 'हजार' और 'लाख' में 'ओं' जोड़ने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बनते हैं; जैसे, बीसों आदमी, पचासों घर, सैकड़ों रुपए।

परिमाण-बोधक संज्ञाओं में 'ओं' जोड़ने से उनका प्रयोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों के समान होता है; जैसे, सेरों दूध, मनों फल, ढेरों अनाज।

(३)

सब धन जाता देखिए, आधा दीजे बाँटि। लड़के ने सारी संपत्ति उड़ा दी। उसने बहुत परिश्रम किया। अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। इसमें कुछ लाभ नहीं।

१०३—ऊपर के वाक्यों में रेखांकित विशेषण संख्या नहीं, किंतु परिमाण (नाप-तौल) सूचित करते हैं, इसलिये इन्हें परिमाण-बोधक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण बहुधा भाववाचक, द्रव्यवाचक अथवा समूह-वाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं।

१०४—परिमाण-बोधक विशेषण बहुधा एकवचन संज्ञा के साथ परिमाण और बहुवचन संज्ञा के साथ अनिश्चित संख्या सूचित करते हैं; जैसे,

परिमाण-बोधक	अनिश्चित संख्यावाचक
बहुत दूध	बहुत लड़के
कुछ काम	कुछ आदमी
सब जंगल	सब पेड़
पूरा कुटुंब	पूरे हिस्से
आधा धन	आधे सिपाही

परिमाण-बोधक विशेषणों में "सा" प्रत्यय जोड़ने से कुछ अनिश्चय सूचित होता है; जैसे, बहुत-सा धन, थोड़ी-सी बात; ज़रा-सी चिट्ठी।

कई एक परिमाण-बोधक विशेषणों का उपयोग क्रिया-विशेषण के समान होता है, जैसे, वह बहुत चलता है। लड़की कुछ अशक्त है। हम ऐसे झगड़ों में थोड़े पड़ते हैं।

(४)

यह पुस्तक मेरी है। वह पुस्तक उसकी है।

कोई आदमी आया है। वह कुछ सामान लाया है।

वहाँ कौन जानवर खड़ा है? तुम क्या काम करते हो?

जो लड़का सच बोलता है वह विश्वास-पात्र होता है।

१०५—ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द यथार्थ में सर्वनाम हैं, पर यहाँ वे अपनी संज्ञाओं के साथ आए हैं; इसलिये यहाँ उनका उपयोग विशेषण के समान हुआ है। इस प्रकार के विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं।

१०६—पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ शेष सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ आकर विशेषण होते हैं; जैसे,

निश्चयवाचक—यह पुस्तक, ये पुस्तकें; वह पुस्तक, वे पुस्तकें।

अनिश्चयवाचक—कोई लड़का, कोई लड़के; कुछ काम, कुछ चिताएँ।

प्रश्नवाचक—कौन लड़का? कौन लड़के? क्या काम? क्या बातें?

संबंध-वाचक—जो लड़का, जो लड़के; जो काम, जो बातें।

"निज" और "पराया' भी सार्वनामिक विशेषण हैं, क्योंकि इनका भी प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है, जैसे, निज देश, निज भाषा, पराया देश, पराई भाषा।

विशेषण के रूप में "कोई" "और" "कौन" प्राणी, पदार्थ वा धर्म सूचित करनेवाली संज्ञाओं के साथ आते है; जैसे, कोई मनुष्य, कोई जानवर, कोई कपड़ा, कोई काम। कौन मनुष्य? कौन जानवर? कौन कपड़ा? कौन काम?

"क्या" आश्चर्य के अर्थ में बहुधा "कैसा" का समानार्थक होता और प्राणी, पदार्थ वा धर्म के नाम के साथ आता है; जैसे, यह क्या आदमी है! यह क्या लड़की है! यह क्या बात है!

"कुछ" से अनिश्चय, संख्या और परिणाम, तीनों का बोध होता है; जैसे, कुछ बात, कुछ लड़के, कुछ दूध।

१०७—पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम (मैं, तू, आप) संज्ञा की विशेषता नहीं बताते, किंतु उसके साथ समानाधिकरण होकर आते हैं; जैसे, मैं, मोहन, इकरार करता हूँ। लड़का आप आया था। (अं० १८५)।

१०८—"यह", "वह", "सो", "जो" और "कौन" के "इस" "उस", "तिस", "जिस" और "किस" रूपों की आद्य "इ" को "ऐ" और "उ" को "वै" करके "स" में "आ" जोड़ने से गुणवाचक विशेषण तथा "स" के स्थान में "तना" करने से परिमाणवाचक विशेषण बनाए जाते हैं; जैसे,

सर्वनाम	रूप	गुणवाचक विशेषण	परिमाणवाचक विशेषण
यह	इस	ऐसा	इतना
वह	उस	वैसा	उतना
सो	तिस	तैसा	तितना (उतना)
जो	जिस	जैसा	जितना
कौन	किस	कैसा	कितना

"जैसा का तैसा" वाक्यांश का अर्थ "पूर्ववत्" होता है। "तैसा" के बदले अन्य स्थानों में बहुधा "वैसा" का प्रयोग होता है। "तितना" का प्रचार बहुत कम है।

कभी-कभी "ऐसा" और "जैसा" का प्रयोग "समान" के अर्थ में संबंध-सूचक के समान होता है; जैसे, आप ऐसे सज्जन, भोज जैसा राजा, उनके जैसा शूर।

१०९—अन्य परिमाणवाचक विशेषणों के समान सार्वनामिक परिमाणवाचक विशेषण भी बहुवचन में संख्यावाचक होते हैं; जैसे, इतने लोग क्यों आए हैं? आप कितने दाम लेंगे? वह जितने दिन जी उतने दिन दुःख में रही।

"कितने" का उपयोग कभी-कभी "कई" के अर्थ में होता है; जैसे, "कितने ही लोग ईश्वर को नहीं मानते।" "कितने एक दिन के पीछे जरासंध फिर सेना ले चढ़ आया।"

"कैसा" और "कितना" का उपयोग आश्चर्य में भी होता है; जैसे, विद्या पाने पर कैसा आनंद होता है! कितने दुःख की बात है!

११०—जब विशेषणों के विशेष्यों का लोप होता है, तब उनका प्रयोग प्रायः संज्ञा के समान होता है; जैसे, बड़े बड़ाई नहीं छोड़ते। दीन सब को देखता है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। सहज में, इतने में।

१११—विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है—एक विशेष्य के साथ और दूसरा क्रिया के साथ; जैसे, छोटा लड़का आया। मैं बड़ी पुस्तक पढ़ता हूँ। लड़का छोटा है। पुस्तक बड़ी थी। पहले दो वाक्यों के विशेषण विशेष्य-विशेषण और पिछले दो वाक्यों के विधेय-विशेषण कहलाते हैं। विधेय-विशेषण अपूर्ण क्रियाओं के साथ पूर्ति के रूप में आता है।

कुछ गुणवाचक विशेषण केवल विधेय-विशेषण होते हैं; जैसे इतना दूध होगा। मुझे यह बात मालूम है। यह काम कब समाप्त हुआ।

कुछ विशेष अर्थों में विशेषण की पुनरुक्ति होती है; जैसे, बड़े-बड़े पेड़, छोटे-छोटे फल, चार-चार फूल, थोड़ी-थोड़ी दवा।

अनेक गुणवाचक विशेषण संज्ञाओं और क्रियाओं से बनाए जाते हैं; जैसे,

संज्ञा से—जंगली, नागपुरी, आलसी, दयालु।

क्रिया से—बिकाऊ, मरनहार, ढलवाँ, सुहावना।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में विशेषणों के भेद और उनके प्रयोग बताओ—

ऊँची दूकान का फीका पकवान। मरता क्या नहीं करता? चार दिन की चाँदनी, फिर अँधियारी रात। दुष्ट न छोड़ै दुष्टता। ये वही जानकी हैं जिनके लिये धनुषयज्ञ होता है। वह मनुष्य कपटी निकला। झूठे का कोई विश्वास नहीं करता। हम लोग दारुण दुःख सहते हैं। किसानों ने आधा लगान पटाया। नौकर तीसरे दिन लौटा। काली बिल्ली ने सब दही खा लिया। आज-कल हजारों नौकर बेकार हैं। इस असार संसार में एक धर्म है सार। मेरे मन में सैकड़ों विचार और प्रत्येक विचार के साथ एक चिंता लगी रहती है। रोग का यथार्थ कारण चतुर वैद्य ही जान सकता है।

विशेषण की साधारण व्याख्या

वाक्य—दस दिन के बाद वह भयंकर युद्ध समाप्त हुआ और उसमें दोनों ओर के हजारों सैनिक धराशायी हुए।

दस—निश्चित संख्या-वाचक विशेषण, विशेष्य "दिन"।

वह—सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक, दूरवर्ती, विशेष्य "युद्ध"।

भयकर—गुणवाचक विशेषण, विशेष्य "युद्ध"।

समाप्त—गुणवाचक विशेषण, विशेष्य "युद्ध"; विधेय-विशेषण होकर आया है।

दोनों—निश्चित संख्या-वाचक विशेषण, समूहवाचक, विशेष्य "ओर"।

हजारों—अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, विशेष्य "सैनिक"।

धराशायी—गुणवाचक विशेषण, विशेष्य "सैनिक"; विधेय-विशेषण होकर आया है।

अभ्यास

१—पिछले अभ्यास में दिए हुए विशेषणों की साधारण व्याख्या करो।

छठा पाठ

क्रिया-विशेषण के भेद

लड़का आज आवेगा। गाड़ी तुरंत लौटी।
नौकर नित्य आता है। लड़की कब गई थी?

१११—ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया-विशेषण हैं और वे क्रियाओं का काल (अर्थात् 'कब' का उत्तर) सूचित करते हैं। इन क्रिया-विशेषणों को कालवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं।

कई एक कालवाचक क्रिया-विशेषणों से पुनर्भाव (अर्थात् "कब-कब" का उत्तर) सूचित होता है; जैसे, वह बहुधा घूमने जाता है। हम प्रतिदिन नहाते हैं। नौकर बार-बार आता है। कभी-कभी ऐसा होता है।

वे यहाँ रहते हैं। लड़का आगे खड़ा है।
राम बाहर जावेगा। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है।

११२—ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द स्थान-वाचक क्रिया-

विशेषण हैं, क्योंकि वे क्रियाओं का स्थान (अर्थात् 'कहाँ' का उत्तर) सूचित करते हैं।

कई एक स्थान-वाचक क्रिया-विशेषणों से दिशा (अर्थात् "किधर" का उत्तर) सूचित होता है; जैसे, चोर उधर भागा। जिधर तुम गए थे, उधर मोहन भी गया था। गेंद दूर जाएगी।

गाड़ी धीरे चलती है। कुत्ता अचानक झपटा।

लड़का ध्यान-पूर्वक पढ़ता है। सिपाही पैदल जावेगा।

११४—उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रियाओं की रीति अर्थात् "कैसे" का उत्तर प्रकट करते हैं; इसलिये उन्हें रीतिवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं।

रीतिवाचक क्रिया-विशेषण से नीचे लिखे अर्थ भी पाए जाते हैं—

निश्चय—जैसे, नौकर अवश्य आवेगा। राम सचमुच आ रहा है। लड़के ने निःसंदेह चोरी की है।

अनिश्चय—जैसे, आज कदाचित् पानी गिरेगा। हम इस विषय में यथा-संभव परिश्रम करेंगे। शायद चिट्ठी आवे।

निषेध—जैसे, मैं न जाऊँगा। वह नहीं आया। मत जाओ।

कारण—जैसे, वह इसलिये आया है कि आपसे मिले। तुम क्यों जाते हो? आप किसलिये ऐसा कहते हैं?

अनुकरण—जैसे, वह गटगट दूध पी गया। धड़ाधड़ धार रुपयों की नहीं है। उसने लड़के को तड़ातड़ मार दिया।

११५—तो, ही, भी, भर, तक और मात्र एक प्रकार के रीति-वाचक क्रिया-विशेषण हैं; पर इनका उपयोग समुच्चय-बोधक और विस्मयादि-बोधक को छोड़ शेष किसी भी शब्द-भेद के साथ महत्व देने के लिये होता है; इसलिये इन्हें अवधारण-बोधक क्रिया-विशेषण कहते हैं। उदाहरण—

मैं तो जाता हूँ। मैं जाता तो हूँ। मैं ही जाऊँगा। मै जाऊँगा ही। वह भी आवेगा। वह आवेगा भी। हम आज भर जायँगे। राजा तक

इसमें योग देते हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा। प्राणी मात्र पर दया करो।

"ही" और "भर" प्रायः समानार्थी हैं और उनका अर्थ "केवल" है। "भी" और "तक" अधिकता के अर्थ में आते हैं। "मात्र" में दोनों अर्थ पाए जाते हैं।

११६—"केवल" क्रिया-विशेषण अन्य शब्दो के पूर्व आता है और वह जिस शब्द की विशेषता बताता है उसी के अनुसार उसका शब्द-भेद होता है; जैसे,

मेरे पास केवल पुस्तक है (विशेषण)। मैं केवल टहलता हूँ (क्रिया-विशेषण)। तुम आराम से बैठो; केवल बात-चीत मत करो (समुच्चय-बोधक)।

११७—न, नहीं और मत के प्रयोगों में यह अंतर है कि 'न' से साधारण निषेध, 'नहीं' से निश्चित निषेध और 'मत' से मनाई सूचित होती है; जैसे, वह न जायगा। मैं नहीं जाऊँगा। तुम मत जाओ। "न" कभी-कभी प्रश्न-वाचक क्रिया-विशेषण होता है; जैसे, तुम वहाँ जाओगे न? यह बात ठीक है न?

रोगी बहुत चिल्लाता है। मैं यह बात बिलकुल भूल गया। लड़का खूब खेलता है। लड़की कुछ डरती है।

११८—पूर्वोक्त वाक्यों में रेखांकित क्रिया-विशेषण क्रियाओं का परिमाण (अर्थात् "कितना" का उत्तर) प्रकट करते हैं; इसलिये वे परिमाण-बोधक क्रिया-विशेषण कहाते हैं।

कई एक परिमाण-बोधक क्रिया-विशेषण विशेषणों और क्रिया-विशेषणों की विशेषता बताते हैं; जैसे, एक बहुत छोटी लड़की आई। (विशेषण की विशेषता) गाड़ी बहुत धीरे चलती है। (क्रिया-विशेषण की विशेषता) इतना सुंदर बालक। इतने धीरे। कुछ पहले।

११९—प्रश्न करने के लिये जिन क्रिया-विशेषणों का उपयोग होता है उन्हें प्रश्न-वाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे,

नौकर कब आया ? राम कहाँ गया था ?

यह काम कैसे होगा ? वह क्यों आया था ?

ये क्रिया-विशेषण कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक अथवा परिमाण-वाचक होते हैं।

१२०—प्रयोग के अनुसार क्रिया-विशेषण तीन प्रकार के होते हैं—(१) साधारण (२) संयोजक (३) अनुबद्ध।

(१) जिस क्रिया-विशेषण का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्रता-पूर्वक होता है उसे साधारण क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे, अब मैं जाता हूँ। धीरे चलो। वह बहुत हँसता है।

(२) जिस क्रिया-विशेषण का संबंध दूसरे वाक्य के किसी क्रिया-विशेषण से रहता है वह संयोजक क्रिया विशेषण कहाता है; जैसे,

जब मै आया तब वह घर में नहीं था। जहाँ पहले पानी था वहाँ अब धरती है। जैसे मैं लिखता हूँ वैसे लिखो। जितना मै चला था उतना कोई नहीं चला।

(३) जो क्रिया-विशेषण वाक्य में समुच्चयबोधक और विस्मयादि-बोधक को छोड़ अन्य किसी शब्दभेद के साथ अवधारण के लिये जोड़ा जाता है उसे अनुबद्ध क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे,

मेरे पास घड़ी तो है। लड़का ही चला गया।

वह पहले भी आया था। लड़की पढ़ी भर है।

१२१—रूप (रचना) के अनुसार क्रिया-विशेषणों के तीन भेद हैं—(१) मूल (२) यौगिक (३) स्थानीय।

(१) जो क्रिया-विशेषण किसी दूसरे शब्द से नहीं बनाए जाते उन्हें मूल क्रिया-विशेषण कहते हैं, जैसे, झट, दूर, फिर, ठीक।

(२) जो क्रिया-विशेषण दूसरे शब्दों से बनाए जाते हैं वे यौगिक क्रिया-विशेषण कहाते हैं, जैसे,

(क) संज्ञा से—सवेरे, क्रमशः, प्रेम-पूर्वक, शक्ति-भर।

(ख) सर्वनाम से—

सर्वनाम	काल वाचक क्रिया विशेषण	स्थान-वाचक क्रिया-विशेषण	रीति-वाचक क्रिया-विशेषण	परिमाण-वाचक क्रिया-विशेषण
यह	अब	यहाँ, इधर	ऐसे, यों	इतना
वह	तब	वहाँ, उधर	वैसे	उतना
सो	०	तहाँ, तिधर	तैसे, त्यों	तितना
जो	जब	जहाँ, जिधर	जैसे, ज्यों	जितना
कौन	कब	कहाँ, किधर	कैसे, क्यों	कितना

(ग) विशेषण से—धीरे, चुपके, पहले, ठीक।

(घ) क्रिया से—खाते, आते, लिए, चाहे।

(ङ) क्रिया-विशेषण से—यहाँ से, कहाँ तक, ऊपर को, अभी।

(२) दूसरे शब्द-भेद जो बिना किसी रूपांतर के क्रिया-विशेषण के समान उपयोग मे आते हैं, स्थानीय क्रिया-विशेषण कहाते हैं, जैसे—

(अ) संज्ञा—तुम मेरी मदद पत्थर करोगे ! यह अपना सिर पढ़ेगा। वे डाक चिट्ठी भेजेंगे।

(आ) सर्वनाम—मै यह चला। लड़का वह जा रहा है। तुम मुझे क्या बुलाओगे ! यह काम कौन कठिन है।

(इ) विशेषण—स्त्री सुंदर सीती है। मनुष्य उदास बैठा है। लड़का सीधा गया। लोग उघारे पड़े थे।

(ई) वर्तमानकालिक कृदंत—लड़का रोता हुआ आता है। कुत्ता भौंकता हुआ दौड़ा। हाथी झूमता हुआ चलता है।

(उ) भूतकालिक कृदंत—चोर घबराया हुआ भागा। सब लोग लेटे पड़े थे। कैदी पकड़ा हुआ जाता है।

(ऊ) पूर्वकालिक कृदंत—तुम दौड़कर चलते हो। वह गिरकर मर गया। लोग तमाशा देखकर लौटेंगे।

१२२—जो यौगिक क्रिया-विशेषण दो या अधिक शब्दों के मेल से

बनते हैं उन्हें संयुक्त या सामासिक क्रिया-विशेषण कहते हैं। ये नीचे लिखे शब्द-भेदों के मेल से बनाए जाते हैं—

(क) संज्ञाओं की पुनरुक्ति से—घर-घर, देश-देश, घड़ी-घड़ी, हाथों-हाथ, पाँव-पाँव।

(ख) दो भिन्न-भिन्न संज्ञाओं के मेल से—रात-दिन, देश-विदेश, साँझ-सवेरे, घाट-बाट।

(ग) विशेषणों की पुनरुक्ति से—ठीक-ठीक, साफ-साफ, थोड़ा-थोड़ा, एक-एक।

(घ) क्रिया-विशेषणों की पुनरुक्ति से—धीरे-धीरे, जहाँ-जहाँ, कभी-कभी, पहले-पहले।

(ङ) दो भिन्न-भिन्न क्रिया-विशेषणों के मेल से—यहाँ-वहाँ, कहीं-कहीं, कल-परसों, तले-ऊपर।

(च) विशेषण और संज्ञा के मेल से—एक-बार, एक-साथ, हर-घड़ी, लगातार।

(छ) अव्यय और दूसरे शब्द के मेल से—अनजाने, सदेह, भर-पेट, प्रति-दिन।

(ज) विशेषण और पूर्वकालिक कृदंत (कर या करके) के योग से—विशेष-कर, बहुत-करके, मुख्य-करके, एक-एक करके।

१२३—हिंदी में अनेक संस्कृत क्रिया-विशेषण और कई-एक उर्दू क्रिया-विशेषण आते हैं जिनकी सूची नीचे दी जाती है—

(२) संस्कृत क्रिया-विशेषण

अकस्मात्, कदाचित्, पश्चात्, प्रायः, बहुधा, वृथा, वस्तुतः, स्वतः, सदा, सर्वदा, क्रमशः, अक्षरशः, सर्वत्र, अन्यत्र, सर्वथा, अन्यथा, पूर्ववत्।

(१) उर्दू क्रिया-विशेषण

शायद, जरूर, बिलकुल, अकसर, फौरन, जल्द, नजदीक, खूब, हमेशा।

१२४—नीचे कुछ विशेष क्रिया-विशेषणों के अर्थ और प्रयोग लिखे जाते हैं—

नहीं—यह क्रिया-विशेषण क्रिया की विशेषता भी बताता है और प्रश्न के उत्तर में पूरे वाक्य के बदले भी आता है; जैसे, मैं नहीं जाऊँगा। प्रश्न—क्या तुम जाओगे ? उत्तर—नहीं।

न—इसका अर्थ 'नहीं' के समान है, पर यह प्रश्न के उत्तर में नहीं आता। "न" कुछ पुनरुक्त सर्वनामों, विशेषणों और क्रिया-विशेषणों के बीच में निश्चय के लिये आता है; जैसे, कोई न कोई, कुछ न कुछ, एक न एक, कभी न कभी, कहीं न कहीं।

इससे प्रश्न और आग्रह भी सूचित होता है; जैसे, तुम चलोगे न ? वह वहाँ आता है न ? चलिए न। तुम उसे बुलाओ न।

तो—इससे निश्चय और आग्रह सूचित होता है। जब इसका प्रयोग संज्ञा वा सर्वनाम के साथ होता है, तब यह उसकी विभक्ति के पश्चात् आता है; जैसे, लड़के ने तो कहा था। उसको तो बुलाओ। चलो तो। 'यदि' के साथ यह दूसरे वाक्य में समुच्चय-बोधक होकर आता है; जैसे, यदि तुम आओगे तो मैं आऊँगा।

ही—यह क्रिया-विशेषण शब्द और प्रत्यय के बीच में भी आता है; जैसे, आपही ने यह कहा था। लड़का वह काम करेगा ही। कुछ सर्वनामों और क्रिया-विशेषणों में यह प्रत्यय के समान मिल जाता है; जैसे,

हम + ही = हमीं	तुम + ही = तुम्हीं
यह + ही = यही	वह + ही = वही
सब + ही = सभी	कब + ही = कभी
तब + ही = तभी	अब + ही = अभी
कहाँ + ही = कहीं	वहाँ + ही = वहीं
यहाँ + ही = यहीं	न + ही = नहीं

भी—यह 'तो' के समान विभक्ति के पश्चात् आता है; जैसे, हमको भी कुछ दो। "कोई" और "एक" के साथ यह "ही" के अर्थ में आता है; जैसे, कोई भी नहीं आया। एक भी आदमी नहीं गया। कभी-कभी इससे "तो" के समान आग्रह का बोध होता है; जैसे, जाओ भी। तुम उठोगे भी।

भर—इसका उपयोग कभी 'ही' के समान और कभी 'भी' के समान होता है; जैसे, मेरे पास कपड़ा भर है। गाँव भर में बात फैल गई। काल-वाचक और स्थानवाचक शब्दों के साथ इसका उपयोग संबंध-सूचक के समान होता है; जैसे, नौकर रात भर जागा। वह गाँव भर फिरा। परिमाणवाचक शब्दों के साथ यह प्रत्यय के रूप में आकर उन्हें विशेषण बनाता है; जैसे, सेर-भर अनाज, टोकरी-भर फूल, मुट्ठी-भर चना।

तक—यह "भर" के समान शब्द और विभक्ति के बीच में भी आता है; जैसे, "मैं पिता तक से कुछ नहीं माँगता"। उसने भाई तक को कुछ नहीं दिया। इसका उपयोग संबंध सूचक के समान भी होता है; जैसे, साधु मंदिर तक गया। वह आधी रात तक घूमता रहा। "भर" के समान यह अधिकता के अर्थ में भी आता है; जैसे, राजा तक यह काम करते हैं।

मात्र—इसका उपयोग बहुधा शब्द और विभक्ति के बीच में "ही" और "भर" के समान होता है; जैसे, नाम मात्र के लिये, प्राणी मात्र का जीवन। काल-वाचक और परिमाण-वाचक शब्दों के साथ इसका प्रयोग बहुधा प्रत्यय के समान होता है; जैसे, तिल-मात्र संदेह। क्षण-मात्र ठहरो। लेश-मात्र बल। एक-मात्र संतान।

कहाँ-कहाँ—इनका उपयोग महा-अंतर के अर्थ में समुच्चयबोधक के समान होता है; "कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगा तेली। कहँ कुंभज, कहँ सिंधु अपारा।"

कहीं—अनिश्चित स्थान के अर्थ के सिवा यह "अधिक" और "कदाचित्" के अर्थ में भी आता है; जैसे, वे मुझसे कहीं सुखी हैं। कहीं कोई हमें देख न ले। कहीं-कहीं 'विरोध' सूचित करते हैं; जैसे, कहीं धूप, कहीं छाया। कहीं आनंद, कहीं शोक।

क्योंकर—इसका अर्थ "कैसे" है; जैसे, यह काम क्योंकर होगा? मनुष्य क्योंकर जीता है?

योंही—इसका अर्थ "अकारण" भी है; जैसे, लड़का योंही फिरा करता है। आप कैसे आए? यों ही।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया-विशेषण और उसके भेद बताओ—

लगभग बीस वर्ष हुए जब मैं प्रयाग गया था। वह सदा पुरानी पुस्तकें पढ़ता था। मै अवश्य तुम्हारा कष्ट दूर करूँगा। यह सुनकर लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी पुस्तक हाथों-हाथ बिक गई। जब तक श्वासा, तब तक आशा। जहाँ न जाय रवि, वहाँ जाय कवि। मैं फिर कभी ऐसा काम न करूँगा। आगे सेना चलती है और पीछे सेनापति चलता है। ईश्वर के सिवा यहाँ कोई रक्षक नहीं है। वह सदा और सर्वत्र सबकी रक्षा करता है। लड़का निधड़क अकेला फिरता है। हम वहाँ तो गए थे। राजा के साथ कई नौकर भी जायँगे। लड़की अभी पढ़ती ही है। लड़के भर इस काम में योग देते हैं। लड़के तक इस काम में योग देते हैं। मेरे पास कपड़ा मात्र है।

क्रिया-विशेषण की व्याख्या

वाक्य—बहुधा देखा जाता है कि जब मनुष्य कोई अपराध करता है तब उसको अचानक पछतावा होता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया।

बहुधा—क्रिया-विशेषण, कालवाचक, "देखा जाता है" क्रिया की विशेषता बतलाता है।

जब—संबंध-वाचक क्रिया-विशेषण, कालवाचक, "करता है" क्रिया [illegible] बतलाता है, दो वाक्यों को मिलाता है—(१) मनुष्य कोई अपराध करता है (२) उसको अचानक पछतावा होता है।

तब—क्रिया-विशेषण, कालवाचक, "होता है" क्रिया की विशेषता बतलाता है, "जब" का नित्य-संबंधी।

अचानक—क्रिया-विशेषण, रीतिवाचक, "होता है" क्रिया की विशेषता बताता है।

क्यों—प्रश्नवाचक क्रिया-विशेषण, कारण-वाचक, "किया" क्रिया की विशेषता बतलाता है।

अभ्यास

१—पिछले अभ्यास में आए हुए क्रिया-विशेषणों की व्याख्या करो।

सातवाँ पाठ

संबंध-सूचक के भेद

धन के विना काम नहीं चलता। भिखारी लड़के समेत आया। हमें मनुष्य की नाईं चलना चाहिए। उसके सिवा यहाँ कोई नहीं है।

१२५—ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द संबंध-सूचक हैं। पहले वाक्य में "विना" संबंध-सूचक "धन" संज्ञा का संबंध "चलता" क्रिया से मिलाता है। दूसरे वाक्य में "समेत" संबंध-सूचक "लड़के" संज्ञा का संबंध "आया" क्रिया से जोड़ता है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में "नाईं" संबंध-सूचक "मनुष्य" संज्ञा को "चलना चाहिए" क्रिया से मिलाता है। चौथे वाक्य में "उसके" सर्वनाम का संबंध "है" क्रिया से "सिवा" संबंध-सूचक के द्वारा मिलाया गया है।

(क) संबंध-सूचक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्द से भी मिलता है; जैसे, भोज सरीखा राजा, राम के समान योद्धा, तालाब का जैसा रूप।

१२६—कई एक कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया-विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर संबंध-सूचक के समान उपयोग में आते हैं; जैसे,

क्रिया-विशेषण	संबंध-सूचक
यह काम पहले होना चाहिए।	यह काम भोजन के पहले होना चाहिए।
यह काम पीछे होगा।	यह काम बातचीत के पीछे होगा।
नौकर यहाँ रहता है।	नौकर मालिक के यहाँ रहता है।
सामने मत बैठो।	मेरे सामने मत बैठो।

१२७—कई एक विशेषणों का उपयोग, संबंध-सूचक के समान होता है; जैसे,

विशेषण	संबंध-सूचक
धन के समान दो भाग करो।	इस कपड़े का रंग उसके समान है।
योग्य मनुष्य आदर पाता है।	मेरे योग्य कार्य बताइए।
वे विरुद्ध दिशाओं में गए।	धर्म के विरुद्ध मत चलो।
जैसा देश, वैसा भेष।	मैं आपके जैसा चतुर नहीं हूँ।

१२८—"ने", "को", "से", "का-के-की", "में" और "पर" भी एक प्रकार के संबंध-सूचक हैं पर ये स्वतंत्र शब्द नहीं हैं; इसलिये इनका विचार आगे (१७६ अंक में) किया जायगा।

१२९—अधिकांश संबंध-सूचकों के पहले "के" विभक्ति और कुछ के पहले "से" विभक्ति आती है; जैसे,

नगर के पास	गाँव से परे
धन के समान	धन से रहित

(क) नीचे लिखे संबंध-सूचकों के पहले "की" विभक्ति आती है—अपेक्षा, ओर, नाईं, खातिर, तरह, तरफ, मारफत, बदौलत, बनिस्बत।

१३०—कोई-कोई संबंध-सूचक बिना विभक्ति के आते हैं; जैसे, लड़के समेत, गाँव तक, रात भर, पुत्र सरीखा।

कभी-कभी "के" का लोप होता है; जैसे, नीचे लिखे अनुसार, गए बिना, देखने योग्य।

(क) जब "ओर" (तरफ) के पहले संख्या-वाचक विशेषण रहता है, तब उसके पहले "की" के बदले "के" आता है; जैसे, नगर के चारों ओर, मकान के दोनों तरफ।

१३१—आकारांत विशेषणों से बने हुए संबंध सूचकों का रूप विशेष्य के अनुसार बदलता है; जैसे, तालाब का जैसा रूप, उनके सरीखे लड़के, सती ऐसी स्त्री।

१३२—"मारे", "बिना", और "सिवा" संबंध-सूचक बहुधा संज्ञा वा नाम के पहले आते हैं; जैसे, मारे भूख के, बिना धन के, सिवा कपड़े के।

११३—अर्थ के अनुसार संबंध-सूचकों के नीचे लिखे भेद होते हैं—

काल-वाचक—अनंतर, उपरांत, पूर्व, लगभग, बाद।

स्थान-वाचक—तले, बीच, परे, किनारे, सामने।

दिशा वाचक—ओर (तरफ), आसपास, पार, आरपार, प्रति।

साधन-वाचक—द्वारा, जरिए, मारफत, सहारे, बल।

कार्य-कारण-वाचक—लिये, वास्ते, निमित्त, मारे, कारण।

विषय-वाचक—विषय, बाबत, निस्बत, लेखे, मद्धे।

भिन्नता-वाचक—सिवा, अलावा, अतिरिक्त, बिना, रहित।

विनिमय-वाचक—पलटे, बदले, जगह।

सादृश्य-वाचक—समान, तरह, भाँति, सरीखा, योग्य, अनुसार मुताबिक।

विरोध-वाचक—विरुद्ध, विपरीत, खिलाफ।

सहचार-वाचक—साथ, संग, सहित, अधीन, वश।

संग्रह-वाचक—भर, तक, पर्यंत, समेत।

तुलना-वाचक—अपेक्षा, बनिस्बत, आगे।

११४—रूप के अनुसार संबंध-सूचक दो प्रकार के होते हैं—(१) मूल (२) यौगिक।

(१) जो संबंध-सूचक किसी दूसरे शब्द से नहीं बनाए गए, वे मूल संबंध-सूचक कहाते हैं; जैसे, बिना, तक, नाईं।

(२) जो संबंध-सूचक दूसरे शब्दों से बनाए गए हैं उन्हें यौगिक संबंध-सूचक कहते हैं; जैसे,

(क) संज्ञा से—पलटे, वास्ते, बदले, अपेक्षा, लेखे।

(ख) विशेषण से—समान, सरीखा, तुल्य, योग्य, जैसा।

(ग) क्रिया-विशेषण से—ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, यहाँ।

(घ) क्रिया से—लिए, मारे, करके, जान।

११५—संबंध-सूचक के योग से आकारांत संज्ञाएँ विकृत रूप में आती हैं; जैसे, किनारे तक, चौमासे भर, लड़के समेत।

१३६—हिंदी में कई एक संबंध-सूचक संस्कृत और उर्दू से आए हैं। इनमें बहुत से हिंदी शब्दों के समानार्थी हैं। तीनों भाषाओं के कुछ समानार्थी संबंध-सूचक नीचे लिखे जाते हैं—

हिंदी	संस्कृत	उर्दू	हिंदी	संस्कृत	उर्दू
सामने	समक्ष	रूबरू	से	अपेक्षा	बनिस्बत
	संमुख				
पास	निकट	नजदीक	लिये	निमित्त	वास्ते
	समीप			हेतु	खातिर
मारे	कारण	सबब	नाईं	भाँति	तरह
पीछे	पश्चात्	बदौलत	से	द्वारा	जरिए
	अनतर	बाद	मद्धे	विषय	बाबत

१३७—नीचे कुछ विशेष संबंध सूचकों के अर्थ और प्रयोग लिखे जाते हैं—

आगे—इसका अर्थ कभी-कभी योग्यता वा स्वभाव होता है, जैसे उनके आगे किसी की नहीं चलती। मौत के आगे किसका वश है? हवा के आगे बादल नहीं ठहरते।

पीछे—जब इससे प्रत्येकता का बोध होता है तब इसके पहले विभक्ति नहीं आती; जैसे, आदमी पीछे एक रुपया दिया जाय। लड़के पीछे दस रुपए खर्च पड़ते हैं। गाँव पीछे एक किसान बुलाया गया।

पास—इससे अधिकार भी सूचित होता है; जैसे, मेरे पास एक घोड़ा है। उसके पास कुछ जमीन है। "मेरे पास एक लड़का है"—इस वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि मेरा एक लड़का है; किंतु यह अर्थ है कि मेरा एक लड़का मेरे पास रहता है अथवा मेरे यहाँ एक लड़का नौकर या आश्रित के समान रहता है।

सरीखा—यह बहुधा बिना विभक्ति के आता है, और विशेष्य के अनुसार बदलता है; जैसे, राम सरीखा पुत्र, सीता सरीखी स्त्री, अर्जुन सरीखे वीर।

जैसा—इसका अर्थ "सरीखा" के सदृश है; पर इसके पहले 'का' और 'के' दोनों विभक्तियाँ आती हैं; जैसे, हरिश्चंद्र का जैसा दान किसी ने नहीं किया। हरिश्चंद्र के जैसा दानी कोई नहीं हुआ। कभी-कभी "जैसा" बिना विभक्ति के भी आता है; जैसे, युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी कोई नहीं हुआ।

सा—यह कभी संबंध-सूचक, कभी प्रत्यय और कभी क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में आता है। इसका प्रयोग "जैसा" वा "सरीखा" के समान है। उदा०—

प्रत्यय—काला-सा घोड़ा, थोड़ा-सा धन, बहुत-सा रुपया।

क्रिया-विशेषण—अँधेरा-सा छाया है। वह आता-सा दिखाई देता है। लड़की झूमती-सी चलती है। शेर हिरन को पकड़े-सा जान पड़ता है।

संबंध-सूचक—फूल-सा शरीर, हाथी का-सा बल, राजा के-से गुण।

अभ्यास

नीचे लिखे वाक्यों में संबंध-सूचक और उनके भेद तथा उपयोग बताओ—

पश्चिम की ओर एक देश है। पहाड़ी के ऊपर नगर बसा है। नौकर दो दिन के बाद लौटा। लोग पूजा के लिये आए। बूढ़ा छड़ी के सहारे चलता है। वह रास्ते भर दौड़ता गया। सड़क के किनारे एक पेड़ है। भोजन के पश्चात् कुछ देर तक आराम करो। उसने पंचों द्वारा झगड़ा निपटवाया। माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई काम मत करो। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। भारतवर्ष की जैसी ऋतुएँ और देशों में नहीं होती। आप-से सज्जन कहाँ मिलेंगे? वह मेरे पास पल मात्र ठहरा। हर्ष नामक एक राजा था। दमयंती सरीखी रानी को कष्ट भोगना पड़ा। धर्म के बिना मुक्ति नहीं मिलती। घोड़ा सवार समेत गिरा।

संबंध-सूचक की व्याख्या

वाक्य—अपराधी ने राजा के आगे दीनता के साथ क्षमा के लिये प्रार्थना की, इसलिये राजा ने उसे फाँसी के बदले जन्म भर कैद का दंड दिया।

आगे—संबंध-सूचक, स्थान-वाचक, 'राजा' संज्ञा का संबंध 'की' क्रिया से मिलाता है।

साथ—संबंध-सूचक, सहचार-वाचक, "दीमता" संज्ञा का संबंध "की" क्रिया से जोड़ता है।

लिये—संबंध-सूचक, कार्य-वाचक, "क्षमा" संज्ञा का संबंध "की" क्रिया से मिलाता है।

बदले—संबंध-सूचक, विनिमय-वाचक "फाँसी" संज्ञा का संबंध "दिया" क्रिया से जोड़ता है।

भर—संबंध-सूचक, संग्रह-वाचक, "जन्म" संज्ञा का संबंध "कैद" संज्ञा से मिलाता है।

अभ्यास

१—पिछले अभ्यास में आए हुए संबंध-सूचकों की व्याख्या करो।

आठवाँ पाठ

समुच्चय-बोधक के भेद

राम वन को गए और वहाँ उन्होंने राक्षसों को मारा। मैंने अपने मित्र को बुलाया; पर वह नहीं आया। माता पुत्र से कहती थी कि तुम अपना काम करना। यदि मुझे सूचना मिलती तो मैं उसको भेजता।

११८—ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द समुच्चय-बोधक हैं। पहले वाक्य में "और", दूसरे में "पर" और तीसरे में "कि" दो-दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। चौथे वाक्य में "यदि" और "तो" जोड़े से आए हुए समुच्चय-बोधक हैं।

११९—संबंध-वाचक सर्वनाम और संबंध-वाचक क्रिया-विशेषण भी उप-वाक्यों को जोड़ते हैं; पर ये दूसरे शब्दों से भी संबंध रखते हैं। समुच्चय-बोधक उपवाक्यों को केवल जोड़ते हैं; जैसे—

मेरे पास एक घड़ी है जो बिलकुल ठीक चलती है। (संबंध-वाचक सर्वनाम)।

जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है। (संबंध-वाचक क्रिया-विशेषण)।

वह अपना काम नहीं करता, क्योंकि वह आलसी है (समुच्चय-बोधक)।

१४०—कभी-कभी कुछ समुच्चय-बोधक केवल दो शब्दों ही को जोड़ते हैं; जैसे, दो और दो चार होते हैं। उसको दाल और भात खिलाओ। सिक्का अर्थात् मुद्रा व्यापार के लिये आवश्यक है।

१४१—संबंध-सूचक और समुच्चय-बोधक में यह अंतर है कि संबंध-सूचक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ मिलाता है; पर समुच्चयबोधक दो शब्दों या उपवाक्यों को केवल जोड़ता है; जैसे,

पिता पुत्र समेत आया (संबंध-सूचक);

पिता और पुत्र आए (समुच्चय-बोधक)।

१४२—कोई-कोई समुच्चय-बोधक जोड़े से आते हैं; जैसे,

क्या—क्या क्या छोटे, क्या बड़े, सबको दुःख होता है।

या—या या काम करो या घर जाओ।

न—न उसके पास न वस्त्र है, न अन्न।

चाहे—चाहे तुम चाहे रहो चाहे जाओ।

चाहे—पर चाहे धन चला जावे, पर मान न जावे।

यदि—तो यदि समय मिलेगा तो मैं वहाँ जाऊँगा।

यद्यपि—तथापि (तो भी) यद्यपि हम दीन हैं तथापि नीच नहीं हैं।

इसलिये—कि वे इसलिये आए थे कि आपसे कुछ कहते।

१४३—कई-एक समुच्चय-बोधक दो शब्दों से मिलकर बने हैं; जैसे,

क्योंकि मैं न जाऊँगा, क्योंकि मेरा जी अच्छा नहीं है।

नकि वह मेरा भाई है, न कि साथी।

नहीं तो तुम समय पर जाओ, नहीं तो गाड़ी न मिलेगी।

इसलिये—कि पिता ने पुत्र को बुलाया, इसलिये कि वह उसे कुछ शिक्षा दे।

राम आवेगा और कृष्ण आवेगा।

राम आवेगा या कृष्ण आवेगा।

राम आवेगा, पर कृष्ण न आवेगा।

राम आया, इसलिये कृष्ण नहीं आया।

१४४—ऊपर लिखे उदाहरणों में रेखांकित समुच्चय-बोधक समान स्थिति वाले दो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, इसलिये उन्हें समानाधिकरण समुच्चय-बोधक कहते हैं।

१४५—समानाधिकरण समुच्चय-बोधक चार प्रकार के होते हैं—

(१) संयोजक—ये एक बात के साथ दूसरी बात जोड़ते हैं; जैसे, राम आवेगा और कृष्ण आवेगा। क्या बूढ़े, क्या जवान, सब उससे प्रसन्न थे।

"और" के समानार्थी "तथा", "एव" और "व" हैं। इनका उपयोग "और" की पुनरुक्ति मिटाने के लिये किया जाता है। "व" उर्दू शब्द है और इसका प्रचार कम है।

(२) विभाजक—इनके द्वारा दो बातों में किसी एक का स्वीकार अथवा दोनों का निषेध होता है ; जैसे,

लड़का आवेगा या लड़की आवेगी। जल्दी जाओ नहीं तो घड़ी बच जायगी। न इधर के हुए, न उधर के हुए। चाहे रहो, चाहे जाओ।

"या" के समानार्थी "वा", "अथवा", "किंवा" और "कि" हैं।

(३) विरोध-दर्शक—इनसे दो बातों में विरोध सूचित होता है; जैसे,

लड़की चतुर है, पर वह आलसी है। मोहन देरी से आया, तो भी वह बुला लिया गया। सोहन को क्षमा न दी जावे, वरन् दंड दिया जावे। "पर" के समानार्थी "परन्तु", लेकिन" और "मगर" हैं इनमें "मगर" उर्दू शब्द है और इसका प्रयोग कम होता है।

(४) परिणाम-दर्शक—इनसे सूचित होता है कि अगली बात पिछली बात का फल है; जैसे,

वह बीमार है, इसलिये पाठशाला नहीं गया। वे मुझे नहीं मिले, तो मैं वहाँ से लौट आया।

"इसलिये" के समानार्थी, "अतएव" और "अतः" हैं। कभी-कभी "इसलिये" के बदले "इस वास्ते," "इस कारण" या "इससे" आता है। कानूनी हिंदी में "इसलिये" के बदले बहुधा "लिहाजा" लिखा जाता है।

लड़के ने कहा कि मैं न जाऊँगा।

लड़का पाठशाला नहीं गया, क्योंकि वह बीमार है।

यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो आनंद होगा।

यद्यपि हम दीन हैं, तो भी सदाचार से हीन नहीं हैं।

१४६—ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित समुच्चय-बोधक ऐसे उपवाक्यों को मिलाते हैं जिनमें से एक उपवाक्य दूसरे पर अवलंबित रहता है। पहले वाक्य में "मैं न जाऊँगा" उपवाक्य "लड़के ने कहा" उपवाक्य पर अवलंबित है और वह "कि" समुच्चय-बोधक से जुड़ा है। दूसरे वाक्य में "क्योंकि" समुच्चय-बोधक पिछले मुख्य उपवाक्य के साथ अगले अवलंबित उपवाक्य को जोड़ता है। तीसरे उदाहरण में "यदि" और चौथे में "यद्यपि" अवलंबित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जो समुच्चय-बोधक अवलंबित वा आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य के साथ जोड़ता है उसे व्यधिकरण समुच्चय-बोधक कहते हैं—

१४७—व्यधिकरण समुच्चय-बोधक मुख्य चार प्रकार के होते हैं—

(१) स्वरूपवाचक—इन अव्ययों के द्वारा जुड़े हुए वाक्यों वा शब्दों में से पहले वाक्य या शब्द का स्वरूप (अर्थ) दूसरे वाक्य या शब्द से जाना जाता है; जैसे,

राजा ने कहा कि मैं अपराधी को दंड दूँगा। आपने ठीक किया जो यह बात उनसे नहीं कही। सिद्धार्थ अर्थात् गौतम शुद्धोदन के पुत्र थे। बादशाह का बेटा याने शाहजादा शिकार को गया।

(२) कारण-वाचक—ये अव्यय एक वाक्य का कारण दूसरे वाक्य से सूचित करते हैं; जैसे,

लड़की आज नहीं आई, क्योंकि उसकी माँ बीमार है। मैंने तुम्हें इसलिये पुकारा था कि तुम रास्ता भूल गए थे। मैं वहाँ गया था इसलिये कि आपने मुझे भेजा था।

(३) उद्देश-वाचक—इन अव्ययों से एक वाक्य का निमित्त वा फल दूसरा वाक्य सूचित करता है; जैसे,

हम तुम्हें वृंदावन भेजा चाहते हैं कि तुम उनका समाधान कर आओ। हमने उन्हें इसलिये बुलाया है कि भेंट हो जाय। नौकर परिश्रम करता है, इसलिये कि उसे पैसा मिले। चिट्ठियों की रजिस्टरी की जाती है ताकि वे खो न जायँ। वहाँ ऐसी सर्दी पड़ती है कि पानी जमकर पत्थर हो जाता है।

(४) संकेत-वाचक—ये अव्यय एक वाक्य में कोई संकेत (शर्त) प्रकट करते हैं और दूसरे वाक्य में उसका फल बताते हैं। ये अव्यय जोड़े से आते हैं; जैसे,

जो तू मेरी बात मानेगा तो तेरा भला होगा। यदि मैं स्वस्थ होता तो अवश्य आपकी सहायता करता। कहीं कोई देख लेगा तो बड़ी दुर्दशा होगी। अगर आप आवेंगे तो काम बन जायगा।

"यद्यपि-तथापि" और "चाहे-पर" भी संकेत-वाचक समुच्चय-बोधक हैं; पर इनसे कुछ विरोध सूचित होता है; जैसे,

यद्यपि हम दीन हैं तथापि धर्म-हीन नहीं हैं।

यद्यपि मैंने उनसे निवेदन किया तो भी वे सदय न हुए।

चाहे धन चला जावे, पर धर्म न जाना चाहिए।

१४८—नीचे कुछ समुच्चय-बोधकों के विशेष अर्थ और प्रयोग लिखे जाते हैं—

और—यह शब्द सर्वनाम, विशेषण और क्रिया-विशेषण भी होता है; जैसे, और को मत बुलाओ (सर्वनाम)

और दूध चाहिए (विशेषण)।

और धीरे चलो (क्रिया-विशेषण)

जब इसका प्रयोग समुच्चय-बोधक के समान होता है, तब यह साधारण अर्थ के सिवा नीचे लिखे विशेष अर्थों में भी आता है—

(१) समकालीन घटनाएँ; जैसे, आप गए और विपत्ति आई।

(२) नित्य संबंध ; जैसे, मैं हूँ और आप हैं।

(३) धमकी या तिरस्कार; जैसे, फिर मैं हूँ और वह है। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने।

कि—यह समुच्चय बोधक कई अर्थों में आता है—

(क) संयोजक; जैसे, वह थोड़ी दूर गया कि एक आदमी मिला।

(ख) विभाजक; जैसे, आप सुनते हैं कि नहीं।

(ग) स्वरूप-वाचक; जैसे, उसने कहा कि मैं जाऊँगा।

(घ) कारण-वाचक; जैसे, वह इसलिये आया है कि उसे रुपयों की जरूरत है।

(ङ) उद्देश-वाचक; जैसे, वह इसलिये आया है कि आपसे मिले।

जो—यह शब्द संबंध-वाचक सर्वनाम भी है; जैसे, "जो" आया है सो जायगा। जब यह समुच्चय-बोधक होता है तब "यदि" तथा "कि" के बदले आता है; जैसे,

("यदि" के बदले) जो तुम आओगे तो मैं चलूँगा।

("कि" के बदले) आपने ठीक किया जो मुझे सूचना दे दी।

ऐसा करो जो उसके प्राण बचें।

इसलिये—यह परिणाम-वाचक, समुच्चय-बोधक है; पर कभी-कभी इसका प्रयोग क्रिया-विशेषण के समान होता है; जैसे, राम इसलिये वन को गए कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी। जब "इसलिये" के साथ "कि" का योग होता है तब "इसलिये-कि" संयुक्त समुच्चय-बोधक हो जाता है और वह कारण-वाचक तथा उद्देश-वाचक, दोनों प्रकार का होता है; जैसे,

मनुष्य को बड़ों का कहना मानना चाहिए, इसलिये कि वे लाभ की बात कहते हैं।

नौकर परिश्रम करता है, इसलिये कि उसे पैसा मिले।

चाहे—जब यह शब्द जोड़े से आता है, तब विभाजक समुच्चय-बोधक होता है; जैसे आप चाहे जबलपुर में रहें, चाहे नागपुर में। जब इसके साथ दूसरे वाक्य में "परंतु" आता है, तब यह संकेत-वाचक समुच्चयबोधक होता है; जैसे, चाहे वह न जावे, परंतु मैं अवश्य आऊँगा। "चाहे" बहुधा संबंध-वाचक सर्वनाम, संबंध-वाचक विशेषण और संबंध-वाचक क्रिया-विशेषण की विशेषता बतलाता है; जैसे,

यहाँ चाहे जो कह लो, पर वहाँ कुछ न कह सकोगे।
तुम चाहे जितनी बातें कहो, पर मैं उनपर ध्यान न दूँगा।
तुम चाहे जहाँ रहो, मैं तुमसे अवश्य मिलूँगा।

अभ्यास

१—निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय-बोधक और उनके भेद बताओ—

सबेरा हुआ और सूरज निकला। न आप आए, न चिट्ठी भेजी। वह देखने में तो सीधा है, पर उसके पेट में दाँव है। तुम जाओगे कि नहीं? उसने कहा कि मैं आऊँगा। वे चाहे रहें, चाहे जावें। वह इसलिये आया है कि आप उससे कुछ पूछें। मैं इसलिये आया हूँ कि आपने मुझे बुलाया था। जो मैं यह जानता कि आप न मिलेंगे, तो मैं कभी न आता। पिता पुत्र को लाख समझाता है; पर वह उसकी बात नहीं मानता। प्रजा ने राजा के विरुद्ध पुकार मचाई क्योंकि उसपर अत्याचार हुआ था। कुछ कमाओ नहीं तो भूखों मरोगे। लड़के ने अभ्यास नहीं किया, इसलिये वह नापास हो गया। या तो मैं आऊँगा या वह आवेगा।

२—नीचे लिखे दो-दो वाक्यों को उपयुक्त समुच्चय-बोधकों के द्वारा जोड़ो—

मैंने उसे बुलाया—वह अभी तक न आया।
वह भाग गया—उसे चोर का डर लगा।

यह मुझे बुलावेगा—मैं उसके यहाँ जाऊँगा।
ज्वर की दशा में—भूख लगती है—नींद आती है।
मैं काम पर नहीं गया—मेरी बहिन बीमार थी।
लड़का नम्र वचन बोलता है—सब उसे चाहते हैं।
कुछ भी हो जाय—मैं वचन पालूँगा।
तुम छोटे हो—बुद्धि में बड़े।

समुच्चय-बोधक की व्याख्या

वाक्य—मैं अपने मित्र के घर जाता हूँ अथवा मेरा मित्र मेरे घर आता है; परंतु यदि इस प्रकार भेंट नहीं होती तो दोनों संध्या के समय पुस्तकालय में मिलते हैं।

अथवा—समानाधिकरण समुच्चय-बोधक, विभाजक, दो वाक्यों को मिलाता है—

(१) मैं अपने मित्र के घर जाता हूँ।

(२) मेरा मित्र मेरे घर आता है।

परंतु—समानाधिकरण समुच्चय-बोधक, विरोध दर्शक, दो वाक्यों को जोड़ता है—

(१) मेरा मित्र मेरे घर आता है।

(२) दोनों संध्या के समय पुस्तकालय में मिलते हैं।

यदि—व्यधिकरण-समुच्चय-बोधक, संकेत-वाचक, दो वाक्यों को मिलाता है—

(१) इस प्रकार भेंट नहीं होती।

(२) दोनों संध्या के समय पुस्तकालय में मिलते हैं।

तो—व्यधिकरण समुच्चय बोधक, "यदि" का नित्य-संबंधी।

अभ्यास

१—पिछले अभ्यास में आए हुए समुच्चय-बोधकों की व्याख्या करो।

नवाँ पाठ

विस्मयादि-बोधक के भेद

वाह ! तुम यहाँ घूम रहे हो !

हाय ! दुष्टों ने राजा को मार डाला।

अरेरे ! मेरी छाती में दर्द हो रहा है।

छिः ! तुम उस कीड़े को मत छुओ।

१४९—ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द कोई तीव्र भाव या मनोविकार सूचित करते हैं और वाक्य के किसी दूसरे शब्द से संबंध नहीं रखते। ये शब्द पशुओं की ध्वनियों से मिलते हैं। इन्हें विस्मयादि-बोधक कहते हैं।

१५०—विस्मयादि-बोधक भिन्न-भिन्न प्रकार के मनोविकार सूचित करते हैं ; जैसे,

विस्मय (आश्चर्य)—वाह ! हैं ! ऐं ! ओहो ! वाह वा !

हर्ष—अहा ! आहा ! अहह ! धन्य ! शाबाश !

शोक—हाय ! हा हा ! आह ! ऊह ! हाय-हाय !

तिरस्कार वा घृणा—छिः ! धुत् ! अरे ! थुः ! धिक् !

क्रोध—चुप ! हट ! क्यों ! अबे !

स्वीकार—ठीक ! भला ! हाँ ! जी ! अच्छा !

संबोधन—अजी ! अरे ! रे ! लो ! हे !

१५१—कई-एक संज्ञाएँ, विशेषण, क्रियाएँ और क्रिया-विशेषण विस्मयादि-बोधक के समान उपयोग में आते हैं ; जैसे,

भगवान् ! भारतवर्ष में गूँजे हमारी भारती !

राम-राम ! कैसा अनर्थ हो गया !

भला ! वह आपके पास कैसे आया !

हट ! अब ऐसा मत कहना !

क्यों ! फिर तो ऐसा न कहोगे ?

१५२—कभी-कभी वाक्यांश में अथवा पूरा वाक्य विस्मयादि-बोधक के समान आता है ; जैसे, बहुत अच्छा ! धन्य महाराज ! क्यों न हो ! क्या बात है !

१५३—जब विस्मयादि-बोधक का उपयोग संज्ञा के समान होता है, उस समय वह विस्मयादि-बोधक नहीं रहता; जैसे, आपको धन्य है । वहाँ हाय हाय मची है । उनकी वाह-वाह हुई ।

१५४—नीचे कुछ विस्मयादि-बोधकों के विशेष अर्थ और प्रयोग लिखे जाते हैं—

क्या—प्रश्नवाचक सर्वनाम है ; पर इसका उपयोग प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के समान भी होता है ; जैसे, क्या तुम वहाँ जाओगे ? जब इससे तीव्र मनोविकार सूचित होता है तब यह विस्मयादि-बोधक होता है; जैसे, क्या ! तुम अभी तक वहाँ नहीं गए !

अरे, अजी—'अरे' से अनादर और 'अजी' से आदर सूचित होता है । 'अरे' का स्त्रीलिंग 'अरी' है ।

हाँ—शब्द प्रश्न के उत्तर में पूरे वाक्य के बदले आता है ; जैसे, क्या तुम वहाँ जाओगे ? हाँ । कोई-कोई वैयाकरण इसे क्रिया-विशेषण मानते हैं; पर इसका संबंध क्रिया अथवा दूसरे शब्द से नहीं होता, इसलिये इसे विस्मयादि-बोधक मानना उचित है ।

अच्छा, भला—ये शब्द विशेषण हैं; पर इनका उपयोग "हाँ" के समान स्वीकार के अर्थ में भी होता है; जैसे, अच्छा, एक बात सुनो । भला, तुमने उसे देखा भी है ? इस अर्थ में ये शब्द विस्मयादि-बोधक हैं ।

अभ्यास

१—निम्नलिखित वाक्यों में विस्मयादि-बोधक और उनके भेद बताओ—

वाह ! कैसा अच्छा गाना है । अहा ! आप कब आए ? ओ हो ! ये तो स्वामी जी हैं छिः ! हम ऐसा काम नहीं करते । शाबाश ! छोटे

लड़के ने बाजी जीत ली। ठीक! इसी तरह काम करते जाओ। क्या! यह अब न आवेगा? हाँ, वह न आवेगा। राम-राम! कैसे दुःख की बात है! हरे-हरे! मैंने बड़ी भूल की। आह! मेरे सिर में बड़ी पीड़ा है।

विस्मयादि-बोधक की व्याख्या

वाक्य—अहो! मैं बड़ा भाग्यवान् हूँ कि आपके दर्शन मिले। छिः! आप ऐसा विचार मन में न लावें।

अहो—विस्मयादि-बोधक, हर्षवाचक।

छिः—विस्मयादि-बोधक, घृणा-वाचक।

अभ्यास

पिछले अभ्यास में आए हुए विस्मयादि-बोधकों की व्याख्या करो।

दसवाँ पाठ

एक शब्द के अनेक शब्द-भेद

मैं और हूँ; तू और है। (सर्वनाम)

मुझे और दूध दो (विशेषण)

वह और धीरे चलेगा। (क्रिया-विशेषण)

लड़का आया और लड़की गई। (समुच्चय-बोधक)

१५५—पूर्वोक्त वाक्यों में "और" शब्द अनेक शब्द-भेदों में आया है। पहले वाक्य में यह सर्वनाम है; दूसरे में विशेषण और तीसरे में क्रिया-विशेषण है। चौथे वाक्य में वह समुच्चय-बोधक है। इस प्रकार के और भी कई शब्द हैं जिनका शब्द-भेद निश्चय-पूर्वक तभी बताया जा सकता है जब उनका प्रयोग वाक्य में किया जावे।

१५६—नीचे कई एक शब्दों के भिन्न-भिन्न शब्द-भेदों के उदाहरण दिए जाते हैं—

शब्द	शब्द-भेद	उदाहरण
एक	सर्वनाम	यहाँ एक आता है, एक जाता है।
	विशेषण	एक दिन ऐसा हुआ।
	क्रिया-विशेषण	एक तो मैं वृद्ध हूँ, दूसरे निर्बल हूँ।
ऐसा	सर्वनाम	ऐसा मत विचारो।
	विशेषण	ऐसा घर कहाँ मिलेगा ?
	क्रिया-विशेषण	लड़का ऐसा दौड़ा कि गिर पड़ा।
	संबंध-सूचक	उसे राजा ऐसा पति मिला है।
कारण	संज्ञा	बीमारी का कारण नहीं जाना गया।
	संबंध-सूचक	बीमारी के कारण वह चल नहीं सकता।
	समुच्चय-बोधक	राम नहीं गया; कारण, वह बीमार था।
कुछ	सर्वनाम	उसके हाथ में कुछ है।
	विशेषण	वह कुछ काम करता है।
	क्रिया-विशेषण	कपड़ा कुछ बड़ा है।
	समुच्चय-बोधक	कुछ तुम समझे, कुछ हम समझे।
क्या	सर्वनाम	तुम क्या चाहते हो ?
	विशेषण	तुम क्या काम करते हो ?
	क्रिया-विशेषण	क्या मैं जाऊँगा ? क्या तुम जाओगे ?
	समुच्चय-बोधक	क्या छोटे क्या बड़े, सब उसे चाहते थे।
	विस्मयादि-बोधक	क्या वह नहीं आया ?
चाहे	क्रिया	यदि वह चाहे तो उसे भेजो।
	क्रिया-विशेषण	तुम चाहे जितना करो, मैं कुछ न कहूँगा।
	समुच्चय-बोधक	चाहे वह न जाय, पर मैं जाऊँगा।
जैसा	सर्वनाम	जैसा बोओगे, वैसा काटोगे।
	विशेषण	जैसा देश, वैसा भेष।
	क्रिया-विशेषण	वह जैसा यहाँ रहता है, वैसा वहाँ रहेगा।

	संबंध-सूचक	ईश्वर आपका जैसा पुत्र सबको दे ।
जो	सर्वनाम	आप जो चाहें सो कर सकते हैं ।
	विशेषण	जो बात होनी थी, वह हो गई ।
	क्रिया-विशेषण	जो गठरी खोली तो उसमें कुछ न मिला ।
	समुच्चय-बोधक	जो तुम ठहरोगे तो मैं चलूँगा ।
भला	संज्ञा	अब किसी का भला होगा ।
	विशेषण	आप भला तो जग भला ।
	क्रिया-विशेषण	आप भले आए ।
	समुच्चय-बोधक	वह भले आवे, पर मैं न जाऊँगा ।
	विस्मयादि-बोधक	भला, वह क्या कहता था ?
साथ	संज्ञा	कई दिन मेरा और उनका साथ रहा ।
	क्रिया-विशेषण	बाप और बेटा साथ रहते हैं ।
	संबंध-सूचक	किसी के साथ मत करो ।
	समुच्चय-बोधक	उनके घर जाना; साथ ही उनके आने के लिये कहना

अभ्यास

नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के शब्द-भेद कारण सहित बताओ—

एक को बुलाया और दस आए । एक तो गुरच कड़वी, दूसरे नीम चढ़ी । न साँप मरे न लाठी टूटे ।

बालू ऐसी करकरी, उज्ज्वल ऐसी धूप ।
ऐसी मीठी कछु नहीं, जैसी मीठी चुप ॥

वह कुछ डर से और कुछ प्रेम से ऐसा करता है । बहुत गई, थोड़ी रही । हम वहाँ थोड़े जाते हैं थोड़ा और हटो । और क्या होगा । यह बात और जाति में होती है । काल अचानक मारिहै, क्या घर, क्या परदेश ।

घर चला गया। भला हुआ जो आप नहीं गए। मैं वहाँ गया तो था। जो आप मुनि की नाईं आते तो मैं आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। इस समय तो मेरे पास रुपया नहीं है। उत्तम मनुष्य का साथ न छोड़ना चाहिए; साथ ही उसका आदर करना चाहिए।

२—नीचे लिखे शब्दों का उपयोग उदाहरण देकर अलग-अलग शब्द-भेदों में करो—

आगे, पीछे, कोई, बहुत, समान, सब

चौथा अध्याय

शब्द-साधन

पहला पाठ

विकारी और अविकारी शब्द

पहले एक लड़का, फिर एक लड़की आई।

वहाँ जो लड़के खेलते थे, उन्हें सिपाही ने हटा दिया।

वे लड़के अपने घर गए। वे अब न खेलेंगे।

छोटा लड़का और छोटी लड़की नहीं गए।

११७—ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द ऐसे हैं, जिनका रूप अर्थ के अनुसार बदल गया है। पहले वाक्य में लड़का शब्द संज्ञा है और वह पुरुष-जाति का बोध कराता है। उसको बदलकर "लड़की" संज्ञा बनाई गई है जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। दूसरे वाक्य में "लड़के" संज्ञा आई है। यह शब्द "लड़का" संज्ञा को बदलकर बनाया गया है और उससे एक से अधिक संख्या का बोध होता है। इस प्रकार "लड़का" संज्ञा "लड़की" और "लड़के" रूपों में आई है।

दूसरे वाक्य में 'उन्हें' सर्वनाम आया है। यह शब्द तीसरे वाक्य में आए हुए "वे" सर्वनाम का रूप है। चौथे वाक्य में "छोटा" विशेषण आया है जिसका रूप "लड़की" संज्ञा के कारण "छोटी" हो गया है।

दूसरे वाक्य में "खेलते थे" क्रिया आई है। इसका रूप "खेलेंगे" हो गया है जो तीसरे वाक्य में आया है।

जिन शब्दों का रूप अर्थ के कारण अथवा दूसरे शब्दों के संबंध से

बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द भेद हैं।

लड़का अभी आया है; परंतु लड़की अभी नहीं आई।

लड़के के पास पुस्तक है; परंतु लड़की के पास पुस्तक नहीं है।

ओहो! मेरा भाई और बहिन आ गए।

१५८—उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द ऐसे हैं कि उनका रूप अर्थ के अनुसार या दूसरे शब्दों के संबंध से कभी नहीं बदलता। पहले वाक्य में "अभी" शब्द क्रिया-विशेषण है। यह दो बार उसी रूप में आया है। इसी प्रकार "नहीं" क्रिया-विशेषण पहले और दूसरे वाक्य में एक ही रूप में आया है। तीसरे वाक्य में "पास"-संबंध सूचक दो बार आया है; पर उसका रूप नहीं बदला।

पहले और दूसरे वाक्य में "परंतु" शब्द समुच्चय-बोधक है और उसका प्रयोग दो बार हुआ है। दोनों स्थानों में उसका रूप जैसा का तैसा है। चौथे वाक्य में "ओहो" विस्मयादि-बोधक का प्रयोग हुआ है। यह शब्द भी सदा इसी रूप में रहता है।

जिन शब्दों का रूप अर्थ के कारण अथवा दूसरे शब्दों के संबंध से नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द बहुधा अव्यय कहलाते हैं। क्रिया-विशेषण, संबंध-सूचक, समुच्चय-बोधक और विस्मयादि-बोधक अविकारी शब्द-भेद अर्थात् अव्यय हैं।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में विकारी शब्द और अव्यय बताओ—

लड़का अभी नहीं आया। लड़की अभी नहीं आई। मैं कल गाँव को जाऊँगा। वहाँ मेरा काम है। मैंने कई गाँव में दौरा किया है। किसान खेती करते हैं। कई लोग व्यापार या नौकरी करनेवाले हैं। किसानों को

पड़ा श्रम करना पड़ता है। नौकर आज जायगा। वह अचानक गया और अचानक आया। उसे बड़ी कठिनाई हुई। यह काम कठिन था। उसके लड़के और लड़कियाँ गईं। तुम कहाँ रहते हो? मैं वहाँ नहीं था। हाय! उसका हाथ टूट गया।

दूसरा पाठ

संज्ञा का लिंग

लड़का छोटा था।	लड़की छोटी थी।
बालक आया।	बालिका आई।
घोड़ा घास खाता है।	घोड़ी घास खाती है।
बाघ जंगल में है।	बाघिन जंगल में है।

१५९—ऊपर बाईं ओर लिखी रेखांकित संज्ञाओं से प्राणियों की पुरुष-जाति का बोध होता है; और दाहिनी ओर लिखी रेखांकित संज्ञाओं से स्त्री-जाति का अर्थ पाया जाता है। पुरुष बोधक संज्ञाओं को, व्याकरण में पुल्लिंग और स्त्री-बोधक संज्ञा को स्त्रीलिंग कहते हैं।

प्राणियों का जोड़ा अथवा पदार्थों की जाति बताने के लिये शब्दों में जो रूपांतर होता है उसे लिंग कहते हैं। बहुधा पुरुषवाचक संज्ञा ही को, रूप बदलकर, स्त्री-वाचक संज्ञा बनाते हैं; जैसे,

लड़का—लड़की	घोड़ा—घोड़ी
बालक—बालिका	बाघ—बाघिन
सेठ—सेठानी	कुत्ता—कुतिया

१६०—हिंदी में प्राणिवाचक संज्ञाओं के समान अप्राणिवाचक संज्ञाएँ भी पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग होती हैं; जैसे,

पुल्लिंग—कपड़ा, घर, पत्थर, पानी, पेड़।

स्त्रीलिंग—टोपी, छत, चट्टान, ओस, जड़।

१६१—कई-एक मनुष्येतर प्राणिवाचक संज्ञाएँ केवल पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होती हैं ; जैसे,

पुल्लिंग—भेड़िया, चीता, पक्षी, उल्लू, कछुआ, खटमल।

स्त्रीलिंग—गिलहरी, चील, कोयल, तितली, मक्खी, जोंक।

१६२—अप्राणिवाचक संज्ञाओं से जोड़े का बोध नहीं होता ; इसलिये इनका लिंग इनके रूप से जाना जाता है। अप्राणिवाचक संज्ञाओं का लिंग नीचे लिखे नियमों के अनुसार निश्चित किया जाता है—

हिंदी संज्ञाएँ

पुल्लिंग

(१) कई एक अकारांत संज्ञाएँ ; जैसे, धन, बल, अनाज, घर, सिर, गाँव।

(२) ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़ शेष आकारांत संज्ञाएँ ; जैसे, कपड़ा, पैसा, गला, आटा, माथा।

(३) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में आव, पन या पा होता है ; जैसे, बहाव, लड़कपन, बुढ़ापा।

(४) क्रियार्थक संज्ञाएँ; जैसे, आना, जाना, गाना, खाना, तैरना, सोना।

(५) कृदंत की अनंत संज्ञाएँ ; जैसे, मिलान, लगान, नहान, पिसान, खान-पान, उठान।

अपवाद—पहचान, उड़ान, मुस्कान।

स्त्रीलिंग

(१) ईकारांत संज्ञाएँ; जैसे, चिट्ठी, नाली, खेती, मिट्टी, टोपी, नदी।

अप०—पानी, घी, जी, दही, मही, मोती।

(२) जिनके अंत में "आई" हो ; जैसे, भलाई, बुराई, ऊँचाई, पिसाई, लिखाई, बुनाई

(३) ऊनवाचक याकारांत संज्ञाएँ ; जैसे, खटिया, डिबिया, फुड़िया, पुड़िया, ठिलिया, डलिया।

(४) ऊकारांत संज्ञाएँ; जैसे, बालू, ब्यालू, दारू, लू, झाड़ू, गेरू।

अप०—आलू, आँसू, टेसू, निम्बू।

(५) तकारांत संज्ञाएँ; जैसे, रात, छत, बात, लात, बचत, भीत।

अप०—भात, दाँत, खेत, सूत।

(६) सकारांत संज्ञाएँ; जैसे, प्यास, मिठास, बास, बकवास, फाँस, साँस।

अप०—काँस, बाँस, निकास।

(७) कृदंत की अकारांत वा नकारांत संज्ञाएँ; जैसे, लूट, समझ, दौड़, रगड़, सूजन, उलझन, चलन, रटन।

(८) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट वा हट होता है; जैसे, झंझट, पुट, सजावट, बनावट, घबराहट, चिकनाहट।

संस्कृत संज्ञाएँ

पुल्लिंग

(१) जिन संज्ञाओं के अंत में "आर", "आय" वा "आस" हो; जैसे, विकार, विस्तार, अध्याय, उपाय, विकास, हास।

अप०—सहाय और आय।

(२) जिन संज्ञाओं के अंत में ज वा द हो; जैसे, जलज, सरोज, पिंडज, जलद, सुखद, धनद।

(३) त प्रत्ययांत संज्ञाएँ; जैसे, मत, स्वागत, गीत, चरित, गणित, लिखित।

(४) जिनके अंत में त्र होता है; जैसे, चित्र, चरित्र, पत्र, नेत्र, क्षेत्र, पात्र।

(५) नांत संज्ञाएँ; जैसे, पालन, पोषण, नयन, वचन, शासन, दमन।

(६) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्य, व, अथवा य होता है; जैसे, सतीत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, सौंदर्य, माधुर्य, स्वास्थ्य।

स्त्रीलिंग

(१) आकारांत वा नाकारांत संज्ञाएँ, जैसे, दया, माया, कृपा, लज्जा प्रार्थना, वंदना, वेदना, प्रस्तावना।

(२) उकारांत संज्ञाएँ; वायु, रेणु, मृत्यु, वस्तु, ऋतु।

अप०—मधु, अश्रु, तालु, तरु।

(३) जिनके अंत में ति, धि या नि होती है; जैसे, गति, मति, शक्ति, वृद्धि, सिद्धि, हानि, ग्लानि।

(४) जिनके अंत में इ होती है; जैसे, छवि, राशि, रुचि, केलि, सखि, वीथि।

अप०—वारि, गिरि, आदि, बलि।

(५) इमा प्रत्ययांत संज्ञाएँ; जैसे, महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा।

(६) ता प्रत्ययांत भाववाचक संज्ञाएँ; जैसे, नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, मूर्खता, सहायता।

उर्दू संज्ञाएँ

पुल्लिंग

(१) जिनके अंत में आब होता है; जैसे, गुलाब, जुलाब, हिसाब, जवाब, तेजाब, असबाब।

अप०—किताब, मिहराब, शराब, ताब।

(२) जिनके अंत में आर, आल या आन होता है; जैसे, बाजार, इश्तहार, सवाल, हाल, मकान, सामान।

अप०—दूकान, सरकार, तकरार।

(३) जिनके अंत में ह रहता है जो हिंदी में आ हो जाता है, जैसे, परदा, गुस्सा, रास्ता, चश्मा, तमगा (हिं०—तगमा), किस्सा।

स्त्रीलिंग

(१) ईकारांत भाववाचक संज्ञाएँ; जैसे, गरीबी, ईमानदारी, गरमी, सरदी, बीमारी, चालाकी।

(२) शकारांत संज्ञाएँ; जैसे, नालिश, कोशिश, लाश, तलाश, मालिश, परवरिश।

अप०—ताश, होश।

(३) आकारांत संज्ञाएँ; जैसे हवा, दवा, सजा, बला, क्षमा, दुआ।

अप०—दगा।

(४) "तफईल" के वजन की संज्ञाएँ; जैसे, तसवीर, तकदीर, तदबीर, तहसील, तफसील, जागीर।

अप०—तावीज़।

१६६—अर्थ के अनुसार अप्राणिवाचक संज्ञाओं का लिंग जानने के लिये कुछ नियम दिए जाते हैं—

पुल्लिंग

(१) देशों, पर्वतों और समुद्रों के नाम; जैसे, भारतवर्ष, नैपाल, हिमालय, अर्वली, लाल समुद्र, काला सागर।

(२) ग्रहों के नाम; जैसे, सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि।

अप०—पृथ्वी।

(३) समय के विभागों के नाम; जैसे, वर्ष, मास, दिन, सप्ताह, पाख, पल।

अप०—साँझ, रात, घड़ी, बेरा।

(४) धातुओं के नाम; जैसे, ताँबा, पीतल, काँसा, लोहा, सोना, रूपा।

अप०—चाँदी।

(५) रत्नों के नाम; जैसे, हीरा, पन्ना, नीलम, मोती, मूँगा, मानिक।

अप०—मणि, चुन्नी।

(६) पेड़ों के नाम; जैसे, पीपल, बड़, सागौन, कदंब, पाकर, जामुन।

अप०—नीम, इमली, बेरी।

(७) अनाजों के नाम; जैसे, जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, मटर, चना।

अप०—अरहर, मूँग, मसूर, जुआर।

(८) द्रव पदार्थों के नाम; जैसे, घी, तेल, पानी, दही, मही, दूध।

अप०—छाछ, काँजी।

(९) अक्षरों के नाम; जैसे, अ, आ, अनुस्वार, विसर्ग, क, ह।

अप०—इ, ई, ऋ।

स्त्रीलिंग

(१) नदियों और झीलों के नाम; जैसे, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, साँभर, चिल्का।

(२) तिथियों के नाम; जैसे, परिवा, दूज, तीज, चौथ, पूनो, अमावस।

(३) नक्षत्रों के नाम; जैसे, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहणी, आर्द्रा, आश्लेषा।

(४) किराने के नाम; जैसे, लौंग, इलायची, बादाम, सुपारी, केसर, दालचीनी।

अप०—कपूर, तेजपात।

(५) भोजनों के नाम; जैसे, रोटी, पूरी, कचौरी, खीर, दाल, खिचड़ी।

अप०—भात, रायता, लड्डू, हलुआ।

१६४—कोई-कोई संज्ञाएँ दोनों लिंगों में आती हैं; इसलिये उन्हें उभयलिंग कहते हैं। उभयलिंग संज्ञाओं के कुछ उदाहरण ये हैं—

आत्मा, कलम, विनय, गड़बड़, बर्फ, घास, समाज, चलन।

१६५—हिंदी में अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं और तत्सम[1] तथा तद्भव[2] रूपों में प्रचलित हैं। इनमें से कई शब्दों का मूल लिंग हिंदी में बदल गया है; जैसे,

तत्सम

शब्द	संस्कृत-लिंग	हिंदी-लिंग
अग्नि (आग)	पुं०	स्त्री०
आयु	नपुंसक-लिंग	स्त्री०
वस्तु	न०	स्त्री०

१. जो संस्कृत शब्द अपने शुद्ध रूप में आकर हिंदी में प्रचलित हैं वे तत्सम कहाते हैं; जैसे, राजा, पिता, संध्या, उपासना, विकार, समाचार।

२. जो संस्कृत शब्द बिगड़े रूप में आकर हिंदी में प्रचलित हैं वे तद्भव कहे जाते हैं; जैसे, भाई (भ्राता), बहिन (भगिनी), साँझ (संध्या), सेज (शैया), घर (गृह), समधी (संबंधी)।

तारा (नक्षत्र)	स्त्री०	पुं०
देवता	स्त्री०	पुं०
वस्तु	न०	स्त्री०
राशि	पुं०	स्त्री०

तद्भव

तत्सम	सं० लिं०	तद्भव०	हिं० लिं०
औषध औषधि	पुं० स्त्री०	औषधि	स्त्री०
तनु	पुं०	ताँत	स्त्री०
बाहु	पुं०	बाँह	स्त्री०
बिंदु	पुं०	बूँद	स्त्री०

१६६—हिंदी और उर्दू के कई-एक मिलते-जुलते शब्दों में लिंग की भिन्नता पाई जाती है; जैसे,

हिंदी	लिंग	उर्दू	लिंग
चर्चा	स्त्री०	चरचा	पुं०
छाया	स्त्री०	साया	पुं०
शंका	स्त्री०	शक	पुं०
चैन	स्त्री०	चैन	पुं०

१६७—कई-एक अँगरेजी शब्द आकारांत होने के कारण हिंदी में पुल्लिंग और ईकारांत होने के कारण स्त्रीलिंग होते हैं; जैसे,

पुं०—सोडा, डेल्टा, केमरा, कामा, एलजबरा।

स्त्री०—कंपनी, कमेटी, चिमनी, गिनी, लाइब्रेरी, जामेट्री।

(क) कुछ शब्दों को उसी अर्थ के हिंदी शब्दों का लिंग प्राप्त है; जैसे,

कानफ्रेंस—सभा—स्त्री०
ट्रेन—गाड़ी—स्त्री०
फीस—दक्षिणा—स्त्री०
कोट—अँगरखा—पुं०
बूट—जूता—पुं०
नंबर—अंक—पुं०

१९८—सामासिक शब्दों का लिंग बहुधा अंत्य शब्द के लिंग के अनुसार होता है, जैसे, रसोई-घर (पुं०), धर्मशाला (स्त्री०), मा-बाप (पुँ०), बाल-बुद्धि (स्त्री०)।

१९९—किसी पदार्थ के मुख्य नाम का लिंग उस व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिंग के अनुसार होता है; जैसे,

"महात्मा" (स्त्री०)	"आगरा" (पुँ०)
"महामंडल" (पुँ०)	"माधुरी" (स्त्री०)
"पर्ण-कुटी" (स्त्री०)	"प्रताप" (पुँ०)
"आनंद-भवन" (पुँ०)	"गांडीव" (पुँ०)
"दिल्ली" (स्त्री०)	"कोहनूर" (पुँ०)

पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम

हिंदी शब्द

लड़का-लड़की	पुतला-पुतली	बकरा-बकरी
बेटा—बेटी	घोड़ा-घोड़ी	गधा-गधी

(२) प्राणिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अन्त्य "आ" के बदले "ई" करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। संबंध-वाचक संज्ञाएँ भी इसी वर्ग में आती हैं; जैसे,

मामा-मामी, माई	दादा-दादी	आजा आजी
काका-काकी	नाना-नानी	साला-साली

कुत्ता—कुतिया	बुड्ढा—बुढ़िया
बच्छा—बछिया	चूहा—चुहिया
बेटा—बिटिया	मुन्ना—मुनिया

(अ) निरादर अथवा प्रेम में कहीं-कहीं "इया" लगाते हैं और यदि अंत्याक्षर द्वित्व हो तो पहले व्यंजन का लोप कर देते हैं।

हिरन—हिरनी	तीतर—तीतरी
मेंढक—मेंढकी	कबूतर—कबूतरी
कूकर—कूकरी	गीदड़—गीदड़ी

(आ) मनुष्येतर अकारांत प्राणिवाचक संज्ञाओं में भी बहुधा "ई" कर देते हैं।

सुनार—सुनारिन	लुहार—लुहारिन
तेली—तेलिन	अहीर—अहीरिन
बढ़ई—बढ़इन	धोबी—धोबिन

(२) व्यवसाय-वाचक और वर्णवाचक संज्ञाओं के अंत में "इन" आदेश करते हैं। कुछ संबंध-वाचक और मनुष्येतर प्राणिवाचक संज्ञाओं में भी "इन" जोड़ते हैं; जैसे,

माली—मालिन	बाघ—बाघिन
पंडित—पंडितिन	साँप—साँपिन
समधी—समधिन	नाग—नागिन

ऊँट—ऊँटनी	हाथी—हथनी
मोर—मोरनी	सिंह—सिंहनी
रीछ—रीछनी	स्यार—स्यारिन

(३) कई एक मनुष्येतर प्राणिवाचक संज्ञाओं के अंत में "नी" लगाई जाती है। यह प्रत्यय किसी-किसी वर्ण-वाचक संज्ञा के पश्चात् भी लगाया जाता है; जैसे,

हिंदू—हिंदुनी	भील—भीलनी

जाट—जाटनी	टहलुआ—टहलानी
खत्री—खत्रानी	देवर—देवरानी
सेठ—सेठानी	जेठ—जेठानी

चौधरी—चौधरानी　　　　नौकर—नौकरानी

(४) कई एक वर्णवाचक और संबंध-वाचक संज्ञाओं में "आनी" लगाते हैं।

पाँडे—पँड़ाइन　　　　ठाकुर—ठकुराइन

मिसर—मिसराइन　　　　बाबू—बबुआइन

पाठक—पठकाइन　　　　लाला—ललाइन

(५) उपनाम-वाचक संज्ञाओं के अंत में "आइन" लगाया जाता है।

(अ) आजकल कुमारी के नाम के साथ उसके पिता का और विवाहिता स्त्री के नाम के साथ उसके पति का पुल्लिंग उपनाम जोड़ने की प्रथा प्रचलित है; जैसे, कुमारी सत्यवती शर्म्मा, श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान। कभी-कभी पति के उपनाम का स्त्रीलिंग भी उपयोग में आता है; जैसे, श्रीमती सरलादेवी चौधरानी।

रस्सा—रस्सी　　　　डिब्बा—डिब्बी, डिबिया

गगरा—गगरी　　　　फोड़ा—फुड़िया

घंटा—घंटी　　　　लोटा—लुटिया

(६) कभी-कभी पदार्थ-वाचक अकारांत वा आकारांत संज्ञाओं में, हीनता प्रकट करने के लिये "ई" वा "इया" जोड़ते हैं। ये संज्ञाएँ ऊनवाचक कहाती हैं (अंक—१५८)

---

(७) कई-एक स्त्रीलिंग संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग बनाते हैं; जैसे,

भेड़—भेड़ा　　　　बहिन—बहनोई

भैंस—भैंसा　　　　ननद—ननदोई

१७०—कई-एक मनुष्यवाचक स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग शब्द प्रचार में नहीं हैं; जैसे, सती, सहेली, सुहागिन, अहिवाती, धाय, अप्सरा।

१७१—कुछ शब्द रूप में परस्पर जोड़े के जान पड़ते हैं; पर यथार्थ में उनके अर्थ अलग-अलग हैं; जैसे,

साँड़ (बैल), साँड़नी (ऊँटनी), साँड़िया (ऊँट का बच्चा); डाकू (चोर), डाकिया (चिट्ठीवाला), डाकिनी (चुड़ैल); भेड़ (भेड़े की मादा), भेड़िया (एक हिंसक जानवर)।

१७२—कई-एक पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द दूसरे ही होते हैं; जैसे,

राजा—रानी	भाई—बहिन	वर—वधू
पिता—माता	पुरुष—स्त्री	बेटा—बहू (पतोहू)
ससुर—सास	मर्द (आदमी)—औरत	विधुर—विधवा
साला—साली	पुत्र—कन्या	साहिब—मेम

१७३—कभी-कभी स्त्रीलिंग से किसी जाति की स्त्री ही का बोध नहीं होता, किंतु किसी व्यक्ति की स्त्री का भी बोध होता है; इसलिये कई-एक पुल्लिंग संज्ञाओं के भिन्न-भिन्न अर्थ-वाले दो स्त्रीलिंग होते हैं; जैसे,

भाई—बहिन, भावज	पुत्र—कन्या, वधू
साला—साली, सरहज	बेटा—बेटी, बहू

(अ) चेली, शिष्या, गुरुआइन, अध्यापिका, मास्टरिन, डाक्टरिन, आदि शब्द दो-दो अर्थों में आते हैं—(१) स्वतन्त्र व्यवसाय करनेवाली अथवा (२) पति की पदवी धारण करनेवाली।

१७४—एकलिंग मनुष्येतर प्राणिवाचक संज्ञाओं में पुरुष और स्त्री जाति का भेद बताने के लिये क्रमशः नर और मादा जोड़ते हैं; जैसे, नर-चील—मादा-चील, नर-भेड़िया—मादा-भेड़िया, नर-बिच्छू—मादा-बिच्छू।

(क) मनुष्य वाचक संज्ञाओं में "पुरुष" और "स्त्री" शब्द जोड़ते हैं; जैसे, पुरुष-छात्र-स्त्री छात्र, पुरुष-कवि-स्त्री-कवि, पुरुष-सदस्य-स्त्री-सदस्य।

संस्कृत शब्द

हिंदी-रूप	संस्कृत-रूप	स्त्रीलिंग	हिंदी-रूप	संस्कृत-रूप	स्त्रीलिंग
राजा	(राजन्)–	राज्ञी	विद्वान्	(विद्वस्)	विदुषी
युवा	(युवन्)–	युवती	मानी	(मानिन्)	मानिनी
भगवान्	(भगवत्)–	भगवती	घाती	(घातिन्)	घातिनी
श्रीमान्	(श्रीमत्)–	श्रीमती	हितकारी	(हितकारिन्)	हितकारिणी

(१) व्यंजनांत संज्ञाओं में "ई" लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। हिंदी में संस्कृत के पुल्लिंग रूप प्रचलित नहीं हैं।

ब्राह्मण—ब्राह्मणी
कुमार—कुमारी
दास—दासी
दूत—दूती
देव—देवी
सुंदर—सुंदरी

(२) अकारांत संज्ञाओं में अंत्य अ के स्थान में 'ई' कर देते हैं।

हि०-रू०	सं०-रू०	स्त्री०	हि०-रू०	सं०-रू०	स्त्री०
कर्त्ता	(कर्तृ)	कर्त्री	रचयिता	(रचयितृ)	रचयित्री
दाता	(दातृ)	दात्री	कवयिता	(कवयितृ)	कवयित्री

(३) ऋकारांत संज्ञाओं में, व्यंजनांत संज्ञाओं के समान, संस्कृत के पुल्लिंग रूप में "ई" जोड़ते हैं। हिंदी में संस्कृत-रूप का स्वतंत्र प्रचार नहीं है।

सुत—सुता
पंडित—पंडिता
तनय—तनया
महाशय—महाशया
बाल—बाला
शूद्र—शूद्रा

(४) कई-एक संज्ञाओं और विशेषणों में "आ" जोड़ा जाता है।

इंद्र—इंद्राणी　　　　रुद्र—रुद्राणी

भव—भवानी　　　　ब्रह्मा—ब्रह्माणी

(५) कई-एक देवताओं के नामों में "आनी" जोड़ते हैं।

(६) कई एक संज्ञाओं के भिन्न-भिन्न अर्थवाले दो-दो स्त्रीलिंग होते हैं; जैसे,

आचार्य—आचार्या (वेदमंत्र सिखानेवाली)

आचार्याणी (आचार्य की स्त्री)

उपाध्याय—उपाध्याया (शिक्षिका)

उपाध्यायानी (उपाध्याय की स्त्री)

क्षत्रिय—क्षत्रियी (क्षत्रिय की स्त्री)

क्षत्रिया, क्षत्रियाणी (उस जाति की स्त्री)

उर्दू शब्द

(१) अधिकांश उर्दू पुल्लिंग संज्ञाओं में हिंदी प्रत्यय लगाए जाते हैं; जैसे,

शाहजादा—शाहजादी　　　　फकीर—फकीरिनी

शेर—शेरनी　　　　मुसलमान—मुसलमाननी

मिहतर—मिहतरानी　　　　मुल्ला—मुल्लानी

(२) कई-एक अरबी शब्दों में अरबी प्रत्यय "ह" जोड़ा जाता है, जो हिंदी में "आ" हो जाता है; जैसे,

वालिद—वालिदा　　　　साहिब—साहिबा

मालिक—मालिका　　　　खालू—खाला

अँगरेजी शब्द

(१) अँगरेजी संज्ञाओं का स्त्रीलिंग बहुधा "इन" लगाकर बनाते हैं; जैसे,

मास्टर—मास्टरिन　　　　इन्सपेक्टर—इन्सपेक्टरिन

डाक्टर—डाक्टरिन　　　　कंपाउंडर—कंपाउंडरिन

अभ्यास

(१) नीचे लिखे वाक्यों में कारण बताकर संज्ञाओं का लिंग बताओ—

पेड़ में जड़, पींड, डालियाँ, पत्ते, फूल और फल होते हैं। खेत की मेंड पर घास उगी है। मंदिर की सजावट में संस्था की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। गंगा के प्रवाह से कई गाँवों का नाश हो गया। अर्जुन का धनुष "गांडीव" कहलाता है। दिल्ली में मुगलों के समय का एक किला बना हुआ है। "सरस्वती" प्रयाग से प्रकाशित होती है। धन की सहायता से मनुष्य कई कठिन कार्य कर सकता है। मुकद्दमे की पेशी दस तारीख को है।

(२) निचे लिखी संज्ञाओं का प्रयोग एक-एक वाक्य में इस प्रकार करो कि विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा उनका लिंग जाना जा सके—

साख, वचन, ज्ञान, साँस, गिरि, लू, रगड़।

(३) नीचे लिखी संज्ञाओं के विरुद्ध लिंग वाले शब्द लिखो और यदि उनके अर्थ मे कोई विशेषता हो तो उसे स्पष्ट करो—

ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, शेर, बाघिन, सती, युवती, राजा, भील, कौवा, क्षत्रियाणी, बहिन, मालन, नट, चेला, बारिस्टर, काली, कवि, कारीगर, कौआ, कोयल।

तीसरा पाठ

संज्ञा का वचन

लड़का आया है।	लड़के आए हैं।
लड़की आई है।	लड़कियाँ आई हैं।
पुस्तक खो गई।	पुस्तकें खो गई।
नौकर को बुलाओ।	नौकरों को बुलाओ।

१७५—संज्ञाओं के रूपांतर से संख्या का भी ज्ञान होता है। ऊपर लिखे वाक्यों में बाईं ओर जो रेखांकित संज्ञाएँ हैं उनसे एक-एक

वस्तु का बोध होता है और दाहिनी ओर लिखी रेखांकित संज्ञाओं से एक से अधिक वस्तुएँ सूचित होती हैं। एक वस्तु सूचित करनेवाली संज्ञा एकवचन और एक से अधिक वस्तुओं का बोध करानेवाली संज्ञा बहुवचन कहाती है।

संज्ञा के जिस रूप से संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। बहुधा एकवचन संज्ञा ही को, रूप बदलकर, बहुवचन बना लेते हैं; जैसे,

लड़का—लड़के	माता—माताएँ
लड़की—लड़कियाँ	बहू—बहुएँ
पुस्तक—पुस्तकें	नौकर को—नौकरों को

(अ) आदर के लिये भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है; जैसे, राजा के बड़े बेटे आए हैं। तुम अभी लड़के हो। राम प्रजा को प्यारे थे।

१७६—बहुधा जातिवाचक संज्ञा ही बहुवचन में आती है। जब व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएँ भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्ति, गुण अथवा द्रव्य सूचित करती हैं तब उनका प्रयोग बहुवचन में होता है; जैसे,

व्यक्तिवाचक—तीन राम प्रसिद्ध हैं। हिमालय में कई प्रयाग हैं।

भाववाचक—मनुष्य की कई दशाएँ होती हैं।

ईश्वर की लीलाएँ जानी नहीं जातीं।

द्रव्यवाचक—बाजार में कई तेल बिकते हैं।

ये दोनों सोने चोखे हैं।

१७७—कई एक संज्ञाएँ बहुत्व की भावना के कारण बहुधा बहुवचन में आती हैं; जैसे,

समाचार—वहाँ के समाचार नहीं मिले।

प्राण—उसके प्राण गए।

दाम—इस घड़ी के क्या दाम हैं।

भाग्य—भिखारी के भाग्य खुल गए।
दर्शन – लोगों को महात्मा के दर्शन हुए।

एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम

१७८—हिंदी में संज्ञाओं के बहुवचन के दो रूप होते हैं—
(१) विभक्ति-रहित[1] (२) विभक्ति-सहित।

विभक्ति-रहित बहुवचन बनाने के नियम

पुल्लिंग

लड़का—लड़के	घोड़ा—घोड़े
कपड़ा—कपड़े	बच्चा—बच्चे
लोटा—लोटे	रास्ता—रास्ते

(१) हिंदी आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का विभक्तिरहित बहुवचन अंत्य आ के स्थान में ए करने से बनता है।

अपवाद (१) साला, भानजा, भतीजा, बेटा, पोता आदि आकारांत संबंध-सूचक संज्ञाओं को छोड़ शेष आकारांत संबंधवाचक संज्ञाएँ और उपनाम वाचक तथा प्रतिष्ठावाचक पुल्लिंग संज्ञाएँ दोनों वचनों में एक-सी रहती हैं; जैसे, आजा, काका, मामा, लाला, पंडा, सूरमा।

(२) "बाप-दादा" संज्ञा का बहुवचन दोनों प्रकार का होता है; जैसे, "बाप-दादे जो कर गए हैं, वही करना चाहिए"। "उनके बाप-दादा मेघ की आवाज सुनकर डर जाते थे"। मुखिया, अगुआ और पुरखा इसी प्रकार की संज्ञाएँ हैं।

(३) संस्कृत की आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएँ दोनों वचनों में एक-सी रहती हैं; जैसे, पिता, भ्राता, युवा, देवता, योद्धा, कर्ता।

(२) आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़ शेष पुल्लिंग संज्ञाएँ दोनों वचनों में एक-सी रहती हैं; जैसे,

विद्वान्—विद्वान्	चौबे—चौबे

१—"विभक्ति" शब्द का अर्थ चौथे पाठ में समझाया जायगा।

बालक—बालक — राजा—राजा
मुनि—मुनि — जौ—जौ
भाई—भाई — कोदों—कोदों
साधु—साधु — एक विद्वान् आया।
डाकू—डाकू — कई विद्वान् आए।

स्त्रीलिंग

बहिन—बहिनें — गाय—गाएँ — भैंस—भैंसे

(१) अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन अंत्य स्वर के बदले एँ करने से बनता है।

तिथि—तिथियाँ — शक्ति—शक्तियाँ — टोपी—टोपियाँ
रीति—रीतियाँ — लड़की—लड़कियाँ — डाली—डालियाँ

(२) इकारांत और ईकारांत संज्ञाओं में "ई" को ह्रस्व करके "याँ" जोड़ते हैं।

बुढ़िया—बुढ़ियाँ — गुड़िया—गुड़ियाँ
डिबिया—डिबियाँ — खटिया—खटियाँ
लुटिया—लुटियाँ — चिड़िया—चिड़ियाँ

(३) याकारांत (ऊनवाचक) संज्ञाओं के अंत में केवल अनुनासिक जोड़ा जाता है।

---

(४) शेष स्त्रीलिंग शब्दों में अंत्य स्वर के परे "एँ" जोड़ते हैं; और "ऊ" को ह्रस्व कर देते हैं; जैसे,

लता—लताएँ — वस्तु—वस्तुएँ
कन्या—कन्याएँ — बहू—बहुएँ
माता—माताएँ — लू—लुएँ

(५) सानुनासिक ओकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएँ दोनों वचनों में एक ही रहती हैं; जैसे, जोखों, सरसों, गौं ।

उर्दू संज्ञाएँ

(१) उर्दू शब्दों के बहुवचन में बहुधा हिंदी प्रत्यय लगाए जाते हैं; जैसे,

शाहज़ादा—शाहज़ादे	शादी—शादियाँ
बेगम—बेगमें	ख़ाला—ख़ालाएँ

(२) अप्राणिवाचक संज्ञाओं में बहुधा "आत" जोड़ा जाता है; जैसे,

काग़ज़—काग़ज़ात	देह (गाँव)—देहात
मकान—मकानात	तसलीम—तसलीमात

(३) प्राणिवाचक संज्ञाओं में बहुधा "आन" जोड़ते हैं; जैसे,

साहिब—साहिबान	गवाह—गवाहान
मालिक—मालिकान	बिरादर—बिरादरान

(४) कई एक संज्ञाओं का बहुवचन अनियमित रूप से बनाया जाता है ; जैसे,

अमीर—उमरा	हाल—अहवाल
क़ायदा—क़वाइद	ख़बर—अख़बार
किताब—कुतुब	हर्फ़—हुरूफ़

(५) कई एक उर्दू आकारांत संज्ञाएँ भी संस्कृत आकारांत संज्ञाओं के समान दोनों वचनों में एक ही रहती हैं; जैसे, सौदा, दरिया, मियाँ ।

१७९—जिन मनुष्यवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं उनके बहुवचन में बहुधा "लोग" शब्द जोड़ देते हैं ; जैसे, ऋषि लोग, राजा लोग, आर्य लोग, साहिब लोग ।

(क) गण, जाति, जन, वर्ग आदि समूह-वाचक नाम भी बहुवचन के अर्थ में आते हैं ; जैसे, बालक-गण, तारा-गण, देव-जाति, विद्वज्जन, पाठक-वर्ग ।

१८०—पदार्थों की बड़ी संख्या, परिमाण या समूह सूचित करने के

लिये जाति-वाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुधा एकवचन में करते हैं; जैसे, मेले में केवल शहर का आदमी आया था। उसने बहुत रुपया कमाया। इस साल आम बहुत आया है।

६०—विभक्ति-सहित बहुवचन बनाने के नियम पाँचवें पाठ में लिखे आयँगे।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञाओं का वचन कारण-सहित बताओ—

कलकत्ते से हम रंगून पहुँचे। इस छोटे-से देश ने पचास वर्ष में बड़ी उन्नति कर ली है। उनके वस्त्र बिलकुल निराले होते हैं। वह सब फल खा गया। उन बेचारों की दशा बड़ी ही शोचनीय है। नदी प्यासों की प्यास बुझाती है। लड़को, तुमने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं। जंगल में कई झोपड़ियाँ थीं। बड़े कड़ाही में तले जाते हैं। लड़कों को बुरी आदतें छोड़ना चाहिए। कई धातुएँ औषधि के काम आती हैं। वहाँ से कोई समाचार नहीं आए। संसार में अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं। बाजार में कई प्रकार के नमक मिलते हैं।

२—नीचे लिखी संज्ञाओं का उपयोग एक-एक वाक्य बनाकर भिन्न-भिन्न वचनों में करो—सहायता, फल, राम, तिथि, धेनु, जीव।

चौथा पाठ

संज्ञा के कारक

(१) लड़का पुस्तक पढ़ता है।	(५) पिता ने उससे पुस्तक ली।
(२) पिता ने लड़के को पढ़ाया।	(६) उसकी पुस्तक नई है।
(३) पिता लड़के से बात करता है।	(७) लड़के में बुद्धि है।
(४) पिता लड़के को पुस्तक पढ़ाता है।	(८) लड़के, पिता की आज्ञा मान।

६१—ऊपर लिखे वाक्यों में "लड़का" संज्ञा और "उस" सर्वनाम

क्रिया से अथवा दूसरे शब्द से भिन्न-भिन्न प्रकार का संबंध रखते हैं। पहले वाक्य में "लड़का" संज्ञा से "पढ़ता है" क्रिया के कर्त्ता का बोध होता है, इसलिये "लड़का" संज्ञा को कर्त्ता-कारक कहते हैं। दूसरे वाक्य में "पढ़ाना" क्रिया का फल "लड़के को" संज्ञा पर पड़ता है; इसलिये "लड़के को" संज्ञा कर्म-कारक कहाती है। तीसरे वाक्य में "लड़के से" संज्ञा से "करता है" क्रिया की संगति का बोध होता है। चौथे वाक्य में "पढ़ाता है" क्रिया का फल पहले "पुस्तक" संज्ञा पर और फिर "लड़के को" संज्ञा पर पड़ता है। इस प्रकार "लड़का" संज्ञा का संबंध क्रिया से भिन्न भिन्न प्रकार का है। पाँचवें वाक्य में "उससे" सर्वनाम से "ली" क्रिया का अलगाव सूचित होता है। छठे वाक्य में "उसकी" सर्वनाम से "पुस्तक" संज्ञा का संबंध पाया जाता है।

संज्ञा वा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया वा दूसरे शब्द के साथ सूचित किया जाता है, उसे कारक कहते हैं।

संज्ञा वा सर्वनाम का संबंध क्रिया अथवा दूसरे शब्द से बताने के लिये उसके साथ जो अक्षर अर्थात् चिह्न लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं; जैसे, ने, को, से, का, में।

१८२—हिंदी में आठ कारक होते हैं जिनके नाम और विभक्तियाँ नीचे लिखी जाती हैं—

कारक	विभक्ति
(१) कर्त्ता	०, ने
(२) कर्म	को
(३) करण	से
(४) संप्रदान	को
(५) अपादान	से
(६) संबंध	का—के—की
(७) अधिकरण	में, पर
(८) संबोधन	हे, अजी, अरे

कारकों के लक्षण

(१) कर्त्ता-कारक संज्ञा (या सर्वनाम) के उस रूप को कहते हैं जिससे क्रिया के कर्त्ता (अथवा उद्देश्य) का बोध होता है, जैसे, लड़का जाता है। लड़की ने काम किया। वह अभी तक नहीं आया। पुस्तक लिखी जायगी।

जिस कर्त्ता के लिंग-वचन-पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग-वचन-पुरुष होते हैं वह प्रधान कर्त्ता कहलाता है और उसके साथ कोई चिह्न नहीं आता। जिस कर्त्ता के लिंग-वचन-पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग-वचन-पुरुष नहीं होते वह अप्रधान कर्त्ता कहाता है, और उसके साथ "ने" विभक्ति आती है। (ने चिह्न के उपयोग के लिये अ॰ २२१ देखो।)

(२) जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है उसे सूचित करनेवाले संज्ञा (या सर्वनाम) के रूप को कर्म-कारक कहते हैं, जैसे, लड़का फल तोड़ता है। नौकर ने कोठा झाड़ा। हम उसको बुलावेंगे।

जब कर्म निश्चित रहता है तब उसके साथ कर्म-कारक की 'को' विभक्ति आती है; जैसे, लड़का फल को तोड़ता है। नौकर ने कोठे को झाड़ा। जो कर्म वाक्य में उद्देश्य होकर आता है वह कर्त्ता-कारक में रहता है; जैसे, पुस्तक लिखी जायगी। नौकर काम पर भेजा गया था।

(३) करण-कारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे साधन (द्वारा) का बोध होता है, जैसे, नौकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। धन परिश्रम से प्राप्त होता है।

(४) जिस वस्तु के लिये क्रिया की जाती है उसे सूचित करनेवाला संज्ञा का रूप संप्रदान-कारक कहलाता है; जैसे, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। गुरु शिष्य को गणित पढ़ाता है। वे घूमने को गए हैं।

जब वाक्य में कर्म और संप्रदान, दोनों कारक आते हैं तब कर्म-कारक के साथ 'को' विभक्ति नहीं आती; जैसे, सिपाही ने लड़का माँ को सौंपा। वे सबको बात समझाते हैं।

(५) अपादान-कारक संज्ञा का वह रूप है जिससे क्रिया का अलगाव

पाया जाता है ; जैसे, पेड़ से फल गिरा। नौकर गाँव से आवेगा। गाड़ी दिल्ली से चलेगी।

करण और अपादान, दोनों कारकों की विभक्ति "से" है; पर उसके अलग-अलग अर्थ हैं; जैसे, सिपाही ने तलवार से शत्रु का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस उदाहरण में "तलवार से" करण-कारक और "धड़ से" अपादान-कारक है।

(६) संज्ञा के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है उसे संबंध-कारक कहते हैं; जैसे, राजा का पुत्र, लड़के की पुस्तक, घर के लोग।

संबंध-कारक का अर्थ विशेषण के समान होता है; जैसे, घर का काम = घरू काम, जंगल का जानवर = जंगली जानवर, महाजन की चाल = महाजनी चाल। संबंध-कारक की विभक्तियाँ (का-के-की) संबंधी शब्द (विशेष्य) के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलती हैं। इस कारक का संबंध क्रिया से नहीं होता किंतु किसी दूसरे शब्द से होता है।

(७) अधिकरण-कारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे क्रिया का आधार सूचित होता है; जैसे, लोटे में पानी है। बंदर पेड़ पर चढ़ा। मैं यह बात मन में रखूँगा। यह काम एक वर्ष में हुआ।

आधार दो प्रकार का होता है—(१) आभ्यंतर (भीतरी) और (२) बाह्य (बाहरी)। पहले की विभक्ति "में" और दूसरे की "पर" है। दोनों प्रकार के आधारों से स्थान और काल का अर्थ सूचित होता है।

(८) संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या चेताने का बोध होता है उसे संबोधन-कारक कहते हैं; जैसे, लड़के, इधर आ। हे भाइयो, मेरी बात मानो।

संबोधन कारक का संबंध क्रिया अथवा किसी दूसरे शब्द से नहीं होता। इसकी कोई विभक्ति भी नहीं है; इसलिये इसके पहले कोई एक विस्मयादि-बोधक लगा दिया जाता है।

१८३—विभक्तियों के बदले किसी-किसी कारक में संबंध-सूचक आते हैं; जैसे,

करण—द्वारा, ज़रिए, कारण, मारे।

संप्रदान—प्रति, लिये, हेतु, निमित्त, अर्थ, वास्ते।

अपादान—अपेक्षा, बनिस्बत, सामने, आगे।

अधिकरण—बीच, मध्य, भीतर, अंदर, ऊपर।

१८४—विभक्तियों और संबंध-सूचकों में यह अंतर है कि विभक्तियाँ संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर सार्थक होती हैं; परंतु संबंध-सूचक स्वयं सार्थक रहते हैं; क्योंकि वे स्वतंत्र शब्द हैं। "तलवार से" शब्द के साथ "से" विभक्ति आई; पर "तलवार के द्वारा" वाक्यांश के साथ "द्वारा" शब्द आया है, यद्यपि दोनों का अर्थ समान है।

१८५—किसी संज्ञा या सर्वनाम का अर्थ स्पष्ट करने के लिये जो शब्द आता है उसे उस संज्ञा या सर्वनाम का समानाधिकरण शब्द कहते हैं; जैसे, मेरा भाई मोहन आज आया है। इस वाक्य में "मोहन" संज्ञा "भाई" संज्ञा का अर्थ स्पष्ट करती है; इसलिये "मोहन" संज्ञा "भाई" संज्ञा का समानाधिकरण शब्द है। इसी प्रकार "राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे", इस वाक्य में "राजा" शब्द "दशरथ" संज्ञा का समानाधिकरण है।

समानाधिकरण शब्द उसी कारक में आता है जिसमें मुख्य संज्ञा या सर्वनाम रहता है। ऊपर के उदाहरणों में "मोहन" और "राजा" संज्ञाएँ कर्ता कारक में हैं; क्योंकि मुख्य संज्ञाएँ "भाई" और "दशरथ" कर्ता-कारक में आई हैं।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञाओं और सर्वनामों के कारक बताओ—

घोड़ा जंगल में भाग गया। लड़के पतंग उड़ाते हैं। हम मोहन को पहचानते हैं। पानी से पौधे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। एक दीन मनुष्य मिट्टी से झोपड़ा

बनाता था। राम ने अपने मित्र, श्याम को बुलाया। सबसे छोटे लड़के को पुरस्कार दिया जायगा, रोगी मृत्यु से बच गया। नौकर काम पर नहीं आता। भाइयो, नशा करना बुरा होता है। उनको बाहर जाने में डर लगता था। दिल्ली बहुत काल तक हिंदुओं की राजधानी रही। लड़के, तू अपने पिता की आज्ञा क्यों नहीं मानता। मनुष्य के जीवन के लिये अन्न, पानी और हवा बहुत आवश्यक है। "समरथ कहँ नहि दोष, गुसाईं।"

पाँचवाँ पाठ

संज्ञाओं की कारक-रचना

लड़का—लड़के ने	राजा—राजा ने
छोटा—छोटे को	पिता—पिता को
घड़ा—घड़े से	काका—काका से

१८९—हिंदी की आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के एकवचन में विभक्ति के पहले 'आ' के स्थान में 'ए' हो जाता है; पर संबंध-वाचक और संस्कृत आकारांत संज्ञाओं में कोई विकार नहीं होता। बाईं ओर की संज्ञाएँ विकारी और दाहिनी ओर की अविकारी हैं। विकारी संज्ञाओं का बदला हुआ रूप विकृत रूप कहलाता है।

विभक्ति-सहित बहुवचन बनाने के नियम

घर—घरों को	डिबिया—डिबियों में
बात—बातों में	मुखिया—मुखियों का
लड़का—लड़कों से	बाप-दादा—बाप-दादों ने

(१) अकारांत, विकारी आकारांत और आकारांत संज्ञाओं के अंत्य 'आ' के बदले 'ओं' लाया जाता है।

मुनि—मुनियों ने	तिथि—तिथियों का
हाथी—हाथियों का	नदी—नदियों में

(२) ईकारांत संज्ञाओं के अंत्य स्वर के पश्चात् 'यों' जोड़ा जाता है। "ई" को ह्रस्व कर देते हैं।

रासो—रासों को	सरसों—सरसों का
कोदों—कोदों से	गौ—गौं में

(३) ओकारांत संज्ञाओं में केवल अनुस्वार जोड़ा जाता है और अनुस्वार-युक्त ओकारांत तथा औकारांत संज्ञाओं में कोई विकार नहीं होता।

राजा—राजाओं ने	साधु—साधुओं का
काका—काकाओं को	चौबे—चौबेओं में
माता—माताओं से	जौ—जौओं में
धेनु—धेनुओं का	डाकू—डाकुओं पर

(४) शेष संज्ञाओं के अंत्य स्वर के पश्चात् 'ओ' लगाया जाता है। 'ऊ' को ह्रस्व कर देते हैं।

---

(५) संबोधन कारक के बहुवचन में अनुस्वार नहीं आता; जैसे, हे लड़को, हे भाइयो, हे साधुओ।

(६) "बेटा" और "बच्चा" संज्ञाएँ संबोधन-कारक के एकवचन में बहुधा अविकृत रहती हैं; जैसे, हे बेटा, तुम कहाँ हो ? अरे बच्चा, यहाँ आ।

१८७—नीचे संज्ञाओं की कारक-रचना के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं।

पुंल्लिंग संज्ञाएँ

(१) अकारांत

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	बालक, बालक ने	बालक, बालकों ने
कर्म-संप्रदान	बालक को	बालकों को
करण-अपादान	बालक से	बालकों से
संबंध	बालक का-के-की	बालकों का-के-की
अधिकरण	बालक में, बालक पर	बालकों में, बालकों पर
संबोधन	हे बालक	हे बालको

(२) आकारांत (विकारी)

कर्ता	लड़का, लड़के ने	लड़के, लड़कों ने
कर्म-संप्रदान	लड़के को	लड़कों को
करण-अपादान	लड़के से	लड़कों से
संबंध	लड़के का-के-की	लड़कों का-के-की
अधिकरण	लड़के में, लड़के पर	लड़कों में, लड़कों पर
संबोधन	हे लड़के	हे लड़को

(३) आकारांत (अविकारी)

कर्ता	राजा, राजा ने	राजा, राजाओं ने
कर्म-संप्रदान	राजा को	राजाओं को
संबोधन	हे राजा	हे राजाओ

(४) आकारांत (वैकल्पिक)

कर्ता	बाप-दादा	बाप-दादा, बाप-दादे
	बाप-दादा ने, बाप दादे ने	बाप-दादाओं ने, बाप-दादों ने
कर्म-संप्रदान	बाप-दादा को, बाप-दादे को	बाप-दादाओं को, बाप-दादों को
संबोधन	हे बाप-दादा, हे बाप-दादे	हे बाप-दादाओ, हे बाप-दादो

(५) इकारांत

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	मुनि, मुनि ने	मुनि, मुनियों ने
कर्म-संप्रदान	मुनि को	मुनियों को
संबोधन	हे मुनि	हे मुनियो

स्त्रीलिंग संज्ञाएँ

(१) अकारांत

कर्त्ता	बहिन, बहिन ने	बहिनें, बहिनों ने
कर्म-संप्रदान	बहिन को	बहिनों को
संबोधन	हे बहिन	हे बहिनो

(२) आकारांत (संस्कृत)

कर्त्ता	शाला, शाला ने	शालाएँ, शालाओं ने
कर्म-संप्रदान	शाला को	शालाओं को
संबोधन	हे शाला	हे शालाओ

(३) याकारांत (हिंदी)

कर्त्ता	गुड़िया, गुड़िया ने	गुड़ियाँ, गुड़ियों ने
कर्म-संप्रदान	गुड़िया को	गुड़ियों को
संबोधन	हे गुड़िया	हे गुड़ियो

(४) ईकारांत

कर्त्ता	देवी, देवी ने	देवियाँ, देवियों ने
कर्म-संप्रदान	देवी को	देवियों को
संबोधन	हे देवी	हे देवियो

(५) औकारांत

कर्त्ता	गौ, गौ ने	गौएँ, गौओं ने

कर्म-संप्रदान	गो को	गौओं को
संबोधन	हे गो	हे गौओ

सूचना—ऊपर जिन कारकों के रूप नहीं दिए गए हैं उनके रूप दूसरे कारकों के अनुसार बनाए जा सकते हैं।

१८८—संस्कृत संज्ञाओं का मूल एकवचन संबोधन-कारक भी उच्च हिंदी के गद्य और पद्य में लाया जाता है; जैसे,

(१) व्यंजनांत संज्ञाएँ—राजन्-राजन्, श्रीमत्-श्रीमन्, भगवत्-भगवन्, महात्मन्-महात्मन्, स्वामिन्-स्वामिन्।

(२) आकारांत संज्ञाएँ—सीता-सीते, राधा-राधे, नर्मदा-नर्मदे, प्रिया-प्रिये, आशा-आशे।

(३) इकारांत संज्ञाएँ—हरि-हरे, मुनि-मुने, रति-रते, शांति-शांते, सीतापति-सीतापते।

(४) ईकारांत संज्ञाएँ—पुत्री-पुत्रि, देवी-देवि, जननी-जननि, सरस्वती-सरस्वति, लक्ष्मी-लक्ष्मि।

(५) उकारांत—बंधु-बंधो, प्रभु-प्रभो, गुरु-गुरो, धेनु-धेनो।

(६) ऋकारांत—पितृ-पितः, मातृ-मातः, दातृ-दातः, भ्रातृ-भ्रातः।

अभ्यास

१—नीचे लिखी संज्ञाओं की कारक रचना उनके सामने लिखे हुए कारकों और वचनों में करो—

(क) "घोड़ा"—सब कारकों के दोनों वचनों में।

(ख) "काका"—कर्ता, कर्म और संबोधन कारकों के दोनों वचनों में।

(ग) "माली"—विभक्ति-रहित कर्ता और संबोधन कारकों के दोनों वचनों में।

(घ) "बहिन"—विभक्ति-रहित कर्ता और कर्म कारकों के दोनों वचनों में।

(ङ) "माता"—संबंध कारक के बहुवचन में।

संज्ञा की पूर्ण व्याख्या

वाक्य—चिड़ियाँ भी मनुष्य की तरह रात को अपने बाल-बच्चों को लेकर अपने-अपने घर अर्थात् घोंसले में चुपचाप सोया करती हैं।

चिड़ियाँ—संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्त्ता-कारक, "सोया करती हैं" क्रिया का कर्त्ता।

मनुष्य की—संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, संबंध-कारक संबंधी शब्द "तरह"।

तरह—संज्ञा, भाववाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, करण-कारक ("से" विभक्ति लुप्त है), इसकी क्रिया "सोया करती हैं"।

"तरह" संबंधसूचक भी हो सकता है; क्योंकि इसकी विभक्ति का लोप हुआ है और यह "मनुष्य की" संज्ञा का संबंध "सोया करती हैं" क्रिया से मिलता है।

रात को—संज्ञा, भाववाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्मकारक के रूप में अधिकरण-कारक, इसकी क्रिया "सोया करती हैं"।

बाल-बच्चों को—संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक, "लेकर" सकर्मक, पूर्वकालिक क्रिया का कर्म।

घर—संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, अधिकरण-कारक, 'घोंसले' संज्ञा का समानाधिकरण, इसकी क्रिया "सोया करती हैं"।

घोंसले में—संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, अधिकरण-कारक इसकी क्रिया "सोया करती हैं"।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञाओं की पूर्ण व्याख्या करो—

संसार में घोड़े का आदर प्राचीन काल से है। राजा दशरथ की तीन रानियाँ थीं—कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। हर साल खेत में फसल बोने से भूमि का सत्व नष्ट हो जाता है। उस समय राजपुताने की रियासत, बूँदी में होमा नाम के एक क्षत्रिय राज करते थे। कपास का बीज बोने के पहले धरती तैयार की जाती है। महाराज, कृपाकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए।

चंडाल के घर दास बनकर रहते हुए महाराज हरिश्चंद्र को सीमा से अधिक कष्ट होने लगा। राक्षस बाण की चोट से कराहता हुआ स्वर्ग को सिधारा।

छठा पाठ

सर्वनाम की कारक-रचना

विभक्ति-रहित बहुवचन

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
मैं	हम	सो	सो
तू	तुम	आप	आप
यह	ये	जो	जो
वह	वे	कौन	कौन
		क्या	क्या
		कोई	कोई
		कुछ	कुछ

१८९—पुरुष-वाचक और निश्चय-वाचक सर्वनामों को छोड़ शेष सर्वनाम विभक्ति-रहित बहुवचन में एकवचन के समान रहते हैं।

१९०—सर्वनामों का रूप लिंग के कारण नहीं बदलता और न इसमें संबोधन-कारक होता है। "आप", "कोई", "क्या" और "कुछ" को छोड़ शेष सर्वनामों के कर्म और संप्रदान कारकों में दो-दो रूप होते हैं। उदा०—

सर्वनाम	एकवचन		बहुवचन
मैं	मुझको वा मुझे	पुल्लिंग	हमको वा हमें
यह	इसको वा इसे	वा	इन को वा इन्हें
वह	उसको वा उसे	स्त्रीलिंग	उनको वा उन्हें
कौन	किसको वा किसे		जिनको वा जिन्हें

पुरुष-वाचक सर्वनामों की कारक-रचना

उत्तम पुरुष, "मैं"

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	मैं, मैंने	हम, हमने
कर्म-संप्रदान	मुझको वा मुझे	हमको वा हमें
करण-अपादान	मुझसे	हमसे
संबंध	मेरा-रे-री	हमारा-रे-री
अधिकरण	मुझमें, मुझपर	हममें, हमपर

मध्यम पुरुष "तू"

कर्ता	तू, तूने	तुम, तुमने
कर्म-संप्रदान	तुझको वा तुझे	तुमको वा तुम्हें
करण-अपादान	तुझसे	तुमसे
संबंध	तेरा-रे-री	तुम्हारा रे-री
अधिकरण	तुझमें, तुझपर	तुममें, तुमपर

१९१—पुरुषवाचक सर्वनामों के एकवचन में कर्ता और संबंध-कारक को छोड़ शेष कारकों में "मैं" का विकृत रूप "मुझ" और "तू" का "तुझ" है। संबंध-कारक के एकवचन में "मैं" का विकृत रूप "मे" और "तू" का "ते" होता है और बहुवचन में क्रमशः "हमा" और "तुम्हा" आते हैं। इस कारक की विभक्तियाँ रा-रे-री हैं। शेष कारकों में कोई विकार नहीं होता।

निश्चयवाचक सर्वनामों की कारक-रचना

निकटवर्ती, "यह"

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	यह, इसने	ये, इनने वा इन्होंने
कर्म-संप्रदान	इसको वा इसे	इनको वा इन्हें

करण-अपादान	इससे	इनसे
संबंध	इसका-के-की	इनका-के-की
अधिकरण	इसमें, इसपर	इनमें, इनपर

दूरवर्त्ती, "वह"

कर्त्ता	वह, उसने	वे, उनने वा उन्होंने
कर्म-संप्रदान	उसको वा उसे	उनको वा उन्हें
करण-अपादान	उससे	उनसे
संबंध	उसका-के-की	उनका-के-की
अधिकरण	उसमें, उसपर	उनमें, उनपर

१९२—एकवचन में "यह" का विकृत रूप "इस" और "वह" का "उस" है। बहुवचन में क्रमशः "इन" और "उन" आते हैं।

"सो" का विकृत रूप एकवचन में "तिस" और बहुवचन में "तिन" होता है। इस सर्वनाम के रूपों के बदले बहुधा "वह" के रूपों का प्रचार है; जैसे, तिसने = उसने, तिनको = उनको, तिसका = उसका।

संबंध-वाचक सर्वनाम "जो"

कर्त्ता	जो, जिसने	जो, जिनने वा जिन्होंने
कर्म-संप्रदान	जिसको, जिसे	जिनको, जिन्हें
संबंध	जिसका-के-की	जिनका-के-की

प्रश्नवाचक सर्वनाम, "कौन"

कर्त्ता	कौन, किसने	कौन, किनने, किन्होंने
कर्म-संप्रदान	किसको, किसे	किनको, किन्हें
संबंध	किसका-के-की	किनका-के-की

१९३—संबंध-वाचक सर्वनाम "जो" और प्रश्नवाचक सर्वनाम "कौन" के रूप "यह" के नमूने पर बनते हैं। इनके विकृत रूप एकवचन में क्रमशः "जिस" और "किस" और बहुवचन में "जिन" और "किन" हैं।

आदर-सूचक सर्वनाम "आप"

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	आप, आपने	आप लोग, आप लोगों
कर्म-संप्रदान	आपको	आप लोगों को
संबंध	आपका-के-की	आप लोगों का-के-की

१९४—विभक्ति के योग से आदर-सूचक "आप" विकृत रूप में नहीं आता। इसके बहुवचन में "लोग" या "सब" जोड़ते हैं।

निजवाचक सर्वनाम "आप"

कर्त्ता	आप	×
कर्म-संप्रदान	अपने को वा आपको	×
करण-अपादान	अपने से वा आप से	×
संबंध	अपना-ने-नी	×

१९५—निजवाचक सर्वनाम दोनों वचनों में एक-सा रहता है। इसका विकृत रूप "अपना" है जो संबंध कारक में आता है। इसके कर्त्ता में "ने" विभक्ति नहीं आती; पर दूसरी विभक्तियों के पूर्व, हिंदी आकारांत संज्ञा के समान, इनके विकृत रूप में अंत्य आ के बदले ए हो जाता है। "अपना" के बदले "आप" के साथ भी, विकल्प से, विभक्तियाँ जोड़ी जाती हैं।

(क) कभी-कभी "अपना" और "आप" संबंध कारक को छोड़ शेष कारकों में मिलकर आते हैं; जैसे, अपने-आप, अपने-आपको, अपने-आप में।

(ख) "आप" से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, "आपस" का उपयोग बहुधा संबंध और अधिकरण कारकों में होता है; जैसे, आपस की लड़ाई, आपस में लड़ना।

प्रश्न-वाचक सर्वनाम "क्या"

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	क्या	×

कर्म	क्या	×
करण-अपादान	काहे	×
संप्रदान	काहे को	×
संबंध	काहे का-के-की	×
अधिकरण	काहे में, काहे पर	×

१९६—प्रश्नवाचक सर्वनाम, "क्या" की कारक-रचना नहीं होती। यह इसी रूप में केवल कर्त्ता और कर्म कारकों के विभक्ति-रहित एकवचन में आता है। दूसरे कारकों में "क्या" के बदले "काहे" के साथ विभक्तियाँ जोड़ी जाती हैं।

(अ) "काहे से" और "काहे को" का प्रयोग बहुधा "क्यों" के अर्थ में होता है; जैसे, वह यह बात काहे से कहता है? तुम वहाँ काहे को गए थे? "क्योंकि" के अर्थ में कभी-कभी "काहे से कि" आता है; जैसे, शकुंतला मुझे बहुत प्यारी है, काहे से कि वह मेरी सहेली की बेटी है। "काहे का" का अर्थ कभी-कभी "निरर्थक" होता है; जैसे, वह काहे का ब्राह्मण है?

अनिश्चय-वाचक सर्वनाम "कोई"

कर्त्ता	कोई, किसी ने	कोई-कोई, किसी-किसी ने
कर्म-संप्रदान	किसी को	किसी-किसी को
संबंध	किसी का-के-की	किसी-किसी का-के-की

१९७—"कोई" का विकृत रूप एकवचन में "किसी" है जो बहुवचन में दुहराया जाता है। और सर्वनामों के समान बहुवचन में इसका अलग विकृत रूप नहीं है।

(क) कोई-कोई लेखक "किन्हीं ने" "किन्हीं को" "किन्हीं का" आदि रूप लिखते हैं; पर ये सर्व-संमत नहीं हैं।

अनिश्चय-वाचक सर्वनाम, "कुछ"

१९८—प्रश्नवाचक "क्या" के समान "कुछ" की भी कारक-रचना नहीं होती। यह भी इसी रूप में केवल विभक्ति-रहित कर्त्ता और कर्म

के एकवचन में आता है। जब "कुछ" का प्रयोग "कोई" के अर्थ में होता है तब इसके साथ संबोधन को छोड़ शेष कारकों की विभक्तियाँ बहुवचन में आती हैं; जैसे, कुछ ने चंदा दिया है। कुछ का नाम अच्छा है। कुछ में यह दोष पाया जाता है।

अभ्यास

१—नीचे लिखे सर्वनामों की कारक-रचना उनके आगे लिखे हुए कारकों में करो—

(अ) मैं—संबंध-कारक के दोनों वचनों में।

(आ) तू—अधिकरण-कारक के बहुवचन में।

(इ) वह—करण-कारक के एकवचन में।

(ई) कौन—विभक्ति-रहित कर्ता और कर्म के एकवचन में।

(उ) जो—कर्म और संप्रदान कारकों के दोनों वचनों में।

(ऊ) कोई—सब कारकों में।

सर्वनाम की पूर्ण व्याख्या

वाक्य—यह सच है कि जो कोई दूसरे के लिये गड्ढा खोदता है वह आप उसमें गिरता है।

यह—सर्वनाम, निश्चयवाचक, निकटवर्ती, अंतिम उपवाक्य के बदले आया, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, इसकी क्रिया "है"।

जो-कोई—संयुक्त संबंध-वाचक सर्वनाम, लुप्त "मनुष्य" संज्ञा के बदले आया, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता-कारक, इसकी क्रिया "खोदता है"।

दूसरे के लिये—अनिश्चय-वाचक विशेषण, यहाँ सर्वनाम की तरह आया, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, संप्रदान कारक, इसकी क्रिया "खोदता है"।

वह—निश्चयवाचक सर्वनाम, दूरवर्ती, "जो कोई" संबंध-वाचक सर्वनाम का नित्य संबंधी, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता-कारक, इसकी क्रिया "गिरता है"।

आप—निजवाचक सर्वनाम, "वह" सर्वनाम के बदले आया, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्त्ता-कारक, इसकी क्रिया "गिरता है" "वह" का समानाधिकरण।

उसमें—निश्चयवाचक सर्वनाम, "गढ़ा" संज्ञा के बदले आया, अन्य-पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, अधिकरण कारक, इसकी क्रिया "गिरता" है"।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनामों की पूर्ण व्याख्या करो—

मेरा प्यारा भक्त वह है जो किसी से द्रोह नहीं करता। जो जिसके गुण को जानता है वह उसे आदर देता है। आप कृपा कर उन्हें मेरे पास भेज देवें अथवा अपने पास बुला लेवें। ऐसा कौन होगा जो अपनी आत्मा से विरोध करेगा! क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। अपनी माता के सिवा अपना कोई नहीं है। सबको अपनी-अपनी पड़ी है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि जिसका जिसपर सत्य प्रेम होता है वह उसे मिलता है। एक आता है, एक जाता है। ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता।

सातवाँ पाठ

विशेषण का रूपांतर

छोटा	लड़का	बड़ा	पेड़
छोटी	लड़की	बड़ी	डाल
छोटे	लड़के	बड़े	पत्ते

१९९—हिंदी में आकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग-वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं; पर उनमें कारक की विभक्तियाँ नहीं लगतीं। आकारांत विशेषण को छोड़ दूसरे विशेषणों में कोई विकार नहीं होता; जैसे, गोल मुँह, गोल टोपी; भारी बोझ, भारी लकड़ी, सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री।

अपवाद—नाना, सवा, उमदा, जमा और जरा इन आकारांत विशेषणों में कोई विकार नहीं होता; जैसे, नाना प्रकार के, सवा सेर, सवा रत्ती में, उमदा कपड़ा, उमदा टोपियाँ।

आकारांत विशेषण में विकार होने के नियम

छोटे लड़के गए।	तुम कौन से घर में रहते हो?
वह ऊँचे पेड़ पर चढ़ा।	सिपाही बड़े फाटक तक आया।

(१) पुल्लिंग विशेष्य बहुवचन में हो अथवा उसके पश्चात् विभक्ति वा संबंध-सूचक आवे तो विशेषण के अंत्य 'आ' के बदले 'ए' होता है।

छोटी लड़की आई।	आज पाँचवीं तारीख है।
वह ऊँची डाल पर चढ़ा।	तुम कौन सी कक्षा में हो?
सूखी पत्तियाँ गिर गईं।	लताएँ हरी हैं।

(२) स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ विशेषण के अंत्य "आ" के बदले "ई" आती है।

(३) यदि विशेष्य कर्म-कारक में विभक्ति-सहित हो तो उसका विधेय-विशेषण बहुधा अविकृत रहता है; जैसे, गाड़ी को खड़ा करो। मैंने लड़कों को खड़ा पाया।

२००—आकारांत संबंध-सूचक (जो अर्थ में विशेषण के समान होते हैं), आकारांत विशेषण के समान, विशेष्य के अनुसार बदलते हैं; जैसे, प्रताप सरीखे वीर, दुर्गावती जैसी रानी, हाथी का सा बल।

मुझ दीन को	किसी देश का
तुम मूर्ख से	जिन गाँवों से
उस घर में	जिन लोगों से

२०१—आकारांत को छोड़ शेष सार्वनामिक विशेषण विभक्त्यंत वा संबंध-सूचकांत विशेष्य के साथ अपने विकृत-रूप में आते हैं।

अ५०—"कोई" सार्वनामिक विशेषण कालवाचक संज्ञा के अधिकरण कारक में बहुधा अविकृत रहता है; जैसे, कोई घड़ी में, कोई दम में।

२०२—जब विशेषणों का उपयोग संज्ञा के समान होता है तब संज्ञा के समान उनकी कारक-रचना होती है; जैसे, बड़े को, छोटों से, नीचों का, दीन पर।

गुणवाचक विशेषण की तुलना

१०३—हिंदी में विशेषणों की तुलना करने के लिये उनका रूप नहीं बदलता। तुलना का अर्थ नीचे लिखे नियमों के अनुसार प्रकट किया जाता है—

(१) जिस वस्तु के साथ अधिकता या न्यूनता की तुलना करते हैं उसका नाम अपादान कारक में आता है और जिस वस्तु की तुलना करते हैं उसका नाम विशेषण के साथ आता है; जैसे, राम से श्याम बड़ा है। चाँदी से सोना महँगा होता है। पौधा पेड़ से छोटा होता है।

(२) अपादान कारक के बदले बहुधा संज्ञा या सर्वनाम के साथ "अपेक्षा" वा "बनिस्बत" (उर्दू) संबंध-सूचक आते हैं और विशेषण (अथवा संज्ञा के संबंध-कारक) के पहले, अर्थ के अनुसार, 'अधिक' (ज्यादा) वा 'कम' विशेषण का उपयोग करते हैं; जैसे, वह मेरी अपेक्षा अधिक चतुर है। दौलत के बनिस्बत ईमान ज्यादा कीमती है। ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि अधिक महत्त्व की है। राम श्याम से कम सावधान है।

(अ) अधिकता के अर्थ में कभी-कभी "बढ़कर" या "कहीं" क्रिया-विशेषण आता है; जैसे, उनसे बढ़कर धनी कौन है? वे मुझसे कहीं सुखी हैं।

(३) सर्वोत्तमता सूचित करने के लिये विशेषण के पहले "सब से" सर्वनाम लगाते हैं और जिस वस्तु से तुलना करते हैं उसका नाम अधिकरण-कारक में रखते हैं; जैसे, वे नेताओं में सबसे बड़े हैं। राजकुमारों में सबसे जेठे को गद्दी दी जाती है।

(४) सर्वोत्तमता दिखाने के लिये कभी-कभी विशेषण को दुहराते हैं अथवा पहले विशेषण को अपादान-कारक में रखते हैं, जैसे, बड़े-बड़े विद्वान् भी ईश्वर की लीला को नहीं समझ सकते। अच्छे से अच्छा मनुष्य भी कुसंगति में पड़ जाता है।

२०४—संस्कृत गुणवाचक विशेषणों की, तुलना की दृष्टि से, तीन अवस्थाएँ होती हैं—(१) मूलावस्था (२) उत्तरावस्था (३) उत्तमावस्था।

(१) विशेषण के जिस रूप से कोई तुलना सूचित नहीं होती उसे मूलावस्था कहते हैं; जैसे, उच्च स्थान, नम्र स्वभाव, घोर पाप।

(२) विशेषण के जिस रूप से दो वस्तुओं में से किसी एक के गुण की अधिकता या न्यूनता जानी जाती है उसे उत्तरावस्था कहते हैं। यह रूप "तर" प्रत्यय लगाने से बनता है; जैसे, घोरतर पाप, दृढ़तर प्रमाण गुरुतर दोष।

(३) उत्तमावस्था विशेषण के उस रूप को कहते हैं जिससे दो से अधिक वस्तुओं में से किसी एक के गुण की अधिकता या न्यूनता सूचित होती है। इस रूप की रचना "तम" प्रत्यय लगाने से होती है, जैसे उच्चतम आदर्श, लघुतम संख्या, प्राचीनतम काव्य।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में विशेषणों के रूपांतर का कारण बताओ—

बुरे कर्म का फल बुरा होता है। वह लड़की सुशीला है। लंबे खेल उपयोगी होते हैं। इसके भीतर से दूध सरीखा रस निकलता है। ऐसे नियम कड़े समझे जाते हैं। इस विषय में बड़े-बड़े पंडितों का मत अधूरा है। राम ने पिता के वचनों को पूरा किया। पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है। चाणक्य अपनी पुरानी कुटी में चला गया। राज्य की सीमा कम होने लगी। लड़की की अपेक्षा लड़का अधिक परिश्रमी है। ये नौकर बाहर से आए हैं। किसी-किसी मनुष्य की प्रवृत्ति सरलता की ओर होती है।

२—नीचे लिखे वाक्यों को कारण-सहित शुद्ध करो—

पुराने छत में एक चौड़ा नाली है। मैंने टोपी को उलटी पहिना। श्याम का छोटा भाई को बुलाओ। वहाँ कई सुंदरियाँ लड़कियाँ थी। ईश्वर की इच्छा बलवान् है। आप कौन घर में रहते हैं। मेरे अपेक्षा वह चतुर है। उन लोग ऐसा कहते है। पुरुषों की शिक्षा स्त्रियों की शिक्षा से उच्च होना चाहिए।

विशेषणों की पूर्ण व्याख्या

वाक्य—उसके एक पैर के निशान इतने गहरे न थे जितने बाकी तीन पैरों के थे इसलिये मुझे जान पड़ा कि ऊँट लँगड़ा है।

एक—विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, "पैर" संज्ञा की विशेषता बताता है, पुल्लिंग, एकवचन।

गहरे—विशेषण, गुणवाचक, "निशान" संज्ञा की विशेषता बताता है, पुल्लिंग, बहुवचन, विधेय-विशेषण होकर आया।

बाकी—अनिश्चित-संख्या-वाचक विशेषण, "पैरों" संज्ञा की विशेषता बताता है, पुल्लिंग, बहुवचन।

तीन—निश्चित-संख्या-वाचक विशेषण, "पैरों" संज्ञा की विशेषता बताता है, पुल्लिंग, बहुवचन।

अभ्यास

१—नीचे लिखे हुए वाक्यों में विशेषणों की पूर्ण व्याख्या करो—

किसी शिकार ने एक मोटे-ताजे हिरन को वन में चरते देखा। उनको एक तीसरा आदमी मिला। कौआ बड़ा कपटीला होता है। मेरे पिता प्यासे है। यहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी खूब वेग से चलाई। उनका प्रण बहुत समय तक न चला। वे दोनों बगीचे के दूसरे भाग में गए। शेष बनियों ने इस गीत का अर्थ तुरंत समझ लिया। आम का पत्ता चौड़ा और घास का सकरा होता है। कागज कई रंग और मेल का होता है। घोड़े के कान सुडौल, खड़े और नुकीले रहते हैं; पर गधे के कानों की अपेक्षा छोटे रहते हैं।

आठवाँ पाठ

क्रिया का वाच्य

नौकर लकड़ी काटता है।	लकड़ी काटी जाती है।
माली ने फूल तोड़ा।	फूल तोड़ा गया।
लड़का चिट्ठी लिखेगा।	चिट्ठी लिखी जायगी।
वह पुस्तक लावे।	पुस्तक लाई जावे।

२०५—बाईं ओर के वाक्यों में क्रियाओं के द्वारा उनके कर्ताओं के विषय में कहा गया है; पर दाहिनी ओर के वाक्यों में क्रियाएँ अपने कर्मों के विषय में कुछ कहती हैं। बाईं ओर की क्रियाएँ कर्तृवाच्य और दाहिनी ओर की कर्मवाच्य कहाती हैं। दोनों प्रकार की क्रियाएँ अर्थ में एक ही हैं, पर उनके रूपों में अंतर है जिससे जाना जाता है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है। अकर्मक क्रियाओं में कर्मवाच्य नहीं होता, क्योंकि उनमें कर्म नहीं रहता।

२०६—कर्तृवाच्य क्रिया का कर्म कर्मवाच्य में उद्देश्य होकर कर्ता कारक में आता है और यदि इसमें मुख्य कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता हो तो उसे करण कारक में रखते हैं; जैसे, बढ़ई कुरसी बनाता है (कर्तृवाच्य), बढ़ई से (या बढ़ई के द्वारा) कुरसी बनाई जाती है (कर्मवाच्य)। लड़का चिट्ठी लिखेगा (कर्तृ०), लड़के के द्वारा चिट्ठी लिखी जायगी (कर्म०)।

(क) कोई-कोई लेखक भूल से कर्तृवाच्य के कर्म को कर्मवाच्य में भी कर्मकारक में रखते हैं; जैसे नौकर को बुलाया गया, लड़के को वहाँ भेजा जायगा। धन को काम में लाया जाता है।

२०७—हिंदी में कर्मवाच्य बहुधा नीचे लिखे अर्थों में आता है—

(क) जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो अथवा उसके प्रकट करने की आवश्यकता न हो; जैसे, चोर पकड़ा गया है। आज सब लोग बुलाए जाएँगे।

(ख) गौरव जताने के लिये अधिकारियों और कचहरी की भाषा में;

जैसे, आज हुक्म सुनाया जायगा। तुमको शिक्षा दी जाती है। इस मामले की जाँच की जावे।

(ग) शक्यता या अशक्यता के अर्थ में; जैसे, रोगी से अन्न खाया जाता है। हमसे तुम्हारी बात न सही जायगी।

२०८—द्विकर्मक क्रियाओं के कर्मवाच्य में मुख्य कर्म उद्देश्य होता है और गौण कर्म जैसा का तैसा रहता है; जैसे,

कर्तृवाच्य	कर्मवाच्य
राजा ब्राह्मण को दान देता है।	ब्राह्मण को दान दिया जाता है।
गुरु शिष्य को गणित सिखाता था।	शिष्य को गणित सिखाया जाता था।
राम श्याम को चिट्ठी भेजेगा।	श्याम को चिट्ठी भेजी जायगी।

लड़का दौड़ता है।	लड़के से दौड़ा जाता है।
रोगी बैठता है।	रोगी से बैठा जाता है।
लड़की अब चलेगी।	लड़की से अब चला जायगा।
बूढ़ा उठ नहीं सकता था।	बूढ़े से उठा नहीं जाता था।

२०९—इन उदाहरणों में बाईं ओर की अकर्मक क्रियाएँ कर्तृवाच्य में हैं, क्योंकि वे अपने कर्ताओं के विषय में विधान या कथन करती हैं; पर दाहिनी ओर की क्रियाएँ कर्ता के विषय में कुछ नहीं कहतीं। इनसे केवल क्रिया के भाव का बोध होता है, इसलिये इन्हें भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य क्रिया बहुधा शक्यता अथवा अशक्यता के अर्थ में आती है।

२१०—कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक, दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में और भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है; जैसे—

कर्तृवाच्य	कर्मवाच्य	भाववाच्य
लड़की पुस्तक पढ़ती है।	पुस्तक पढ़ी जाती है।	
नौकर चलता था।	०	नौकर से चला जाता है।

वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे जाना जाता है कि क्रिया के द्वारा कर्त्ता के विषय में कुछ गया है या कर्म के विषय में अथवा केवल भाव के विषय में।

२११—वाच्य तीन प्रकार के होते हैं—(१) कर्तृवाच्य (२) कर्मवाच्य (३) भाववाच्य।

(१) कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे जाना जाता है कि क्रिया का उद्देश्य उसका कर्त्ता है; जैसे, लड़का दौड़ता है। लड़की पुस्तक पढ़ती है। नौकर ने कोठा झाड़ा।

(२) क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे जाना जाता है कि क्रिया का उद्देश्य उसका कर्म है; जैसे, कपड़ा सिया जाता है। चिट्ठी अभी भेजी गई है। मुझसे यह भार न उठाया जायगा।

(३) क्रिया का वह रूप भाववाच्य कहाता है जिससे जाना जाता है कि क्रिया का उद्देश्य उसका कर्त्ता या कर्म नहीं है किन्तु केवल उसका भाव है; जैसे यहाँ कैसे बैठा जायगा ? धूप में चला नहीं जाता। रोगी से अब कुछ उठा-बैठा जाता है।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में क्रियाओं के वाच्य कारण-सहित बताओ—

तुम चतुर हो। सोने के सिक्के बनाए जाते हैं। रद्दी कागज पुड़ियाँ बाँधने के काम आता है। एक आदमी ने उस साँप को लकड़ी पर उठा लिया। यह खेल बहुधा गाँवों में खेला जाता है। प्रकाश तथा हवा के लिये झरोखे रखे गए हैं। कई स्थानों में लोहा पाया जाता है। रस्सी से मस्त हाथी बाँधे जा सकते हैं। उससे चुप नहीं बैठा जाता। जबलपुर के दरीखाने में आजकल कैदी लड़के रखे जाते हैं। उसने खाने-पीने का सामान इकट्ठा किया। धूप के दिनों में मिट्टी को गोड़ते हैं। बिना बोले किसी से रहा नहीं जाता। जाड़े में बाहर कैसे सोया जायगा ?

२—ऊपर के वाक्यों में क्रियाओं के वाच्य बदलो।

३—नीचे लिखी सकर्मक क्रियाओं को कर्मवाच्य में और अकर्मक क्रियाओं को भाववाच्य में बदलो—

बढ़ई लकड़ी चीरता है। लड़की चल नहीं सकती। रोगी कुछ नहीं खा सकता। लड़कों ने धरती खोद डाली। क्या कोई कंकड़ों में लेट सकता है? वह पुस्तक पढ़ता है। धोबी कपड़े धोवेगा। राजा युद्ध करता होगा। माली पेड़ों को पानी देता तो मालिक उसे नौकरी से न निकालता।

नवाँ पाठ

क्रिया का अर्थ

१—लड़का पुस्तक पढ़ता है।
२—संभव है कि लड़का पुस्तक पढ़े।
३—लड़के, पुस्तक पढ़।
४—लड़का पुस्तक पढ़ता होगा।
५—लड़का पुस्तक पढ़ता तो अच्छा होता।

२१२—ऊपर के वाक्यों में "पढ़ना" क्रिया भिन्न-भिन्न रूपों में और भिन्न-भिन्न अर्थों में आई है। पहले वाक्य में "पढ़ता है" क्रिया के द्वारा एक निश्चित विधान या कथन किया गया है। दूसरे वाक्य में "पढ़े" क्रिया संभावना प्रगट करती है। तीसरे वाक्य में "पढ़" क्रिया से आज्ञा सूचित होती है। इसी प्रकार चौथे वाक्य में पढ़ता होगा" क्रिया से संदेह और पाँचवें वाक्य में "पढ़ता" क्रिया से संकेत अर्थात् शर्त पाई जाती है। प्रत्येक क्रिया एक भिन्न प्रकार का विधान करती है।

क्रिया के विधान करने की रीति को अर्थ कहते हैं।

२१३—क्रिया के मुख्य अर्थ पाँच हैं—(१) निश्चयार्थ (२) संभावनार्थ (३) संदेहार्थ (४) आज्ञार्थ (५) संकेतार्थ।

(१) क्रिया के जिस रूप से कोई निश्चित विधान या प्रश्न किया जाता है उसे निश्चयार्थ कहते हैं; जैसे, लड़का आता है। नौकर चिठ्ठी नहीं लाया। क्या आदमी न आवेगा?

(२) संभावनार्थ क्रिया से अनुमान, इच्छा, कर्तव्य आदि का बोध होता है; जैसे, कदाचित् पानी बरसे (अनुमान), तुम्हारी जय हो (इच्छा), राजा को उचित है कि प्रजा का पालन करे (कर्तव्य), वह आवे तो मैं जाऊँ (संभावना)।

(३) क्रिया के जिस रूप से, आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, आदि का, बोध होता है उसे आज्ञार्थ कहते हैं; जैसे, तुम जाओ (आज्ञा), बैठिए (प्रार्थना), सदा सत्य बोलो (उपदेश)।

(४) जिस क्रिया से विधान में संदेह पाया जाता है उसे संदेहार्थ कहते हैं, जैसे लड़का आता होगा। नौकर गया होगा।

(५) संकेतार्थ क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य-कारण का संबंध रखनेवाली दो क्रियाओं की असिद्धि सूचित होती है; जैसे, यदि आप आते तो मैं जाता। जो वह पढ़ता तो अवश्य सफल होता।

दसवाँ पाठ

क्रिया के काल

नौकर चिट्ठी लाता है।
नौकर चिट्ठी लाया।
नौकर चिट्ठी लावेगा।

२१२—ऊपर के वाक्यों में "लाना" क्रिया भिन्न-भिन्न रूपों में आई है—लाता है, लाया, लावेगा। इन रूपों से भिन्न-भिन्न समय का बोध होता है। "लाता है" क्रिया से चलते हुए समय का, "लाया" से बीते हुए समय का और "लावेगा" से आनेवाले समय का अर्थ सूचित होता है।

क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे, व्याकरण में काल कहते हैं।

२१५—काल मुख्य तीन प्रकार के हैं—(१) वर्तमान (२) भूत (३) भविष्यत्।

(१) वर्तमान काल की क्रिया से चलते हुए समय का बोध होता है; जैसे, गाड़ी आती है। माँ बच्चे को सुलाती है। चिट्ठी भेजी जाती है।

(२) जिस क्रिया से बीता हुआ समय सूचित होता है उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं; जैसे, गाड़ी आई। माँ ने बच्चे को सुलाया। चिट्ठी भेजी गई।

(३) जो क्रिया आनेवाला समय बताती है वह भविष्यत्-काल की क्रिया कहाती है।

काल	सामान्य	अपूर्ण	पूर्ण
वर्तमान	मैं चलता हूँ	(मैं चल रहा हूँ)	मैं चला हूँ
भूत	मैं चला	मैं चलता था	मै चला था
भविष्यत्	मैं चलूँगा	(चलता रहूँगा)	(मैं चल चुकूँगा)

२१६—ऊपर लिखे वाक्यों में "चलना" क्रिया के मुख्य कालों के और भी रूप दिए गए हैं। इनसे जाना जाता है कि प्रत्येक काल की सामान्य अवस्था के सिवा अपूर्ण और पूर्ण अवस्थाएँ भी होती हैं। अपूर्ण अवस्था से जाना जाता है कि कार्य का आरंभ हो गया, पर समाप्ति नहीं हुई; और पूर्ण अवस्था से सूचित होता है कि कार्य की समाप्ति हो गई। इस प्रकार क्रिया के काल से कार्य का केवल समय ही सूचित नहीं होता, किंतु उसकी अपूर्ण और पूर्ण अवस्था भी सूचित होती है।

२१७—तीनों कालों की तीनों अवस्थाओं के विचार से उनके नौ

भेद होते हैं, पर कोष्ठक में दिए हुए तीन रूप संयुक्त क्रियाओं के हैं (अं० २५६); इसलिये हिंदी में कालों की अवस्था के अनुसार उनके केवल छः भेद माने जाते हैं—(१) सामान्य (२) पूर्ण वर्तमान (३) सामान्य भूत (४) अपूर्ण भूत (५) पूर्ण भूत (६) सामान्य भविष्यत् ।

(१) सामान्य वर्तमानकाल से जाना जाता है कि कार्य का आरंभ बोलने (वा लिखने) के समय हुआ है; जैसे, हवा चलती है । लड़का पुस्तक पढ़ता है । चिट्ठी भेजी जाती है ।

(२) पूर्ण वर्तमान काल से सूचित होता है कि भूत-काल का कार्य वर्तमान काल में समाप्त हुआ है; जैसे, पानी गिरा है । नौकर आया है । चिट्ठी भेजी गई है ।

सू०—कोई-कोई लेखक इस काल को आसन्न भूत कहते हैं, क्योंकि यह भूत काल की समीपता सूचित करता है ।

(३) सामान्य भूतकाल की क्रिया से जाना जाता है कि कार्य बोलने (वा लिखने) के पहले समाप्त हुआ; जैसे, पानी गिरा । नौकर आया । चिट्ठी भेजी गई ।

(४) अपूर्ण भूतकाल से सूचित होता है कि कार्य भूतकाल में होता रहा; जैसे, गाड़ी आती थी । चिट्ठी लिखी जाती थी । नौकर कोठा झाड़ता था ।

(५) पूर्ण भूतकाल से ज्ञात होता है कि कार्य को भूतकाल में पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका; जैसे, नौकर चिट्ठी लाया था । सेना लड़ाई पर भेजी गई थी । आर्यों ने दक्षिण में प्रवेश किया था ।

(६) सामान्य भविष्यत् काल की क्रिया से जाना जाता है कि कार्य का आरंभ होनेवाला है, जैसे, नौकर चिट्ठी लाएगा । सेना लड़ाई पर भेजी जायगी । हम पुस्तक पढ़ेंगे ।

२६८—सब अर्थों और अवस्थाओं के अनुसार कालों के सोलह भेद होते हैं जिनके नाम और उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

काल	निश्चयार्थ	भावनार्थ	आज्ञार्थ	संदेहार्थ	संकेतार्थ
वर्त्तमान	(१) सामान्य वर्त्तमान-वह चलता है	(७) संभाव्य वर्त्तमान-वह चलता हो	(१०) प्रत्यक्ष विधि तू चल	(१२) संदिग्ध वर्त्तमान वह चलता होगा	×
	(२) पूर्ण वर्त्तमान-वह चला है	×	×	×	×
	(३) सामान्य भूत-वह चला	(८) संभाव्य भूत-वह चला हो	×	(१३) संदिग्ध भूत-वह चला होगा	१४ सामान्य संकेतार्थ-वह चलता
	(४) अपूर्ण भूत-वह चलता था	×	×	×	१५ अपूर्ण संकेतार्थ-वह चलता होता
	(५) पूर्ण भूत वह चला था	×	×	×	१६ पूर्ण संकेतार्थ वह चला होता
भविष्यत्	(६) सामान्य भविष्यत्-वह चलेगा	(९) संभाव्य भविष्यत् वह चले	११ परोक्ष विधि-तू चलना	×	×

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में क्रियाओं के अर्थ और काल बताओ—

मध्य भारत के कई स्थानों में लुटेरे बसते थे। उसने अपने ही हाथ से सात सौ मनुष्य मार डाले थे। हम शीघ्र ही किसी न किसी द्वीप में पहुँचेंगे। लंका द्वीप के निवासी जंगली थे। राजा ने उसे नए-नए द्वीप खोजने के लिये भेजा। पुरी में कई मंदिर हैं। इन्होंने परिश्रम करके उच्च पद पाया है। वे लोग गधे पर बैठना बुरा नहीं समझते। राजा ने आज्ञा दी कि उस मनुष्य को भीतर बुलाओ। यदि लड़का पिता का कहना मानता तो उसकी यह दुर्दशा न होती। इस समय गाड़ी आई होगी। यदि देश में बुद्ध धर्म का प्रचार न हुआ होता तो अहिंसा की सीमा न रहती। जब तेरा पति

तुझपर क्रोध करे तब तू इस औषधि को पी लेना। हम लोगों को यह न चाहिए कि हम किसी की नकल करें।

ग्यारहवाँ पाठ

क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन

प्रयोग

पुल्लिंग

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उत्तम	मैं जाता हूँ	हम जाते हैं
मध्यम	तू जाता है	तुम जाते हो
अन्य	वह जाता है	वे जाते हैं

स्त्रीलिंग

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उत्तम	मैं जाती हूँ	हम जाती हैं
मध्यम	तू जाती है	तुम जाती हो
अन्य	वह जाती है	वे जाती हैं

२१९—क्रियाओं में पुरुषवाचक सर्वनामों के समान तीन पुरुष (उत्तम, मध्यम और अन्य) और संज्ञाओं के समान दो लिंग (पुल्लिंग और स्त्रीलिंग) तथा दो वचन (एकवचन और बहुवचन) होते हैं।

अप०—संभाव्य भविष्यत् और विधि-कालों में लिंग के कारण कोई विकार नहीं होता; जैसे,

पु०—मैं जाऊँ	स्त्री०—मैं जाऊँ
पु०—तुम जाओ	स्त्री०—तुम जाओ

"होना" (स्थितिदर्शक) क्रिया के सामान्य वर्त्तमान काल में भी लिंग के कारण कोई हेर-फेर नहीं होता; जैसे,

पु०—मैं हूँ । स्त्री०—मैं हूँ

२२०—हिंदी आकारांत विशेषण के समान क्रियाओं में पुल्लिंग एकवचन का प्रत्यय आ, पुल्लिंग बहुवचन का ए, स्त्रीलिंग एकवचन का ई और स्त्रीलिंग बहुवचन का कहीं ई और कहीं ईं है; जैसे,

लिंग	एकवचन	बहुवचन
पुल्लिंग	मैं चला	हम चले
स्त्रीलिंग	मैं चली	हम चलीं

सू०—आकारांत क्रियाओं में पुरुष के कारण कोई रूपांतर नहीं होता; जैसे, मैं गया, तू गया, वह गया।

२२१—अकर्मक क्रियाओं के पुरुष, लिंग और वचन कर्ता के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। जिस क्रिया के पुरुष-लिंग-वचन कर्ता के पुरुष-लिंग-वचन के अनुसार होते हैं उसे कर्तरि-प्रयोग कहते हैं। कर्तरि-प्रयोग क्रिया के कर्ता के साथ "ने" चिह्न नहीं आता।

लड़के ने पुस्तक पढ़ी। लड़की ने फल तोड़ा था।
लड़के ने पुस्तकें पढ़ी थीं। लड़की ने फल तोड़े थे।
लड़कों ने खेल देखा होगा। लड़कियों ने खेल देखा है।

२२२—सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों के पुरुष-लिंग-वचन विभक्ति-रहित कर्म के पुरुष-लिंग-वचन के अनुसार होते हैं। जिस क्रिया के पुरुष-लिंग-वचन कर्म के पुरुष-लिंग-वचन के अनुसार होते हैं उसे कर्मणि-प्रयोग कहते हैं। कर्मणि-प्रयोग क्रिया के कर्ता के साथ "ने" चिह्न आता है; पर कर्म के साथ "को" चिह्न नहीं आता। शेष कालों में सकर्मक क्रियाएँ कर्तरि प्रयोग में आती हैं।

अप०—बकना, बोलना, भूलना, लाना, जानना और समझना सकर्मक क्रियाएँ सदा कर्तरि-प्रयोग में आती हैं; जैसे, वह कुछ नहीं बोला, हम पुस्तक लाए। आप मेरी बात नहीं समझे। यात्री मार्ग भूला होगा।

हमने लड़की को देखा। माँ ने लड़के को बुलाया।
लड़कियों ने भाई को भेजा। सिपाही ने लड़कों को पकड़ा।

२२१—जब कर्ता के साथ "ने" चिह्न और कर्म के साथ "को" चिह्न रहता है तब क्रिया के पुरुष-लिंग-वचन न कर्ता के अनुसार होते हैं और न कर्म के अनुसार। यह क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन में रहती है। जिस क्रिया के पुरुष-लिंग-वचन कर्ता वा कर्म के अनुसार नहीं होते उसे भावे-प्रयोग कहते हैं।

(क) नहाना, छींकना, खाँसना आदि अकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत से बने कालों में कर्ता के साथ "ने" चिह्न आता है और ये क्रियाएँ भावे-प्रयोग में रहती हैं; जैसे, मैंने नहाया। किसी ने छींका है। रोगी ने खाँसा होगा।

वाच्य और प्रयोग का मिलान

वाच्य	प्रयोग
कर्तृवाच्य	(१) कर्तरि-प्रयोग—लड़का पत्र लिखता है।
	लड़की पुस्तक पढ़ती है।
	(२) कर्मणि-प्रयोग—लड़के ने पुस्तक पढ़ी।
	लड़की ने पत्र लिखा।
	(३) भावे-प्रयोग—लड़के ने पुस्तक को पढ़ा।
	लड़की ने पत्र को लिखा।
कर्मवाच्य	कर्मणि-प्रयोग—पुस्तक पढ़ी गई।
	पत्र लिखा गया।
भाववाच्य	भावे-प्रयोग—मुझसे चला जाता है।
	उससे बैठा नहीं जाता।

सू०—संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग के लिये २७७ अंक देखो।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में कारण-सहित क्रियाओं के प्रयोग बताओ—कदाचित् खम्भ फूटा हो। मैं तुम्हारे घर पर कल आऊँगा। तुम मुझे

मिलना। इस समय नौकर काम पर गया होगा। किसी ने मुझे इसका कारण नहीं बताया है। धन से विद्या श्रेष्ठ है। लड़की ने बहिन को देखा। रोगी ने कुछ नहाया। कई बुलाए गए, पर थोड़े चुने गए। मुझसे अकेला नहीं रहा जाता। स्त्री ने भाई को पत्र भेजा था। लड़का बहुत बढ़ा। गाय बछड़ा जनी। पंडितों ने अपनी संमति दी थी। पुत्रों ने पिता की आज्ञाओं को पाला है। सिपाहियों ने चोरों को पकड़ा था। नौकरानी ने कहा कि मैं काम करूँगी।

बारहवाँ पाठ

कृदंत

१—विकारी

पढ़ना लाभकारी है। वह पढ़कर विद्वान् हो गया।

पढ़ा हुआ मनुष्य आदर पाता है। पढ़ते समय अर्थ पर ध्यान दो।

२२४—इन वाक्यों में क्रिया से बने हुए शब्द आए हैं जिनका उपयोग दूसरे शब्द-भेदों के समान हुआ है। पहले वाक्य में "पढ़ना" शब्द संज्ञा है, क्योंकि उससे एक कार्य का नाम सूचित होता है। दूसरे वाक्य में "पढ़ा हुआ" शब्द विशेषण है, क्योंकि वह "मनुष्य" संज्ञा की विशेषता बताता है। तीसरे वाक्य में "पढ़कर" शब्द क्रिया-विशेषण के समान आया है क्योंकि वह "हो गया" क्रिया की विशेषता बताता है। चौथे वाक्य में "पढ़ते" शब्द विशेषण है, क्योंकि उसका अर्थ "पढ़ने के" संबंध-कारक के समान है। क्रिया से बने हुए जो शब्द दूसरे शब्दों के समान उपयोग में आते हैं वे कृदंत कहाते हैं।

पढ़ना लाभकारी है। पढ़ने में असावधानी मत करो।

हँसना स्वास्थ्य को बढ़ाता है। हँसने से लाभ होता है।

धीरे चलना अच्छा है। बच्चे को चलना सिखाया जाता है।

२२५—ऊपर लिखे वाक्यों में क्रिया से बने शब्दों का उपयोग संज्ञा के समान हुआ है; इसलिये उन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। वे

संज्ञाएँ क्रिया के साधारण रूप में रहती हैं और संबोधन को छोड़ शेष कारकों के एकवचन में आती हैं। इनकी कारक-रचना हिंदी आकारांत पुल्लिंग संज्ञा के समान होती है।

गानेवाला आया है।
लिखनेवाले को बुलाओ।
आनेवाले आ गए।
पीसनेवाली आयगी।
छानेवाले मजदूर को भेजो।
गाड़ी आनेवाली है।

२२६—क्रियार्थक संज्ञा के विकृत रूप में "वाला" (हारा) जोड़ने से कर्त्तृवाचक संज्ञा बनती है। इसका उपयोग विशेषण के समान भी होता है। कभी-कभी इससे भविष्यत्काल का भी अर्थ पाया जाता है। इसका रूप आकारांत विशेषण के समान विशेष्य के लिंग-वचन के अनुसार बदलता है।

बहता पानी हवा से साफ होता है।
चलती हुई गाड़ी में मत बैठो।
उसने उड़ते हुए पक्षी को मारा।

२२७—क्रियार्थक संज्ञा के अंत्य "ना" का लोप करने से जो अंश बचता है उसे धातु कहते हैं। जैसे, जाना—जा, करना—कर। धातु के अंत में "ता" जोड़ने से वर्त्तमान-कालिक कृदंत विशेषण बनता है। यह विशेषण विशेष्य के लिंग-वचन के अनुसार बदलता है। इसके साथ बहुधा "हुआ" शब्द जोड़ देते हैं जिसमें मुख्य शब्द के अनुसार रूपांतर होता है।

बचा हुआ अन्न गरीबों को दिया गया।
मनुष्य को खुले मैदान में घूमना चाहिए।

दबी बिल्ली चूहों से कान कटाती है।

२२८—ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द भूतकालिक कृदंत विशेषण के उदाहरण हैं। इसके साथ भी बहुधा "हुआ" जोड़ते हैं जो "होना" क्रिया का भूतकालिक कृदंत विशेषण है। ये विशेषण भी विशेष्य के अनुसार अपना रूप बदलते हैं।

भूतकालिक कृदंत विशेषण बनाने के नियम ये हैं—

(१) आकारांत धातु के अंत में "आ" जोड़ते हैं; जैसे,

बोल—बोला	पहचान—पहचाना
डर—डरा	मार—मारा
चमक—चमका	खींच—खींचा

(२) धातु के अंत में आ, ई, ए, वा ओ हो तो धातु के अंत में य करके आ जोड़ते हैं; जैसे,

खा—खाया	खे—खेया
पी—पिया	बो—बोया
जी—जिया	डुबो—डुबोया

सू०—दीर्घ "ई" को ह्रस्व कर देते हैं।

(३) ऊकारांत धातु के "ऊ" को ह्रस्व करके उसके पश्चात् "आ" जोड़ते हैं; जैसे,

चू—चुआ	छू—छुआ

(४) नीचे लिखे भूतकालिक कृदंत विशेषण नियम-विरुद्ध बने हैं—

हो—हुआ (हुई)	दे—दिया (दी)
कर—किया (की)	ले—लिया (ली)
जा—गया (गई)	मर—मरा, मुआ (मरी, मुई)

२२९—अकर्मक क्रिया से बना हुआ भूतकालिक कृदंत विशेषण कर्तृवाच्य और सकर्मक क्रिया से बना हुआ कर्मवाच्य होता है; जैसे,

अकर्मक—आया हुआ माल, झड़े पत्ते, बढ़ी हुई घास।

सकर्मक—जोता हुआ खेत, भेजे हुए कपड़े, तपाई हुई चाँदी।

सू०—सकर्मक कृदंत के साथ "हुआ" के बदले कभी-कभी "जाना" क्रिया का भूतकालिक कृदंत "गया" जोड़ते हैं; जैसे, बोया गया खेत, भेजे गए कपड़े, तपाई गई चाँदी।

२—अविकारी—(अव्यय)

वह अपने घर से निकल जंगल की राह ली। उनको समझा के मेरे पास लाओ। इतनी कथा कह मुनि ने राजा को समझाया। वह अँगुली पकड़ के पहुँचा पकड़ता है। लड़का रोटी खाकर पाठशाला को जाता है। अच्छा स्थान देखकर वे वहाँ ठहरे।

२३०—पूर्वकालिक कृदंत अव्यय धातु के रूप में रहता है अथवा धातु के अंत में "कर" अथवा "के" जोड़ने से बनता है। इसका उपयोग बहुधा मुख्य क्रिया के पहले होनेवाले कार्य की समाप्ति के अर्थ में, क्रिया-विशेषण के समान, होता है। इसका रूप नहीं बदलता; इसलिये इसे अव्यय कहते हैं।

२३१—पूर्वकालिक कृदंत और मुख्य क्रिया का उद्देश्य बहुधा एक ही रहता है, पर कभी-कभी पूर्वकालिक कृदंत के साथ अलग उद्देश्य आता है; जैसे, चार बजकर दस मिनट हुए हैं। इस ओषधि से थकावट दूर होकर बल बढ़ता है। इस व्यापार में खर्च जाकर कुछ बचत होती है।

उसने आते ही उपद्रव मचाया। लड़की चलते ही गिर पड़ी।
चिट्ठी पाते ही सिपाही जायगा। रोगी उठते ही चिल्लाता है।

२३२—तात्कालिक कृदंत अव्यय बनाने के लिये वर्तमान-कालिक कृदंत विशेषण के अंत्य ता को ते करके उसके आगे "ही" जोड़ते हैं। इससे मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले कार्य की समाप्ति का बोध होता है। यह कृदंत भी अव्यय है और क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में आकर मुख्य क्रिया की विशेषता बताता है।

२३३—तात्कालिक कृदंत और मुख्य क्रिया का उद्देश्य बहुधा एक ही रहता है; पर कभी-कभी तात्कालिक कृदंत का उद्देश्य भिन्न

रहता है और यदि वह प्राणिवाचक हो तो संबंध-कारक में आता है; जैसे, राजा ने सिंहासन पर बैठते ही अन्याय आरंभ किया। दिन निकलते ही चोर भाग गए। आपके आते ही उपद्रव शांत हुआ।

लड़की बाहर निकलते डरती है।

मुझे रास्ता चलते कष्ट न होगा।

जंगल में घूमते हुए मैंने एक हरिण देखा।

राम को वन में रहते चौदह वर्ष बीते।

२३४—ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत कहाते हैं; क्योंकि इनसे मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले कार्य की अपूर्णता सिद्ध होती है। इस कृदंत का रूप तात्कालिक कृदंत के समान होता है; पर इसमें "ही" नहीं जोड़ी जाती। इस कृदंत का उद्देश्य बहुधा संप्रदान कारक में आता है।

इस बात को हुए दस बरस बीत गए।

इतनी रात गए तुम क्यों आए।

लड़का हाथ में पुस्तक लिए हुए आया।

दिन निकले सब लोग चले गए।

२३५—ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के उदाहरण हैं। इस कृदंत से मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार की पूर्णता सूचित होती है। यह कृदंत भूतकालिक कृदंत के अंत्य "आ" के बदले "ए" करने से बनता है।

२३६—अपूर्ण क्रियाद्योतक और पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंतों के साथ बहुधा "होना" क्रिया के पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत का रूप "हुए" लगाते हैं। ये दोनों कृदंत भी अव्यय और क्रिया-विशेषण हैं।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में कृदंतों के भेद बताओ—

इतना वचन ज्योतिषियों के मुख से निकलते ही राजा भीष्मक ने अति सुख मान बड़ा आनंद किया। वह ब्राह्मण टीका लिए चला-चला शिशुपाल की सभा में पहुँचा। वह प्रभु का नाम लेता द्वारका को गया। तोरण-बंदनवार बँधे हुए हैं। वे कहते सुनते से पढ़ने लगे। वहाँ गाँव की रहनेवाली एक स्त्री आई। वे देवी के सामने अकेले बैठकर रोया करते थे। और भी अनेक पशु देखने में आए। महाराज की आज्ञा पत्थर पर खुदी हुई है। भगवान् बिजली के बनानेवाले हैं। दो घड़ी दिन रहे वे लोग मिलने को आए। चलती गाड़ी में मत चढ़ो।

क्रियाओं और कृदंतों की पूर्ण व्याख्या

वाक्य—राजा ने भरी सभा में अपनी चमकती हुई तलवार दिखाकर कहा कि इस शस्त्र के रहते किसी को मेरा राज्य छीनने का साहस न होगा।

भरी—भूतकालिक कृदंत विशेषण, सकर्मक, कर्मवाच्य, "सभा" संज्ञा की विशेषता बताता है, स्त्रीलिंग, एकवचन।

चमकती हुई—वर्तमान कालिक कृदंत विशेषण, अकर्मक, कर्तृवाच्य-"तलवार" संज्ञा की विशेषता बताता है, स्त्रीलिंग, एकवचन।

दिखाकर—पूर्वकालिक कृदंत अव्यय, सकर्मक, कर्तृवाच्य, इसकी मुख्य क्रिया "कहा", कर्म "तलवार"।

कहा—क्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, निश्चयार्थ, सामान्य भूतकाल, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन इसका कर्ता "राजा ने", कर्म अगला वाक्य, भावे-प्रयोग।

रहते—अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत अव्यय, अकर्मक, कर्तृवाच्य, इसकी मुख्य क्रिया "होगा"।

खोजने का—क्रियार्थक संज्ञा, सकर्मक, कर्तृवाच्य, संबंध कारक, संबंधी शब्द "साहस", इसका कर्म "राज्य"।

होगा—क्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, निश्चयार्थ, सामान्य भविष्यत् काल, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, इसका कर्ता "साहस", कर्तरि-प्रयोग।

अभ्यास

१—पिछले अभ्यास में आई हुई क्रियाओं और कृदंतों की पूर्ण व्याख्या करो।

तेरहवाँ पाठ

क्रिया की काल-रचना

२१७—क्रिया के वाच्य, अर्थ, काल, पुरुष, लिंग और वचन के कारण होनेवाले रूपों के संग्रह को काल-रचना कहते हैं।

२१८—हिंदी के सोलह (१६) काल क्रिया के मुख्य तीन रूपों से बनते हैं; जैसे,

(क) धातु से—(१) संभाव्य भविष्यत् (२) सामान्य भविष्यत् (३) प्रत्यक्ष विधि (४) परोक्ष विधि। (४ काल)।

(ख) वर्तमानकालिक कृदंत से—(१) सामान्य संकेतार्थ (२) सामान्य वर्तमान (३) अपूर्ण भूत (४) संभाव्य वर्तमान (५) संदिग्ध भूत (६) अपूर्ण संकेतार्थ (छः काल)।

(ग) भूतकालिक कृदंत से—(१) सामान्य भूत (२) आसन्न-भूत (पूर्ण वर्तमान) (३) पूर्ण भूत (४) संभाव्य भूत (५) संदिग्ध भूत (६) पूर्ण संकेतार्थ। (छः काल)

२१९—जो काल केवल प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं वे साधारण काल और जो दूसरी क्रिया की सहायता से बनाए जाते हैं वे संयुक्त काल कहाते हैं।

धातु से बने हुए चारों काल तथा सामान्य संकेतार्थ और सामान्य भूत काल—ये छ साधारण काल हैं और शेष छः संयुक्त काल हैं।

२४०—जिस क्रिया की सहायता से संयुक्त काल बनाए जाते हैं उसे सहायक क्रिया कहते हैं; जैसे, वह चलता है। वह चलता था। वह चलता होगा। इन उदाहरणों में "है", "था" और "होगा" सहायक क्रियाएँ हैं जो "होना" क्रिया के रूप हैं।

२४१—आगे कालों की रचना के नियम लिखे जाते हैं—

१—कर्तृवाच्य

(१) संभाव्य भविष्यत् काल बनाने के लिये धातु में नीचे लिखे प्रत्यय जोड़े जाते हैं—

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ०	ऊँ	एँ
म०	ए	ओ
अ०	ए	एँ

(अ) अकारांत धातु में ये प्रत्यय अंत्य अ के बदले लगाए जाते हैं; जैसे, लिखूँ, पढ़े, बोलें।

(आ) दूसरी धातुओं में ऊँ और ओ को छोड़ शेष प्रत्ययों के पूर्व विकल्प से "व" का आगम होता है, जैसे, खाए वा खावे, सोएँ वा सोवें, पिए वा पीवे।

अप०—देना, लेना और होना के कुछ रूप नियम-विरुद्ध होते हैं; जैसे, लेवे वा ले, देऊँ या दूँ, होवें वा हों।

(२) संभाव्य भविष्यत् के अंत में लिंग-वचन के अनुसार गा, गे, गी जोड़ते हैं; जैसे, जाऊँगा, जाएँगे, जाएँगी।

(३) प्रत्यक्ष विधि का रूप, मध्यम पुरुष एकवचन को छोड़, संभाव्य भविष्यत् के समान होता है। उसका मध्यम पुरुष एकवचन धातु के रूप में रहता है; जैसे, कह, बोल, सुन।

(अ) आदर-सूचक आप के साथ प्रत्यक्ष विधिकाल में धातु में "इए"

जोड़ते हैं, जैसे, आइए, बैठिए। विशेष आदर के लिये "इएगा" जोड़ते हैं; जैसे, आइएगा, बैठिएगा। यह आदर-सूचक रूप कभी-कभी सामान्य भविष्यत् काल में भी आता है; जैसे, आप कब आइएगा? (=आवेंगे)। यदि आप इनसे मिलिएगा (=मिलेंगे) तो वे आपको उपाय बतावेंगे।

(आ) नीचे लिखी क्रियाओं के आदर-सूचक विधिकाल में 'ज' का आगम होता है; जैसे,

लेना—लीजिए   देना—दीजिए   करना—कीजिए
होना—हूजिए   पीना—पीजिए

कविता में ये रूप क्रमशः लीजे, दीजे, कीजे, हूजे और पीजे हो जाते हैं।

(इ) "चाहिए" क्रिया रूप में "चाहना" क्रिया का आदर-सूचक प्रत्यक्ष विधिकाल है, पर इससे वर्तमान की आवश्यकता का बोध होता है; जैसे, मुझे पुस्तक चाहिए (आवश्यक है)। उसे जाना चाहिए।

(४) परोक्ष विधिकाल के दो रूप हैं—(क) क्रियार्थक संज्ञा ही इस काल में आती है। (ख) आदर-सूचक विधि के अंत में 'ए' के बदले 'यो' करते हैं। उदा०—वहाँ मत जाइयो। किसी से बात मत कीजियो। परोक्ष विधि केवल मध्यम पुरुष में आती है। आदर सूचक प्रत्यक्ष विधि का "गा" रूप परोक्ष विधि में भी आता है; जैसे, आप वहाँ न जाइएगा। किसी के सामने बात मत कीजिएगा।

३४२—संयुक्त कालों की रचना में "होना" सहायक क्रिया के जिन कालों का उपयोग किया जाता है वे यहाँ लिखे जाते हैं—

होना (स्थिति-दर्शक)

(कर्तरि-प्रयोग)

(१) सामान्य वर्तमान काल

कर्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उत्तम	मैं हूँ	हम हैं

मध्यम	तू है	तुम हो
अन्य	वह है	वे हैं

(२) सामान्य भूतकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग

१—३	था	थे

कर्त्ता—स्त्रीलिंग

१—३	थी	थीं

होना (विकार-दर्शक)

(१) संभाव्य भविष्यत् काल

(कर्त्तरि-प्रयोग)

कर्त्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग

१—मैं होऊँ	हम हों, होवें
२—तू हो, होवे	तुम हो, होओ
३—वह हो, होवे	वे हों, होवें

(२) सामान्य भविष्यत् काल

कर्त्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

(कर्त्तरि-प्रयोग)

१—मैं होऊँगा (होऊँगी)	हम होंगे, होवेंगे (होंगी, होवेंगी)
२—तू होगा, होवेगा (होगी, होवेगी)	तुम होगे, होओगे (होगी, होओगी)
३—वह होगा, होवेगा (होगी, होवेगी)	वे होंगे, होवेंगे (होंगी, होवेंगी)

(३) सामान्य संकेतार्थ काल

(कर्त्तरि-प्रयोग)

कर्त्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१—३ होता (होती)	होते (होतीं)

(ख) वर्तमानकालिक कृदंत से बने हुए काल

(१) सामान्य संकेतार्थ काल वर्तमानकालिक कृदंत को कर्ता के लिंग-वचनानुसार बदलने से बनता है। इस काल में कोई सहायक क्रिया नहीं आती; जैसे, मैं आता। हम आते। वे आतीं।

(२) सामान्य वर्तमान काल बनाने के लिये वर्तमान-कालिक कृदंत के साथ स्थितिदर्शक "होना" सहायक क्रिया के सामान्य वर्तमान काल के रूप जोड़ते हैं; जैसे, मैं आता हूँ। हम आते हैं। वे आती हैं।

(३) अपूर्ण भूतकाल वर्तमान कालिक कृदंत के आगे स्थिति-दर्शक सहायक क्रिया के सामान्य भूतकाल के रूप जोड़ने से बनता है; जैसे, मैं आता था। हम आते थे। वे आती थीं।

(४) संभाव्य वर्तमान काल बनाने के लिये वर्तमान-कालिक कृदंत में विकार-दर्शक "होना" सहायक क्रिया के संभाव्य भविष्यत्काल के रूप जोड़ते हैं; जैसे, मैं आता होऊँ। हम आते हों। वे आती हों।

(५) संदिग्ध वर्तमान काल वर्तमानकालिक कृदंत के आगे विकार-दर्शक सहायक क्रिया के सामान्य भविष्यत् काल के रूप जोड़ने-से बनता है; जैसे, मैं आता होऊँगा। हम आते होंगे। वे आती होंगी।

(६) अपूर्ण संकेतार्थ काल बनाने के लिये वर्तमान-कालिक कृदंत के साथ विकार-दर्शक सहायक क्रिया के सामान्य संकेतार्थ काल के रूप जोड़ते हैं; जैसे, मैं आता होता, हम आते होते। वे आती होतीं।

(अ) इस काल में होना क्रिया की काल-रचना नहीं होती, क्योंकि उससे क्रिया की पुनरुक्ति होती है।

(ग) भूतकालिक कृदंत से बने हुए काल

इन कालों में अकर्मक क्रियाएँ बहुधा कर्तरि-प्रयोग में और सकर्मक क्रियाएँ बहुधा कर्मणि या भावे प्रयोग में आती हैं। यहाँ अकर्मक क्रिया के उदाहरण दिए जाते हैं—

(१) सामान्य भूतकाल भूतकालिक कृदंत में कर्ता के लिंग-वचनानुसार रूपांतर करने से बनता है; जैसे मैं आया। हम आए। वे आईं।

(२) आसन्न भूतकाल बनाने के लिये भूतकालिक कृदंत के साथ सहायक क्रिया के सामान्य वर्तमान काल के रूप जोड़ते हैं; जैसे, मैं आया हूँ। हम आए हैं। वे आई हैं।

(३) पूर्णभूतकाल भूतकालिक कृदंत के साथ सहायक क्रिया के सामान्य भूतकाल के रूप जोड़कर बनाया जाता है; जैसे, मैं आया था। हम आए थे। वे आई थीं।

(४) संभाव्य भूतकाल भूतकालिक कृदंत में सहायक क्रिया के संभाव्य भविष्यत् काल के रूप जोड़ने से बनता है; जैसे, मैं आया होऊँ। हम आए हों। वे आई हों।

(५) संदिग्ध भूतकाल बनाने के लिये भूतकालिक कृदंत के साथ सहायक क्रिया के सामान्य भविष्यत् काल के रूप जोड़े जाते हैं; जैसे, मैं आया होऊँगा। हम आए होंगे। वे आई होंगी।

(६) पूर्ण संकेतार्थ काल भूतकालिक कृदंत में सहायक क्रिया के सामान्य संकेतार्थ के रूप लगाने से बनता है; जैसे, मैं आया होता। हम आए होते। वे आई होतीं।

२४३—आगे कर्तृवाच्य के सब कालों में दो क्रियाओं के रूप लिखे जाते हैं जिसमें एक अकर्मक और दूसरी सकर्मक है—

अकर्मक क्रिया, "चलना" (कर्तृवाच्य)

धातु—चल

क्रियार्थक संज्ञा—चलना

वर्तमान-कालिक कृदंत—चलता (हुआ)

भूतकालिक कृदंत—चला (हुआ)

पूर्वकालिक कृदंत—चल, चलकर

तात्कालिक कृदंत—चलते ही

अपूर्ण क्रिया-द्योतक कृदंत—चलते (हुए)

पूर्ण क्रिया-द्योतक कृदंत—चले (हुए)

(क) धातु से बने हुए काल
(कर्त्तरि प्रयोग)

(१) संभाव्य भविष्यत् काल
कर्त्ता—पुल्लिंग या स्त्रीलिंग

१ चलूं	१, ३ चलें
२, ३ चले	२ चलो

(२) सामान्य भविष्यत् काल
कर्त्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१ चलूँगा (चलूँगी)	१, ३ चलेंगे (चलेंगी)
२, ३ चलेगा (चलेगी)	२ चलोगे (चलोगी)

(३) प्रत्यक्ष विधिकाल (साधारण)
कर्त्ता-पुल्लिंग या स्त्रीलिंग

१ चलूँ	चलें
२ चल	चलो
३ चले	चलें

(आदर सूचक)

२ × आप चलिए, चलिएगा

(४) परोक्ष विधिकाल (साधारण)

२ चलनो, चलिया चलना, चलियो

(आदर-सूचक)

२ × आप चलिएगा

(ख) वर्त्तमान-कालिक कृदंत से बने हुए काल
(कर्त्तरि-प्रयोग)

(१) सामान्य संकेतार्थ काल
कर्त्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१—३ चलता (चलती) चलते (चलतीं)

(२) सामान्य वर्त्तमान काल

कर्त्ता पुल्लिंग (स्त्री०)

१ चलता हूँ (चलती हूँ)   १, ३ चलते हैं (चलती हैं)

२, ३ चलता है (चलती है)   २ चलते हो (चलती हो)

(३) अपूर्ण भूतकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१—३ चलता था (चलती थी)   चलते थे (चलती थीं)

(४) संभाव्य वर्त्तमान काल

कर्त्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१ चलता होऊँ (चलती होऊँ)   १, ३ चलते हों (चलती हों)

२, ३ चलता हो   २ चलते हो (चलती हो)

(५) संदिग्ध वर्तमान काल

कर्त्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१ चलता होऊँगा (चलती होऊँगी)   १, ३ चलते होंगे (चलती होंगी)

२, ३ चलता होगा (चलती होगी)   २ चलते होगे (चलती होगी)

(६) अपूर्ण संकेतार्थ काल

कर्त्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१—३ चलता होता (चलती होती)   चलते होते (चलती होतीं)

(ग) भूतकालिक कृदंत से बने हुए काल

(कर्त्तरि प्रयोग)

(१) सामान्य भूतकाल

कर्त्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१—३ चला (चली)   चले (चलीं)

(२) आसन्न भूतकाल

१ चला हूँ (चली हूँ)   १, ३ चले हैं (चली हैं)

२, ३ चला है (चली है)   २ चले हो (चली हो)

(३) पूर्णभूत काल

कर्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१—३ चला था (चली थी) चले थे (चली थीं)

(४) संभाव्य भूतकाल

कर्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१ चला होऊँ (चली होऊँ) १, ३ चले हों (चली हों)
२, ३ चला हो (चली हो) २ चले होओ (चली होओ)

(५) संदिग्ध भूतकाल

कर्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१ चला होऊँगा (चली होऊँगी) १, ३ चले होंगे (चली होंगी)
२, ३ चला होगा (चली होगी) २ चले होगे (चली होगी)

(६) पूर्ण संकेतार्थ काल

कर्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१—३ चला होता (चली होती) चले होते (चली होतीं)

सकर्मक क्रिया, "पाना" (कर्तृवाच्य)

धातु	पा
क्रियार्थक संज्ञा	पाना
वर्तमानकालिक कृदंत	पाता (हुआ)
भूतकालिक कृदंत	पाया (हुआ)
पूर्वकालिक कृदंत	पा, पाकर
तात्कालिक कृदंत	पाते ही
अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत	पाते (हुए)
पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत	पाए (हुए)

(क) धातु से बने हुए काल

कर्त्तरि प्रयोग

(१) संभाव्य भविष्यत् काल

कर्त्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग

१ पाऊँ	१, ३ पाएँ, पावें
२, ३ पाए, पावे	२ पाओ

(२) सामान्य भविष्यत् काल

कर्त्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१ पाऊँगा (पाऊँगी)	१, ३ पाएँगे पावेंगे (पाएँगी, पावेंगी)
२, ३ पाएगा, पावेगा (पाएगी, पावेगी)	२ पाओगे (पाओगी)

(३) प्रत्यक्ष विधिकाल (साधारण)

कर्त्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग

१ पाऊँ	पाएँ, पावें
२ पा	पाओ
३ पाए, पावे	पाएँ, पावें

(आदर सूचक)

२ ×	आप पाइए, पाइएगा

(४) परोक्ष विधिकाल (साधारण)

२ पाना, पाइयो	पाना, पाइयो

(आदर सूचक)

२ ×	आप पाइएगा

(ख) वर्तमानकालिक कृदंत से बने हुए काल ।

कर्तरि-प्रयोग

(१) सामान्य संकेतार्थ काल

कर्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१—३ पाता (पाती) पाते (पाती)

(२) सामान्य वर्त्तमान काल

कर्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१ पाता हूँ (पाती हूँ) १, ३ पाते हैं (पाती हैं)
२, ३ पाता है (पाती है) २ पाते हो (पाती हो)

(३) अपूर्ण भूतकाल

कर्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१—३ पाता था (पाती थी) पाते थे (पाती थीं)

(४) संभाव्य वर्त्तमान काल

कर्ता—पुल्लिंग (स्त्रीलिंग)

१ पाता होऊँ (पाती होऊँ) १, ३ पाते हों (पाती हों)
२, ३ पाता हो (पाती हो) २ पाते होओ (पाती होओ)

(५) संदिग्ध वर्त्तमान काल

कर्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१ पाता होऊँगा (पाती होऊँगी) १—३ पाते होंगे (पाती होंगी)
२, ३ पाता होगा (पाती होगी)

(ग) भूतकालिक कृदंत से बने हुए काल

कर्मणि प्रयोग

(१) सामान्य भूतकाल

कर्म-पुल्लिंग, ए० व० (स्त्री०) कर्म-पुल्लिंग ब० व० (स्त्री०)
मैंने···उन्होंने पाया (पाई) पाए (पाईं)

(२) आसन्न भूतकाल

कर्म पुल्लिंग ए० व० (स्त्री०) कर्म पुल्लिंग ब० व० (स्त्री०)
मैंने···उन्होंने पाया है (पाई है) पाए हैं (पाई हैं)

(३) पूर्ण भूतकाल

कर्म पुल्लिंग ए० व० (स्त्री०) कर्म पुल्लिंग ब० व० (स्त्री०)
मैंने···उन्होंने पाया था (पाई थी) पाए थे (पाई थीं)

(४) संभाव्य भूतकाल

कर्म पुल्लिंग ए० व० (स्त्री०) कर्म पुल्लिंग ब० व० (स्त्री०)
मैंने···उन्होंने पाया हो (पाई हो) पाए हों (पाई हों)

(५) संदिग्ध भूतकाल

कर्म पुल्लिंग ए० व० (स्त्री०) कर्म पुल्लिंग ब० व० (स्त्री०)
मैंने···उन्होंने पाया होगा (पाई होगी) पाए होंगे (पाई होंगी)

(६) पूर्ण-संकेतार्थ काल

कर्म पुल्लिंग ए० व० (स्त्री०) कर्म पुल्लिंग ब० व० (स्त्री०)
मैंने···उन्होंने पाया होता (पाई होती) पाए होते (पाई होतीं)

२—कर्मवाच्य

२४४—कर्मवाच्य क्रिया बनाने के लिये सकर्मक धातु के भूतकालिक कृदंत के आगे "जाना" सहायक क्रिया के सब कालों और अर्थों का रूप जोड़ते हैं। कर्मवाच्य में कर्म उद्देश्य होकर अप्रत्यय कर्ता कारक के रूप में आता है; और क्रिया के पुरुष, लिंग, वचन उद्देश्य (कर्म) के अनुसार होते हैं; जैसे लड़का बुलाया गया है। लड़की बुलाई गई है।

२४५—आगे "देखना" सकर्मक क्रिया के कर्मवाच्य (कर्मणि-प्रयोग) के केवल पुल्लिंग रूप दिए जाते हैं। स्त्रीलिंग रूप कर्तृवाच्य क्रिया-रचना के अनुकरण पर सहज ही बना लिए जा सकते हैं।

सकर्मक क्रिया, "देखना" (कर्मवाच्य)

धातु	देखा जा
क्रियार्थक संज्ञा	देखा जाना
वर्तमानकालिक कृदंत	देखा जाता हुआ
भूतकालिक कृदंत	देखा गया (देखा हुआ)
पूर्वकालिक कृदंत	देखा जाकर
तात्कालिक कृदंत	देखे जाते ही
अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत	देखे जाते हुए } (क्वचित्)
पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत	देखे गए हुए } (क्वचित्)

(क) धातु से बने हुए काल

कर्मणि-प्रयोग

(१) संभाव्य भविष्यत् काल

कर्म (उद्देश्य) पुल्लिंग

१ देखा जाऊँ	१, ३ देखे जाएँ, जावें
२, ३ देखा जाए, जावे	२ देखे जाओ

(२) सामान्य भविष्यत् काल

कर्म (उद्देश्य)—पुल्लिंग

१ देखा जाऊँगा	१, ३ देखे जाएँगे, जावेंगे
२, ३ देखा जाएगा, जावेगा	२ देखे जाओगे

(३) प्रत्यक्ष विधिकाल (साधारण)

कर्म (उद्देश्य)—पुल्लिंग

१ देखा जाऊँ	देखे जाएँ, जावें
२ देखा जा	देखे जाओ
३ देखा जाए, जावे	देखे जाएँ, जावें

(आदर-सूचक)

१ × आप देखे जाइए, जाइएगा

(ङ) परोक्ष विधिकाल (साधारण)

कर्म (उद्देश्य)—पुल्लिंग

२ देखा जाना, जाइयो देखे जाना, जाइयो

(आदर-सूचक)

२ × आप देखे जाइएगा

(ख) वर्तमान कालिक-कृदंत से बने हुए काल

(१) सामान्य संकेतार्थकाल

१—३ देखा जाता देखे जाते

(२) सामान्य वर्त्तमान काल

१ देखा जाता हूँ १, ३ देखे जाते हैं

२, ३ देखा जाता है २ देखे जाते हो

(३) अपूर्ण भूतकाल

१—३ देखा जाता था देखे जाते थे

(४) संभाव्य वर्त्तमानकाल

१ देखा जाता होऊँ १, ३ देखे जाते हों

२, ३ देखा जाता हो २ देखे जाते होओ

(५) संदिग्ध वर्त्तमान काल

१ देखा जाता होऊँगा १—३ देखे जाते होंगे

२, ३ देखा जाता होगा

(६) अपूर्ण संकेतार्थकाल

१—३ देखा जाता होता। १—३ देखे जाते होते।

(ग) भूतकालिक कृदंत से बने हुए काल ।

कर्मणि प्रयोग,

(१) सामान्य भूतकाल

१—३ देखा गया — १—३ देखे गए

(२) आसन्न भूतकाल

१ देखा गया हूँ — १, ३ देखे गए हैं

२, ३ देखा गया है — २ देखे गए हो

(३) पूर्ण भूतकाल

१—३ देखा गया था — १—३ देखे गए थे

(४) संभाव्य भूतकाल

१ देखा गया होऊँ — १—३ देखे गए हों

२, ३ देखा गया हो

(५) संदिग्ध भूतकाल

१ देखा गया होऊँगा — १—३ देखे गए होंगे

२ देखा गया होगा

(६) पूर्ण संकेतार्थ काल

१—३ देखा गया होता — १—३ देखे गए होते

३—भाववाच्य

२४६—भाववाच्य अकर्मक क्रिया का वह रूप है जो कर्मवाच्य के समान होता है। भाववाच्य क्रिया में कर्म नहीं होता और उसका कर्ता करण कारक में आता है। यह क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक-वचन में अर्थात् भावेप्रयोग में रहती है; जैसे, हमसे देखा न गया। रात भर किसी से जागा नहीं जाता।

भाववाच्य क्रिया का उपयोग शक्तता या अशक्तता के अर्थ में होता है। यह क्रिया सब कालों और कृदंतों में नहीं आती।

२४७—यहाँ भाववाच्य के केवल उन्हीं कालों के रूप लिखे जाते हैं जिनमें उसका प्रयोग होता है—

(अकर्मक) "चला जाना" क्रिया (भाववाच्य)

धातु... ... ...चला जा।

[सूचना—इस क्रिया से और कृदंत नहीं बनते ।]

(क) धातु से बने हुए काल

भावेप्रयोग

(१) संभाव्य भविष्यत् काल

मुझसे......उनसे चला जाए, जावे

(२) सामान्य भविष्यत् काल

मुझसे......उनसे चला जावेगा, जाएगा

(ख) वर्तमानकालिक कृदंत से बने हुए काल

भावेप्रयोग

(१) सामान्य संकेतार्थ काल

मुझसे......उनसे चला जाता

(२) सामान्य वर्त्तमान काल

मुझसे......उनसे चला जाता है

(३) अपूर्ण भूतकाल

मुझसे......उनसे चला जाता था

(४) संभाव्य वर्त्तमान काल

मुझसे......उनसे चला जाता हो

(५) संदिग्ध वर्त्तमानकाल

मुझसे......उनसे चला जाता होगा

(ग) भूतकालिक कृदंत से बने हुए काल

भावे प्रयोग

(१) सामान्य भूतकाल

मुझसे......उनसे चला गया

(२) आसन्न भूतकाल

मुझसे......उनसे चला गया है

(३) पूर्ण भूतकाल

मुझसे......उनसे चला गया था

(४) संभाव्य भूतकाल

मुझसे......उनसे चला गया हो

(५) संदिग्ध भूतकाल

मुझसे......उनसे चला गया होगा

अभ्यास

नीचे लिखी हुई क्रियाओं की काल-रचना उनके सामने लिखे हुए कालों में करो—

अ—"रहना" क्रिया की कर्तृवाच्य के संभाव्य भविष्यत् काल में।

आ—"देखना" क्रिया की कर्तृवाच्य के आसन्न भूतकाल के बहुवचन में

इ—"बुलाना" क्रिया की कर्मवाच्य के संभाव्य भूतकाल में।

ई—"दौड़ना" क्रिया की भाववाच्य के पूर्ण संकेतार्थ काल में।

उ—"होना" क्रिया की कर्तृवाच्य के सामान्य संकेतार्थ काल के अन्य पुरुष में।

ऊ—"छीनना" क्रिया की कर्मवाच्य के वर्तमानकालिक कृदंत से बने हुए किसी काल में।

चौदहवाँ पाठ

प्रेरणार्थक क्रियाएँ

बाप लड़के से चिट्ठी लिखवाता है।

मालिक ने नौकर से गाड़ी चलवाई।

राजा पंडित से रामायण पढ़वाएँगे।

२४८—ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं से उनके कर्ताओं पर दूसरे कर्ताओं की प्रेरणा समझी जाती है, इसलिये उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएँ कहते हैं। जो कर्ता दूसरे पर प्रेरणा करता है उसे प्रेरक कर्ता और जिसपर प्रेरणा की जाती है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। ऊपर के उदाहरणों में बाप, मालिक और राजा प्रेरक कर्ता तथा लड़का, नौकर और पंडित प्रेरित कर्ता हैं। प्रेरित कर्ता बहुधा करण कारक के रूप में आता है।

गिरना	गिराना	गिरवाना
चलना	चलाना	चलवाना
उठना	उठाना	उठवाना
सुनना	सुनाना	सुनवाना
पढ़ना	पढ़ाना	पढ़वाना

२४९—बहुधा अकर्मक से सकर्मक और सकर्मक से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है; परंतु आना, जाना, सकना, होना, रुचना और पाना से दूसरे प्रकार की क्रियाएँ नहीं बनतीं। प्रेरणार्थक क्रियाएँ भी सकर्मक होती हैं।

देना	दिलाना	दिलवाना
सीना	सिलाना	सिलवाना

धोना	धुलाना	धुलवाना
गढ़ना	गढ़ाना	गढ़वाना

२५०—कई सकर्मक क्रियाओं से दो-दो प्रेरणार्थक रूप बनते हैं, जो बहुधा अर्थ में समान होते हैं।

(अ) कुछ एकाक्षरी धातुओं से केवल एक ही प्रेरणार्थक क्रिया बनती है; जैसे, गाना-गवाना, खेना-खिवाना, खोना-खोवाना, बोना-बोआना, सेना-सिवाना।

पीना	पिलाना	पिलवाना
खाना	खिलाना	खिलवाना
देना	दिलाना	दिलवाना
पढ़ना	पढ़ाना	पढ़वाना
सुनना	सुनाना	सुनवाना

२५१—कई एक सकर्मक क्रियाओं के दोनों प्रेरणार्थक रूप द्विकर्मक होते हैं; जैसे, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को रोटी खिलाओ, वह लड़के को संस्कृत पढ़वाता है।

२५२—कोई कोई धातु स्वरूप में प्रेरणार्थक हैं, पर यथार्थ में वे मूल अकर्मक (या सकर्मक) हैं, जैसे, कुम्हलाना, घबराना, मचलाना, हठलाना।

(अ) कुछ प्रेरणार्थक धातुओं के मूल रूप प्रचार में नहीं हैं; जैसे बताना (वा बतलाना) फुसलाना, गवाँना।

२५३—अकर्मक धातुओं से नीचे लिखे अनुसार सकर्मक धातु बनते हैं—

१—धातु के आद्य स्वर को दीर्घ करने से; जैसे—

कटना—काटना	पिसना—पीसना
दबना—दाबना	लुटना—लूटना

बँधना—बाँधना मरना—मारना

पिटना—पीटना पटना—पाटना

(अ) "छिपाना" का सकर्मक रूप "छीना" होता है।

१—तीन अक्षरों के धातु में दूसरे अक्षर का स्वर दीर्घ होता है; जैसे—

निकलना—निकालना उखड़ना—उखाड़ना

सम्हलना—सम्हालना बिगड़ना—बिगाड़ना

३—किसी-किसी धातु के आद्य इ या उ को गुण करने से; जैसे—

फिरना—फेरना खुलना—खोलना

दिखना—देखना घुसना—घोसना

छिदना—छेदना मुड़ना—मोड़ना

४—कई धातुओं के अंत्य ट के स्थान में ड हो जाता है; जैसे—

जुटना—जोड़ना टूटना—तोड़ना

छूटना—छोड़ना फूटना—फोड़ना

फुटना—फोड़ना

(अ) "बिकना" का सकर्मक "बेचना" और "रहना" का "रखना" होता है।

२५४—प्रेरणार्थक क्रियाओं के बनाने के नियम नीचे दिए जाते हैं।

१—मूल धातु के अंत में "आ" जोड़ने से पहला प्रेरणार्थक और "वा" जोड़ने से दूसरा प्रेरणार्थक रूप बनता है जैसे—

मू० धा०	प० प्रे०	दू० प्रे०
उठ—ना	उठा—ना	उठवा—ना
गिर—ना	गिरा—ना	गिरवा—ना
चल—ना	चला—ना	चलवा—ना
फैल—ना	फैला—ना	फैलवा—ना
उड़—ना	उड़ा—ना	उड़वा—ना
चढ़—ना	चढ़ा—ना	चढ़वा—ना

२—कहीं-कहीं दो अक्षरों के धातु में 'ए' या ओ, को छोड़कर आदि का अन्य दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है; जैसे—

मू० धा०	प० प्रे०	दू० प्रे०
ओढ़ना	उढ़ाना	उढ़वाना
जागना	जगाना	जगवाना
डूबना	डुबाना	डुबवाना
बोलना	बुलाना	बुलवाना
भीगना	भिगाना	भिगवाना
लेटना	लिटाना	लिटवाना

(अ) "डूबना" का रूप "डुबोना" और "भीगना" का रूप "भिगोना" भी होता है।

(आ) प्रेरणार्थक रूपों में "बोलना" का अर्थ बदल जाता है।

३—तीन अक्षरों के धातु में पहले प्रेरणार्थक के दूसरे अक्षर का "अ" अनुच्चरित रहता है; जैसे—

मू० धा०	प० प्रे०	दू० प्रे०
चमकना	चमकाना	चमकवाना
पिघलना	पिघलाना	पिघलवाना
बदलना	बदलाना	बदलवाना

४—एकाक्षरी धातु के अंत में "ला" और "लवा" लगाते हैं और दीर्घ को ह्रस्व कर देते हैं; जैसे—

खाना	खिलाना	खिलवाना
छूना	छुलाना	छुलवाना
देना	दिलाना	दिलवाना
धोना	धुलाना	धुलवाना
पीना	पिलाना	पिलवाना
सीना	सिलाना	सिलवाना

(अ) "खाना" में आद्यस्वर "इ" हो जाता है। इसका एक प्रेरणार्थक "खवाना" भी है।

५—कुछ धातुओं के पहले प्रेरणार्थक रूप "ला" अथवा "आ" लगाने से बनते हैं; परन्तु दूसरे प्रेरणार्थक में "वा" लगाया जाता है; जैसे—

कहना	कहाना या कहलाना	कहवाना
दिखना	दिखाना या दिखलाना	दिखवाना
सीखना	सिखाना या सिखलाना	सिखवाना
सूखना	सुखाना या सुखलाना	सुखवाना
बैठना	बिठाना या बिठलाना	बिठवाना

(अ) "कहना" के पहले प्रेरणार्थक रूप अपूर्ण अकर्मक भी होते हैं; जैसे, "ऐसे ही सज्जन अंधकार कहलाते हैं।" "विभक्ति-सहित शब्द पद कहलाता है।"

(आ) "कहलाना" का रूप "कहलवाना" भी होता है।

(इ) "बैठना" के कई प्रेरणार्थक रूप होते हैं; जैसे,

बैठाना, बैठालना, बिठालना बैठवाना।

नाम-धातु और अनुकरण-धातु

धिक्कार—धिक्कारना	अपना—अपनाना
उद्धार—उद्धारना	अनुराग—अनुरागना
लाठी—लठियाना	अलग—अलगाना

२५५—संज्ञा अथवा विशेषण से जो क्रियाएँ बनती हैं उन्हें नाम-धातु कहते हैं।

२५६—किसी पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रियाएँ बनाई जाती हैं वे अनुकरण-धातु कहाती हैं; जैसे,

बकबक—बकबकाना	भकभक—भकभकाना
खटखट—खटखटाना	टर्र—टर्राना

झनझन—झनझनाना

अभ्यास

१—नीचे लिखी अकर्मक क्रियाओं से सकर्मक क्रियाएँ बनाओ—

पकना, बढ़ना, टूटना, रहना, खेलना, कूदना।

२—नीचे लिखी सकर्मक क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएँ बनाओ और एक-एक वाक्य में उनका उपयोग करो—

पकड़ना, सीना, बोलना, खींचना, काटना।

३—नीचे लिखे शब्दों से क्रियाएँ बनाओ—

फल, बात, हाथ, दुख, चिकना।

४—नीचे लिखे वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रियाओं का अर्थ समझाओ—

ऐसा कौन है, जो अपना शरीर कटवाएगा। वह अपने पैर का जूता पेड़ से छुड़ाने लगा। राजा ने मंत्री को बुलवाया। उसने मेरा उपदेश नहीं भुलाया। माता ने अपने पुत्र से पत्र लिखवाया। बगीचे में कई पेड़ लगवाए गए हैं। इस पुस्तक को संदूक में रखवाओ। अहल्याबाई ने अपने राज्य भर में कुएँ खुदवाए थे। व्यापारी ने कई प्रकार के कपड़े दिखाए। हिंदू लोग उत्सव में बाजे बजवाते हैं।

पंद्रहवाँ पाठ

संयुक्त क्रियाएँ

लड़का मन में कुछ सोचने लगा।

नौकर सबेरे आया करता है।

आकाश के तारे कौन गिन सकता है।

हम अपना काम कर चुके।

२५४—ऊपर लिखे वाक्यों में दो-दो शब्दों से बनी हुई क्रियाएँ आई हैं, जिनमें एक मुख्य और दूसरी सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया कृदंत के रूप में और सहायक क्रिया काल के रूप में है। कुछ विशेष

कृदंतों के आगे विशेष अर्थ में कुछ सहायक क्रियाएँ जोड़ने से जो क्रियाएँ बनती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं।

२५७—रूप के अनुसार संयुक्त क्रियाएँ आठ प्रकार की होती हैं—

(१) क्रियार्थक संज्ञा के मेल से बनी हुईं, जैसे, जाना चाहिए। करना पड़ता है।

(२) वर्तमानकालिक कृदंत के मेल से बनी हुईं; जैसे, बढ़ता जाता है। करता रहता है।

(३) भूतकालिक कृदंत के मेल से बनी हुईं; जैसे, पढ़ा करते हैं। चला जावेगा।

(४) पूर्वकालिक कृदंत के मेल से बनी हुईं; जैसे, तोड़ डालेगा। कर सकता है।

(५) अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुईं; जैसे, चलते बनेगा। पढ़ते बनता है।

(६) पूर्णक्रियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुईं; जैसे, दिए देता है। मारे डालता है।

(७) संज्ञा या विशेषण के मेल से बनी हुईं; जैसे, दिखाई दिया। स्वीकार करता है।

(८) पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ; जैसे, समझते-बूझते हैं। आया-जाया करते हैं।

२५८—संयुक्त क्रियाओं में नीचे लिखी सहायक क्रियाएँ आती हैं—

आना, उठना, करना, चाहना, चुकना, जाना, देना, डालना, पड़ना, पाना, बनना, रहना, लगना, लेना, सकना, होना।

इनमें से बहुधा 'सकना' और 'चुकना' को छोड़कर शेष क्रियाएँ स्वतंत्र भी हैं और अर्थ के अनुसार दूसरी सहायक क्रियाओं से मिलकर स्वयं संयुक्त क्रियाएँ भी हो सकती हैं; जैसे, "वह जाने लगता है" इस वाक्य में "लगता है" सहायक क्रिया है; पर

"आग लगता है" इस वाक्य में "लगता है" मुख्य क्रिया है। "आग लग जाता है" इस वाक्य में "जाता है" सहायक क्रिया "लगना" मुख्य क्रिया के साथ आई है।

२५९—संयुक्त-क्रियाओं में कभी-कभी सहायक क्रिया के कृदंत के आगे दूसरी सहायक क्रिया आती है, जिससे तीन अथवा चार शब्दों की भी संयुक्त क्रिया बन जाती है; जैसे "इसकी तत्काल सफाई कर लेनी चाहिए।" "उन्हें यह काम करना पड़ रहा है।" "हम यह पुस्तक उठा ले जा सकते हैं।"

(१) क्रियार्थक संज्ञा के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ

२६०—क्रियार्थक संज्ञा के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रिया में क्रियार्थक संज्ञा दो रूपों में आती है—(अ) साधारण रूप में और (आ) विकृत रूप में।

(अ) साधारण रूप के साथ "पड़ना" "होना" या "चाहिए" क्रियाओं को जोड़ने से आवश्यकता-बोधक संयुक्त क्रिया बनती है; जैसे, करना पड़ता है। करना चाहिए। करना होगा।

जब इन संयुक्त क्रियाओं में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग विशेषण के समान होता है, तब ये बहुधा विशेष्य के लिंग-वचन के अनुसार बदलती हैं जैसे कुलियों की मदद करनी चाहिए। मुझे दवा पीनी पड़ेगी। जो होनी है सो होगी।

(आ) क्रियार्थक संज्ञा के विकृत रूप से तीन प्रकार की संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं—(१) आरंभ-बोधक (२) अनुमति-बोधक और (३) अवकाश-बोधक।

(१) आरंभ-बोधक क्रिया "लगना" क्रिया के योग से बनती है; जैसे वह कहने लगा। लड़की गाने लगी।

(२) "देना" जोड़ने से अनुमति-बोधक क्रिया बनती है; जैसे, मुझे जाने दीजिए। उसने मुझे बोलने न दिया।

(इ) अवकाश-बोधक क्रिया अर्थ में अनुमतिबोधक क्रिया की विरोधिनी है; जैसे, "तू यहाँ से जाने न पावेगा।" "बात न होने पाई।" "मैं कठिनाई से लिखने पाता हूँ।"

(अ) कभी-कभी "पाना" क्रिया भूतकालिक कृदंत के साथ भी आती है; जैसे, "कुछ लोगों ने श्रीमान को बड़ी कठिनाई से देख पाया।" "समय न मिलने के कारण मैं पूजा नहीं कर पाता हूँ।"

(२) वर्त्तमान-कालिक कृदंत के मेल से बनी हुई

२९१—वर्त्तमानकालिक कृदंत के आगे आना, जाना अथवा रहना जोड़ने से नित्यता-बोधक क्रिया बनती है; जैसे, यह बात सनातन से होती आती है। पेड़ बढ़ता जाता है। पानी बरसता रहता है।

(अ) "रहना" के सामान्य भविष्यत् काल से अँगरेजी के पूर्ण भविष्यत्-काल का बोध होता है; जैसे, उस समय जिखते रहेंगे। तुम्हारे आने के समय वे भोजन करते रहेंगे।

(३) भूतकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई

२९२—अकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत के आगे "जाना" क्रिया जोड़ने से तत्परता-बोधक संयुक्त क्रिया बनती है; जैसे, लड़का आया जाता है। सिर फटा जाता था। लड़की गिरी जाती होगी।

२९३—भूतकालिक कृदंत के आगे "करना" जोड़कर अभ्यास-बोधक क्रिया बनाते हैं; जैसे, वह पढ़ा करता है। मैं चिट्ठी लिखा करूँगा। सवेरे घूमा करो।

२९४—भूतकालिक कृदंत के साथ "चाहना" क्रिया जोड़ने से इच्छा-बोधक क्रिया बनती है; जैसे, मैं कुछ काम किया चाहता हूँ। तुम उनसे मिला चाहते हो? वे मुझे बुलाया चाहते हैं।

(अ) इस क्रिया से भविष्यत् काल की निकटता भी सूचित होती है; जैसे, गाड़ी आया चाहती है। घड़ी बजा चाहती है। फल गिरा चाहता है।

(ङ) कभी-कभी क्रियार्थक संज्ञा के साथ "चाहना" जोड़ते हैं; जैसे, मैं जाना चाहता हूँ। वह चिट्ठी लिखना चाहता है।

(च) अभ्यास-बोधक और इच्छा-बोधक क्रियाओं में "जाना" का भूतकालिक कृदंत "गया" के बदले "जाया" होता है; जैसे, वह जाया करता है। वे जाया चाहते हैं।

(४) पूर्वकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई

२६५—पूर्वकालिक कृदंत के योग से तीन प्रकार की संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं—(१) अवधारण-बोधक (२) शक्ति-बोधक और (३) पूर्णता-बोधक।

२६६—अवधारण-बोधक क्रिया से मुख्य क्रिया के अर्थ में अधिक निश्चय पाया जाता है। इस अर्थ में नीचे लिखी सहायक क्रियाएँ आती हैं—

उठना, बैठना, डालना—ये क्रियाएँ बहुधा अचानकता के अर्थ में आती हैं; जैसे, बोल उठना, जाग उठना, मार बैठना, उठ बैठना, तोड़ डालना, काट डालना।

लेना, आना—इनसे वक्ता की ओर क्रिया का व्यापार सूचित होता है; जैसे, कर लेना, घूम लेना, बन आना, दे आना।

पड़ना, जाना—ये क्रियाएँ बहुधा शीघ्रता सूचित करती हैं; जैसे, कूद पड़ना, चौंक पड़ना, खा जाना, पहुँच जाना।

देना—इससे दूसरे की ओर क्रिया का व्यापार सूचित होता है; जैसे, छोड़ देना, कह देना, मार देना।

रहना—यह क्रिया बहुधा भूतकालिक कृदंत से बने कालों में आती है। इसके आसन्नभूत और पूर्णभूत कालों से क्रमशः अपूर्ण वर्तमान और अपूर्णभूत कालों का बोध होता है; जैसे, वह पढ़ रहा है। वह जा रहा था।

२६७—शक्ति-बोधक क्रिया पूर्वकालिक कृदंत में "सकना" जोड़कर बनाई जाती है; जैसे, खा सकना, दौड़ सकना, हो सकना।

२६८—पूर्णता-बोधक क्रिया "चुकना" क्रिया के योग से बनती है; जैसे, पढ़ चुकना, दौड़ चुकना, दे चुकना।

(अ) "चुकना" क्रिया के सामान्य भविष्यत् काल से अँगरेजी के पूर्ण भविष्यत् काल का बोध होता है; जैसे, उस समय वह खा चुकेगा। आपके आने तक वह लिख चुकेगा।

(५) अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत से बनी हुई

२६९—अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के आगे "बनना" क्रिया को जोड़ने से योग्यता-बोधक क्रिया बनती है; जैसे, रोगी से चलते बनता है। उससे पढ़ते न बनेगा।

(६) पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत से बनी हुई

२७०—पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत से दो प्रकार की संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं। (१) निरंतरता-बोधक (२) निश्चय-बोधक।

२७१—सकर्मक क्रियाओं के पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के आगे "जाना" क्रिया जोड़ने से निरंतरता-बोधक क्रिया बनती है; जैसे, यह मुझे निगले जाता है। इस लता को क्यों छोड़े जाती है। लड़की यह काम किए जाती है। पढ़े जाओ। यह क्रिया बहुधा वर्तमान-कालिक कृदंत से बने हुए कालों में तथा विधि कालों में आती है।

२७२—पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के आगे लेना, देना, डालना और बैठना जोड़ने से निश्चय-बोधक संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं। ये क्रियाएँ बहुधा सकर्मक क्रियाओं के साथ सामान्य वर्तमान कालों में आती है; जैसे, मैं यह पुस्तक लिए लेता हूँ। वह कपड़ा दिए देता है। हम कुछ कहे बैठते हैं।

(७) संज्ञा या विशेषण के योग से बनी हुई

२७३—संज्ञा (या विशेषण) के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं, जैसे, भस्म होना, भस्म करना, स्वीकार होना, स्वीकार करना।

२७४—नामबोधक संयुक्त क्रियाओं में "करना", "होना" और "देना" क्रियाएँ आती हैं। "करना" और "होना" के साथ बहुधा संस्कृत की क्रियार्थक संज्ञाएँ और "देना" के साथ हिंदी की भाववाचक संज्ञाएँ आती हैं; जैसे—

होना—स्वीकार होना, नाश होना, स्मरण होना, कंठ होना।

करना—स्वीकार करना, अंगीकार करना, नाश करना, आरंभ करना।

देना—दिखाई देना, सुनाई देना, पकड़ाई देना, छुलाई देना।

(८) पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ

२७५—जब दो समान अर्थवाली या समान ध्वनिवाली क्रियाओं का संयोग होता है तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ कहते हैं; जैसे, पढ़ना-लिखना, करना-धरना, समझना-बूझना।

(अ) जो क्रिया केवल यमक (ध्वनि) मिलाने के लिये आती है, वह निरर्थक रहती है; जैसे, पूछना-ताछना, होना-हवाना।

२७६—केवल नीचे लिखी सकर्मक संयुक्त क्रियाएँ कर्मवाच्य में आती हैं—

(१) आवश्यकता-बोधक क्रियाएँ, जिनमें "होना" और "चाहिए" का योग होता है; जैसे, चिट्ठी लिखी जाती थी। काम देखा जाना चाहिए।

(२) आरंभ-बोधक; जैसे, वह विद्वान् समझा जाने लगा। आप भी बड़ों में गिने जाने लगे।

(३) अवधारण-बोधक क्रियाएँ, जो "लेना", "देना", "डालना" के योग से बनती हैं; जैसे, चिट्ठी भेज दी जाती है। काम कर लिया गया।

(४) शक्ति-बोधक क्रियाएँ; जैसे, चिट्ठी भेजी जा सकती है।

(५) पूर्णता-बोधक क्रियाएँ; जैसे, पानी लाया जा चुका है।

(६) नाम-बोधक क्रियाएँ जो संस्कृत क्रियार्थक संज्ञा के योग से बनती हैं; जैसे, वह बात स्वीकार की गई। कथा श्रवण की जायगी।

(७) पुनरुक्त क्रियाएँ; जैसे, काम देखा-भाला नहीं गया।

२७७—नीचे लिखी सकर्मक संयुक्त क्रियाएँ (कर्तृवाच्य में) भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों में सदैव कर्त्तरि प्रयोग में आती हैं—

(१) आरंभ-बोधक—लड़का पढ़ने लगा। लड़कियाँ काम करने लगीं।

(२) नित्यता-बोधक—हम बातें करते रहे। वह मुझे बुलाता रहा।

(३) अभ्यास-बोधक—यों वह दीन, दुःखिनी बाला रोया की दुःख में उस रात। बारह बरस दिल्ली रहे, पर भाड़ ही झोंका किए।

(४) शक्ति-बोधक—लड़की काम न कर सकी, हम उसकी बात कठिनाई से समझ सके थे।

(५) पूर्णता-बोधक—नौकर कोठा झाड़ चुका। स्त्री रसोई बना चुकी है।

(६) वे अवकाश-बोधक क्रियाएँ जो देना या पड़ना के योग से बनती हैं; जैसे, चोर थोड़ी दूर पर दिखाई दिया; वह शब्द ठीक-ठीक न सुनाई पड़ा।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में संयुक्त क्रियाओं के भेद बतलाओ—

एक दिन एक स्त्री रसोई बना रही थी। विवाह के कुछ दिनों बाद राजा का देहांत हो गया। उनकी तोपें आग उगलने लगीं। उसने बोतल में लोहे का एक टुकड़ा डाल दिया। खटोला ऊपर चढ़ जाता है। हवा के बिना कोई नहीं जी सकता। कुछ दूरी पर एक पेड़ दिखाई दिया। लड़का सवेरे घूमा करता है। तुम अपनी किताब क्यों खो देते हो? समझ-बूझकर, देखो, हँसना, पड़े न पीछे रोना। मुझे समय नहीं मिलता, इसलिये मैं आप से नहीं मिलने पाता। महाराज, मैं आपके कर देने से मजबूर उबारे होता हूँ।

२—नीचे लिखी क्रियाओं का उपयोग एक-एक संयुक्त क्रिया के रूप में करो—

दौड़ना, खींचना, चढ़ना, बुझाना, भेजना, बैठना।

पाँचवाँ अध्याय

शब्द-रचना

पहला पाठ

उपसर्ग

२८८—व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं—(१) रूढ़ और (२) यौगिक।

(१) रूढ़ उन शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने होते; जैसे, नाक, कान, पीला, झट, पर।

(२) जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं; उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं; जैसे, कतरनी, पीला-पन, दूध-वाला, झट-पट, घुड़-साल। यौगिक शब्दों में ही सामासिक शब्दों का भी समावेश होता है।

अर्थ के अनुसार यौगिक शब्दों का एक भेद योगरूढ़ि कहलाता है, जिससे कोई विशेष अर्थ पाया जाता है; जैसे, लंबोदर, गिरधारी, पंकज, जलद। "पंकज" शब्द के खंडों (पंक + ज) का अर्थ "कीचड़ से उत्पन्न" है, पर इससे केवल कमल का विशेष अर्थ लिया जाता है। इसी प्रकार "जलद" (जल + द) का अर्थ बादल है।

२८९—एक ही भाषा के किसी शब्द से जो दूसरे शब्द बनते हैं; वे बहुधा तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। किसी-किसी शब्द के पूर्व उपसर्ग लगाने से नए शब्द बनते हैं। किसी-किसी शब्द के पश्चात् प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं और किसी-किसी शब्द के साथ दूसरा शब्द मिलाने से सामासिक शब्द तैयार होते हैं; जैसे, प्रबल बल-वान, बल-प्रयोग। निर्धन, धनी, धन-दौलत।

२८०—हिंदी में और दो प्रकार के यौगिक शब्द हैं जो क्रमशः पुनरुक्त और अनुकरण-वाचक कहलाते हैं। पुनरुक्त शब्द किसी शब्द को दुहराने से बनते हैं; जैसे, घर-घर, मारी-मारी, काम-धाम, फाट-फूट। अनुकरण-वाचक शब्द किसी पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं; जैसे खटखट, धमाम, चटपट, तड़ाक।

२८१—प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के दो मुख्य भेद हैं—कृदंत और तद्धित। धातुओं के आगे लगाए गए प्रत्ययों के योग से जो शब्द बनते हैं, वे कृदंत कहलाते हैं। धातुओं को छोड़ शेष शब्दों के आगे प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं, उन्हें तद्धित कहते हैं; जैसे बोलनेवाला (कृदंत), दूधवाला (तद्धित), लड़ाई (कृदंत), बड़ाई (तद्धित)।

२८२—हिंदी में उपसर्गयुक्त संस्कृत तत्सम शब्द भी आते हैं; इसीलिये उनके संबंध से पहले संस्कृत उपसर्गों का विवेचन किया जायगा।

(क) संस्कृत उपसर्ग

अति=अधिक, उस पार, ऊपर; जैसे, अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय।
अधि=ऊपर, स्थान में श्रेष्ठ; जैसे, अधिपति, अधिकार, अधिकरण।
अनु=पीछे, समान; जैसे, अनुकरण, अनुक्रम, अनुसार।
अप=बुरा, हीन, विरुद्ध, अभाव; जैसे, अपशब्द, अपकीर्ति, अपमान।
अभि=ओर, पास, सामने; जैसे, अभिलाषा, अभिप्राय, अभिमुख।
अव=नीचे, हीन, अभाव; जैसे, अवगत, अवगुण, अवतार।
आ=तक, समेत, उलटा; जैसे, आकर्षण, आजीवन, आक्रमण।
उत्-द्=ऊपर, ऊँचा, श्रेष्ठ; जैसे, उत्कर्ष, उत्कंठा, उत्तम।
उप=निकट, सदृश, गौण; जैसे, उपकार, उपदेश, उपनाम।
दुर्=दुस्=बुरा, कठिन, दुष्ट; जैसे, दुराचार, दुर्गुण, दुर्गम।
नि=भीतर, नीचे, बाहर; जैसे, निदर्शन, निपात, नियम।
निर्, निस=बाहर, निषेध; जैसे, निर्गत, निर्यात, निरपराध।

परा = पीछे, उलटा; जैसे, पराक्रम, पराजय, पराभव।

परि = आसपास, चारों ओर, पूर्ण; जैसे, परिक्रमा, परिजन, परिपूर्ण।

प्र = अधिक, आगे, ऊपर; जैसे, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल।

प्रति = विरुद्ध, सामने, एक-एक; जैसे, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण।

वि = भिन्न, विशेष, अभाव; जैसे, विदेश, विवाद, विज्ञान।

सम् = अच्छा, साथ, पूर्ण; जैसे, संयोग, संगम, संग्रह।

सु = अच्छा, सहज, अधिक; जैसे, सुकर्म, सुगम, सुशिक्षित।

२८३—कभी-कभी एक ही शब्द के साथ दो तीन उपसर्ग आते हैं; जैसे निराकरण, प्रत्युपकार, समालोचना।

२८४—संस्कृत शब्दों में कोई कोई विशेषण और अव्यय भी उपसर्गों के समान व्यवहृत होते हैं।

अ = अभाव, निःशेष; जैसे, अधर्म, अज्ञान, अगम, अनीति।

स्वरादि शब्दों के पहले, "अ" के स्थान में "अन्" हो जाता है और "अन्" के "न्" में आगे का स्वर मिल जाता है;

उदा०—अनेक, अनंतर, अनादर।

हिं०—अजान, अछूता, अटल।

अधस् = भीतर, उदा०—अधःपतन, अधोमुख, अधोगति।

अंतर् = नीचे, उदा०—अंतः र, अंतःकरण, अंतर्दशा।

कु = (का, कद)—बुरा, उदा०—कुकर्म, कापुरुष, कदाचार। हिंदी—कुचाल, कुठौर, कुडौल।

चिर् = बहुत, उदा०—चिरकाल, चिरंजीव, चिरायु।

न = अभाव, उदा०—नास्तिक, नक्षत्र, नपुंसक।

पुरस् = सामने, आगे; जैसे, पुरस्कार, पुरश्चरण, पुरोहित।

पुरा = पहले; जैसे, पुरातन, पुरावृत्त, पुरातत्त्व।

पुनर् = फिर; जैसे, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनरुक्त।

बहिर् = बाहर; जैसे, बहिष्कार; बहिर्द्वार, बहिर्गत।

स = सहित; जैसे, सजीव, सफल, सगोत्र। हिंदी—सबेरा, सजग, सचेत।

सत्=अच्छा; जैसे, सज्जन, सत्कर्म, सद्गुण, सत्पात्र।

सह=साथ; जैसे, सहृदय, सहचर, सहोदर।

स्व=अपना, निजी; उदा०—स्वदेश, स्वतंत्र, स्वभाव।

(ख) हिंदी उपसर्ग

ये उपसर्ग बहुधा संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश हैं और विशेषकर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं।

अ=अभाव, निषेध; उदा०—अजान, अचेत, अथाह, अबेर।

अपवाद—संस्कृत में स्वरादि शब्दों के पहले अ के स्थान में अन् हो जाता है; परंतु हिंदी में अन् व्यंजनादि शब्दों के पूर्व भी आता है; जैसे, अनमोल, अनबन, अनगिनती।

अध (सं०—अर्द्ध=आधा) उदा०—अधमरा, अधपका।

औ (सं०—अव)=हीन, निषेध; उदा०—औगुन, औघट।

नि (सं०—निर्=रहित) उदा०—निकम्मा, निडर।

भर=पूरा, ठीक। उदा०—भरपेट, भरपूर, भरसक।

सु (सं०—सु=अच्छा) उदा०—सुडौल, सुजान, सपूत।

(ग) उर्दू उपसर्ग

कम=थोड़ा, हीन। उदा०—कमज़ोर, कमबख़्त, कमक़ीमत।

ख़ुश=अच्छा। उदा०—ख़ुशबू, ख़ुशदिल, ख़ुशक़िस्मत।

ग़ैर (अ०—ग़ैर=भिन्न)। उदा०—ग़ैरमुल्क, ग़ैरहाज़िर।

ना=अभाव (सं०—न)। उदा०—नाराज़, नापसंद, नालायक़।

ब=और, में, अनुसार। उदा०—बनाम, बइजलास, बदस्तूर।

बद=बुरा। उदा०—बदमाश, बदबू, बदनाम।

बा=साथ। उदा०—बाक़ायदा, बाज़ाब्ता, बामौक़ा।

बे=बिना। उदा०—बेचारा (हिं० बिचारा), बेईमान, बेतरह।

(यह उपसर्ग बहुधा हिंदी शब्दों में भी लगाया जाता है; जैसे, बेचैन, बेसुर।

सर = मुख्य। उदा०— सरकार, सरहद, सरदार, सरताज।

हर = प्रत्येक। उदा०— हररोज, हरमाह, हरचीज, हरसाल।

[इस उपसर्ग का उपयोग हिंदी शब्दों के साथ अधिकता से होता है; जैसे, हरकाम, हरघड़ी, हरदिन, हरएक, हरकोई।]

अभ्यास

१—नीचे लिखे शब्दों में उपसर्गों के भेद और उनके अर्थ बताओ—

प्रयोग, वियोग, उपयोग, सुयोग, अभियोग, उद्योग, संयोग, विचार, प्रचार, समाचार, अत्याचार, अनाचार, उपचार, अकाम, निष्काम, सकाम, बेकाम, औगुन, नापसंद, निधड़क।

२—नीचे लिखे उपसर्गों के दो दो उदाहरण दो—

आ, उप, अनु, उत्, प्रति, बद, नि, सु, कु, स।

दूसरा पाठ

कृदंत (अन्य शब्द)

(क) कर्तृवाचक संज्ञा

अक्कड़— जैसे, घूमना—घुमक्कड़, कूदना—कुदक्कड़, भूलना—भुलक्कड़, पीना—पियक्कड़।

अंकू, आक, आकू—जैसे, उड़ना—उड़ंकू, पैरना—पैराक, लड़ना—लड़ाक (लड़ाका, लड़ाकू)।

इयल— जैसे, अड़ना—अड़ियल, सड़ना—सड़ियल।

इया—जैसे, जड़ना—जड़िया, लखना—लखिया, धुनना—धुनिया, निगारना—निगारिया।

ऊ—जैसे, खाना—खाऊ, रटना—रट्टू, उड़ाना—उड़ाऊ, बिगाड़ना—बिगाड़ू, काटना—कट्टू।

एरा—जैसे, कमाना—कमेरा; लूटना—लुटेरा।

ऐया—जैसे, काटना—कटैया, नचाना—नचैया, परोसना—परोसैया, मारना—मरैया।

ऐत—जैसे, लड़ना—लड़ैत, चढ़ना—चढ़ैत।

ओड़ा, ओरा—जैसे, भागना—भगोड़ा, हँसना—हँसोड़ा, चाटना—चटोरा।

क—जैसे, मारना—मारक, पालना—पालक।

हा—जैसे, काटना—कटहा, मारना—मरकहा।

(आ) भाववाचक संज्ञाएँ

अंत—जैसे, गढ़ना—गढ़ंत, लिपटना—लिपटंत, लड़ना—लड़ंत, रटना—रटंत।

आ—इस प्रत्यय के योग से बहुधा भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं, जैसे, घेरना—घेरा, फेरना—फेरा, जोड़ना—जोड़ा।

(अ) इस प्रत्यय के लगने के पूर्व किसी किसी धातु के उपांत्य स्वर में गुण होता है, जैसे मिलना—मेला, टूटना—टोटा, झुकना—झोंका।

(आ) कोई कोई करणवाचक संज्ञाएँ, जैसे झूलना—झूला, ठेलना—ठेला, घेरना—घेरा।

आई—इस प्रत्यय से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं जिनसे (१) क्रिया के व्यापार (२) क्रिया के दामों का बोध होता है।

(१) लड़ना—लड़ाई, समाना—समाई, चढ़ना—चढ़ाई।

(२) जैसे, लिखना—लिखाई; पिसना—पिसाई।

[सूचना—आना से अवाई और जाना से जवाई भाववाचक संज्ञाएँ क्रिया के व्यापार के अर्थ में बनती हैं।]

आन—जैसे, उठना—उठान, उड़ना—उड़ान।

आप—जैसे, मिलना—मिलाप, जलना—जलापा, पूजना—पुजापा।

आव—जैसे, चढ़ना—चढ़ाव, बचना—बचाव, बहना—बहाव, लगना—लगाव।

आवट—जैसे, लिखना—लिखावट, थकना—थकावट, रुकना—रुकावट, —बनावट, सजना—सजावट।

आवा—जैसे, भूलना-भुलावा, बुलाना—बुलावा, छुड़ाना,-छुड़ावा।

आस—जैसे, पानी—प्यास, ऊँघना-ऊँघास।

आहट—जैसे, चिल्लाना-चिल्लाहट, घबराना—घबराहट, गुर्राना-गुर्राहट।

यह प्रत्यय बहुधा अनुकरणवाचक शब्दों के साथ आता है।

ई—जैसे, हँसना—हँसी, बोलना—बोली, धमकाना—धमकी, घुड़कना—घुड़की।

औता, औती—जैसे, समझना—समझौता, मनाना—मनौती, चुकाना—चुकौता।

औवल—जैसे, बूझना—बुझौवल, मनाना—मनौवल।

त—जैसे, बचना—बचत, खपना—खपत, रँगना—रंगत।

ती—जैसे, बढ़ना—बढ़ती, घटना—घटती।

न—जैसे, चलना—चलन, कहना—कहन।

(ग) करणवाचक संज्ञाएँ

ई—जैसे, रेतना—रेती, फाँसना—फाँसी, बुहारना—बुहारी,

न—जैसे, झाड़ना—झाड़न, बेलना—बेलन, जमाना—जामन।

ना—जैसे, बेलना—बेलना, ओढ़ना—ओढ़ना, घोटना—घोटना।

नी—जैसे, धौंकना—धौंकनी, ओढ़ना—ओढ़नी, कतरना—कतरनी।

(घ) गुणवाचक विशेषण

आवना—जैसे, सुहाना-सुहावना, लुभाना-लुभावना, डराना-डरावना

इया—जैसे, बढ़ना—बढ़िया, घटना—घटिया।

आऊ—जैसे, बिकना—बिकाऊ, टिकना—टिकाऊ, जलना-जलाऊ।

वाँ—जैसे, ढलना—ढलवाँ, कटना—कटवाँ, पिटना—पिटवाँ।

अभ्यास

नीचे लिखी क्रियाओं से संज्ञाएँ और विशेषण बनाओ—

चमकना, चलना, उड़ाना, हँसना, भूलना, लपना, घटना, जलना, डरना, लुभाना।

तीसरा पाठ

तद्धित

(क) कर्तृवाचक संज्ञाएँ

आर—यह प्रत्यय संस्कृत के "कार" प्रत्यय का अपभ्रंश है। उदा०—कुम्हार (कुंभकार), सुनार (स्वर्णकार), लुहार, चमार।

आरा, आरी, आड़ी—ये "आर" के पर्याय हैं और थोड़े से शब्दों में लगते हैं; जैसे, बनिज—बनिजारा, पूजा—पुजारी, खेल—खेलाड़ी।

इया—कुछ संज्ञाओं से इस प्रत्यय द्वारा कर्तृवाचक संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे, आढ़त—आढ़तिया, मक्खन—मखनिया, दुख—दुखिया।

ई—कोई कोई व्यापारवाचक संज्ञाएँ इसी प्रत्यय के योग से बनी हैं; जैसे, तेल—तेली, माला—माली

एरा—(व्यापारवाचक)—जैसे; साँप—सपेरा कांसा—कसेरा, लाख—लखेरा।

एड़ी—जैसे, भाँग—भँगेड़ी, गाँजा—गँजेड़ी।

ऐत—जैसे, लट्ठ—लठैत, नाता—नतैत, डाका—डकैत।

वाल—यह प्रत्यय "वाला" का शेष है; जैसे, गया—गयावाल प्रयाग—प्रयागवाल, पल्ली—पल्लीवाल।

वाला—जैसे, टोपी—टोपीवाला, धन—धनवाला, गाड़ी—गाड़ीवाला।

हारा—यह प्रत्यय वाला का पर्याय है; परंतु इसका उपयोग उसकी अपेक्षा कम होता है; जैसे, लकड़ी—लकड़हारा, चूड़ी—चुड़िहारा, पानी—पनहारा।

(ख) भाववाचक संज्ञाएँ

आ—जैसे, बधाव—बधावा, सराफ—सराफा, बोझ—बोझा।

आइँद—जैसे, कपड़ा—कपड़ाइँद, सड़ा—सड़ाइँद बिन—बिनाइँद।

आई—इस प्रत्यय के योग से विशेषणों और संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएँ बनाते हैं; जैसे, भला—भलाई, बुरा—बुराई, पंडित—पंडिताई।

आका—जैसे, धम—धमाका, भड़—भड़ाका, धड़—धड़ाका।

आन—जैसे, ऊँचा—ऊँचान, लंबा—लंबान, नीचा—निचान।

आयत—जैसे, बहुत—बहुतायत, पंच—पंचायत, अपना—अपनायत।

आहट—जैसे, कड़ुआ—कड़ुआहट, चिकना—चिकनाहट।

ई—जैसे, बुद्धिमान—बुद्धिमानी, गृहस्थ—गृहस्थी, चोर—चोरी।

औती—जैसे, बाप—बपौती, बूढ़ा—बुढ़ौती।

क—जैसे, धम—धमक, ठंढ—ठंढक।

त—जैसे, रंग—रंगत, मेल—मिल्लत।

ता—जैसे, मित्र—मित्रता, कवि—कविता, मधुर—मधुरता।

त्व—जैसे, गुरु—गुरुत्व, सती—सतीत्व, पुरुष—पुरुषत्व।

पन—जैसे, काला—कालापन, पागल—पागलपन, लड़का—लड़कपन।

पा—जैसे, बूढ़ा—बुढ़ापा, राँड़—रँड़ापा।

य—जैसे, मधुर—माधुर्य, पंडित—पांडित्य, धीर—धैर्य।

स—जैसे, आप—आपस, धाम—धमस।

(ग) अपत्यवाचक (संतानवाचक संज्ञाएँ)

अ—जैसे, रघु—राघव, पांडु—पांडव, वसुदेव—वासुदेव।

इ—जैसे, दशरथ—दाशरथि, मरुत्—मारुति।

ई—जैसे, रामानंद—रामानंदी, दयानंद—दयानंदी, मोहम्मद—मोहम्मदी।

एय—जैसे, गंगा—गांगेय, कुंती—कौंतेय, विनता—वैनतेय, भगिनि—भागिनेय।

य—जैसे, शंडिल—शांडिल्य, पुलस्ति—पौलस्त्य, दिति—दैत्य।

(घ) ऊनवाचक संज्ञाएँ

इया—जैसे, खाट—खटिया, फोड़ा—फुड़िया, डब्बा—डबिया।

ई—जैसे, पहाड़—पहाड़ी, ढोलक—ढोलकी, रस्सा—रस्सी, टोकरा—टोकरी।

ओला—जैसे, साँप—सपोला, बात—बतोला, खाट—खटोला।

ड़ा, ड़ी—जैसे, चाम—चमड़ा, मुख—मुखड़ा, पंख—पंखड़ी।

री—जैसे, कोठा—कोठरी, छत्ता—छतरी, पोट—पोटरी।

ली—जैसे, टीका—टिकुली, खाप—खुपली, डफ—डफली, सूप—सुपली।

(ङ) गुणवाचक विशेषण

आ—जैसे, प्यास—प्यासा, भूख—भूखा, मैल—मैला।

आलू—जैसे, झगड़ा—झगड़ालू।

इक—जैसे, वर्ष—वार्षिक, शरीर—शारीरिक, धर्म—धार्मिक, सेना—सैनिक।

ई—जैसे, जंगल—जंगली, ऊन— ऊनी, देश—देशी।

ईला—जैसे, रंग—रँगीला, रस—रसीला, छवि—छबीला।

उआ—जैसे—गेरू—गेरुआ, टहल—टहलुआ, फाग—फगुआ।

ऊ—जैसे, घर—घरू, बाजार—बाजारू, ढाल—ढालू।

ऐला—जैसे, बन—बनैला, धूम—धुमैला, मूँछ—मुछैला।

ला—जैसे, आगे—अगला, साथ—साथला, पीछे—पिछला।

वंत—जैसे, गुण—गुणवंत, धन—धनवंत, जय—जयवंत शील—शीलवंत—

हा—जैसे, हल—हलवाहा, पानी—पनिहा, कबीर—कबिराहा।

अभ्यास

नीचे लिखी संज्ञाओं और विशेषणों से दूसरे शब्द बनाओ—

भूख, दूध, मित्र, पहाड़, ईसा, शिव, दिन, चूहा, चोर, लकड़ी, पवित्र, लंबा, मधुर, कड़ुवा, उदास, बुरा, बूढ़ा, नीला, मोटा, पुराना।

चौथा पाठ

समास

ईश्वर दया-सागर है। किसान दाल-रोटी खाता है।

मैं भर-सक प्रयत्न करूँगा। बालक मंद-बुद्धि है।

वह तन-मन-धन से मेरी सहायता करेगा। त्रिभुवन में दशरथ के समान कोई राजा नहीं हुआ।

२८५—ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से बने हैं और उनके संबंधी शब्दों का लोप हो गया है; जैसे,

दया—सागर = दया (का) सागर।

दाल—रोटी = दाल (और) रोटी।

मंद—बुद्धि = (जिसकी) बुद्धि मंद (है)।

तन—मन—धन = तन (और) मन (और) धन।

त्रिभुवन = (तीन भुवनों का समूह)।

जब दो या अधिक शब्द अपने संबंधी शब्दों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तब उनके मेल को समास और उनके मिले हुए शब्दों को सामासिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का संबंध प्रकट कर दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं।

२८६—जब दो या अधिक संस्कृत शब्द परस्पर जोड़े जाते हैं, तब उनमें बहुधा संधि के नियमों का प्रयोग होता; जैसे—

राम + अवतार = रामावतार

पत्र + उत्तर = पत्रोत्तर

मनस् + योग = मनोयोग

२८७—किसी सामासिक शब्द में विभक्ति लगाने का प्रयोजन हो तो उसे समास के अंतिम शब्द में जोड़ते हैं; जैसे, माँ-बाप से, राज-कुल में, भाई-बहिनों का।

(१) अव्ययीभाव समास

मैं यथा-शक्ति प्रयत्न करूँगा। लड़का प्रति-दिन पाठशाला जाता है। वह आजीवन कंगाल रहा। गाड़ी धीरे-धीरे चलती है।

२८८—ऊपर लिखे रेखांकित शब्दों में प्रत्येक शब्द का अर्थ पहले शब्द के अनुसार है और वह पहला शब्द अव्यय है। समूचा शब्द

क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में आता है। इस समास को अव्ययी-भाव समास कहते हैं।

२८९—यथा (अनुसार), आ (तक), प्रति (प्रत्येक), यावत् (तक), वि (बिना) से बने हुए संस्कृत अव्ययीभाव समास हिंदी में बहुधा आते हैं; जैसे, यथास्थान, आजन्म, यावज्जीवन, प्रतिदिन।

२९०—हिंदी में संस्कृत पद्धति के निरे हिंदी अव्ययीभाव समास बहुत ही कम पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो शब्द हिंदी में प्रचलित हैं, वे तीन प्रकार के होते हैं—

(अ) हिंदी; जैसे, निडर, निधड़क, भरपेट, अनजाने।

(आ) उर्दू अर्थात् फारसी अथवा अरबी; जैसे, हररोज, बेशक, बखूबी, नाहक।

(इ) मिश्रित अर्थात् दोनों भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हुए, जैसे, हरघड़ी, हरदिन, बेकाम, बेखटके।

२९१—हिंदी में अगली संज्ञा की द्विरुक्ति करके भी अव्ययीभाव समास बनाते हैं, उदा०—घर-घर, पल-पल, हाथों-हाथ, कभी-कभी। द्विरुक्त शब्दों के बीच में 'ही' वा 'हीं' अथवा 'आ' आता है, जैसे, मनही-मन, घरही-घर, मुँहा-मुँह, एका-एक।

२९२—संज्ञाओं के समान अव्ययों की द्विरुक्ति से भी हिंदी में अव्ययीभाव समास होता है; जैसे, बीचों-बीच, धड़ाधड़, पास-पास, धीरे-धीरे।

(२) तत्पुरुष समास

रसोइया रसोई-घर में है। बालक जन्मांध है। नौका जल-मग्न हो गई। राज-पुत्र युद्ध में मारा गया।

२९३—ऊपर के उदाहरणों में जो सामासिक शब्द आए हैं; उनमें से प्रत्येक में दूसरा शब्द प्रधान है और पहले शब्द के पश्चात् किसी एक कारक की विभक्ति का लोप है; जैसे, राज-पुत्र = राजा का पुत्र। इस

प्रकार के समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में बहुधा संज्ञाएँ वा विशेषण आते हैं।

२९४—तत्पुरुष समास के प्रथम शब्द में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़ शेष भिन्न कारकों की विभक्तियों का लोप होता है, उन्हीं के अनुसार तत्पुरुष समास का नाम रखा जाता है; जैसे,

कर्म-तत्पुरुष-संस्कृत (उदा०) स्वर्गप्राप्त, देशगत, आशातीत।

करण-तत्पुरुष—(संस्कृत) ईश्वरदत्त, तुलसीकृत, भक्तिवश। (हिंदी) मनमाना, गुड़भरा, मुँहमाँगा, मदमाता।

संप्रदान-तत्पुरुष—(संस्कृत) कृष्णार्पण, देशभक्ति, बलि-पशु। (हिंदी) रसोईघर, ठकुर-सुहाती, हथकड़ी।

अपादान-तत्पुरुष-(संस्कृत) जन्मांध, ऋणमुक्त, धर्म-विमुख। (हिंदी) देश-निकाला, गुरुभाई, जन्मरोगी, कामचोर।

संबंध-तत्पुरुष—(संस्कृत) राजपुत्र, प्रजापति, सेना-नायक। (हिंदी) राजपूत, बनमानुष, बैलगाड़ी, रामकहानी।

अधिकरण-तत्पुरुष—(संस्कृत) ग्रामवास, गृहस्थ, प्रेममग्न। (हिंदी) मन-मौजी, आप-बीती, काना-फूसी।

२९५—जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद ऐसा कृदंत होता है जिसका स्वतंत्र उपयोग नहीं हो सकता, तब उस समास को उपपद कहते हैं; जैसे,

(संस्कृत)—ग्रंथकार, कृतघ्न, नृप।

(हिंदी)—लकड़फोड़, चिड़ीमार, पनडुब्बी।

२९६—अभाव अथवा निषेध के अर्थ में शब्दों के पूर्व 'अ' वा 'अन्' लगाने से जो तत्पुरुष बनता है, उसे नञ् तत्पुरुष कहते हैं; जैसे,

(संस्कृत)—अधर्म (न धर्म), अन्याय (न न्याय), अनाचार (न आचार)।

(हिंदी) अनबन, अनभल, अनरीत, अकाज।

(३) कर्मधारय समास

नील-कमल	महाधन	भलामानस
सज्जन	परमानंद	बड़ा घर

२९७—ऊपर लिखे उदाहरणों में पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य है। इसमें भी दूसरा शब्द प्रधान होता है। इस समास को कर्मधारय कहते हैं।

(अ) तत्पुरुष और कर्मधारय में यह अंतर है कि तत्पुरुष के शब्दों में अलग अलग विभक्तियाँ लगाई जाती हैं; परंतु कर्मधारय के शब्दों में एक ही सी विभक्ति रहती है।

२९८—कर्मधारय समास दो प्रकार का है। जिस समास से विशेष्य-विशेषण भाव सूचित होता है उसे विशेषता-वाचक कर्मधारय और जिससे उपमानोपमेय भाव जाना जाता है उसे उपमावाचक कर्मधारय कहते हैं। उदा०—

विशेषतावाचक कर्मधारय

संस्कृत—पीतांबर, सद्गुण, नील-कमल।

हिंदी—कालीमिर्च, मँझधार, नीलगाय।

उपमावाचक कर्मधारय

संस्कृत—चंद्रमुख (चंद्र सरीखा मुख), घनश्याम (घन सरीखा श्याम), वज्रदेह (वज्र के समान देह)।

(४) द्विगु समास

त्रिभुवन (तीन भुवनों का समूह), त्रिकाल (तीन कालों का समूह)
पंचपात्र (पाँच पात्रों का समूह), षड्रस (षट् रसों का समूह)
दोपहर (दो पहरों का समूह) अठवारा (आठ वारों का समूह)

२९९—ऊपर लिखे उदाहरणों में पहला पद संख्यावाचक विशेषण है और समूचे शब्द से कुछ वस्तुओं का समूह सूचित होता है। यह समास कर्मधारय का एक भेद है, क्योंकि दोनों में पहला शब्द विशेषण होता है। इस समास को द्विगु समास कहते हैं।

(५) द्वंद्व समास

ऋषि-मुनि (ऋषि और मुनि) सीता-राम (सीता और राम)
राधा-कृष्ण (राधा और कृष्ण) गाय-बैल (गाय और बैल)
भाई-बहिन (भाई और बहिन) पाप-पुण्य (पाप और पुण्य)

१००—पूर्वोक्त उदाहरणों में प्रत्येक समास के दोनों शब्द प्रधान हैं अर्थात् दोनों ही के विषय में चर्चा की गई है। इस समास में दोनों शब्दों के बीच में आनेवाला समुच्चय-बोधक ('और' अथवा 'वा') लुप्त रहता है। यह समास द्वंद्व समास कहलाता है।

१०१—द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है—

(१) इतरेतर द्वंद्व—जिस समास के दोनों शब्द "और" समुच्चय-बोधक से जुड़े हुए हों ; पर उस समुच्चयबोधक का लोप हो उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं ; जैसे—

संस्कृत—सुख-दुःख, राम-लक्ष्मण, देव-दानव।

हिंदी—माँ-बाप, दूध-रोटी, नाक-कान।

(२) समाहार द्वंद्व—जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं ; जैसे, सेठ साहूकार (सेठ और साहूकारों के सिवा और भी लोग) भूल चूक, हाथ-पाँव, रुपया-पैसा।

(३) वैकल्पिक द्वंद्व—जब दो पद "वा", "अथवा" आदि विकल्प-सूचक समुच्चय-बोधक के द्वारा मिले हों और उस समुच्चय-बोधक का लोप हो जाय, तब उन पदों के समास को वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। इस समास में बहुधा परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता है; जैसे, जात-कुजात, पाप-पुण्य, धर्माधर्म।

(६) बहुव्रीहि समास

यह बालक मंद-बुद्धि है। वहाँ एक कन-फटा साधु आया।
मुनि जितेंद्रिय होते हैं। मैंने नील-कंठ पक्षी देखा।

२०२—ऊपर लिखे रेखांकित शब्दों में प्रत्येक समास के दोनों शब्द प्रधान नहीं हैं। 'मंद-बुद्धि' कहने से न मंद ही का अर्थ निकलता है और न बुद्धि का; किंतु ऐसे व्यक्ति का अर्थ निकलता है जिसमें ये दोनों भावनाएँ पाई जाती हैं अर्थात् जिसकी बुद्धि मंद है। जिस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता और जो अपने शब्दों से भिन्न किसी संज्ञा की विशेषता बताता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।

२०३—इस समास के विग्रह में संबंधवाचक सर्वनाम "जो" में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़ शेष जिस कारक की विभक्ति लगती है, उसी के अनुसार इस समास का नाम होता है; जैसे—

कर्म-बहुव्रीहि—इस जाति के संस्कृत समासों का प्रचार हिंदी में नहीं है और न हिंदी में ऐसे कोई समास हैं।

करण-बहुव्रीहि—जितेंद्रिय (जीती गई हैं इंद्रियाँ जिसके द्वारा), कृतकार्य (किया गया है कार्य जिसके द्वारा)।

संप्रदान-बहुव्रीहि—यह समास भी बहुधा हिंदी में नहीं आता। इसके संस्कृत उदाहरण ये हैं—दत्तधन (दिया गया धन जिसको), उपहृत-पशु (भेंट में दिया गया है पशु जिसको)।

संबंध-बहुव्रीहि—दशानन (दश हैं आनन—मुँह—जिसके), सहस्रबाहु (सहस्र हैं बाहु जिसके), पीतांबर (पीत है अंबर—कपड़ा—जिसका)। हिंदी—कनफटा, दुधमुँहा, मिठबोला।

अपादान-बहुव्रीहि—निर्जन (निकल गया है जन-समूह जिसमें से), निर्विकार, विमल।

अधिकरण-बहुव्रीहि—प्रफुल्ल-कमल (खिले हैं कमल जिसमें, वह तालाब), इंद्रादि (इंद्र हैं आदि में जिनके, वे देवता)। हिंदी—पतझड़, अलोना, सतखंडा।

२०४—एक समास में आनेवाले शब्द एक ही भाषा के होने चाहिए; जैसे, पाक-शाला, रसोई-घर, बवर्ची-खाना; पर इस नियम के कई अपवाद भी हैं; जैसे, धन-दौलत।

१०५—कभी-कभी एक ही समास का विग्रह अर्थ भेद से कई प्रकार का होता है; जैसे, "त्रिनेत्र" शब्द "तीन आँखों" के अर्थ में कर्मधारय है; परंतु "तीन आँखोंवाला" (महादेव) के अर्थ में बहुव्रीहि है। "सत्यव्रत" शब्द के और भी अधिक विग्रह हो सकते हैं; जैसे,

सत्य और व्रत = द्वंद्व

सत्य-रूपी व्रत } = कर्मधारय
सत्य व्रत }

सत्य है व्रत जिसका = बहुव्रीहि

ऐसी अवस्था में समास का विग्रह केवल पूर्वापर संबंध से ही हो सकता है।

अभ्यास

१—नीचे लिखे शब्दों में समासों के भेद बताओ—

चीर-फाड़, राजद्रोही, लंबोदर, यथाशक्ति, रघु-कुल, चतुर्वर्ण, नाई-धोबी, नव-रस, अनुरूप, मंद बुद्धि, पीत-वर्ण, गुरु-देव।

२—नीचे लिखे अर्थों के सामासिक शब्द बनाओ और उनके भेद बताओ—

(१) सच या झूठ। (२) भाई और बहिन।
(३) भला मनुष्य। (४) स्त्री का धन।
(५) चंद्र रूपी मुख। (६) जिसके तीन नेत्र हैं।
(७) जिसका हृदय पाषाण है (८) जन्म से लेकर।
(९) प्रत्येक मास में। (१०) दश अवतारों का समूह।

पाँचवाँ पाठ

पुनरुक्त और अनुकरण-वाचक शब्द

देश-देश बड़े-बड़े रोक-रोककर

बन-बन	धीरे-धीरे	पूछ-ताछ
मन-मन	खट-खट	आस-पास

२०६—उपर लिखे शब्दों में एक ही शब्द दो बार आया है अथवा एक सार्थक शब्द के साथ दूसरा समानुप्रास या निरर्थक शब्द आया है। इस प्रकार के शब्दों को पुनरुक्त शब्द कहते हैं।

२०७—पुनरुक्त शब्द दो प्रकार के हैं—पूर्ण-पुनरुक्त, और अपूर्ण पुनरुक्त।

(१) जब कोई एक शब्द एक ही साथ लगातार दो बार अथवा, तीन बार प्रयुक्त होता है तब उन सबको पूर्ण पुनरुक्त शब्द कहते हैं, जैसे, देख-देख, बड़े-बड़े, मन-मन, चलते-चलते, जय-जय-जय।

(२) जब किसी शब्द के साथ कोई समानुप्रास सार्थक वा निरर्थक शब्द आता है तब वे दोनों शब्द अपूर्ण पुनरुक्त कहाते हैं; जैसे, आस-पास, आमने-सामने, देख-भाल।

२०८—पूर्ण पुनरुक्त शब्द अतिशयता, एकजातीयता, भिन्नता आदि अर्थों में आते हैं; जैसे,

(१) संज्ञाएँ—हँसी हँसी में लड़ाई हो पड़ी। फूल-फूल अलग रख दो। रंग-रंग के फूल।

(२) विशेषण—मीठे-मीठे आम। छोटे-छोटे लड़के अलग बिठाए गए। अनूठे-अनूठे खेल।

(३) क्रिया—वह मारा-मारा फिरता है। लड़का सोते-सोते चौंक पड़ा। मैं चलते-चलते थक गया।

(४) क्रियाविशेषण—धीरे-धीरे, कभी-कभी, जब-जब आदि।

(५) संबंध-सूचक—नौकर के साथ-साथ, सड़क के पास-पास, पानी के नीचे-नीचे।

(६) विस्मयादिबोधक—हाय हाय! छिः छिः! अरे-अरे!

२०९—अपूर्ण पुनरुक्त शब्द दो सार्थक अथवा एक सार्थक और एक निरर्थक या दो निरर्थक शब्दों के मेल से बनते हैं; जैसे,

(१) संज्ञाएँ—काम-काज, बात-चीत, सटर-पटर।
(२) विशेषण—भरा-पूरा, भोला-भाला, हट्टा-कट्टा।
(३) क्रिया—लपना-मिलना, पूछना-ताछना, सोचना-विचारना।
(४) अव्यय—यहाँ-वहाँ, आमने-सामने, आस-पास।

११०—अनुकरणवाचक शब्दों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—
(१) संज्ञा—बकबक, खटखट, भनभन।
(२) विशेषण—गड़बड़िया, खटपटिया, भरभरिया।
(३) क्रिया—हिनहिनाना, झनझनाना, भिनभिनाना।
(४) क्रिया-विशेषण—झटपट, थरथर, धड़ाधड़।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में पुनरुक्त शब्दों के भेद और अर्थ बताओ—

घर-घर जोसव होन है मन-मन जाँचत जाय। बात-बात में भेद है। वहाँ पहुँचते ही पहुँचते रात हो जायगी। मेरे रोम-रोम प्रसन्न हो गए। उस सड़क पर कई ऊँचे ऊँचे घर हैं। पुस्तकें पढ़ते-पढ़ते आयु बीत गई। पागल अट-सट बकता है। वहाँ दनादन गोली चली। उसने सब काम ठीक-ठीक कर लिया। लड़के ने जैसे-तैसे काम कर लिया। वह थरथर काँप रहा है।

छठा पाठ

हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास

वैदिक काल में शिष्ट समाज की भाषा संस्कृत थी; पर जन-साधारण उस समय भी एक प्रकार की साधारण भाषा बोलते थे, जो प्राकृत कहलाती थी। इस प्राकृत से आगे पाली और द्वितीय प्राकृत का जन्म हुआ। कालांतर में ये भाषाएँ व्याकरण के जटिल नियमों द्वारा बाँध दी गईं; जिसका परिणाम यह हुआ कि बोल-चाल की भाषा अपभ्रंश हो गई। जब अपभ्रंश भाषाएँ भी व्याकरण के नियमों के

अंतर्गत आ गई, तब सर्वसाधारण के लिये एक सरल भाषा की आवश्यकता पड़ी। इस समय आधुनिक देशी भाषाओं का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का उद्गम भी इसी समय हुआ। हिंदी का जन्म प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं की उन शाखाओं से हुआ जो शौरसेनी और अर्द्धमागधी कहलाती थीं।

प्राकृत भाषाएँ ईस्वी सन् के आठ नौ सौ वर्ष तक और अपभ्रंश भाषाएँ ग्यारहवीं शताब्दी तक प्रचलित थीं। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में पुरानी हिंदी का यह उदाहरण दिया गया है—

"भल्ला हुआ जु मारिया, बहिणि महारा कंतु।
लज्जेजंतु वयंसिअहु, जइ भग्गा घरु एंतु॥"

(हे बहिन, भला हुआ जो मेरा पति मर गया। यदि भागा हुआ घर आता तो मैं सखियों में लज्जित होती।)

पृथ्वीराज रासो में भी पुरानी हिंदी का रूप पाया जाता है। इस काल की भाषा में प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों की अधिकता है। इस समय की भाषा में हिंदी का रूप पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ था। चंद कवि के समय के पश्चात् से हिंदी का रूप कुछ कुछ स्थिर होने लगा था। चंद के समय की हिंदी का उदाहरण यह है—

उच्छिष्ठ छंद चंदह बयन सुनत सु जंपिय नारि।
तनु पावन पावन कविय उकति अनूठ उधारि॥

('छंद (कविता) उच्छिष्ट है', चंद का यह वचन सुनकर स्त्री ने कहा—पावन कवियों की अनूठी उक्ति का उद्धार करने से शरीर पवित्र हो जाता है।)

यद्यपि इस काल में कई कवि हुए, पर उन सबकी रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं, इसीलिये इस युग का प्रमुख कवि पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद कवि ही माना जाता है। चंद का समकालीन कवि जगनिक था जिसके ग्रंथों के आधार पर आल्हा (काव्य) की रचना हुई है। यह काल हिंदी का आदिकाल कहलाता है।

इसके पश्चात् हिंदी भाषा के विकास का मध्यकाल आता है। इस युग में हिंदी की प्राचीन बोलियाँ बदलकर क्रमशः ब्रजभाषा, अवधी और खड़ीबोली हो गई। इसे धर्मकाल कह सकते हैं। इस काल की भाषा का रूप भक्त कवियों की रचनाओं से जाना जाता है। इस समय हिंदी का रूप स्थिर हो चला था। धर्मकाल के कवियों की कविता अधिकांश में हिंदी के उस रूप में हुई जिसे ब्रजभाषा कहते हैं। इस काल में विशेषकर कबीर साहब की भाषा ध्यान देने योग्य है। उनकी कविता में ब्रजभाषा और हिंदी के उस रूप का मिश्रण है, जिसे बाद में लल्लूलाल ने (सन् १८०३ में) खड़ी बोली का नाम दिया। कबीर साहब की भाषा बहुत सहज है। कबीर साहब ने जो कुछ लिखा है वह लेखक की दृष्टि से नहीं, वरन् सुधारक की दृष्टि से लिखा है, इसलिये उनकी भाषा सरल और सरस है। उनकी कविता का उदाहरण यह है—

मनका फेरत जुग गया, गया न मनका फेर।
कर का मनका छाँडि दे, मन का मनका फेर॥

इसके पश्चात् पंद्रहवीं शताब्दी में हिंदी भाषा पर विदेशी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। इस समय मुसलमानी शासन होने के कारण हिंदी में अरबी और फारसी शब्दों का उपयोग प्रचुरता से होने लगा। इसी काल में उर्दू भाषा का जन्म हुआ। उर्दू यथार्थ में कोई नई भाषा नहीं है। यह भाषा दिल्ली और मेरठ के आस-पास बोली जानेवाली खड़ी बोली और अरबी फारसी शब्दों का मिश्रण है। उर्दू और हिंदी में वस्तुतः केवल लिपि का भेद है। इस काल में हिंदी भाषा में अरबी-फारसी के कई शब्द ऐसे घुल-मिल गए कि उनका पहचानना कठिन हो गया है; जैसे, रोटी जामा, हलवाई।

उत्तर मध्यकाल के प्रमुख कवि सूरदास और तुलसीदास हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य और कृष्ण-भक्त थे। कहते हैं कि इन्होंने सवा लाख पद लिखे हैं, जिनका संग्रह 'सूरसागर' नामक ग्रंथ में है। ये ब्रजभाषा में कविता करते थे। तुलसीदास की भाषा बैसवाड़ी

से मिलती हुई अवधी और ब्रजभाषा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ राम-चरितमानस है।

इसके बाद सूरति मिश्र ने ब्रजभाषा के गद्य में वैताल-पचीसी नामक ग्रंथ लिखा। यह रचना कदाचित् गद्य की प्रथम रचना है।

आधुनिक हिंदी के विकास का काल सन् १८०० से आरंभ होता है। मुसलमानी राजत्वकाल में जिस प्रकार हिंदी भाषा में अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों का समावेश हुआ, उसी प्रकार इस काल में यूरोपीय भाषाओं के शब्द-भंडार से हिंदी का कोश भरने लगा। इस समय बहुत से यूरोपीय शब्द हिंदी में व्यवहृत होने लगे और होते जाते हैं; जैसे नीलाम, कमरा (पोर्तगीज); मास्टर, डाक्टर, बैरिस्टर (अँगरेजी)।

इस काल में हिंदी भाषा की सर्वतोमुखी उन्नति हो रही है। भाषा का शब्द-भंडार तथा साहित्य तेजी से उन्नति कर रहा है। उपन्यास और नाटकों की अधिकता हो रही है तथा अनेक प्रकार के सामयिक पत्र प्रकाशित किए जा रहे हैं। भाषा अधिक व्याकरण-सम्मत लिखी जा रही है, पर संस्कृत शब्दों की भरमार बहुत होती है।

छठा अध्याय

वाक्य विन्यास

पहला पाठ

कारकों के अर्थ

(१) कर्त्ता-कारक

३११—हिंदी में कर्त्ता कारक के दो रूप हैं—

(१) अप्रत्यय (प्रधान), (२) सप्रत्यय (अप्रधान)।

(१) अप्रत्यय कर्त्ता-कारक नीचे लिखे अर्थों में आता है—

(क) प्रतिपादिक के अर्थ में (किसी वस्तु के उल्लेख मात्र में); जैसे, पुरुष, पाप, लड़का, वेद, सत्संग, कागज।

(ख) उद्देश्य में—पानी गिरा। नौकर काम पर भेजा जायगा। हम तुम्हें बुलाते हैं।

(ग) उद्देश्य-पूर्ति में—घोड़ा एक जानवर है। मंत्री राजा हो गया। साधु चोर निकला। सिपाही सेनापति बनाया गया।

(घ) स्वतंत्र उद्देश्य-पूर्ति में—मंत्री का राजा होना सबको बुरा लगा। लड़के का स्त्री बनना ठीक नहीं।

(ङ) स्वतंत्र कर्त्ता के अर्थ में—चार बजकर दस मिनिट हुए हैं। इस औषधि से थकावट दूर होकर बल बढ़ता है। दिन निकलते ही चोर भाग गए।

(२) सप्रत्यय कर्त्ता-कारक वाक्य में केवल उद्देश्य ही के अर्थ में आता है; जैसे, लड़के ने चिट्ठी लिखी। मैंने नौकर को बुलाया। हमने अभी नहाया है।

कर्म-कारक

२१२—कर्म-कारक का प्रयोग बहुधा सकर्मक क्रिया के साथ होता है और कर्ता-कारक के समान वह दो रूपों में आता है—(१) अप्रत्यय (२) सप्रत्यय।

(१) अप्रत्यय कर्म-कारक से नीचे लिखे अर्थ सूचित होते हैं—

(क) मुख्य कर्म—राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। गुरु शिष्य को गणित पढ़ाता है। नट ने लोगों को खेल दिखाया।

(ख) कर्म-पूर्ति—अहल्या ने गंगाधर को दीवान बनाया। मैंने चोर को साधु समझ लिया। राजा ब्राह्मण को गुरु मानता है।

(ग) सजातीय-कर्म—सिपाही कई लड़ाइयाँ लड़ा। "सोओ सुख-निंदिया, प्यारे ललन।" किसान ने चोर को खूब मार मारी। वे ही यह नाच नाचते हैं।

(घ) अपरिचित वा अनिश्चित कर्म—मैंने शेर देखा है। पानी लाओ। लड़का चिट्ठी लिखता है। हम एक नौकर खोजते हैं।

(२) सप्रत्यय कर्म-कारक बहुधा नीचे लिखे अर्थों में आता है—

(क) निश्चित कर्म में—चोर ने लड़के को मारा। हमने शेर को देखा है। लड़का चिट्ठी को पढ़ता है।

(ख) व्यक्तिवाचक, अधिकारवाचक, तथा संबंधवाचक कर्म में, जैसे, हम मोहन को जानते हैं। राजा ने ब्राह्मण को देखा। डाकू गाँव के मुखिया को खोजते थे।

(ग) मनुष्यवाचक सार्वनामिक कर्म में—राजा ने उसे निकाल दिया। सिपाही तुमको पकड़ लेगा। लड़का किसी को देखता है। आप किसको खोजते हैं ?

(३) करण-कारक

२१३—करण-कारक से नीचे लिखे अर्थ पाए जाते हैं—

(क) करण अर्थात् साधन—नाक से साँस लेते हैं। पैरों से चलते हैं। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा।

(ख) कारण—आपके दर्शन से लाभ हुआ। धन से विद्या बढ़ती है। वह किसी पाप से अजगर हुआ था।

(ग) रीति—लड़के क्रम से बैठे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। नौकर धीरज से काम करता है।

(घ) साहित्य—विवाह धूम से हुआ। सर्वसंमति से निश्चय हुआ। आम खाने से काम या पेड़ गिनने से?

(ङ) दशा—शरीर से हट्टा-कट्टा। स्वभाव से क्रोधी। हृदय से दयालु।

(च) भाव और पलटा—गेहूँ किस भाव से बिकता है। तुमने ब्याज किस हिसाब से लिया। वे अनाज से घी बदलते हैं।

(४) संप्रदान-कारक

२१४—संप्रदान कारक नीचे लिखे अर्थों में आता है—

(क) द्विकर्मक क्रिया के गौण कर्म में—राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। गुरु शिष्य को व्याकरण सिखाता है। ढोरों को मैला पानी न पिलाना चाहिए।

(ख) फल या निमित्त—ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं। लड़के सैर को गए। यह धन के लिये मरा जाता है।

(ग) प्राप्ति—मुझे बहुत काम रहता है। उसे भरपूर आदर मिला। लड़के को पढ़ना आता है।

(घ) मनोविकार—उसको देह की सुध न रही। इस बात में किसी को शंका न होगी।

(ङ) प्रयोजन—मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है। उसको इसमें कुछ लाभ नहीं। तुमको इसमें क्या करना है?

(च) कर्तव्य, आवश्यकता और योग्यता—मुझे वहाँ जाना चाहिए। यह बात तुमको कब योग्य है। उनको वहाँ रहना था।

(५) अपादान-कारक

२१५—अपादान कारक के अर्थ और प्रयोग नीचे लिखे अनुसार होते हैं—

(क) काल तथा स्थान का आरंभ—वह लखनऊ से आया। मैं कल से बैठा हूँ। गंगा हिमालय से निकलती है।

(ख) उत्पत्ति—ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। दूध से दही बनता है। कोयला खदान से निकाला जाता है।

(ग) काल वा स्थान का अंतर—अटक से कटक तक। सवेरे से साँझ तक। नख से सिर तक।

(घ) भिन्नता—यह कपड़ा उससे अलग है। आत्मा देह से भिन्न है। गोकुल से मथुरा न्यारी।

(ङ) तुलना—मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा? भारी से भारी वजन। छोटे से छोटा प्राणी।

(च) वियोग—वह मुझसे अलग रहता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मेरे हाथ से छड़ी छूट पड़ी।

(छ) निर्धारण (निश्चित करना)—इन कपड़ों में से आप कौन सा लेते हैं? हिंदुओं में से कई लोग विलायत को गए हैं। इन लड़कों में से एक को मैं जानता हूँ।

(६) संबंध-कारक

२१६—संबंध कारक से अनेक प्रकार के अर्थ सूचित होते हैं; उनमें से यहाँ केवल मुख्य-मुख्य अर्थ लिखे जाते हैं—

(क) स्व-स्वामिभाव—देश का राजा, मालिक का घर, मेरा घर।

(ख) अंगांगिभाव—लड़के का हाथ, स्त्री के केश, तीन खंड का मकान।

(ग) जन्य जनक भाव—लड़के का बाप, ईश्वर की सृष्टि, राजा का बेटा।

(घ) कार्य-कारण-भाव—सोने की अँगूठी, चाँदी का पलँग, मूर्त्ति का पत्थर।

(ङ) सेव्य-सेवक भाव—ईश्वर का भक्त, गाँव का जोगी, राजा की सेना।

(च) गुण-गुणी भाव—मनुष्य की बड़ाई, आम की खटाई, भरोसे का नौकर।

(छ) नाता—राजा का भाई, स्त्री का पति, मेरा काका।

(ज) प्रयोजन—बैठने का कोठा, पीने का पानी, खेती का बैल।

(झ) मोल या माल—पैसे का गुड़, गुड़ का पैसा, रुपए के आठ सेर चावल।

(ञ) परिमाण—दो हाथ की लाठी, दस बीघे का खेत, चार सेर की नाव।

(७) अधिकरण-कारक

२१७—अधिकरण कारक की मुख्य दो विभक्तियाँ हैं—में और पर। इन दोनों के अर्थ और प्रयोग अलग अलग हैं।

(१) "में" का प्रयोग नीचे लिखे अर्थों में होता है—

(क) आभ्यंतर आधार—दूध में मिठास है। मछलियाँ समुद्र में रहती हैं। नौकर काम में है।

(ख) मोल—पुस्तक चार आने में मिली। उसने बीस रुपए में गाय ली। यह कपड़ा तुमने कितने में बेचा?

(ग) मेल तथा अंतर—हममें तुममें कोई भेद नहीं है। भाई-भाई में प्रीति है। उन दोनों में अनबन है।

(घ) कारण—व्यापार में उसे टोटा पड़ा। क्रोध में शरीर छीजता है। बातों में उड़ाना।

(ङ) निर्धारण—देवताओं में कौन अधिक पूज्य है? सती स्त्रियों में पद्मिनी प्रसिद्ध है। अंधों में काने राजा। सब में छोटा।

(च) स्थिति—सिपाही चिंता में है। उसका भाई युद्ध में मारा गया। रोगी होश में नहीं है।

(छ) निश्चित काल की स्थिति—वह एक घंटे में अच्छा हुआ। दूत कई दिनों में लौटा। प्राचीन समय में भोज नाम का एक प्रतापी राजा हो गया है।

(२) "पर" नीचे लिखे अर्थ सूचित करता है—

(क) बाह्य आधार—सिपाही घोड़े पर बैठा है। लड़का द्वार पर खड़ा है। नौकरों पर दया करो।

(ख) दूरता—एक कोस पर, कुछ आगे जाने पर, एक कोस की दूरी पर।

(ग) कारण—मेरे बोलने पर वह अप्रसन्न हो गया। अच्छे काम पर इनाम मिलता है। इस बात पर सब झगड़ा मिट जायगा।

(घ) अधिकता—इस अर्थ में संज्ञा की द्विरुक्ति होती है; जैसे, घर से चिट्ठियों पर चिट्ठियाँ आती हैं। तगादे पर तगादा भेजा जा रहा है। दिन पर दिन भाव चढ़ रहा है।

(ङ) निश्चित काल—समय पर वर्षा नहीं हुई। एक-एक घंटे पर दवा दी जावे। गाड़ी नौ बजकर पैंतालिस मिनट पर आती है।

(च) नियम-पालन—वह अपने जेठों की चाल पर चलता है। तुम अपनी बात पर नहीं रहते। लड़के माँ-बाप के स्वभाव पर होते हैं।

(छ) अनंतरता—भोजन करने पर पान खाना चाहिए। बात पर बात निकलती है। आपका पत्र आने पर सब प्रबंध हो जायगा।

संबोधन-कारक

३१८—इस कारक का प्रयोग किसी को चिताने अथवा पुकारने में होता है; जैसे, भाई, तुम कहाँ गए थे? मित्रो, हमारी सहायता करो।

३१९—संबोधन-कारक के साथ (आगे या पीछे) बहुधा कोई एक विस्मयादि-बोधक आता है; जैसे, रुको, रे मन, हरि-विमुखन को संग। हे प्रभु, रक्षा करो हमारी। भैया हो, यहाँ तो आओ।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में कारक और उनके अर्थ बताओ—

दिल्ली के एक बादशाह का नाम अजतमश था। उसकी पढ़ाई का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया था। सरदारों को उसका शासन न भाया।

उन्होंने उसके भाई को गद्दी पर बैठाया। अंत में उनको उसे गद्दी से उतारना पड़ा। रज़िया ने बड़ी चतुरता से विरोधियों को हराया। इसकी सेना शत्रुओं से मिल गयी। उसने तलवार से अनेकों योद्धा मार गिराए। दोनों को हिंदुओं ने बंदी करके मार डाला। हे प्रभु, तेरी लीला विचित्र है।

दूसरा पाठ

कालों के अर्थ

(१) संभाव्य भविष्यत्-काल

३२०—संभाव्य भविष्यत्-काल नीचे लिखे अर्थों में आता है—

(अ) संभावना—आज (शायद) पानी बरसे। (कहीं) वह लौट न आवे। हो न हो। राम जाने।

(आ) इच्छा, आशीर्वाद, शाप आदि—मैं यह बात राजा को सुनाऊँ। आपका भला हो। गाज परै उन लोगन पै।

(इ) कर्तव्य, आवश्यकता—तुमको अब योग्य है कि बन में बसो। इस काम के लिये कोई उपाय अवश्य किया जावे।

(ई) उद्देश्य, हेतु—ऐसा करो जिससे बात बन जाय। इस बात की चर्चा हमने इसलिये की है कि शंका दूर हो जाय।

(उ) उत्प्रेक्षा (तुलना)—तुम ऐसी बातें करते हो मानो कहीं के राजा होओ। ऋषि ने तुम्हारे अपराध को भूल अपनी कन्या ऐसे भेज दी है जैसे कोई चोर के पास अपना धन भेज दे।

(२) सामान्य भविष्यत्-काल

३२१—इस काल से अनारम्भ कार्य अथवा दशा के अतिरिक्त नीचे लिखे अर्थ सूचित होते हैं—

(अ) निश्चय की कल्पना—ऐसा वर और कहीं न मिलेगा। जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं भी जाऊँगा। उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा।

(आ) प्रार्थना—प्रश्नवाचक वाक्यों में यह अर्थ पाया जाता है; जैसे, क्या आप कल वहाँ चलेंगे ? क्या तुम मेरा इतना काम कर दोगे ? क्या वे मेरी बात सुनेंगे ?

(इ) संकेत—यदि रोगी की सेवा होगी, तो वह अच्छा हो जायगा। अगर हवा चलेगी, तो गरमी कम हो जायगी।

(३) प्रत्यक्ष विधि

३२१—इस काल के अर्थ ये हैं—

(अ) अनुमति-प्रश्न—उत्तम पुरुष के दोनों वचनों में किसी की अनुमति अथवा परामर्श ग्रहण करने में इस काल का उपयोग होता है; जैसे, क्या मैं जाऊँ ? हम लोग यहाँ बैठें ?

(आ) संमति—उत्तम पुरुष के दोनों वचनों में कभी-कभी इस काल से श्रोता की संमति का बोध होता है; जैसे, चलें, उस रोगी की परीक्षा करें। हम लोग मोहन को यहाँ बुलावें।

(इ) आज्ञा और उपदेश—यहाँ बैठो। किसी को गाली मत दो। नौकर अभी यहाँ से जावे।

(ई) प्रार्थना—आप मुझपर कृपा करें। नाथ, मेरी इतनी विनती मानिए। नाथ, करहु बालक पर छोहू।

(४) परोक्ष विधि

३२३—इस काल के अर्थ ये हैं—

(अ) परोक्ष विधि से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना आदि के साथ भविष्यत् काल का अर्थ पाया जाता है; जैसे, कल मेरे यहाँ इमआना। ...री शीघ्र सुध लीजियो। कीजो सदा धर्म से शासन, स्वत्व प्रजा के मत हरियो।

(आ) "आप" के साथ परोक्ष विधि में "गा" आदर-सूचक विधि का प्रयोग होता है; जैसे; कल आप वहाँ जाइएगा। आप उन्हें बुलाइएगा।

(५) सामान्य संकेतार्थ काल

३२४—इस काल के अर्थ ये हैं—

(अ) क्रिया की असिद्धता का संकेत (तीनों कालों में); जैसे मेरे एक भी भाई होता, तो मुझे बड़ा सुख मिलता (भूत)। जो उसका काम न होता तो वह कभी न आता (वर्तमान)। यदि कल आप मेरे साथ चलते, तो वह काम अवश्य हो जाता (भविष्यत्)।

(आ) असिद्ध इच्छा—जैसे, हा ! जगमोहन सिंह, आज तुम जीवित होते। कुछ दिन के पश्चात् नींद निज अंतिम सोते।

(इ) कभी-कभी सामान्य संकेतार्थकाल से, सम्भाव्य भविष्यत्काल के अर्थ में इच्छा सूचित होती है; जैसे, मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे मिलता (= मिले)। यदि आप कहते (= कहें) तो मैं उसे बुलाता (=बुलाऊँ)। इसके लिये यही उपाय है कि आप जल्दी आते।

(ई) भूतकाल की किसी घटना के विषय में संदेह का उत्तर देने के लिये सामान्य संकेतार्थकाल का उपयोग बहुधा प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्य में होता है ; जैसे, अर्जुन की क्या सामर्थ्य थी कि वह हमारी बहिन को ले जाता ? मैं इस पेड़ को न सींचती ?

(६) सामान्य वर्त्तमान काल

३२४—यह काल नीचे लिखे अर्थों में आता है—

(अ) बोलने के समय की घटना—जैसे, पानी अभी बरसता है। गाड़ी आती है। वे आपको बुलाते हैं।

(आ) ऐतिहासिक वर्त्तमान —भूतकाल की घटना का इस प्रकार वर्णन करना मानों वह प्रत्यक्ष हो रही हो; जैसे, तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र मन्त्रियों सहित आते हैं। शोक-विकल सब रोवहिं रानी।

(इ) स्थिर सत्य—साधारण नियम किंवा सिद्धांत बताने में, अर्थात् ऐसी बात कहने में जो सनातन और सत्य है, इस काल का प्रयोग किया जाता है ; जैसे, सूर्य पूर्व में उदय होता है। पक्षी अंडे देते हैं। आत्मा अमर है।

(ई) वर्तमानकाल की अपूर्णता—जैसे, पंडित जी स्नान करते हैं (कर रहे हैं)। मैं अभी लिखता हूँ। गाड़ी आती है।

(उ) अभ्यास—जैसे, हम बड़े तड़के उठते हैं। सिपाही पहरा देता है। गाड़ी दोपहर को आती है।

(ऊ) आसन्न-भूत—आपको राजा सभा में बुलाते हैं। मैं अभी अयोध्या से आता हूँ। क्या हम तेरी जाति-पाँति पूछते हैं ?

(ऋ) आसन्न भविष्यत्—मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। अब तो वह मरता है। लो, गाड़ी अब आती है।

(७) अपूर्ण भूतकाल

३२६—इस काल से नीचे लिखे अर्थ सूचित होते हैं—

(अ) भूतकाल की किसी क्रिया की अपूर्ण दशा—किसी जगह कथा होती थी। चोर दबकर दगाता था। चिल्लाती थी वह रो-रो कर।

(आ) भूतकाल की किसी अवधि में एक काम का बार-बार होना—जहाँ जहाँ रामचन्द्र जी जाते थे, वहाँ वहाँ मेघ छाया करते थे। वह जो जो पढ़ता था उसका उत्तर मैं देता जाता था।

(इ) भूतकालिक अभ्यास—पहले यह बहुत सोता था। मैं उसे जितना पानी पिलाता था उतना वह पीता था।

(ई) भूतकालिक उद्देश्य—मैं आपके पास आया था। वह कपड़े पहिनता ही था कि नौकर ने उसे पुकारा।

(८) संभाव्य वर्त्तमान-काल

३२७—इस काल के अर्थ ये हैं—

(अ) वर्त्तमान काल की (अपूर्ण) क्रिया की संभावना—कदाचित् इस गाड़ी में मेरा भाई आता हो। मुझे डर है कि कहीं कोई देखता न हो। शायद राम पढ़ता हो।

(आ) अभ्यास (स्वभाव या धर्म)—ऐसा घोड़ा लाओ जो घंटे में दस मील जाता हो। हम ऐसा घर चाहते हैं जिसमें धूप आती हो। वह ऐसा लड़का नहीं है जो सदा लापरवाही करता हो।

(इ) भूत अथवा भविष्यत् काल की अपूर्णता की संभावना—जब

आप आएँ, तब मैं भोजन करता होऊँ। अगर मैं लिखता होऊँ तो मुझे न बुलाना।

(ई) उत्प्रेक्षा—आप ऐसे बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते हों। ऐसा शब्द हो रहा था मानो मेघ गरजता हो। आप मुझे इस प्रकार आज्ञा देते हैं मानो मैं आपकी नौकरी करता होऊँ।

(९) संदिग्ध वर्त्तमान-काल

३२८—यह काल नीचे लिखे अर्थों में आता है—

(अ) वर्तमान काल की क्रिया का संदेह—गाड़ी आती होगी। वे मेरी सब कथा जानते होंगे। तेरे लिये गौतमी अकुलाती होगी।

(आ) तर्क—चाय पत्तियों से बनती होगी। यह तेल खदान से निकलता होगा। आप सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते होंगे।

(इ) भूतकाल की अपूर्णता का संदेह—उस समय मैं यह काम करता होऊँगा। जब आप उनके पास गए, तब वे चिट्ठी लिखते होंगे। वे वहाँ रहते होंगे।

(१०) अपूर्ण संकेतार्थ काल

३२९—इस काल से नीचे लिखे अर्थ सूचित होते हैं—

(अ) अपूर्ण क्रिया की असिद्धता का संकेत—अगर वह काम करता होता, तो अब तक चतुर हो जाता। अगर हम कमाते होते, तो ये बातें क्यों सुननी पड़तीं। यदि वे चलते, तो अवश्य पहुँच गए होते।

(आ) वर्त्तमान वा भूतकाल की कोई असिद्ध इच्छा—मैं चाहता हूँ कि यह लड़का पढ़ता होता। उसकी इच्छा थी कि मेरा भाई मेरे साथ काम करता होता। वह चाहता था कि मेरा लड़का बुद्धिमान होता।

(इ) कभी कभी पूर्व वाक्य का लोप कर दिया जाता है और केवल उत्तर वाक्य बोला जाता है; जैसे, इस समय वह लड़का पढ़ता होता (=अगर वह जीता रहता तो पढ़ने में मन लगाता)। हम सुख में समय बिताते होते।

(११) सामान्य भूतकाल

३३०—सामान्य भूतकाल नीचे लिखे अर्थ सूचित करता है—

(अ) बोलने वा लिखने के पूर्व क्रिया की स्वतंत्र घटना—जैसे, विधना ने इस दुःख पर भी वियोग दिया। गाड़ी सबेरे आई। अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी।

(आ) आसन्न भविष्यत्—आप चलिए, मैं अभी आया। अब यह बेमौत मरा। भला अब कौन बोले।

(इ) सांकेतिक अथवा संबन्धवाचक वाक्यों में इस काल से साधारण वा निश्चित भविष्यत् का बोध होता है; जैसे, अगर तुम एक कदम भी बढ़े (बढ़ोगे), तो तुम्हारा बुरा हाल हुआ। ज्यों ही पानी रुका (रुकेगा), त्यों ही हम भागे (भागेंगे)। जहाँ मैंने कुछ कहा, वहाँ वह उठकर तुरंत चला।

(ई) अभ्यास, संबोधन अथवा स्थिर सत्य सूचित करने के लिये इस काल का उपयोग सामान्य वर्त्तमान के समान होता है; जैसे, ज्यों ही वह उठा (उठता है) त्योंही उसने पानी माँगा (माँगता है)। लो, मैं यह चला। पढ़ा जिन्होंने छंद-प्रभाकर, काया पलट हुई पद्माकर।

(१२) आसन्न भूतकाल (पूर्ण वर्त्तमान-काल)

३३१—इस काल के अर्थ ये हैं—

(अ) किसी भूतकालिक क्रिया का वर्त्तमान-काल में पूरा होना; जैसे, नगर में एक साधु आए हैं। उसने अभी नहाया है। वह अभी आया है।

(आ) ऐसी भूतकालिक क्रिया की पूर्णता जिसका प्रभाव वर्त्तमान-काल में पाया जावे; जैसे, बिहारी कवि ने सतसई लिखी है। दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद का अनुवाद किया है। भारतवर्ष में अनेक दानी राजा हो गए हैं।

(इ) भूतकालिक क्रिया की आवृत्ति सूचित करने में बहुधा आसन्न भूतकाल आता है; जैसे, जब-जब अनावृष्टि हुई है, तब-तब अकाल पड़ा है। जब-जब वह मुझे मिला है, तब-तब उसने धोखा दिया है।

(ई) किसी क्रिया का अभ्यास—उसने बढ़ई का काम किया है। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। मैंने वह पुस्तक पढ़ी है।

(१३) पूर्ण भूतकाल

३३२—इस काल का प्रयोग नीचे लिखे अर्थों में होता है—

(अ) बोलने या लिखने के बहुत ही पहले की क्रिया; जैसे, सिकंदर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की थी। लड़कपन में हमने अँगरेजी सीखी थी। आज सवेरे मैं आपके यहाँ गया था।

(आ) दो भूतकालिक घटनाओं की समकालीनता—वे थोड़े ही दूर गए थे कि एक महाशय मिले। कथा पूरी न हो पाई थी कि सब लोग चले गए।

(इ) यह काल कभी-कभी आसन्नभूत के अर्थ में भी आता है; जैसे, अभी मैं आपसे कहने आया था कि मैं घर में रहूँगा (आया था = आया हूँ)। हमने आपको इसलिये बुलाया था कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

(१४) संभाव्य भूतकाल

३३३—इस काल से नीचे लिखे अर्थ सूचित होते हैं—

(अ) भूतकाल की (पूर्ण) क्रिया की संभावना—जैसे, हो सकता है कि उसने यह बात सुनी हो। जो कुछ तुमने सोचा हो उसे साफ-साफ कहो। संभव है कि उसने यह कह दिया हो।

(आ) आशंका वा संदेह—कहीं चोर ने उसे मार न डाला हो। विवाह की बात सखी ने हँसी में न कही हो। उन्हें चिट्ठी देरी से मिली हो।

(इ) भूतकालीन उत्प्रेक्षा में—वह मुझे ऐसे देखता है मानों मैंने कोई भारी अपराध किया हो। वह ऐसी बातें बनाता है मानों उसने कुछ देखा ही न हो। लड़का ऐसी बातें करता है मानों वह बड़ा विद्वान् हो।

(१५) संदिग्ध भूतकाल

३३४—इस काल के अर्थ ये हैं—

(अ) भूतकालिक क्रिया का संदेह—जैसे, उसे हमारी चिट्ठी मिली

होगी। तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी होगी। मेरा भाई पहुँच गया होगा।

(आ) अनुमान—कहीं पानी बरसा होगा, क्योंकि ठंढी हवा चल रही है। रोहिताश्व भी अब इतना बड़ा हुआ होगा। लाट साहब कल उदयपुर पहुँचे होंगे।

(इ) जिज्ञासा—श्री कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया होगा। उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा ?

(१६) पूर्ण संकेतार्थ-काल।

३६५—इस काल से नीचे लिखे अर्थ सूचित होते हैं—

(अ) पूर्ण क्रिया का असिद्ध संकेत—जैसे, जो मैंने अपनी लड़की न मारी होती, तो अच्छा था। यदि तूने भगवान् को इस मंदिर में बिठाया होता, तो वह अशुद्ध क्यों रहता। यदि वह चला होता, तो अब-तक पहुँच जाता।

(आ) भूतकाल की असिद्ध इच्छा—जब वे तुम्हारे पास आए थे, तब तुमने उन्हें बिठलाया तो होता। तुमने अपना काम एक बार तो कर लिया होता। वह कम से कम एक बार तो मुझसे मिला होता।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों से कालों के अर्थ बताओ—

थोड़े दिन बाद समाचार मिला कि राजा जनक सीता का विवाह करने के लिये स्वयंवर रचने वाले हैं। उन्होंने यह प्रण किया था कि जो इसे तोड़ेगा, उसी के साथ विवाह होगा। यदि तुम्हारे प्रति राजा का सच्चा अनुराग होता तो क्या वे बेटे को राजगद्दी न देते। अब मुझे मेरे वर दीजिए। वे नहीं कैसे करते। राम बोले कि मैं पिता की आज्ञा कैसे न मानूँ। मैंने इसीलिये जन्म लिया है। अयोध्या-वासी राम का साथ न छोड़ते थे। यह कैसे हो सकता था कि राम वन को न जाते। सीता ने सोचा कि कोई मृग चरता होगा। किसी शिकारी के भय से वह यहाँ भाग आया होगा। शायद वह

राक्षस हो। उसकी यह इच्छा ही थी कि लक्ष्मण चले आवें। इस समय मारीच के मुँह से ऐसे शब्द निकले मानो राम बोल रहे हों। राम ने लक्ष्मण से कह दिया था कि तुम सीता को अकेले छोड़ कहीं मत जाना।

तीसरा पाठ

शब्दों का अन्वय

(१) उद्देश्य और क्रिया का अन्वय

किसी वन में हिरन और कौआ रहते थे। मोहन और सोहन सड़क पर खेल रहे हैं। बहू और लड़की काम कर रही हैं।

३२३—यदि संयोजक समुच्चय-बोधक से जुड़ी हुई एक ही पुरुष और एक ही लिंग की एक से अधिक एकवचन प्राणिवाचक संज्ञाएँ अप्रत्यय कर्त्ता कारक में आकर उद्देश्य हों, तो उनके योग से क्रिया उसी पुरुष और लिंग के बहुवचन में आएगी।

मेरी बातें सुनकर महारानी को हर्ष तथा आश्चर्य हुआ। कुएँ में से घड़ी तथा लोटा निकला। उनकी बुद्धि का बल और राज का अच्छा नियम इसी एक काम से मालूम हो जावेगा।

३२७—संयोजक समुच्चय-बोधक से जुड़ी हुई एक ही पुरुष और लिंग की दो वा अधिक अप्राणिवाचक अथवा भाववाचक संज्ञाएँ यदि एकवचन में आवें तो क्रिया बहुधा एकवचन ही में रहती है।

राजा और रानी भी मूर्छित हो गए। कश्यप और अदिति बातें करते हुए दिखाई दिए। गाय और बैल चरते हैं।

३२८—यदि भिन्न-भिन्न लिंगों की दो (वा अधिक) प्राणिवाचक

संज्ञाएँ एकवचन में आवें तो क्रिया बहुधा पुल्लिंग एकवचन में आती है।

गर्मी और हवा के झकोरे और भी क्लेश देते थे। उसके चार नेत्र और तीन भुजाएँ थीं। हास में मुँह, गाल और आँखें फूली हुई जान पड़ती हैं।

२३९—यदि भिन्न-भिन्न लिंग-वचन की एक से अधिक संज्ञाएँ अप्रत्यय कर्त्ता-कारक में आवें, तो क्रिया के लिंग-वचन अंतिम कर्त्ता के अनुसार होते हैं।

हम और तुम वहाँ चलेंगे। तू और वह कल आना, तुम और वे कल आओगे।

२४०—भिन्न-भिन्न पुरुष के कर्त्ताओं में यदि उत्तम पुरुष आवे, तो क्रिया उत्तम पुरुष होगी; और यदि मध्यम तथा अन्य पुरुष कर्त्ता में हों तो क्रिया मध्यम पुरुष में रहेगी।

मैं या मेरा भाई आयगा। वे और तुम वहाँ ठहर जाना। इस काम में कोई हानि अथवा लाभ नहीं हुआ।

२४१—यदि कई कर्त्ता विभाजक समुच्चय-बोधक के द्वारा जुड़े हों, तो अंतिम कर्त्ता क्रिया से अन्वित होता है।

(२) कर्म और क्रिया का अन्वय

मैंने गाय और भैंस मोल ली। शिकारी ने भेड़िया और चीता देखे। महाजन ने यहाँ लड़का और भतीजा भेजे।

२४२—एक ही लिंग की अनेक एकवचन प्राणिवाचक संज्ञाएँ अप्रत्यय कर्म-कारक में आवें तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में आती है।

मैंने कुएँ में से घड़ा और लोटा निकाला। उसने सुई और कंघी संदूक में रख दी। सिपाही ने युद्ध में साहस और धीरज दिखाया था।

३४३—यदि एक ही लिंग की अनेक एकवचन अप्राणिवाचक अथवा भाववाचक संज्ञाएँ कर्म हों, तो क्रिया एकवचन में आएगी।

हमने लड़का और लड़की देखे। राजा ने दास और दासी भेजे। किसान ने गाय और बैल बेंचे।

३४४—यदि भिन्न-भिन्न लिंगों की अनेक प्राणिवाचक संज्ञाएँ एकवचन में कर्म होकर आवें तो क्रिया बहुधा पुल्लिंग बहुवचन में आती है।

उसने मेरे वास्ते सात कमीजें और छः कपड़े तैयार किए थे। उसने वहाँ देख-रेख और प्रबंध किया। मैंने किश्ती में छः सौ मरे बैल, तीन सौ भेड़ें और खाने-पीने के लिये रोटियाँ और शराब भरपूर रख ली थी।

३४५—यदि भिन्न-भिन्न लिंग वचन की एक से अधिक संज्ञाएँ कर्म-कारक में आवें तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होगी।

तुमने टोपी या कुर्ता लिया होगा। लड़के ने पुस्तक, कागज अथवा पेंसिल पाई थी। उसने पुस्तक या कापी भेजी होगी।

३४६—यदि कई कर्म विभाजक-समुच्चयबोधक के द्वारा जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होती है।

(३) विशेषण और विशेष्य का अन्वय

वह कौन सा जप-तप, तीर्थ-यात्रा, होम-यज्ञ और प्रायश्चित्त है? आपने छोटी-छोटी रकाबियाँ और प्याले रख दिए। पुरानी सड़कें और रास्ते सुधारे गए।

३४७—यदि अनेक विशेष्यों का एक ही विकारी विशेषण हो तो वह प्रथम विशेष्य के लिंग वचनानुसार बदलता है।

एक लंबी, मोटी और सीधी छड़ी लाओ। उस पेड़ में पैने और टेढ़े काँटे हैं। लोग अच्छी और सस्ती चीजें पसंद करते हैं।

३४८—यदि एक विशेष्य के पूर्व अनेक विकारी विशेषण हों तो सभी विशेषणों में विशेष्य के अनुसार विकार होगा।

राजा के महल में बहुत से कमरे हैं। सिपाहियों के कपड़े एक विशेष प्रकार के होते हैं। लड़के की छड़ी छोटी है।

३४९—संबंध-कारक में आकारांत विशेषण के समान विकार होता है। यदि संबंधी शब्द (भेद्य) विकृत रूप में आवे तो संबंध-कारक (भेदक) में भी वैसा ही विकार होता है।

जाति के सर्वगुण-संपन्न बालक और बालिकाओं ही का विवाह होना चाहिए। उसमें शब्दों के भेद, अवस्था और व्युत्पत्ति का वर्णन है। मेरी पुस्तकें और कागज-पत्र कहाँ हैं ?

३५०—यदि अनेक भेद्यों का एक ही भेदक हो तो वह प्रथम भेद्य से अन्वित होता है।

सोना पीला होता है। घास हरी होती है। मेरी बात पूरी होना कठिन है।

३५१—यदि विधेय-विशेषण आकारांत हो तो विभक्ति रहित कर्त्ता के साथ उसमें उद्देश्य-विशेषण के समान विकार होता है।

गाड़ी खड़ी करो। दरजी ने कपड़े ढीले बनाए। मैं तुम्हारी बात पक्की समझता हूँ।

३५२—विभक्ति रहित कर्म के पश्चात् आनेवाला आकारांत विधेय-विशेषण उस कर्म के साथ लिंग-वचन में अन्वित होता है।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध बताओ—

अकबर विद्वानों का और पंडितों का आदर करता था। अकबर की रहन-सहन सीधी-सादी थी। हुमायूँ और उसके भाई वर्षों लड़ते रहे।

राम को पारितोषिक और उपाधि मिली। अबुलफजल की मृत्यु का समाचार सुनकर उसे खेद और दुःख हुआ। लड़के की बुद्धि और ज्ञान कुंठित जान पड़ता है। मक्खियों की आदतें गंदी और हानिकारक होती हैं। सिपाही के हाथ, पैर तथा अन्य अंग थक गए। प्रत्येक केबिन में अलमारी, पलँग, मेज, कुरसी और हाथ मुँह धोने का सामान रहता है। आज चिट्ठी या समाचार-पत्र नहीं आए। ग्राहक ने धोतियाँ और टोपियाँ खरीदीं। मनुष्य अच्छी, सस्ती तथा उपयोगी वस्तुएँ खरीदता है। घर में कई मनुष्य, स्त्रियाँ और लड़के रहते हैं। गोपाल ने छाता और छड़ी मोल ली।

चौथा पाठ

शब्दों का क्रम

३५३—वाक्य में पदक्रम का सब से साधारण नियम यह है कि पहले कर्त्ता वा उद्देश्य, फिर कर्म वा पूर्ति और अंत में क्रिया रखते हैं। जैसे, लड़का पुस्तक पढ़ता है। सिपाही सूबेदार बनाया गया। मोहन चतुर जान पड़ता है।

३५४—द्विकर्मक क्रियाओं में गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म पीछे आता है; जैसे हमने अपने मित्र को चिट्ठी भेजी। गुरु शिष्य को गणित पढ़ाता है। राजा ने सिपाही को सूबेदार बनाया।

३५५—दूसरे कारकों में आनेवाले शब्द उन शब्दों के पूर्व आते हैं जिनसे उनका संबंध होता है; जैसे, मेरे मित्र की चिट्ठी कई दिन में आई। यह गाड़ी बंबई से कलकत्ते तक जाती है। राम अपने गुणों में एक ही है।

३५६—विशेषण संज्ञा के पहले और क्रिया-विशेषण (वा क्रिया-विशेषण-वाक्यांश) बहुधा क्रिया के पहले आते हैं; जैसे एक भेड़िया किसी नदी में, ऊपर की तरफ पानी पी रहा था। राजा आज नगर में आए हैं। चतुर मनुष्य बहुधा अपना समय व्यर्थ नहीं खोते।

३५७—समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पीछे आता है और पिछले शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है; जैसे, कल्लू, तेरा भाई बाहर

खड़ा है भवानी सुनार को बुलाओ। राम का पिता, मोहन यहाँ आया है।

३५८—तो, भी, ही, भर, तक और मात्र वाक्य में उन्हीं शब्दों के पश्चात् आते हैं जिनपर इनके कारण अवधारण होता है और इनके स्थानांतर से वाक्य में अर्थांतर हो जाता है; जैसे, 'हम भी गाँव को जाते हैं। हम गाँव को भी जाते हैं। हम तो गाँव को जाते हैं। हम गाँव को तो जाते हैं।

३५९—समुच्चय-बोधक अव्यय जिन शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं उनके बीच में आते हैं; जैसे, हम उन्हें सुख देंगे; क्योंकि उन्होंने हमारे लिये बड़ा तप किया है। ग्रह और उपग्रह सूर्य के आस पास घूमते हैं। मैंने लड़के को बहुत समझाया, पर वह न सुधरा।

३६०—छंद की पूर्णता के लिये प्रायः सभी शब्द वाक्य में अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में आते हैं; जैसे,

कहीं सजावट की चीजों से हो जाता था चित्त प्रसन्न ;
कहीं कलें अपनी महिमा से करती थीं विस्मय उत्पन्न।
भाँति भाँति की वस्त्र राशियाँ कहीं दिखाई देती थीं ;
कुशल कलाकारों की कृतियाँ चित्त चुराए लेती थीं।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में शब्दों में क्रम का कारण बताओ—

भारतवर्ष में कपास के वस्त्र लगभग चार हजार वर्ष से बनते हैं। उस समय यहाँ महीन और सुंदर वस्त्र भी बनते थे। पूर्व काल के लेखकों ने लिखा है कि भारतीय कपड़ा सस्ता तैयार होता है और उसकी छपाई तथा रँगाई भी मनमोहक होती है। जबसे वैज्ञानिकों ने बिनौले को उपयोगी पदार्थ सिद्ध कर दिया, तबसे अमेरिका में कपास ही के समान उसका आदर होने लगा। मिलों का आविष्कार करके वैज्ञानिकों ने लाखों मजदूरों को काम दिया है। चर्खों और करघों द्वारा कपड़ा बुननेवाला भारतवर्ष आजकल वस्त्र-व्यवसाय में पिछड़ा हुआ है।

पाँचवाँ पाठ

शब्दों का लोप

३५९—कभी-कभी वाक्य में संक्षेप अथवा गौरव लाने के लिये कुछ ऐसे शब्द छोड़ दिए जाते हैं जो वाक्य के अर्थ पर से सहज ही जाने जा सकते हैं।

(क) उद्देश्य का लोप—सुनते हैं कि आज आयँगे। वहाँ मत जाना। हाँ, जाता हूँ। जैसे बनेगा वैसे काम किया जायगा। सुना गया है कि वे आवेंगे।

(ख) कर्म का लोप—समझ पड़ता है। बहरा सुन नहीं सकता। तुम्हारी बहिन सी रही है। गरीब स्त्रियाँ पीसती हैं। लड़की अब देख सकती है।

(ग) क्रिया का लोप—दूर के ढोल सुहावने। मैं वहाँ जाने का नहीं। महाराज की जय। आपको प्रणाम। विवाह करने से क्या काम?

(घ) विशेष्य का लोप—भले भलाई करते हैं। हमारी और उनकी अच्छी निभी। विद्वानों का आदर सर्वत्र होता है। सुधरी बिगरे बेग ही, बिगरी फिर सुधरै न। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत।

(ङ) समुच्चय-बोधक का लोप—नौकर बोला, महाराज पुरोहित जी आए हैं। क्या जाने, किसी के मन में क्या भरा है। आप बुरा न मानें तो एक बात कहूँ। मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ी है, इस समय चलकर उनकी चिंता मिटा देना चाहिए। ताँबा खदान से निकलता है, इसका रंग लाल होता है।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में लुप्त शब्दों को प्रकट करो—

पुत्र, वहाँ न जाना। मैं तेरी एक भी न सुनूँगा। कोई कोई जन्तु पानी में तैरते हैं, जैसे, मछलियाँ। देखते हैं कि युद्ध दिन दिन बढ़ता जाता है। उसने कहा, मैं कल जाऊँगा। मैंने बहुत दुख भोगा है, अब मुझे शरण दो। मेरी भी तो कुछ मानो। आप यहाँ कैसे? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगा तेली। रहिमन, अब वे तरु कहाँ, जिनकी छाँह गंभीर। हमारी उनकी नहीं बनती।

सातवाँ अध्याय

वाक्य-पृथक्करण

पहला पाठ

वाक्य, उपवाक्य और वाक्यांश

महाराज दशरथ राजा जनक का निमंत्रण-पत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुए।
चंद्रगुप्त बहुत बुद्धिमान राजा था।
दयाराम राजा का एक पुराना नौकर था।
गरमी के दिनों में समुद्र का बहुत-सा पानी भाप बन जाता है।
उपमन्यु बड़े यत्न से गुरु की गौवें चराने लगा।

३६०—ऊपर लिखा प्रत्येक शब्द-समूह एक-एक पूरा विचार प्रकट करता है। शब्दों के ऐसे समूह को जिससे पूरा विचार प्रकट होता है, वाक्य कहते हैं।

गुरु वशिष्ठ ने राजा से कहा कि अब कोई चिंता की बात नहीं है।
जिन सीपों में मोती उत्पन्न होता है, वे समुद्र की तली में रहती हैं।
जैसे ही शैव्या ने धोती फाड़कर देनी चाही, त्यों साक्षात् भगवान् प्रकट हो गए।
जब शरीर प्राण-वायु धारण करने में असमर्थ हो जाता है, तब मनुष्य मर जाता है।
राजा ने ऋषि को बड़े आदर से सभा में बुलाया और उन्हें आसन पर बैठाया।

३६१—ऊपर लिखे उदाहरणों में एक पूरा विचार प्रकट करने के लिये दो दो वाक्य आए हैं; क्योंकि एक वाक्य का अर्थ दूसरे पर

अवलंबित है। जब कोई पूरा विचार एक से अधिक वाक्यों से प्रकट होता है तब उनमें से प्रत्येक को उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य एक प्रकार के वाक्य ही हैं।

आग लग जाने के कारण घर का घर जल गया।

सच बोलना प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है।

वह दो महीने के बाद लौटेगा।

मोहन कभी न कभी अवश्य आवेगा।

दूर से आया हुआ एक यात्री पेड़ के नीचे बैठा है।

३६२--ऊपर लिखे वाक्यों में प्रत्येक रेखांकित शब्द-समूह से एक पूरा विचार प्रकट नहीं होता; किंतु एक एक भावना प्रकट होती है। शब्दों के ऐसे समूह को जिससे पूरी बात नहीं जानी जाती, किंतु एक भावना सूचित होती है, वाक्यांश कहते हैं।

अभ्यास

नीचे लिखे वाक्यों में वाक्य, उपवाक्य और वाक्यांश बताओ--

यदि मनुष्य पशु-पक्षियों की बोली समझ ले तो उसका बहुत सा काम निकले। प्राचीन काल में विद्वानों ने इस रहस्य का भेद जान लिया था। नवीन सभ्यता तो अपनी विद्या के अभिमान से इन बातों को झूठ ही समझती है। जिस वस्तु को वह सुगमता से नहीं प्राप्त कर सकती उसे मिथ्या ढकोसला बताती है। जीव-जंतु विद्या पर इस समय विद्वानों का बहुत ध्यान है। उसकी उन्नति भी बहुत हुई है; परंतु यह पशु-पक्षियों की बोली समझने की विद्या के संयोग के बिना अधूरी है।

दूसरा पाठ

साधारण वाक्य

१९३—वाक्य के मुख्य दो अवयव होते हैं—

(१) उद्देश्य और (२) विधेय।

(अ) जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करनेवाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं; जैसे, आत्मा अमर है। घोड़ा दौड़ रहा है। राम ने रावण को मारा। इन वाक्यों में "आत्मा" "घोड़ा" और "राम ने" उद्देश्य हैं, क्योंकि इनके विषय में कुछ कहा गया है अर्थात् विधान किया गया है।

(आ) उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करनेवाले शब्दों को विधेय कहते हैं; जैसे, ऊपर लिखे वाक्यों में "आत्मा", "घोड़ा", "राम ने" इन उद्देश्यों के विषय में क्रमशः "अमर है", "दौड़ रहा है", "रावण को मारा", ये विधान किए गए हैं, इसलिये इन्हें विधेय कहते हैं।

१९४—जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं; जैसे, आज बहुत पानी गिरा। बिजली चमकती है। राजा ने उसी समय आने की आज्ञा दी।

१९५—साधारण वाक्य में एक संज्ञा उद्देश्य और एक क्रिया विधेय होती है और इन्हें क्रमशः साधारण उद्देश्य और साधारण विधेय कहते हैं।

१९६—साधारण उद्देश्य में संज्ञा अथवा संज्ञा के समान उपयोग में आनेवाले दूसरे शब्द आते हैं; जैसे,

(अ) संज्ञा—हवा चली। लड़का आवेगा। राम जाता है।

(आ) सर्वनाम—तुम पढ़ते थे। वे जावेंगे। हम बैठे हैं।

(इ) विशेषण—विद्वान् सब जगह पूजा जाता है। मरता क्या नहीं करता।

(ई) संज्ञा-वाक्यांश—वहाँ जाना ठीक नहीं। झूठ बोलना पाप है। खेत का खेत सूख गया।

१६७—उद्देश्य बहुधा कर्त्ता कारक में रहता है; पर कभी-कभी वह दूसरे कारकों में भी आता है; जैसे,

(१) प्रधान कर्त्ता कारक—लड़का दौड़ता है। स्त्री कपड़ा सीती है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे।

(२) अप्रधान कर्त्ता कारक—मैंने लड़के को बुलाया। सिपाही ने चोर को पकड़ा। हमने अभी नहाया है।

(३) अप्रत्यय कर्म कारक—चिट्ठी लिखी जायगी। दवा बनाई गई। पुस्तक छापी जाती है।

(४) करण कारक—(भाववाच्य में)—लड़के से चला नहीं जाता। मुझसे बोलते नहीं बनता। रोगी से अब बैठा जाता है।

(५) संप्रदान-कारक—आपको ऐसा न कहना चाहिए था। मुझे वहाँ जाना था। राजा को यही हुक्म देते बना।

१६८—वाक्य के साधारण उद्देश्य में विशेषणादि जोड़कर उसका विस्तार करते हैं। उद्देश्य की सत्ता का अर्थ नीचे लिखे शब्दों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है—

(क) विशेषण—अच्छा लड़का माता-पिता की आज्ञा मानता है। सब लोग आदमी हैजे से मर जाते हैं। भले मनुष्य कभी अनुचित व्यवहार नहीं करते।

(ख) संबंध कारक—दर्शकों की भीड़ बढ़ गई। भोजन की सब चीजें लाई गईं। जहाज पर के यात्रियों ने आनंद मनाया।

(ग) समानाधिकरण शब्द—परमहंस कृष्णस्वामी काशी को गए। उनके पिता जयसिंह यह बात नहीं चाहते थे। महाभारत युद्ध में द्वारका के राजा श्रीकृष्ण सम्मिलित हुए थे।

(घ) विशेषण वाक्यांश—दिन का थका हुआ मनुष्य रात को खूब सोता। काम सीखा हुआ नौकर कठिनाई से मिलेगा। आकाश में फिरता हुआ चंद्रमा राहु से ग्रसा जाता है।

१६९—साधारण विधेय में केवल एक समापिका क्रिया रहती है और वह किसी भी वाच्य, अर्थ, काल, पुरुष, लिंग, वचन और प्रयोग में आ सकती है। इसमें संयुक्त क्रिया का भी समावेश होता है। उदा०—लड़का जाता है। पत्थर फेंका जायगा। धीरे-धीरे उजेला होने लगा।

(क) साधारणतः अकर्मक क्रियाएँ अपना अर्थ स्वयं प्रकट करती हैं; परंतु अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं का अर्थ पूरा करने के लिये उनके साथ उद्देश्य-पूर्ति लगाने की आवश्यकता होती है। उद्देश्य-पूर्ति में संज्ञा, विशेषण अथवा और कोई गुणवाचक शब्द आता है; जैसे, वह आदमी पागल है। उसका लड़का चोर निकला। वह पुस्तक राम की थी।

(ख) सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना पूरा नहीं होता और द्विकर्मक क्रियाओं में दो कर्म आते हैं; जैसे, पक्षी घोंसले बनाते हैं। वह आदमी मुझे बुलाता है। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया।

(ग) अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं के कर्मवाच्य के रूप भी अपूर्ण होते हैं; जैसे, वह सिपाही सरदार बनाया गया। ऐसा आदमी चालाक समझा जाता है। उसका कहना झूठ पाया गया।

(घ) जब अपूर्ण क्रियाएँ अपना अर्थ आपही प्रकट करती हैं, तब वे अकेली ही विधेय होती हैं; जैसे, ईश्वर है। सवेरा हुआ। चंद्रमा दिखता है।

१७०—कर्म में उद्देश्य के समान संज्ञा अथवा संज्ञा के समान उपयोग में आनेवाला कोई दूसरा शब्द आता है—

(क) संज्ञा—माली फूल तोड़ता है। सौदागर ने घोड़े बेचे। लड़का पुस्तक पढ़ता है।

(ख) सर्वनाम—वह आदमी मुझे बुलाता है। मैंने उसको नहीं देखा। उसने यह भेजा है।

(ग) विशेषण—दीनों को मत सताओ। उसने डूबते को बचाया। इन अनाथों को कष्ट से बचाओ।

(घ) संज्ञा वाक्यांश—वह खेत नापना सीखता है। मैं आपका इस तरह बातें बनाना नहीं सुनूँगा। बकरियों ने खेत का खेत चर लिया।

३७१—गौण कर्म में भी ऊपर लिखे शब्द पाए जाते हैं; जैसे,

(क) संज्ञा—यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। ब्राह्मण ने राजा को कथा सुनाई।

(ख) सर्वनाम—उसको यह कपड़ा पहिनाओ। मुझे किसी ने सलाह नहीं दी।

(ग) विशेषण—वे भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देते हैं।

(घ) संज्ञा वाक्यांश—उसने मेरे कहने को मान नहीं दिया। मैं गाँव के गाँव को सदाचार सिखाता हूँ।

३७२—कर्मवाच्य में द्विकर्मक क्रियाओं का मुख्य कर्म उद्देश्य हो जाता है और वह कर्ताकारक में आता है; परंतु गौण कर्म ज्यों का त्यों बना रहता है; जैसे, ब्राह्मण को दान दिया गया। मुझको वह बात बताई जायगी। गाय को घास खिलाई जाती है।

३७३—अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं के कर्तृवाच्य में कर्म के साथ कर्मपूर्ति आती है; जैसे, ईश्वर राई को पर्वत करता है। मैंने मिट्टी को सोना बनाया। तूने सारे धन को मिट्टी कर दिया।

३७४—सजातीय अकर्मक क्रियाओं के साथ उन्हीं की धातु से बना हुआ सजातीय कर्म आता है; जैसे, वह अच्छी चाल चलता है। योद्धा सिंह की बैठक बैठा। लड़का दौड़ दौड़ता है।

३७५—उद्देश्य के समान कर्म और पूर्ति का भी विस्तार होता है। यहाँ मुख्य कर्म के विस्तारक शब्दों की सूची दी जाती है—

(क) विशेषण—मैंने एक घड़ी मोल ली। तुम बुरी बातें छोड़ दो। वह उड़ती हुई चिड़ियाँ पहचानता है।

(ख) समानाधिकरण शब्द—आध सेर घी लाओ। मैं अपने मित्र गोपाल को बुलाता हूँ। राम ने लंका के राजा, रावण को मारा।

(ग) संबंध कारक—उसने अपना हाथ बढ़ाया। आज का पाठ पढ़ लो। हाकिम ने गाँव के मुखिया को बुलाया।

(घ) विशेषण वाक्यांश—मैंने बाँस पर चढ़ते हुए नटों को देखा। लोग हरिश्चंद्र की बनाई किताबें प्रेम से पढ़ते हैं।

२७६—उद्देश्य की संज्ञा के समान विधेय की क्रिया का भी विस्तार होता है। विधेय की क्रिया क्रियाविशेषण अथवा उसके समान उपयोग में आनेवाले शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है।

२७७—विधेय की क्रिया का विस्तार आगे लिखे शब्दों से होता है—

(क) संज्ञा या संज्ञा-वाक्यांश—एक समय बड़ा अकाल पड़ा। उसने कई वर्ष राज्य किया। वो दिन चले अढ़ाई कोस।

(ख) क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में आनेवाला विशेषण—वह अच्छा लिखता है। वो मधुर गाती है। मैं स्वस्थ बैठा हूँ।

(ग) विशेष्य के परे आनेवाला विशेषण—स्त्रियाँ उदास बैठी थीं। उसका लड़का भला चंगा खड़ा है। कुत्ता भौंकता हुआ भागा।

(घ) पूर्ण तथा अपूर्ण क्रिया-द्योतक कृदंत—कुत्ता पूँछ हिलाते हुए आया। स्त्री बकते-बकते चली गई। लड़का बैठे-बैठे उकता गया।

(ङ) पूर्वकालिक कृदंत—वह उठकर भागा। तुम दौड़कर चलते हो। वे नहाकर लौट आए।

(च) तात्कालिक-बोधक कृदंत—उसने आते ही उपद्रव मचाया। स्त्री गिरते ही मर गई। वह लेटते ही सो गया।

(छ) स्वतंत्र वाक्यांश—इससे थकावट दूर होकर अच्छी नींद आती है। इतनी रात गए क्यों आए? उनको मरे एक साल हो गया।

(ज) क्रिया-विशेषण या क्रिया-विशेषण वाक्यांश—गाड़ी धीरे चलती है। चोर कहीं न कहीं छिपा है। पुस्तक हाथों हाथ बिक गई।

(झ) संबंध सूचकांत शब्द—चिड़िया चोंची समेत उड़ गई। वह भूख के मारे मर गया। मैं उनके यहाँ रहता हूँ।

(८) कर्त्ता, कर्म और संबंध कारकों को छोड़ शेष कारक—मैंने चाकू से फल काटा। वह नहाने को गया है। मैं अपने सिर पर पछताता हूँ।

१७८—अर्थ के अनुसार विधेयवर्द्धक के (क्रिया-विशेषण के समान) नीचे लिखे भेद होते हैं।

(१) कालवाचक—मैं कल आया। वह दो महीने बीमार रहा। उसने बार-बार यह कहा।

(२) स्थानवाचक—पंजाब में हाथियों का काम नहीं है। प्रयाग गंगा के किनारे बसा है। गाड़ी बंबई को गई।

(३) रीतिवाचक—मोटी लकड़ी का बोझ अच्छी तरह सँभालती है। घोड़ा लँगड़ाता हुआ भागा। सिपाही ने तलवार से चीते को मारा।

(४) परिमाण-वाचक—मैं दस मील चला। वह लड़का तुम्हारे बराबर काम नहीं कर सकता। धन से विद्या श्रेष्ठ है।

[सूचना—नहीं (न, मत) को विधेय-विस्तारक न मानकर साधारण विधेय का एक अंग मानना उचित है।]

(५) कार्य-कारण-वाचक—तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा। पीने को पानी लाओ। शक्कर से मिठाई बनती है।

साधारण वाक्य के पृथक्करण के कुछ उदाहरण—

(१) वह आदमी पागल हो गया।

(२) इसमें वह बेचारा क्या कर सकता था।

(३) एक सेर घी कम होगा।

(४) खेत का खेत सूख गया।

(५) यहाँ आए मुझे दो वर्ष हो गए।

(६) रामभंदिर से बीस फुट की दूरी पर चारों तरफ दो फुट ऊँची दीवार है।

(७) दुर्गंध के मारे वहाँ बैठा नहीं जाता था।

(८) यह अपमान भला किससे सहा जायगा?

(९) नेपालवाले बहुत दिनों से अपना राज्य बढ़ाते चले आते थे।

वाक्य	उद्देश्य		विधेय			
	साधारण उद्देश्य	उद्देश्य-वर्द्धक	साधारण विधेय	विधेय-पूरक, कर्म	पूर्ति	विधेय-विस्तारक
(१)	आदमी	यह	हो गया	०	पागल	०
(२)	वह	बेचारा	कर सकता था	क्या	०	इसमें (स्थान)
(३)	घी	एक सेर	होगा	०	बस	०
(४)	खेत का खेत	०	सूख गया	०	०	०
(५)	वर्ष	दो	हो गए	०	०	मुझे यहाँ आए (काल)
(६)	दीवार	६ फुट ऊँची ०	है	० ०	० ०	रामभदिर से...पर (स्थान), चारों तरफ (स्थान)
(७)	बैठाना (लुप्त) (क्रियांतर्गत) अथवा किसी से (लुप्त)	०	बैठा नहीं जाता था			दुर्गंध के मारे (कारण) वहाँ स्थान
(८)	अपमान	यह	सहा जायगा	०	०	किससे (द्वारा)
(९)	नेपालवाले	०	चले आते थे	०	०	अपना राज्य बढ़ाते (रीति) बहुत दिनों से (काल)

अभ्यास

१—नीचे लिखे साधारण वाक्यों का पृथक्करण करो—

सभापति ने अपना भाषण पढ़ा। सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुँचा। मुझे ये दान ब्राह्मण को देने हैं। उसका कहना झूठ समझा गया। विद्वान् को सदा धर्म की चिंता करनी चाहिए। मीरकासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। धूप कड़ी होने के कारण वे पेड़ की छाया में ठहर गए। गाय के चमड़े के जूते बनाए जाते हैं। हिंदुस्तान के उत्तर में हिमालय पर्वत है। मुझसे चला नहीं जाता। वह साधु चोर निकला। तुम इतनी रात बीते क्यों आए? तुम्हारा मित्र गोपाल कहाँ रहता है? अहल्या ने गंगाधर को दीवान बनाया। घी रुपए का एक सेर मिलता है।

तीसरा पाठ

संयुक्त वाक्य

मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया।

मेरा भाई यहाँ आवेगा या मैं ही उसके पास जाऊँगा।

ये लोग नए बसनेवालों से सदैव लड़ा करते थे; परंतु धीरे-धीरे जंगल-पहाड़ों में भगा दिए गए।

शाहजहाँ इस बेगम को बहुत चाहता था; इसलिये उसे इस रौजे के बनाने की बड़ी रुचि हुई।

३७९—ऊपर लिखे हुए वाक्यों में से प्रत्येक में दो मुख्य उपवाक्य मिले हुए हैं। यदि हम चाहें तो इन मुख्य उपवाक्यों का उपयोग अलग-अलग भी कर सकते हैं; जैसे, मैं आगे बढ़ गया। वह पीछे रह गया। जिस वाक्य में दो या अधिक मुख्य उपवाक्य मिले रहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों के उपवाक्य एक दूसरे के समानाधिकरण होते हैं।

३८०—संयुक्त वाक्यों के समानाधिकरण उपवाक्यों में चार प्रकार का संबंध पाया जाता है—संयोजक, विभाजक, विरोधदर्शक और परिणाम-बोधक। यह संबंध समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्ययों के द्वारा सूचित होता है; जैसे—

(१) संयोजक—मूँगा समुद्र में होता है और वहीं छत्ता बाँधकर बढ़ता रहता है। विद्या से ज्ञान बढ़ता है, विचारशक्ति प्राप्त होती है और मान मिलता है। पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं है; वरन् कई और पदार्थ भी हैं।

(२) विभाजक—उन्हें न नींद आती थी; न भूख प्यास लगती थी। या तो आप स्वतः आइए या अपने नौकर को भेजिए। अब तू या छूट ही जायगा, नहीं तो कुत्तों-गिद्धों का भक्ष्य बनेगा।

(३) विरोधदर्शक—कामनाओं के प्रबल हो जाने से आदमी दुराचार

नहीं करते; किंतु अंतःकरण के निर्बल हो जाने से वे वैसा करते हैं। मूर्छा दूर हो जाने पर राजा रानी को समझाने लगे, पर उसने राजा के कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया। मैंने उसे बहुत समझाया; परंतु वह अपनी हठ पर अड़ा रहा।

(४) परिणामबोधक—मुझे उन लोगों का भेद लेना था; सो मैं वहाँ ठहरकर उन की बातें सुनने लगा। आपसे बहुत समय से भेंट नहीं हुई थी, इसलिये मैं यहाँ आया हूँ। उसने मेरी बात नहीं मानी थी; इसलिये आज उसे ये आपत्तियाँ सहनी पड़ रही हैं।

६८९—कभी-कभी समानाधिकरण उपवाक्य बिना समुच्चय-बोधक के ही जोड़ दिए जाते हैं; जैसे, आप सब प्रकार से समर्थ हैं, आप इस काम को कर सकते हैं। पानी बरसने की संभावना है। बादल घिरे हुए हैं। मेरे लड़कों पर भीड़ पड़ी है; इस समय चलकर उनकी चिंता मेटा चाहिए।

संयुक्त वाक्य के उपवाक्य-पृथक्करण का उदाहरण

मैंने इस कार्य में बहुत उद्योग किया है; इसलिये मुझे सफलता की पूरी आशा है; परंतु मनुष्य के भाग्य का निर्णय ईश्वर के हाथ में रहता है।

उपवाक्य	प्रकार	संबंध	संयोजक शब्द
(क) मैंने इस कार्य में बहुत उद्योग किया है।	मुख्य उपवाक्य	०	०
(ख) इसलिये मुझे सफलता की पूरी आशा है।	मुख्य उपवाक्य	(क) का समानाधिकरण, परिणाम-बोधक	इसलिये
(ग) परंतु मनुष्य के भाग्य का निर्णय ईश्वर के हाथ में रहता है।	मुख्य उपवाक्य	(ख) का समानाधिकरण, विरोध-दर्शक।	परंतु

अभ्यास

१—नीचे लिखे संयुक्त वाक्यों का उपवाक्य-पृथक्करण करो—

दो एक दिन आते हुए रामी ने उसको देखा था, किन्तु वह संध्या के पीछे आता था; इससे वह उसे पहचान न सकी। उस समय हवा बड़े ज़ोर से चलती थी और पानी भी वेग से बरसता था; इसलिये ऐसे समय मेरा वहाँ जाना संभव न था। मैं बड़ी देर तक राह देखता रहा; पर न राम आया और न मोहन। जंगल में मुझे बड़ी प्यास लगी; मैं पानी की खोज में यहाँ-वहाँ फिरता रहा, पर सारे प्रयत्न निष्फल रहे और मुझे कोई जलाशय न मिला। महानंद ने इसको बहुत सोचा; परंतु उसकी बुद्धि ने कुछ काम न किया। रामचन्द्र की आज्ञा पाकर अंगद रावण की सभा में गए और सीता को लौटा देने के लिये उन्होंने रावण को बहुत समझाया। तू अपनी भिक्षा का सारा अन्न मुझे लाकर देता है और फिर अपने लिये माँगने नहीं जाता; तो भी तू मोटा ही होता जाता है। इस काम को मैं पूरा ही करूँगा अथवा अपना शरीर त्याग दूँगा। वह बूढ़ा हो गया; पर उसके केश काले ही हैं। इस अवसर पर या तो वे मेरे यहाँ आवेंगे अथवा मुझे उनके यहाँ जाना पड़ेगा।

चौथा पाठ

मिश्र वाक्य

तुमको यह कब योग्य है कि बन में बसो।

जो मनुष्य धनवान् होता है, उसे सभी चाहते हैं।

जब सवेरा हुआ, तब हम लोग बाहर गए।

यदि आप यहाँ आवेंगे तो मैं आपको वह उपाय बताऊँगा जिससे मनुष्य आरोग्य रह सकता है।

३८२—ऊपर लिखे हुए वाक्यों में से प्रत्येक में दो वा दो से अधिक

उपवाक्य मिले हुए हैं, जिनमें से रेखांकित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य रहते हैं, उसे मिश्रवाक्य कहते हैं।

३८३—मिश्रवाक्य के आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं—संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रियाविशेषण उपवाक्य।

(क) मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के बदले जो उपवाक्य आता है, उसे संज्ञा-उपवाक्य कहते हैं; जैसे, तुमको यह कब योग्य है, कि वन में बसो। इस वाक्य में 'वन में बसो' आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के 'यह' सर्वनाम के बदले में आया है।

(ख) मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतानेवाला उपवाक्य विशेषण-उपवाक्य कहलाता है; जैसे, जो मनुष्य धनवान् होता है, उसे सभी चाहते हैं। इस वाक्य में "जो मनुष्य धनवान् होता है" यह आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के 'उसे' सर्वनाम की विशेषता बतलाता है।

(ग) क्रियाविशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है; जैसे, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। इस मिश्रवाक्य में 'जब सवेरा हुआ' क्रिया-विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की 'गए' क्रिया की विशेषता बतलाता है।

३८४—एक मिश्रवाक्य में दो या अधिक समानाधिकरण आश्रित उपवाक्य भी आ सकते हैं। उदा०—हम चाहते हैं कि लड़के नीरोग रहें और विद्वान् हों। इस मिश्रवाक्य में "चाहते हैं" मुख्य उपवाक्य है और "लड़के नीरोग रहें" और "विद्वान् हों" ये दो आश्रित उपवाक्य हैं। ये दोनों उपवाक्य "चाहते हैं" क्रिया के कर्म हैं, इसलिये दोनों समानाधिकरण संज्ञा-उपवाक्य हैं।

(क) संज्ञा-उपवाक्य

३८५—संज्ञा उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के संबंध से बहुधा नीचे लिखे किसी एक स्थान में आता है—

(अ) उद्देश्य—इससे जान पड़ता है "कि बुरी संगति का फल बुरा होता है।" मालूम होता है "कि हिंदू लोग भी इसी घाटी से होकर हिंदुस्तान में आए थे।"

(आ) कर्म—वह जानती भी नहीं "कि धर्म किसे कहते हैं।" मैंने सुना है "कि आपके देश में अच्छा राज-प्रबंध है।"

(इ) पूर्ति—मेरा विचार है "कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूँ।" उसकी इच्छा है "कि आपको मारकर दिलीपसिंह को गद्दी पर बिठावें।"

(ई) समानाधिकरण शब्द—इसका फल यह होता है "कि इनकी तादाद अधिक नहीं होने पाती।" यह विश्वास दिन पर दिन बढ़ता जाता है "कि मरे हुए मनुष्य इस संसार में लौटकर आते हैं।"

३८३—संज्ञा उपवाक्य बहुधा स्वरूप-वाचक समुच्चय-बोधक "कि" या "जो" से आरंभ होता है; जैसे वह कहता है "कि मैं कल जाऊँगा। यही कारण है "जो मर्म ही उनकी समझ में नहीं आता।"

(ख) विशेषण-उपवाक्य

३८७—विशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है; इसलिये वाक्य में जिन-जिन स्थानों में संज्ञा आती है, उन्हीं स्थानों में उसके साथ विशेषण उपवाक्य लगाया जा सकता है; जैसे-

(अ) उद्देश्य के साथ—एक बड़ा बुद्धिमान् डाक्टर था जो राजनीति के तत्त्व को अच्छी तरह समझता था। जो सोया उसने खोया।

(आ) कर्म के साथ—वहाँ जो कुछ देखने योग्य था, मैंने सब देख लिया। वह ऐसी बातें कहता है, जिनसे सबको बुरा लगता है।

(इ) पूर्ति के साथ—वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। राजा का घातक एक सिपाही निकला जिसने एक समय उसके प्राण बचाए थे।

(ई) विधेय-विस्तारक के साथ—आप उस अपकीर्ति पर ध्यान नहीं

देते, जो बाल-हत्या के कारण सारे संसार में होती है। उन्होंने जो कुछ किया उसी से मुझे परम संतोष है।

३८८—विशेषण-उपवाक्य संबंध-वाचक सर्वनाम "जो" से आरंभ होता है और मुख्य वाक्य में उसका नित्य-संबंधी "सो", "वह" आता है। कभी-कभी जो और सो से बने हुए "जैसा", जितना" और "वैसा", "उतना" सर्वनाम भी आते हैं। इनमें पहले दो विशेषण उपवाक्य में और पिछले दो मुख्य उपवाक्य में रहते हैं। उदा०—जिसकी लाठी, उसकी भैंस। जैसा देश, वैसा भेष।

(ग) क्रियाविशेषण उपवाक्य

३८९—क्रियाविशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है। जिस प्रकार क्रियाविशेषण विधेय को बढ़ाने में उसका काल, स्थान, रीति, परिमाण, कारण और फल प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्रियाविशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के विधेय का अर्थ इन्हीं अवस्थाओं में बढ़ाता है।

३९०—अर्थ के अनुसार क्रियाविशेषण-उपवाक्य पाँच प्रकार के होते हैं—(१) कालवाचक (२) स्थानवाचक (३) रीतिवाचक (४) परिणाम-वाचक और (५) कार्य-कारण-वाचक।

३९१—कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य से निश्चित काल, कालावस्थित और संयोग के पुनर्भाव का अर्थ सूचित होता है, जैसे, "जब किसान फंदा खोलने को आवे", तब तुम साँस रोककर मुर्दे के समान पड़ जाना। "जब आँधी बड़े जोर से चल रही थी", तब वह एक टापू पर जा पहुँचा।

कालवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य जब, ज्योंही; जब-जब, जब-तक और जब कभी संबंधवाचक क्रिया-विशेषणों से आरंभ होते हैं और मुख्य उपवाक्य में इनके नित्य-संबंधी तब, त्योंही, तब-तब आते हैं।

३९२—स्थानवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के

संबंध से स्थिति और गति सूचित करता है; जैसे, "यहाँ अभी समुद्र है", वहाँ किसी समय जंगल था। ये लोग भी वहीं से आए, "जहाँ से आर्य लोग आए थे।"

स्थानवाचक क्रिया विशेषण-उपवाक्य में जहाँ, जहाँ से, जिधर आते हैं और मुख्य उपवाक्य में उनके नित्य-संबंधी वहाँ (यहाँ), वहाँ से और उधर आते हैं।

१९३—रीतिवाचक क्रियाविशेषण से समता और विषमता का अर्थ पाया जाता है; जैसे, दोनों वीर ऐसे टूटे "जैसे हाथियों के यूथ पर सिंह टूटे।" "जैसे आप बोलते हैं" वैसे मैं नहीं बोल सकता।

रीतिवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य जैसे, ज्यों (कविता में) और मानों से आरंभ होते हैं और मुख्य उपवाक्य में उनके नित्य-संबंधी वैसे, (ऐसे) कैसे और क्यों आते हैं।

१९४—परिमाणवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य से अधिकता, तुल्यता, न्यूनता अनुपात आदि का बोध होता है; जैसे, "ज्यों-ज्यों भीजे कामरी त्यों-त्यों भारी होय"। "जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे-वैसे खर्च भी बढ़ता जाता है"।

परिमाणवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य में ज्यों-ज्यों, जैसे-जैसे, जहाँ तक, जितना आते हैं और मुख्य उपवाक्य में उनके नित्य-संबंधी वैसे-वैसे (तैसे-तैसे), त्यों-त्यों, वहाँ तक, उतना रहते हैं।

१९५—कभी-कभी संबंधवाचक क्रियाविशेषणों के बदले संबंधवाचक विशेषण और संज्ञा से बने हुए वाक्यांश और नित्यसंबंधी शब्दों के बदले निश्चयवाचक विशेषण और संज्ञा से बने हुए वाक्यांश आते हैं। ऐसी अवस्था में आश्रित उपवाक्यों को विशेषण उपवाक्य मानना उचित है, क्योंकि इनमें संज्ञा की प्रधानता रहती है; जैसे, "जिस काल श्रीकृष्ण हस्तिनापुर को चले", उस समय की शोभा कुछ बरनी नहीं जाती। "जिस जगह से वह आता है" उसी जगह लौट जाता है।

१९६—कार्यकारण-वाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य से हेतु, संकेत

विरोध, कार्य या परिणाम का अर्थ पाया जाता है; जैसे, हम उन्हें सुख देंगे, "क्योंकि उन्होंने हमारे लिये बड़ा दुख सहा है।" "जो यह प्रबंध चलता", तो मैं भी सुनता। इस बात की चर्चा हमने इसलिये की है "कि उसकी शंका दूर हो जाय।"

कार्यकारण-वाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधकों से आरंभ होते हैं, जो बहुधा जोड़े से आते हैं; जैसे—

आश्रित उपवाक्य में	मुख्य उपवाक्य में
कि क्योंकि	इसलिये, इतना, ऐसा, यहाँ तक
जो, यदि, अगर, यद्यपि	तो, तथापि, तो भी, किंतु
चाहे—कैसा, कितना कितना—क्यों जो, जिससे, ताकि	तो, भी, पर

मिश्र वाक्य के उपवाक्य-पृथक्करण का उदाहरण

जो मनुष्य दीर्घ-जीवी हुए हैं उनके जीवन की रहन-सहन से पता लगता है कि उनका जीवन सरल रूप से व्यतीत होता था।

उपवाक्य	प्रकार	संबंध	संयोजक शब्द
(क) जो मनुष्य दीर्घ-जीवी हुए हैं।	विशेषण उपवाक्य	'ख' उपवाक्य में 'उनके' सर्वनाम की विशेषता बताता है	
(ख) उनके जीवन की रहन-सहन से पता लगता है	मुख्य उपवाक्य		
(ग) कि उनका जीवन सरल रूप से व्यतीत होता था।	संज्ञा-उपवाक्य	'ख' उपवाक्य की "पता" संज्ञा का समानाधिकरण	कि

अभ्यास

१—नीचे लिखे मिश्र वाक्यों का उपवाक्य-पृथक्करण करो—

जिन स्थानों की जल-वायु स्वास्थ्यकारी न हो वहाँ न रहना चाहिए। यदि तुम भूखे न हो तो मत खाओ। जिस प्रकार रामचंद्र अपने तीनों भाइयों पर प्यार करते थे उसी प्रकार वे तीनों बड़ा भाई मानकर उनकी सेवा करते थे। यद्यपि वह बड़ा विद्वान् था, तथापि उसे इस बात का अभिमान न था कि मैं विद्वान् हूँ। उसका कुत्ता जिसे वह बहुत चाहता था अचानक चौकी पर उछल पड़ा जिससे बत्ती गिर गई और सब कागज भस्म हो गए। चाणक्य ने कहा कि जबतक हम राजा के घर का भीतरी हाल न जानें तब तक कोई उपाय नहीं सोच सकते। जिनका यह सिद्धांत है कि इस प्रकार संसार में ईश्वर ने हमें परीक्षा के लिये भेजा है उन्हें यहाँ कोई डर नहीं है। इस बात का पता लगाना कठिन है, क्योंकि इस विषय में जो दंत-कथाएँ प्रचलित हैं वे प्रामाणिक नहीं मानी जा सकतीं। नदी के तीर खड़े हो वसुदेव विचारने लगे कि पीछे तो सिंह बोलता है और आगे अथाह यमुना बह रही है; अब क्या करूँ!

पाँचवाँ पाठ

मिश्रित वाक्य

१—जो राजा वश में नहीं आते थे वे विरोधी समझे जाते थे और उनको यथोचित दंड दिया जाता था।

२—अक्षरों का धुँधलापन मिटाने के लिये लकड़ी पर तेल मल दिया जाता था और फिर उनको इस प्रकार खोदते थे कि अक्षर उभरे हुए दिखाई देने लगते थे।

३—जब वे मुझसे मिलते हैं अथवा मेरे पास पत्र भेजते हैं तब मैं उनके यहाँ जाता हूँ; परंतु वहाँ अधिक दिन नहीं रहता।

१९७—ऊपर लिखे वाक्यों में दो-दो मुख्य उपवाक्य और उनके साथ एक वा अधिक आश्रित उपवाक्य आए हैं। इस प्रकार के वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये वाक्य मिश्र-संयुक्त भी कहाते हैं, क्योंकि इनमें दोनों प्रकार के वाक्य मिले रहते हैं। मिश्रित वाक्य एक से अधिक मुख्य उपवाक्यों और एक वा अधिक आश्रित वाक्यों के मेल से बनता है।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों के भेद कारण-सहित बताओ—

गौतम-बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। जब मेरी वृद्धावस्था आएगी तब क्या मैं दुखी न होऊँगा? वे प्रायः यही सोचा करते थे कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य सदा के लिये दुःखों से छुटकारा पा जाय। संसार में घोड़े का आदर प्राचीन काल से है, परंतु सबसे श्रेष्ठ घोड़ा अरब का ही होता है। परिश्रम करने से एक तो भोजन का परिपाक खूब होता है, फिर भूख अच्छी तरह लगती है और नींद भी खूब आती है। लक्ष्मण ने भी बड़े भाई के साथ जाने की इच्छा प्रकट की और जब रामचंद्रजी ने देखा कि वे किसी प्रकार न मानेंगे तब उनसे कह दिया कि अपनी माता की आज्ञा लेकर चलो। इनकी विशेषता यह थी कि इनके प्रति भारतवासियों का जितना प्रेम था उतना ही सरकार भी इनका आदर करती थी। यदि ये लोग परिश्रम न करते और भाग्य ठोककर रह जाते तो यह दिन कहाँ से देखते।

छठा पाठ

संकुचित वाक्य

राजा और रंक ऐसे देश-सेवक के उठ जाने से पछताते थे। छः घंटों तक समुद्र की लहरें धरती की ओर और छः घंटों तक उलटी बहती हैं।

नगर के लोग अपने घरों और दुकानों को सजाने लगे। अनुभव से मनुष्य चतुर और साहसी हो जाता है।

३९८—जब संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में एक ही उद्देश्य अथवा एक ही विधेय या दूसरा कोई खंड बार-बार आता है, तब उस खंड की पुनरुक्ति मिटाने के लिये उसे एक ही बार लिखकर संयुक्त वाक्य को संकुचित कर देते हैं।

३९९—संकुचित संयुक्त वाक्य में—

(१) दो या अधिक उद्देश्य का एक ही विधेय हो सकता है; जैसे मनुष्य और कुत्ते सब जगह पाए जाते हैं। उन्हें आगे पढ़ने के लिये न समय, न धन, न इच्छा होती है।

(२) एक उद्देश्य के दो या अधिक विधेय हो सकते हैं, जैसे, गर्मी से पदार्थ फैलते हैं और ठंड से सिकुड़ते हैं। हम यहाँ रहेंगे या चले जाएँगे।

(३) एक विधेय के दो या अधिक कर्म हो सकते हैं; जैसे, पानी अपने साथ मिट्टी और पत्थर बहा ले जाता है। मजदूर सामान और बोझा ढो रहे हैं।

(४) एक विधेय की दो या अधिक पूर्तियाँ हो सकती हैं; जैसे, सोना सुंदर और कीमती होता है। लड़का बुद्धिमान और परिश्रमी जान पड़ता है।

(५) एक विधेय के दो या अधिक विधेय-विस्तारक हो सकते हैं; जैसे, दुरात्मा के धर्मशास्त्र पढ़ने और वेद का अध्ययन करने से कुछ नहीं होता। वह ब्राह्मण अति संतुष्ट हो, आशीर्वाद दे, वहाँ से उठ, राजा भीष्म के पास गया।

(६) एक उद्देश्य के कई उद्देश्यवर्द्धक हो सकते हैं, जैसे, मेरा और मेरे भाई का विवाह एक ही घर में हुआ है। बड़े और मजबूत घोड़े बोझा ढोने के काम में आते हैं।

(७) एक कर्म अथवा पूर्ति के अनेक गुणवाचक शब्द हो सकते हैं;

जैसे, ब्रह्मपुत्र नर्मदा और ताप्ती के पानी को जुदा करता है। घोड़ा उपयोगी और साहसी जानवर है।

संकुचित वाक्य के पृथक्करण का उदाहरण

प्रातः होने पर ही हम राणा जी और उनकी सेना को दुर्ग के भीतर प्रवेश करने का अवसर देंगे।

वाक्य	उद्देश्य		विधेय			
	साधारण उद्देश्य	उद्देश्य वर्द्धक	साधारण विधेय	विधेय पूरक — कर्म	विधेय पूरक — पूर्ति	विधेय-विस्तारक
१	हम	०	देंगे	दुर्ग के भीतर प्रवेश करने का अवसर (मुख्य) राणा जी और उनकी सेना को (गौण) [युक्त]	०	प्रातः होने पर ही (काल०)

अभ्यास

१—नीचे लिखे संकुचित वाक्यों का पूर्ण पृथक्करण करो—

राष्ट्रीय विचार के हिंदू और मुसलमान एकता स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी रचनाओं में भारतीयों का सदा और अस्वाभाविक चित्र ही अंकित मिलता है। वे निर्दयी और कट्टर थे। जहाज के मल्लाह और कर्मचारी किनारे की ओर चल पड़े। वह वहाँ गया और लौट आया। सेठ ने काशी में एक धर्मशाला और कई मंदिर बनवाए। बिहार में भूकम्प-पीड़ितों को अन्न और वस्त्र बाँटे गए। प्रत्येक मनुष्य को धैर्य, साहस और दृढ़ता से काम करना चाहिए। बालक बुद्धिमान और परिश्रमी जान पड़ता है। सच्चे और धर्मात्मा मनुष्य सर्वत्र आदर पाते हैं।

सातवाँ पाठ

संक्षिप्त वाक्य

( ) सुना है। ( ) कहते हैं। दूर के ढोल सुहावने ( )।

४००—ऊपर लिखे वाक्यों में कुछ शब्द छूटे हुए हैं जो रचना में आवश्यक होने पर भी अपने अभाव से वाक्य के अर्थ में कोई हीनता उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार के वाक्य को संक्षिप्त वाक्य कहते हैं।

४०१—किसी-किसी विशेषण-वाक्य के साथ पूरे मुख्य उपवाक्य का लोप हो जाता है; जैसे, जो हो, जो आज्ञा, जैसा आप समझें।

सूचना—संक्षिप्त-वाक्यों का पृथक्करण करते समय अध्याहृत शब्दों को प्रकट करने की आवश्यकता होती है; पर इस बात का विचार रखना चाहिए कि इन वाक्यों की जाति में कोई हेरफेर न हो।

संक्षिप्त वाक्य के पृथक्करण का उदाहरण

बहुत गई, थोड़ी रही, नारायण अब चेत।
फिर पछताए होत का, चिड़िया चुग गई खेत॥

वाक्य	प्रकार	संयोजक शब्द	उद्देश्य		विधेय				विधेय-विस्तारक
			सा० उ०	उ० व०	सा० वि०	कर्म	पूर्ति	कर्म-पूर्ति-वर्धक	
(क) बहुत गई	(साधारण) मुख्य उपवाक्य	०	(अवस्था)	बहुत	गई	०	०	०	०
(ख) थोड़ी रही	(साधारण) मुख्य उपवाक्य (क) का समानाधिकरण (संयोजक)	और	(अवस्था)	थोड़ी	रही	०	०	०	०

(ग) नारायण, अब चेत	(संक्षिप्त) मुख्य उपवाक्य (ख) का समानाधिकरण (परिणामबोधक)	(इसलिये)	नारायण	०	चेत	०	०	०	अब (काल)
(घ) फिर पछताए होत का	(संक्षिप्त) क्रिया विशेषण उपवाक्य (कारणवाचक) (ग) उपवाक्य के चेत क्रिया की विशेषता बताता है।	(क्योंकि)	का	०	होत	०	०	०	फिर (काल०) पछताए (रीति०)
(ङ) चिड़िया चुग गई खेत	(संक्षिप्त) क्रिया विशेषण उपवाक्य (कालवाचक) (घ) उपवाक्य की होत क्रिया की विशेषता बतलाता है।	०	चिड़िया	०	चुग गई	०	०	०	(जब)

अभ्यास

१—नीचे लिखे संक्षिप्त वाक्यों का पूर्ण पृथक्करण करो—

कहाँ राजा भोज कहाँ गंगा तेली। साँच को आँच क्या? हमारी और उनकी नहीं बनती। वह वेपर की उड़ाता है। मैं तेरी एक भी न सुनूँगा। जहाँ तक हो मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए। तुम्हारे मन में न जाने क्या सोच है। आप बुरा न मानें तो मैं एक बात कहूँ। बहिरो सुनै गूँग पुनि बोलै। क्या कहूँ? सुधरी बिगरै वेग ही, बिगरी फिर सुधरै न।

आठवाँ अध्याय

विराम-चिह्न

४०२—शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न-भिन्न भागों में बाँटने और पढ़ने में ठहरने के लिये, लेखों में जिन चिह्नों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम-चिह्न कहते हैं।

४०३—मुख्य विराम चिह्न ये हैं—

(१) अल्प विराम	,
(२) अर्द्ध-विराम	;
(३) पूर्ण-विराम	।
(४) प्रश्न-चिह्न	?
(५) आश्चर्य-चिह्न	!
(६) निर्देशक (डैश)	—
(७) कोष्ठक	( )
(८) अवतरण-चिह्न	" "

(१) अल्प-विराम

४०४—इस चिह्न का उपयोग बहुधा नीचे लिखे स्थानों में किया जाता है—

(क) जब एक ही शब्द-भेद के दो शब्दों के बीच में समुच्चय-बोधक न हो ; जैसे वहाँ पीले, हरे खेत दिखाई देते थे। वे लोग नदी, नाले पार करते चले।

(ख) जब एक ही शब्द-भेद के दो से अधिक शब्द आवें और उनके बीच समुच्चय-बोधक रहे, तब अंतिम शब्द को छोड़ शेष के पश्चात् ; जैसे, किसी नगर में एक महाजन, उसकी स्त्री और दो बच्चे रहते थे। वह साधु शांत, सरल और कोमल स्वभाव का था। नौकर कोठा झाड़ता है, बिछौना बिछाता है और बाजार से सौदा लाता है।

(ग) जब कई शब्द जोड़े से आते हैं, तब प्रत्येक जोड़े के पश्चात् ; जैसे, ब्रह्मा ने दुःख और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, ये बनाए हैं । छोटे और बड़े, धनी और गरीब, पढ़े और अपढ़, सब ईश्वर को मानते हैं ।

(घ) समानाधिकरण शब्दों के बीच में ; जैसे, ईरान के बादशाह, नादिरशाह ने दिल्ली पर चढ़ाई की । राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, रामचंद्रजी बन को गए ।

(ङ) कई-एक क्रिया-विशेषण वाक्यांशों के साथ; जैसे, बड़े महात्माओं ने, समय-समय पर, यह उपदेश दिया है । एक हब्शी लड़का मजबूत रस्सी का एक सिरा अपनी कमर में लपेट, दूसरे सिरे को लकड़ी के बड़े टुकड़े में बाँध, नदी में कूद पड़ा ।

(च) संबोधन कारक की संज्ञा और संबोधन शब्दों के पश्चात् जैसे, हे ईश्वर, तू सब की इच्छा पूरी करता है । अरे, यह कौन है ? लो, मैं यह चला ।

(छ) संज्ञा-वाक्य को छोड़ मिश्रवाक्य के शेष बड़े उपवाक्य के बीच में ; जैसे, हम उन्हें पुरस्कार देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिये दुःख सहा है । आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए, जिसने कभी दुःख का नाम न सुना हो ।

(ज) जब संज्ञा उपवाक्य मुख्य उपवाक्य से किसी समुच्चय बोधक के द्वारा नहीं जोड़ा जाता ; जैसे, लड़के ने कहा, मैं अभी आता हूँ । परमेश्वर एक है, यह धर्म की मूल बात है ।

(झ) जब संयुक्त वाक्य के प्रधान उपवाक्य में घना संबंध रहता है, तब उनके बीच में ; जैसे, पहले मैंने बगीचा देखा, फिर मैं एक टीले पर चढ़ गया और वहाँ से उतरकर सीधा इधर चला आया । उसका आचरण अच्छा है, स्वभाव दयालु है, और चरित्र आदर्श ।

(२) अर्द्ध-विराम

४०५—अर्द्ध-विराम नीचे लिखी अवस्थाओं में प्रयुक्त होता है—

(क) जब संयुक्त वाक्यों के मुख्य उपवाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं रहता, तब वे अर्द्ध-विराम के द्वारा अलग किए जाते हैं; जैसे, उसने अपने मित्र को बचाने के लिये अनेक उपाय किए; परंतु वे सब निष्फल हुए। छलके हुए रेशों में पत्तियों के टुकड़े और धूल चिपकी रहती है; इसलिये रूई को धुनने के पूर्व उसका कूड़ा-करकट साफ किया जाता है।

(ख) उन बड़े वाक्यों के बीच में जो विकल्प से अंतिम समुच्चय-बोधक के द्वारा जोड़े जाते हैं; जैसे, सूर्य का अस्त हुआ; आकाश लाल हुआ; वराह पोखरों से उठकर घूमने लगे; और मोर अपने रहने के स्थानों पर जा बैठा। हरिण हरियाली पर सोने लगे; पक्षी गाते-गाते घोंसलों की ओर उड़े; और जंगल में धीरे-धीरे अँधेरा फैलने लगा।

(ग) उन कई आश्रित वाक्यों के बीच में, जो एक ही मुख्य-उप-वाक्य पर अवलंबित रहते हैं; जैसे; जब तक हमारे देश के पढ़े-लिखे लोग यह न जानने लगेंगे कि देश में क्या-क्या हो रहा है; शासन में क्या-क्या त्रुटियाँ हैं; और किन-किन बातों की आवश्यकता है; और आवश्यक सुधार किए जाने के लिये आंदोलन न करने लगेंगे; तब तक देश की दशा सुधरना बहुत कठिन होगा।

(३) पूर्ण विराम।

४०६—इसका उपयोग नीचे-लिखे स्थानों में होता है—

(क) प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में; जैसे, महाकवियों की वाणी में अलौकिक रस होता है। इस नदी से हिंदुस्तान के दो समविभाग होते हैं। सब लोगों का अनुमान था कि इस वर्ष फसल बहुत अच्छी होगी।

(ख) बहुधा शीर्षक और ऐसे शब्द के पश्चात् जो किसी वस्तु के उल्लेख मात्र के लिये आता है; जैसे, राम-वन-गमन। पराधीन सपनेहु सुख नाहीं। ग्राम्य-जीवन और नागरिक जीवन।

(ग) प्राचीन भाषा के पद्यों में अर्द्धाली के पश्चात्; जैसे,

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी॥

(४) प्रश्न-चिह्न

४०७—यह चिह्न प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है; जैसे, क्या यह बैल तुम्हारा ही है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? यह ऐसा क्यों कहता था कि हम वहाँ न जायँगे?

(क) प्रश्न का चिह्न ऐसे वाक्यों में नहीं लगाया जाता जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो; जैसे हिंदुस्तान की राजधानी बताओ। रामचंद्र जी की कहानी लिखो।

(ख) जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों का सा होता है, उनमें प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जाता; जैसे, आपने क्या कहा, सो मैंने नहीं सुना। वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। नवयुवक बहुधा नहीं जानते कि कोई बात कब और कहाँ कहनी चाहिए।

(५) आश्चर्य चिह्न

४०८—यह चिह्न विस्मयादिबोधक अव्ययों और मनोविकार-सूचक-शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में लगाया जाता है; जैसे, वाह! उसने तो तुम्हें अच्छा धोखा दिया! राम-राम! उस लड़के ने दीन पक्षी को मार डाला!

(क) तीव्र मनोविकार सूचक संबोधन पदों के अंत में भी आश्चर्य-चिह्न आता है; जैसे, निश्चय दया-दृष्टि से माधव! मेरी ओर निहारोगे। भगवान्! भारतवर्ष में गूँजे हमारी भारती।

(ख) मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो भी आश्चर्य-चिह्न लगाया जाता है; जैसे क्यों री! क्या तू आँखों से अंधी है! क्या इतनी छोटी बात आपकी समझ में नहीं आती!

(६) निर्देशक (डैश)

४०९—इस चिह्न का प्रयोग नीचे लिखे स्थानों में होता है—

(क) समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच में; जैसे, दुनिया में नयापन—नूतनत्व—ऐसी चीज नहीं जो गली-गली मारी-मारी

फिरती हो। जहाँ इन बातों से उसका संबंध न रहे—वह केवल मनो-विनोद की सामग्री समझी जाय–वहीं समझना चाहिए कि उसका उद्देश्य नष्ट हो गया—उसका ढंग बिगड़ गया।

(ख) किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में; जैसे, इसी सोच में सवेरा हो गया कि हाय! इस वीरान में अब कैसे प्राण बचेंगे—न जाने, मैं, कौन मौत मरूँगा! इँगलैंड के राजनीतिज्ञों के दो दल हैं—एक उदार, और दूसरा अनुदार।

(ग) किसी के वचनों को उद्धृत करने के पूर्व जैसे, मैं—अच्छा यहाँ से जमीन कितनी दूर पर होगी? कप्तान—कम से कम तीन सौ मील पर। हम लोगों को सुना-सुनाकर वह अपनी बोली में कहने लगा—तुम लोगों को पीठ से पीठ बाँधकर समुद्र में डुबा दूँगा। कहा है—साँच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप।

(७) कोष्ठक

४१०—कोष्ठक नीचे लिखे स्थानों में आता है—

(क) विषय-विभाग में क्रम-सूचक अक्षरों या अंकों के साथ; जैसे, (क) काल, (ख) स्थान, (ग) रीति, (घ) परिमाण। (१) शब्दालंकार (२) अर्थालंकार (३) उभयालंकार।

(ख) समानार्थी शब्द या वाक्यांश के साथ; जैसे अफ्रीका के नीग्रो लोग (हब्शी) अधिकतर उन्हीं की संतान हैं। इसी कालेज में एक रईस किसान (बड़े जमींदार) का लड़का पढ़ता था।

(ग) ऐसे वाक्य के साथ जो मूल वाक्य के साथ आकर उससे रचना का कोई संबंध नहीं रखता; जैसे, रानी मेरी का सौंदर्य अद्वितीय था (जैसी वह सुरूपा थी वैसी ही एलिजबेथ कुरूपा थी)। जब राजा वृद्ध हुआ तब उसने शासन भार अपने पुत्र को सौंप दिया (धर्म के अनुसार यह उचित ही था)।

(८) अवतरण चिह्न

४११—इन चिन्हों का उपयोग नीचे लिखे स्थानों में किया जाता है–

(क) किसी के महत्त्वपूर्ण वचन उद्धृत करने में अथवा उदाहरणों या कहावतों में; जैसे, तुलसीदास ने कहा है, "पराधीन सपनेहुँ सुख नहीं"। "मौर्य-वंशी राजाओं के समय में भी भारतवासियों को अपने देश का अच्छा ज्ञान था"—यह साधारण वाक्य है। उस बालक के सुलक्षण देखकर सब यही कहते थे कि "होनहार बिरवान के होत चीकने पात।"

(ख) संज्ञा-वाक्य के साथ, जब वह मुख्य वाक्य के पूर्व आता है; जैसे, "रबर काहे का बनता है", यह बात बहुतों को मालूम नहीं है। "मैं अपनी प्रतीज्ञा पालूँगा", ऐसा कहकर उसने रण के लिये प्रस्थान किया।

(ग) जब किसी अक्षर, शब्द या वाक्य का प्रयोग अक्षर, शब्द या वाक्य के अर्थ में होता है, जैसे हिंदी में "ऋ" का उपयोग नहीं होता। "शिक्षा" बहुत व्यापक शब्द है। चारों ओर से "मारो, मारो" की अवाज सुनाई देती थी।

(घ) पुस्तक, समाचार-पत्र, लेख, चित्र, मूर्त्ति, पदवी, आदि के नाम में; जैसे, आपकी पुस्तक का नाम "पंचपात्र" है। कालाकंकर से "सम्राट्" नाम का एक साप्ताहिक निकलता था। उन्हें "राय साहिब" की पदवी मिली है।

अभ्यास

१—नीचे लिखे अंश में यथास्थान विराम-चिह्न लगाओ—

ये साहित्यसेवा में रुपया लगाते थे दीन दुखियों की सहायता करते थे। देशोपकार के कामों में चंदे थे ठाकुर पूजा का प्रबंध करते थे और साथ ही साथ भोग विलास भी करते थे इनका बढ़ा हुआ खर्च देखकर एक बार स्वर्गीय महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह काशीनरेश ने इन्हें अनेक प्रकार से समझाकर कहा बबुआ घर को देखकर काम करो पर बबुआ को इन बातों से क्या मतलब था उन्होंने झट उत्तर दिया हुजूर इस धन ने मेरे पूर्वजों को खाया है मैं इसे खाऊँगा।

परिशिष्ट

प्राचीन कविता की भाषा का संक्षिप्त व्याकरण

१—हिंदी कविता प्रायः तीन प्रकार की उपभाषाओं में होती है—व्रजभाषा, बैसवाड़ी और खड़ी बोली। हमारी अधिकांश प्राचीन कविता व्रजभाषा में पाई जाती है और उसका कुछ प्रभाव अन्य दोनों भाषाओं पर भी पड़ा है। स्वयं व्रजभाषा ही में कभी-कभी बुंदेलखंडी तथा दूसरी भाषाओं का थोड़ा-बहुत मेल पाया जाता है, जिससे यह कहा जा सकता है कि शुद्ध व्रजभाषा की कविता प्रायः बहुत कम मिलती है। इस परिशिष्ट में हिंदी कविता की प्राचीन भाषाओं के शब्द-साधन के नियम संक्षेप में देने का प्रयत्न किया जाता है।

२—गद्य और पद्य के शब्दों के वर्ण-विन्यास में बहुधा यह अंतर पाया जाता है कि गद्य के ल, य, ल, व, श और क्ष के बदले में पद्य में क्रमशः र, ज, र, ब, स और छ (अथवा ख) आते हैं, और संयुक्त वर्णों के अवयव अलग-अलग लिखे जाते हैं; जैसे, पला = परा, यज्ञ = जग्य, पीपल = पीपर, वन = बन, शील = सील, रक्षा = रच्छा, साक्षी = साखी, यत्न = जतन, धर्म = धरम।

३—गद्य और पद्य की भाषाओं की रूपावली में एक साधारण अंतर यह है कि गद्य के अधिकांश आकारांत पुल्लिंग शब्द पद्य में ओकारांत रूप में पाए जाते हैं; जैसे,

संज्ञा—सोना = सोनो, चेरा = चेरो, हिया = हियो, नाता = नातो, बसेरा = बसेरो, सपना = सपनो, मायका = मायको, बहाना = बहानो (उर्दू)।

सर्वनाम—मेरा = मेरो, अपना = अपनो; पराया = परायो, जैसा = जैसो, जितना = जितनो।

विशेषण—काला = कारो, पीला = पीरो, ऊँचा = ऊँचो, नया = नयो, बड़ा = बड़ो, सीधा = सीधो, तीरछा = तीरछो।

क्रिया—गया = गयो, देखा = देखो, आऊँगा = आऊँगो, करता = करतो, जाना = जान्यो।

लिंग

४—इस विषय में गद्य और पद्य की भाषाओं में विशेष अंतर नहीं है। स्त्रीलिंग बनाने में ई और इनि प्रत्ययों का उपयोग अन्यान्य प्रत्ययों की अपेक्षा अधिक किया जाता है; जैसे, बर-दुलहिन सकुचाहिं। तुलसी सिय सुंदर। भूलिहु न कीजै ठकुराइनी इतेक हठ। भिल्लिनि जनु छाँडन चहत।

वचन

५—बहुत्व सूचित करने के लिये कविता में गद्य की अपेक्षा कम रूपांतर होते हैं और प्रत्ययों की अपेक्षा शब्दों से अधिक काम लिया जाता है। राम-चरितमानस में बहुधा समूहवाची शब्दों (गन, वृंद यूथ, निकर आदि) का विशेष प्रयोग पाया जाता है। उदा०—

> जमुना-तट कुंज कदंब के पुंज तरे तिनके नवनीर भिरैं।
> लपटी लतिका तरु जालन सों कुसुमावली तें मकरंद गिरैं॥

इन उदाहरणों में मोटे अक्षरों में दिए हुए शब्द अर्थ में बहुवचन हैं; पर उनके रूप दूसरे ही हैं।

(क) अविकृत कारकों के बहुवचन में संज्ञा का रूप बहुधा जैसा का तैसा रहता है; पर कहीं-कहीं उसमें भी विकृत कारकों का रूपांतर दिखाई देता है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में एं के बदले बहुधा ऐं पाया जाता है।

उदा०—भौंरा ये दिन कठिन हैं। बिलोकत ही कछु भौंर की भौंरनि। छिगरे दिन ये ही सुहाती हैं बातें।

(ख) विकृत कारकों के बहुवचन में बहुधा न, न्ह अथवा नि

आती है; जैसे, पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू । क्यों आँखिन सब देखिए रहो अँगुरी दोऊ कानन में ।

कारक

१—पद्य में संज्ञाओं के साथ भिन्न-भिन्न कारकों में नीचे लिखी विभक्तियों का प्रयोग होता है—

कर्त्ता—ने (क्वचित्) । रामचरित-मानस में इसका प्रयोग नहीं हुआ ।
कर्म—हि, कौं, कहँ ।
करण—तें, सों ।
संप्रदान—हि, कौं, कहँ ।
अपादान—तें, सों ।
संबंध—कौ, कर, केरा । भेद्य के लिंग और वचन के अनुसार कौ और केरा में विकार होता है ।
अधिकरण—में, माँ माहि, माँझ, महँ ।

क्रिया की काल-रचना

चलना (अकर्मक क्रिया)

क्रियार्थक संज्ञा—चलना, चलनौं, चलिबो, चलब ।
कर्तृवाचक संज्ञा—चलनहार ।
वर्तमानकालिक कृदंत—चलत, चलतु ।
भूतकालिक कृदंत—चल्यो ।
पूर्वकालिक कृदंत—चलि, चलिकै ।
तात्कालिक कृदंत—चलतही ।
अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत—चलत, चलतु ।
पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत—चले ।

(१) संभाव्य भविष्यत् (अथवा सामान्य वर्तमान)

कर्त्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
१	चलौं, चलऊँ	१—३ चलैं, चलहिं
२	चलै, चलसि	२ चलौ, चलहु
३	चलै, चलइ, चलहि	

(२) विधि-काल (प्रत्यक्ष)

कर्त्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग

१	चलौं, चलऊँ	१—३ चलैं, चलहिं
२	चल, चलै, चलहि	चलौ, चलहु,
३	चलै, चलहि	

(३) विधि-काल (परोक्ष)

२	चलिए, चलियो	चलियो

(४) सामान्य भविष्यत्

कर्त्ता—पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग

१	चलिहौं	१—३ चलिहैं, चलब
२—३	चलिहै	२ चलिहौ

(अथवा) कर्त्ता—पुल्लिंग (स्त्रीलिंग)

१	चलौंगो (चलौंगी)	१—३ चलैंगे (चलैंगी)
२—३	चलैगो (चलैगी)	२ चलौगे (चलौगी)

(५) सामान्य संकेतार्थ

कर्त्ता—पुल्लिंग (स्त्रीलिंग)

१	चलतो (चलती), चलतेऊँ (चलतिऊँ), चलत	१—३ चलते (चलतीं) २ चलतेउ (चलतिउ)
२—३	चलतो (चलती), चलत	

(६) सामान्य वर्त्तमान

कर्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१—चलत हौं (चलति हौं) १—२ चलत हैं (चलति हैं)

२—३ चलत है (चलति है) २ चलत हो (चलति हो)

(७) अपूर्ण भूत-काल

कर्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१ चलत रह्यो—रहेउँ—हुतो (चलत रही—रहिउँ—हुती) १—३ चलत रहे-हुते (चलत रही-हुती)

२—३ चलत रह्यो—हुतो (चलत रही—हुती) २ चलत रहे—हुते (चलत रही-हुतीं)

(८) सामान्य-भूत

कर्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१—३ चल्यो (चली) १—३ चले (चलीं)

(९) आसन्न-भूत

कर्ता—पुल्लिंग (स्त्री०)

१ चल्यो हौं (चली हौं) १—३ चले हैं (चली हैं)

२—३ चल्यो है (चली है) २ चले हो (चली हो)

(१०) पूर्ण-भूत

१—३ चल्यो रह्यो—हो (चली रही—ही) १—३ चले रहे—हे (चली रही—हीं) २ (चली रहे—रही—हे)

सू०—दूसरे रूप इसी आदर्श पर बनते हैं ।